अष्टम माला, खंड 46, अंक 7

Monday, 3rd April, 1989

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B....60....
Date....5/3/90....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 3 अप्रैल, 1989/13 चैत्र, 1911 (शक)

का

<u>शुद्धि - पत्र</u>

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
18	4	"धारावाल" के स्थान पर "धारीवाल" पढ़िये।
21	नीचे से 9	"परीक्षाकों" के स्थान पर "परीक्षाओं" पढ़िये।
30	17	"किकायत" के स्थान पर "शिकायत" पढ़िये।
31	नीचे से 11	प्रश्न संख्या "4392" पढ़िये।
35	नीचे से 4	"बी0एल0शैलेश" के स्थान पर "बी0एल0शैलेश" पढ़िये।
49	3	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अंतःस्थापित करिये।
63	5	"स्थाना" के स्थान पर "स्थापना" पढ़िये।
63	7	"बसवाराजू" के स्थान पर "बासवराजु" पढ़िये।
78	6	"(क) से (ख)" के स्थान पर "(क) से (घ)" पढ़िये।
83	2	प्रश्न संख्या "6468" के स्थान पर "4468" पढ़िये।
95	नीचे से 7	प्रश्न संख्या "4486" के स्थान पर "4489" पढ़िये।
112	नीचे से 3	"डेविस" के स्थान पर "डेनिस" पढ़िये।
136	नीचे से 12	प्रो0 से पहले "श्री" शब्द निकाल दीजिये।
138	नीचे से 6	"शांतराम" के स्थान पर "शांताराम" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्ट... खण्ड 48 , तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 24, सोमवार, 3 अप्रैल 1989/13 चैत्र 1911 (शक)

विषय			पृष्ठ
नियम सम्बन्धी उल्लेख			1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	...	2—17
*तारांकित प्रश्न संख्या : 453 से 458 और 461			
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	...	18—147
तारांकित प्रश्न संख्या : 451, 452, 459, 460 और 462 से 470	...	...	18—25
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4383 से 4428, 4430 से 4448 और 4450 से 4554	...	...	25—138
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में प्रस्ताव	...	...	147—225
प्रो० मधु दण्डवते	...	...	147—151
श्री पी० चिदम्बरम	...	...	154—161
श्री सी० माधव रेड्डी	...	...	163
श्री दिनेश गोस्वामी	...	...	164—168
प्रो० पी० जे० कुरियन	....	...	168—170
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	...	170—175
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	...	175—179
श्री पी० शिव शंकर	...	...	179—195
श्री एस० जयपाल रेड्डी	....	....	195—198
श्री आरिफ मोहम्मद खां	....	....	198—200
श्री एच० के० एल० भगत	....	....	200—205
श्री सैफुद्दीन चौधरी	....	...	205—207
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	...	....	207—210
श्री भद्रेश्वर तांती	....	....	210—211
श्री जी० एम० बनातवाला	...	...	211—214
सरदार बूटा सिंह	...	....	214—222
अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय	...	...	225—226

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा

सोमवार, 3 अप्रैल, 1989/13 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हमें साहसी और वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा राष्ट्रीय नेता श्री एस० एम० जोशी के निधन का समाचार पाकर गहरा दुःख हुआ है।

श्री जोशी 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पहले 1952-62 में वह बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे। एक सच्चे गांधीवादी और निष्ठावान समाजवादी श्री जोशी ने स्वतन्त्रता संघर्ष में सक्रिय भाग लिया तथा इस सिलसिले में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। श्री जोशी मूल्यों पर आधारित राजनीति में विश्वास रखते थे। वह सामाजिक न्याय के लिए निडरता से लड़ने वाले थे तथा उन्होंने कमजोर वर्गों और पिछड़े हुए लोगों के लिए अनथक संघर्ष किया। उन्होंने देश में ट्रेड यूनियन आंदोलनों को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह आल इण्डिया डिफेंस एम्पलाई फेडरेशन के महासचिव, स्टेट बैंक एम्पलाई एसोसिएशन बम्बई सर्कल तथा ऑल इण्डिया फेडरेशन आफ स्टेट बैंक एम्पलाईज के लम्बे समय तक अध्यक्ष रहे। शुरू में उन्होंने फ्री प्रेस जरनल के संवाददाता के रूप में भी काम किया वह कुछ समय के लिए पूना डेली न्यूज अंग्रेजी दैनिक के सम्पादक रहे तथा उन्होंने बम्बई से प्रकाशित 'लोक मित्र' का सम्पादन भी किया।

जीवनपर्यन्त श्री जोशी न्यायोचित कार्यों के लिए संघर्ष करते रहे। वह संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के निर्माताओं में से थे। इन सबसे बढ़कर श्री जोशी एक महान मानव थे। श्री जोशी का निधन 84 वर्ष की आयु में पटना में हुआ। हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे यकीन है कि शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने में सभा मेरे साथ है।

अब सभा दिवंगत आत्मा की स्मृति में कुछ देर मौन धारण करेगी।

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जैव प्रौद्योगिकी की प्रोन्नति के लिए संयुक्त समिति

*453. श्री पी० पेंचालैया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय विश्वविद्यालयों में जैव प्रौद्योगिकी केन्द्रों की बेहतर प्रोन्नति के लिए किसी संयुक्त समिति का गठन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार की कोई नई समिति गठित करने की योजना नहीं है क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में बायोटेक्नोलॉजी में उन्नत स्नातकोतर अध्यापन कार्यक्रमों के समन्वय, मानीटरी और पुनरीक्षा के लिए बायोटेक्नोलाजी विभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ संयुक्त रूप से पहले से ही एक समिति गठित की हुई है। यह समिति संयुक्त प्रवेश परीक्षा, कोर्स पाठ्यचर्या, ग्रीष्म ऋतु के दौरान छात्रों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण तथा सम्भावित नियोक्ताओं के साथ अन्योन्यक्रिया सहित बायोटेक्नोलाजी स्नातकोतर कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं की पुनरीक्षा करती है।

श्री पी० पेंचालैया : मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा है कि वर्तमान संयुक्त समिति उन्नत प्रौद्योगिकी के विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करेगी। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सरकार द्वारा कौन सी विशेष परियोजनाएं अपने हाथ में ली गई हैं जिनसे एक नई दिशा मिलेगी और हमें उनसे अधिक लाभ होगा और विश्वविद्यालयों को उनसे किस प्रकार जोड़ा जा रहा है ?

श्री के० आर० नारायणन : सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों में विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का समर्थन किया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 17 विश्वविद्यालयों का समर्थन किया जा रहा है। अनेक परियोजनाएं हैं। मैं उन्हें पढ़ भी सकता हूं अथवा माननीय सदस्य के पास भेज सकता हूं। ये परियोजनाएं कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, टिश्यू कल्चर विधि, भ्रूण अन्तरण, पशुओं की नस्ल सुधारने की विधियां तथा पशुओं एवं मानवों के बन्ध्यीकरण में जैव-प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विकास करने के लिए हैं। हमारे कुछ संस्थानों में अनुसंधान चल रहा है। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इन सभी परियोजनाओं का वित्तीय रूप से एवं अन्यथा समर्थन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इस कार्य में शामिल है।

श्री पी० पेंचालैया : अपने अनुभव से हमें यह पता लगता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान केवल विश्वविद्यालयों तक ही सीमित रह जाता है और उसका कोई उपयोग नहीं किया जाता। अतएव, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सहायता दी जा रही है और उनके अनुसंधान कार्यों का कितना उपयोग किया जाता है।

श्री के० आर० नारायणन : जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक मुख्य प्रयास, जैव-प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान एवं उद्योगों के बीच सम्पर्क स्थापित करना है। वास्तव में हमने

विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए तैयार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। टिश्यू कल्चर, जिसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जैव उर्वरकों का निर्माण, जिनका मूल रूप से आविष्कार प्रयोगशालाओं में किया गया है और जिनका अब उत्पादन किया जा रहा है। बायोलोजीकल कृमि नाशक औषधियां, हाईब्रिड बीजों का उत्पादन, जो कि बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाते हैं और जिन्हें हमारी जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में तैयार किया गया था, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं। पशुओं के मामले में यह कुछ उदाहरण हैं। जानवरों के क्षेत्र में भ्रूण अन्तरण तकनीक हमारी प्रयोगशालाओं में विकसित की गई है और आम जनता के लाभ के लिए आज बड़े पैमाने पर भारत में उसका प्रयोग किया जा रहा है।

वैक्सीन का विकास अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसका उपयोग किया जा रहा है। पोलियो, खसरा तथा रेबीज आदि के टीके बनाने की हमारी बहुत बड़ी योजना है जिसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बड़े उद्योग लगा रहे हैं।

विदेशी कम्पनियों द्वारा पांच सितारा होटलों का निर्माण

*454. श्री अजित कुमार साहा
श्री सुरेश कुरुप } : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी कम्पनियों को पांच सितारा होटलों का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और इन होटलों का निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, विदेशी होटल शृंखलाओं को इक्विटी भागीदारी की अनुमति इस प्रयोजनार्थ निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार दी जाती है।

श्री अजित कुमार साहा : मंत्री जी ने कहा है, नहीं। किंतु यहां मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि सात विदेशी कम्पनियां भारत में पांच सितारा होटल बनाएंगी। कम से कम सात विदेशी कम्पनियों ने भारत में विदेशी सहयोग से होटल बनाने के सम्बन्ध में संशोधित मार्गनिर्देशों के जारी होने के पश्चात् जांच पड़ताल की है। इस सम्बन्ध में क्या मैं माननीय सदस्य से यह जान सकता हूं कि भारत में होटलों के लिए विदेशी सहयोग के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश क्या हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम विदेशी होटल शृंखलाओं का आयोजन प्रबन्ध और विपणन में हमारे होटलों की सहायता की अनुमति दे रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे देश के होटलों के वित्तीय कार्य निष्पादन में उनकी रुचि भी हो, हम उन्हें ईक्विटी भागीदारी की अनुमति दे रहे हैं और उन्हें 40% तक भागीदारी मिल सकती है और कुछ मामलों में यह 40% से अधिक भी हो सकती है।

श्री अजित कुमार साहा : मन्त्री जी के उत्तर में कहा गया है कि तथापि विदेशी होटल शृंखलाओं को भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेकर इक्विटी भागीदारी की अनुमति है। विदेशी सहभागियों का सेवरी पर नियंत्रण रखने के लिए विदेशी मुद्रा में ईक्विटी भागीदारी की 40% के

बढ़ाकर 51% कर दिया गया है। यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय सहभागियों के हाथ में कोई नियंत्रण होगा क्योंकि उनका ईक्विटी अब 51% होगा और वे इस पर नियंत्रण रखेंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदस्य समाचार-पत्रों में छपी खबरों पर भरोसा कर रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा है कि हमने ऐसी नीति तैयार की है। किन्तु इस मसले पर विचार किया जा रहा है। ऐसा किस प्रकार किया जाए, यह सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही स्पष्ट होगा।

श्री पीयूष तिरकी : होटलों के मामले में भारत में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का अभाव है जो हम विदेशी सहभागियों से प्राप्त करना चाहते हैं ? जहां तक हम जानते हैं भारतीय प्रबन्ध और भारतीय व्यक्तियों के विदेशों में अनेक होटल हैं। होटलों के मामले में ऐसे कौन से कारण हैं— वित्तीय अथवा अन्य—जिसकी वजह से सरकार को विदेशों के साथ सहयोग के लिए विवश होना पड़ा है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदस्य द्वारा जो कहा गया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। भारत में होटल उद्योग अत्यन्त विकसित है। हमारी होटल श्रृंखलाएं अन्य देशों में होटल स्थापित कर रही हैं। साथ ही साथ इसे भी समझना होगा कि कुछ क्षेत्रों में विदेश में प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से विकसित हो रही है और हमारे लिए उस प्रौद्योगिकी, अर्थात संचार प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध के तरीके आदि का प्रयोग करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त जब भारत में होटल श्रृंखलाओं के सम्पर्क विदेशों में होटल श्रृंखलाओं के साथ बनते हैं तो वहां उन्हें प्राप्त प्रचार तथा मार्केटिंग लाभ भारत में होटल श्रृंखलाओं को भी उपलब्ध हो जाते हैं। चूंकि पर्यटन का विकास हो रहा है इसलिए एक दूसरे से सम्पर्क रखना बेहतर है, हम अन्य होटलों की मदद कर सकते हैं और अन्य होटल हमारी मदद कर सकते हैं। विकसित तकनीक के क्षेत्र में हो सकता है हमें कुछ सहायता प्राप्त हो जाए परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हमारा होटल उद्योग विकसित नहीं है। इसका अर्थ है कि हम इसे बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

राज्यों में लोक शिकायत समितियों की समीक्षा

[हिन्दी]

*455. श्री शंकर लाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में जिला स्तर पर लोक शिकायत समितियों का गठन किया गया है;

(ख) क्या सभी राज्यों में इन समितियों का गठन समान आधार पर किया गया है अथवा इनका स्वरूप भिन्न-भिन्न है;

(ग) क्या इन समितियों की निष्पक्षता, उपयोगिता और उनकी उपलब्धियों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर कोई आकलन किया गया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का सभी राज्यों में इन समितियों का समान आधार पर गठन करने तथा भविष्य में इन्हें लोगों के लिये अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) किसी राज्य में जिला स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर लोक शिकायत समितियां स्थापित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की ही होती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, लोक शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए कई राज्यों ने जिला स्तर पर समितियां स्थापित की हैं। इन समितियों का गठन सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा स्थानीय परिस्थितियों तथा अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के "घ" भाग के उत्तर में कहा है कि वर्तमान सरकार का कोई विचार नहीं है। लेकिन जिस प्रकार सरकार जिला प्रशासन और पंचायत राज की संस्थाओं को मजबूत कर और विकास की दृष्टि से उनको मजबूत करने की डीवल्व करने की बात कही गई है, उसी प्रकार से जो पब्लिक ग्रिवासेज कमेटी है, विकास के अलावा जनता की जो दूसरी शिकायतें हैं, उनको सुनने और उनका निपटारा करने के लिए जिला स्तर पर उसे बनाने के लिए कोई विचार रखते हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, जैसाकि मैंने विवरण में बताया है कि शिकायत निवारण समितियां राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है और विशेषकर जिला स्तर का शिकायत निवारण तन्त्र उनकी जिम्मेवारी है। इनमें से बहुत सी शिकायत निवारण समितियों में कानूनी शिकायतों को दूर करने के बारे में भी व्यवस्था की गई है। वास्तव में, लोक अदालतें बनाने का तमाम प्रयत्न, कानूनी विवादों को अदालतों में गए बिना स्थानीय स्तर पर ही निपटाने का है। हमारी जानकारी के अनुसार लोक अदालतें ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं। उन्होंने काफी बड़ी संख्या में इन मामलों को निपटाया है और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने लोक अदालतों में रुचि दिखाई है। माननीय सदस्य लोक अदालतों के कार्य चालन के बारे में जानकारी चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें इस प्रश्न को विधि मंत्रालय भेजने की सलाह देता हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने लीगल सेक्टर में नहीं कहा था। लीगल मामलों के लिए लोक अदालतें हैं, लेकिन दूसरी जो आम जनता की शिकायतें हैं, उनको सुनने के लिए जिला स्तर पर कमेटियां हैं, वे अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं। आप पंचायत राज संस्थाओं को जिला प्रशासन को मजबूत कर उनको डीवल्व देने की बात कर रहे हैं। मैं डीवल्व देने की बात कर रहा हूं। उनको आप संवैधानिक दृष्टि से सशक्त बनायेंगे, जिससे कि जनता के विकास के अलावा दूसरी जो आम शिकायतें हैं, उनको सुनकर उनके निपटारे में उपयोगी सिद्ध हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यदि मैंने यह प्रश्न गलत समझा है तो मुझे खेद है। जहां तक कानूनी विवादों को छोड़कर अन्य विवादों का सम्बन्ध है, इन्हीं तकलीफों को मिटाने के लिए हमने

राज्यों से शिकायत निवारण तन्त्र स्थापित करने के लिए कहा है। उदाहरणार्थ, जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण तन्त्र होना चाहिए जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें और निर्धारित समय में उत्तर पा सकें हमने सभी जिला समाहर्तालयों को अहमदनगर जिला प्रशासन की भांति जिला प्रकोष्ठ तैयार करने की सिफारिश की है। वास्तव में, हमने सभी राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 या 3 जिलों में अहमदनगर पैटर्न अपनाने को कहा है। बहुत से राज्यों ने अहमदनगर पैटर्न की नकल की है। यह शिकायतें दूर करने का बहुत अच्छा तरीका है और मुझे आशा है कि और अधिक राज्य अपने-अपने जिला समाहर्तालय अहमद नगर पैटर्न अपनाएंगे जिससे मेरे विचार में, जिला स्तर पर शिकायतें दूर करने में काफी मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री उत्तम राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के (ग) भाग में यह पूछा गया "क्या इन समितियों की निष्पक्षता, उपयोगिता और उनकी उपलब्धियों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर कोई आकलन किया गया है"। इनके उत्तर में इन्होंने लिखा है, "जी, नहीं"। इसलिए प्रश्न यह है कि समिति जो बनी है, वह निष्पक्ष है या नहीं, उनकी उपयोगिता है या नहीं, उसकी उपलब्धियां क्या हैं। यह सब पूछा गया है और जवाब दिया गया, "जी, नहीं"। निष्पक्ष है या नहीं, यह भी नहीं देखा गया है।

[अनुवाद]

क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिन लोगों की नियुक्ति की गई है वह ईमानदार हैं या नहीं ? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि जिन लोगों को इनमें शामिल किया गया है उनका चरित्र अच्छा है और क्या वह न्याय कर पाएंगे ? यहां आपने उत्तर दिया है, नहीं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूं। किन्तु जो कुछ उत्तर में कहा गया है वह उससे अधिक पढ़ रहे हैं। प्रश्न का भाग 'क' और भाग 'ख' यह है कि "क्या जिला स्तर पर लोक शिकायत समितियां सभी राज्यों में गठित की गई है और क्या सभी राज्यों में इन समितियों का गठन समान आधार पर किया गया है अथवा इनका स्वरूप भिन्न-भिन्न है"। जिसके लिए मैंने भाग (क) और (ख) में उत्तर दिया है। भाग (ग) यह है कि क्या इन समितियों की निष्पक्षता, उपयोगिता और उनकी उपलब्धियों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर कोई आकलन किया गया है जिसके उत्तर में कहा गया है 'नहीं'। हमने राष्ट्रीय स्तर पर अभी कोई आकलन नहीं किया है। जो भी जानकारी हमने एकत्र की है वह मेरे पास है और मैं यह आपको देना चाहता हूं। किन्तु हमने कोई ऐसा आकलन नहीं किया है जिसके आधार पर हम सही उत्तर दे सकें।

श्री रामसिंह यादव : मुझे राजस्थान में जिला स्तर पर लोक शिकायत समितियों का अनुभव है मैं नहीं जानता कि मन्त्रालय को इन मार्गनिर्देशों की जानकारी है या नहीं। किन्तु मार्ग निर्देश यह है कि यदि शिकायतें तहसीलदार या पुलिस के थानेदार के विरुद्ध होती हैं, तो समिति के पास जो शिकायत आती है, वह उसी अधिकारी को भेजी जाती है और वह उसका उत्तर देता है उसके पश्चात् उसमें समिति भी यह जोड़ती है कि उसने कोई ज्यादती नहीं की है या उसकी कोई गलती नहीं है और उसी आधार पर यह फैसला दे दिया जाता है कि उसने कोई घूस नहीं ली है इसलिए वह ठीक है यदि इन समितियों को यही मार्गनिर्देश मिले हैं तो इन समितियों का कोई अर्थ नहीं है। क्या आप कृपया यह देखेंगे कि कुछ उपयुक्त अधिकारी नियुक्त किए जाएं ताकि शिकायतें उन्हीं अधि-

कारियों को न भेजी जाएं जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है ? उन्हें केवल जिला स्तर पर एस० पी० या कलैक्टर के स्तर तक रखा जाए यदि शिकायत कलैक्टर या एस०पी० के विरुद्ध हो, तो इसका निपटारा डी. आई. जी. के स्तर पर होना चाहिए और डी. आई. जी. या आयुक्त को बैठक में भाग लेना चाहिए। इसलिए, शिकायत समिति के इन उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए स्पष्ट मार्ग-निर्देश होने चाहिए। इसलिए, क्या आप इन सुझावों पर विचार करेंगे और यह देखेंगे कि इन समितियों को कुशल बनाया जाए। इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पी० चिदम्बरम : मैं माननीय सदस्य के दृष्टिकोण और विचारों से सहमत नहीं हूं। यह मार्गनिर्देश परिचालित नहीं किए गए हैं कि जिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत हो वही उस मामले को निपटाएगा इसके विपरीत हमने यह मार्गनिर्देश परिचालित किए हैं कि विभाग प्रमुख तथा जिला स्तर के अधिकारी उपलब्ध होने चाहिएं और उन्हें शिकायतें दूर करनी चाहिएं। वास्तव में हमने यह मार्गनिर्देश 20 मई, 1988 और 29 नवम्बर, 1988 को परिचालित किए हैं और हम उनसे निरंतर यह जानकारी मंगाते रहे हैं कि क्या वह इन मार्ग निर्देशों का पालन कर रहे हैं। किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि सभी समितियां ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं, नहीं मैं यह कह सकता हूं कि शिकायतें उन अधिकारियों को नहीं भेजी जातीं जिनके विरुद्ध वे की गई हैं। किन्तु वास्तव में यह राज्य सरकारों का काम है कि वह सतर्क रहें और अपनी प्रक्रिया सही करें। अधिक से अधिक हम राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकारों से इस खराब प्रणाली को छोड़ते हैं और शिकायतों को बेहतर ढंग से निपटने का अनुरोध कर सकते हैं।

सुरक्षा के नये नियम

*456 श्री सैफुद्दीन चौधरी
श्री अजय विश्वास } : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अब तक उठाये गये विमान यात्रा सुरक्षोपायों से यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा मिली है;

(ख) क्या विभिन्न किस्म के नई प्रौद्योगिकी वाले विमानों को शामिल करने से सुरक्षित विमान यात्रा के लिये समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश में सुरक्षित विमान यात्रा सुनिश्चित करने के लिये कुछ नये सुरक्षा नियम बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और नये नियम कब तक लागू किये जायेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियमों में हवाई सुरक्षा नियमों को शामिल किया गया है। इन्हें समय-समय पर, जब कभी आवश्यक होता है संशोधित किया जाता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि आप मेरे प्रश्न का भाग (क) देखें तो इसमें कहा गया है कि क्या सरकार द्वारा अब तक किए गए सुरक्षापायों से यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है और उत्तर है—जी हां।

समाचार पत्रों में समय-समय पर छपी खबरों के अलावा, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 34वें प्रतिवेदन पर एक नजर डालने से पता चलेगा कि समिति ने टिप्पणी की है कि चार अन्त-र्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को छोड़ कर 86 हवाई अड्डों में से थोड़े से हवाई अड्डों पर ही उपकरण अवतरण सुविधाएं है और उन्होंने इन हवाई अड्डों पर, जहां से बोइंग विमान और एयर बसें चलती है, आई. एल. एस. सुविधाएं आरम्भ करने की सिफारिश की है।

हाल ही में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 54वें प्रतिवेदन, 1988-89 में वही बात दोहराई गई है। जब साक्ष्य के दौरान इनसे सम्बन्धित प्रश्न पूछे गए—अब रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है—तो सरकार का जवाब था कि यह आवश्यक नहीं है ये बहुत महंगे हैं। हर कोई जानता है कि अहमदाबाद की दुर्घटना हवाई अड्डे पर इन आधुनिक सुविधाओं के न होने के कारण हुई है। इन सुविधाओं के अभाव में कई यात्रियों की जानें गई। क्या मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न के उत्तर के इस भाग में संशोधन करेंगे और सदन को यह बतायेंगे कि वह समिति की सिफारिशों का, जो एक बार नहीं दो बार की गई है, पालन करेंगे, और उन सभी हवाई अड्डों पर, जहां से बोइंग और एयर बसें चलती है, आई. एस. एस. सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? जहां कहीं ये सुविधाएं उपलब्ध कराई भी गई है, वहां ये ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध है मैं वे दूंगा। ये विश्व भर में जानलेवा दुर्घटनाओं से सम्बन्धित है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं वह क्या कहते हैं?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं उनके पूरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं और मेरे विचार से उन्हें भी मेरी बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। उसके बाद यदि उनका कोई प्रश्न होगा तो मैं उसका भी उत्तर दूंगा। मैं यह कह रहा हूं कि 1981 में, विश्व में टेक ऑफ के दौरान मरने वालों की दर प्रति लाख 0.20 थी. जिसमें भारत की दर शून्य थी। 1982 में—0.5, भारत शून्य; 1983 में—1.9. भारत शून्य; 1984 में—1.4. भारत शून्य; 1985 में 1.1, भारत शून्य; 1986 में—1.3, भारत शून्य; 1987-1.9. भारत शून्य; 1988 में 2.3 और भारत की दर 93 थी।

1988 में यह सख्या बढ़ गई। महोदय, मैं बस यही कहूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आपके आत्मसंतोष के लिए हाल हो में ऐसा हुआ है?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं आपकी कई बातों से असहमत नहीं हूं परन्तु आपको मेरी बात भी सुननी चाहिए। इतना कहने के बाद, मैं यह कह सकता हूं कि वर्ष 1988 में जो दुर्घटनाएं हुई, वे अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण थीं और हमें इसका खेद है।

माननीय मन्त्री जी ने यह मुद्दा उठाया है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि उड़ान में सहायता प्रदान करने के लिए वहां आई. एल. एस. लगाया जाना चाहिए। हम अधिक से अधिक हवाई अड्डों पर अधिक से अधिक आई. एल. टी. लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आई. एल. एस. उपकरण अत्यन्त आधुनिक उपकरण है। देश में इनका निर्माण नहीं होता। हमें इनका आयात करना पड़ता है। ये बड़े मंहगे उपकरण है। पिछले वर्षों में यह हुआ है कि हमने

अन्य अनेक क्षेत्रों में विमान सेवाएं शुरू की हैं और हमने उन हवाई अड्डों को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिनका पहले सुरक्षा बलों द्वारा प्रयोग किया जाता था और जिनका काफी समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ऐसा देश के दूरदराज भागों में रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों को सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया ताकि यदि सड़क और रेल सुविधा न होने पर कम से कम नागर विमानन सुविधा तो प्रदान की ही जानी चाहिए। हम आई. एल. एस. सुविधा भी प्रदान करना चाहते हैं।

यह कहने के बाद मैं यह स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा और माननीय सदस्य भी मेरी बात से सहमत होंगे, कि आई. एल. एस. सुविधा उड़ान के लिए आवश्यक नहीं है। विश्व में ऐसे कई देश हैं, और हमारे देश में भी, आई. एल. एस. सुविधा उड़ान के लिए सहायक है। इससे विमान को क्षेत्र विशेष में ले जाने में सहायता मिलती है परन्तु यह कोई आवश्यक उपकरण नहीं है। दूसरी प्रक्रियाएं भी विमान को उतारने और उड़ाने के लिए निर्धारित की गई हैं। मन्त्रालय का यह कथन है कि हम सभी स्थानों पर आई. एल. एस. सुविधा प्रदान कर रहे हैं। परन्तु साथ-साथ हम माननीय सदस्यों से यह पूछ रहे हैं कि यदि हमारे पास आई. एल. एस. सुविधा नहीं है तो क्या आपका यह सुझाव है कि हमें ऐसे क्षेत्रों के लिए विमान-सेवा न दें जहां आई. एल. एस. सुविधा नहीं है? यदि आप ऐसा चाहते हैं और यदि इतने कम समय में आई. एल. एस. सुविधा नहीं प्रदान की जा सकती तो माननीय सदस्य और यह सभा इस बारे में हमारा पथ-प्रदर्शन करेगी। (व्यवधान) हम आई. एल. एस. सुविधा जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और हम यह सुविधा प्रदान भी कर देंगे और हम धन-राशि भी खर्च कर देंगे परन्तु साथ ही हम सभा से यह कहते हैं कि आप समझिए कि विमान को हवाई अड्डे पर उतरने और उड़ने में सहायता प्रदान करने के लिए अन्य प्रणालियां भी इस्तेमाल की जाती हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैं उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं। महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि जहां आई. एल. एस. सुविधा नहीं है वहां विमान उड़ाए जाएं या नहीं। विमान तो उड़ेंगे ही। मंत्री जी को समुचित सुविधा प्रदान न करने के लिए इस बात का लाभ नहीं उठाना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

महोदय, सुरक्षा के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? पहली बात तो प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में यह आती है कि विमान अच्छे हों। जब वेस्टलैंड हेलिकाप्टर खरीदे गए थे तब सभी को मालूम था कि ये दोषपूर्ण थे और इन हेलिकाप्टरों की उड़ान में यात्रियों की जान का जोखिम था। कई समितियों ने अपनी रिपोर्टों में यह बात कही थी। यहां तक कि प्रधानमन्त्री ने भी कहा था कि यदि हमें उपहारस्वरूप भी ये मिलें तो भी हम इन्हें नहीं लेंगे। इसके बावजूद, हमने इन्हें खरीदा और इसके परिणामस्वरूप कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक दुर्घटना जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी पर हुआ। इस दुर्घटना के शिकार एक व्यक्ति की विधवा तथा कई अन्य व्यक्तियों ने मुझे बड़े दुख भरे पत्र लिखे मैंने वे पत्र प्रधानमन्त्री और अन्य सम्बन्धित मन्त्रियों के पास भेज दिए और जांच की मांग की कि सभी समितियों द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी के बावजूद वेस्टलैंड हेलिकाप्टर क्यों खरीदे गए। परंतु इन पर मानवीय आधार पर विचार नहीं किया गया। कोई जांच नहीं करेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह कम से कम अब तो वेस्टलैंड हेलिकाप्टर की खरीद की जांच करने के लिए कोई समिति गठित करने पर सहमत होंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमें मामले का पूर्व आकलन नहीं करना चाहिए। दुर्घटनाएं हुई हैं। हमने समितियां गठित की हैं। समितियों की रिपोर्टें भी प्राप्त हो चुकी हैं तथा उन पर विचार कर रहे हैं। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि उन रिपोर्टों को सभापटल पर रखा जाएगा। तब आपको पता लगेगा कि जो कुछ आप कह रहे हैं वह सच है या कोई और बात है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यहां तक कि प्रधानमन्त्री ने भी कहा था कि वे हेलिकाप्टर अच्छे नहीं हैं। महोदय, आप कृपया हस्तक्षेप कीजिए। आप बिल्कुल निष्पक्ष हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं। परन्तु ब्यौरे में जाए बिना और सही कारणों का पता लगाए बिना, वह मेरा मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। मैं यह चाहता हूं कि वह मेरी बात सुने। मैं कह रहा हूं कि मैं उनकी चिंता से सहमत हूं। परन्तु उन्हें वस्तु-स्थिति समझनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वेस्टलैंड हेलिकाप्टरों की खरीद के बारे में गठित सभी समितियों ने कहा है कि ये हेलिकाप्टर नहीं लिए जाने चाहिए, जोकि सच नहीं है। यह सही नहीं है....(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : किस समिति ने यह सिफारिश की थी ?

अध्यक्ष महोदय : पहले उनकी बात सुनिए और फिर हम देखेंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं समितियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। बल्कि मैं बता रहा हूं कि सभा में उनका यह कहना सही नहीं है कि इन हेलिकाप्टरों की खरीद के बारे में गठित की गई सभी समितियों ने कहा है कि इन हेलिकाप्टरों को नहीं खरीदा जाना चाहिए.... (व्यवधान)

मेरे विचार में आप मुझे उकसाने में कामयाब हो जाएंगे। परन्तु आप मुझे इस प्रकार की टोका-टोकी से खामोश नहीं करा सकते। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आपका यह कहना सही नहीं है कि सभी समितियों ने कहा था कि इन हेलिकाप्टरों को न खरीदा जाए। मुझे सही स्थिति बताने दीजिए। यदि आप ऐसे वक्तव्य देते रहेंगे तो भ्रान्तियां पैदा हो जाएंगी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं ऐसी एक भी समिति का नाम जानना चाहता हूं जिसने हेलिकाप्टरों की सिफारिश की थी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : आप एक पृथक प्रश्न पूछिए। मैं उत्तर दूंगा।

डा० दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं अपेक्षाकृत बहुत कम दुर्घटनाओं के लिए विभाग और मंत्री जी को बधाई देता हूं। ईश्वर महान है। ईश्वर करे और दुर्घटनाएं न हों।

क्या मैं पक्षियों के विमान से टकराने के सम्बन्ध में किए गए सुरक्षा उपायों के बारे में एक अति विशिष्ट प्रश्न पूछ सकता हूं ? हम पक्षियों के विमानों से टकरा कर दुर्घटना होने की समस्या से बहुत चिंतित हैं। इस सम्बन्ध में, मैं पूछना चाहूंगा कि इस समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में क्या अनुसन्धान कार्य किए गए हैं और उनके लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है : (1) सम्पूर्ण नागर विमानन क्षेत्रों और हवाई अड्डों में चार दीवारी का निर्माण; (2) नजदीकी बूचड़खानों को दूसरे स्थानों पर ले जाना जहां पक्षी मांस खाने जाते हैं तथा ऐसी चीजों को हटाना जिनके उत्पाद पक्षियों को आकर्षित करते हैं; (3) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा रहा है कि पक्षियों को संवेदनशील क्षेत्रों से भगाया जाए ?

मैं जानना चाहता हूं कि इन कार्यों के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और कितनी धनराशि खर्च की जा रही है। दूसरी बात यह है कि वायुयान अधिनियम, 1984 में वे उपाय सम्मिलित करने के लिए क्या संशोधन किए जा रहे हैं?

श्री शिवराज वी० पाटिल : रक्षा मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के विभागों के संबंध में इस मामले पर समय-समय पर चर्चा होती रहती है। कुछ समय पूर्व, यह पता लगाने के लिए कि पक्षियों के टकराने के कारण होने वाली विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। डा० सलीम अली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। डा० सलीम अली ने अनेक सिफारिशें की थी जिन पर रक्षा मंत्रालय तथा हमारे मन्त्रालय में भी विचार किया गया था। किंतु बाद में हमने कुछ समितियां नियुक्त की हैं, और इस मामले पर सेमीनारों में और अधिकारियों द्वारा विचार किया गया है। कुछ कदम उठाए गए हैं। हवाई अड्डे के बाहर जमीन पर फेंका गया कूड़ा-करकट भी पक्षियों को आकर्षित करता है और हमें इसका प्रबन्ध करना होगा कि पक्षी कूड़े-करकट की ओर आकर्षित न हों। यह वास्तविक समस्या है। जहां तक हवाई अड्डे के क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह हवाई अड्डे के प्राधिकारियों तथा नागर विमानन मन्त्रालय की जिम्मेवारी है कि वे उस क्षेत्र को साफ रखें और हम इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी कदम उठाते हैं। किंतु कम्पाउंड के बाहर सफाई रखने के लिए हमने कुछ क्षेत्रों में निगमों को धन दिया है। उदाहरणार्थ बम्बई नगर निगम तथा दिल्ली नगर निगमों को इस कार्य के लिए एक बड़ी रकम दी गई है कि वे हवाई अड्डों के आस-पास के क्षेत्र को साफ रखें। जहां तक व्यक्तिगत जिम्मेवारी का सम्बन्ध है कुछ शिक्षाप्रद उपाय करने होंगे। अधिनियम में संशोधन करके जमीन पर कूड़ा-करकट फेंकना को संज्ञेय अपराध बना दिया गया है, जिसके अन्तर्गत कारावास का दंड दिया जा सकता है। किंतु इसका कार्यान्वयन राज्यों की पुलिस द्वारा किया जाना है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे व्यक्तियों, नगर निगम प्राधिकारियों, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा सुलझाया जाना है। मैं आशा करता हूं कि सारा बोझ अकेले नागर विमानन विभाग पर ही नहीं डाला जाएगा। अन्य व्यक्तियों के सहयोग के बिना यह कार्य करना कठिन है। किंतु हम इस उद्देश्य के लिए पूरा-पूरा प्रयास कर रहे हैं। सफलता सभी के सहयोग पर निर्भर करती है।

श्री मक्षेश्वर तांती : महोदय, मन्त्री जी ने हमें अभी-अभी बताया है कि वह हमारी सुरक्षा के प्रति बहुत चिंतित हैं। हमारे देश में दुर्घटनाओं के कारण अनेक व्यक्तियों की जानें गई हैं। पिछले वर्ष दो दुर्घटनाएं एक अहमदाबाद तथा दूसरी गुवाहटी में हुई और सुरक्षा उपायों की कमी तथा तकनीकी खराबियों आदि के कारण अनेक व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

मैं दो उदाहरण दे रहा हूं। पिछले वर्ष मैं इस सदन के एक सदस्य तथा एक मन्त्री महोदय आई. सी. 487 से बरास्ता पटना असम जा रहे थे और 7 बजे शाम को पायलट ने पटना से उड़ान भरने के लिए इन्कार कर दिया। जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि····
(व्यवधान)

कृपया लगातार न बोलते जाएं। धैर्य रखें।

उन्होंने उत्तर दिया कि धावन पथ के दोनों ओर रोशनी दिखाई नहीं दे रही है और हमें पटना में ही रुकना पड़ा।

दूसरे, हाल ही में संसद सदस्यों का एक शिष्टमण्डल....

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न करिए....

श्री महेश्वर तांती : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आप यदि ऐसे ही करते रहे, तो आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे....

(व्यवधान)

श्री महेश्वर तांती : धावन पथ पर गायें इधर-उधर भाग रही थीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से यह पूछ रहा हूं कि क्या गायें एक ही स्थान पर इधर-उधर भाग रही थीं ?

श्री महेश्वर तांती : क्या मैं माननीय मन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि वे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ? हमें तकनीक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।

जहां तक मनुष्यों की जानों का सम्बन्ध है, आपको सदन को यह अवश्य सूचित करना चाहिए कि आप क्या कदम उठाना चाहते हैं ताकि आप लोगों के जान व माल की रक्षा कर सकें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जो कुछ आपने कहा है, मैं उसे काटने के लिए नहीं उठा हूं। मैं आपकी बात समझने और सर्वोत्तम कार्य करने के लिए उठा हूं ताकि संगठन भी अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करें कि समस्यायें उत्पन्न न हों। मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि विस्तार हुआ है, कम्पाउंड बनाने हैं और यदि हवाई पट्टी पर रोशनी का प्रबन्ध करना है तो विद्युत राज्य सरकारों को सप्लाई करनी होगी। यदि विद्युत की आपूर्ति नहीं होगी तो यह आवश्यक है कि -

श्री महेश्वर तांती : हवाई पट्टी पर रोशनी घास में छुपी हुई थी रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : इतने संवेदनशील न हों। मैं यह कह रहा हूं कि कभी-कभी राज्य सरकारों के लिए भी विद्युत की नियमित रूप से आपूर्ति करना सम्भव नहीं होता।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप अपनी विद्युत का प्रबन्ध क्यों नहीं करते ? (व्यवधान) विद्युत के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर मत करिए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : कभी-कभी राज्य सरकारों के लिए भी नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति करना सम्भव नहीं होता। इसलिए हमने वहां पर ऑयल इन्जन लगाने का आदेश दिया है। किन्तु हम एक दम सभी स्थानों पर ऑयल इन्जन नहीं लगा सकते (व्यवधान)।

श्री महेश्वर तांती : हवाई पट्टी घास से छुपी हुई थी। प्राधिकारियों ने घास क्यों नहीं कटवाई ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार उत्तेजित मत होइए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं दिक्कत समझ रहा हूं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उत्तेजित मत होइए। इससे आपको तकलीफ हो सकती है, फिर मैं क्या करूंगा ?

(व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : विद्युत की आपूर्ति मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा की जाती होती है। हमने जहां कहीं देखा है कि यह नियमित नहीं है वहां हमने ऑक्जल इंजिन लगाने का आदेश दिया है। किंतु इस काम को करने में कुछ समय लगता है और धन भी। हम इन सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।

बिहार के पूर्वी क्षेत्र में विमान सेवा

[हिन्दी]

*457. श्रीमती मनोरमा सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों की संख्या कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वी क्षेत्र में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ये उड़ानें कब आरम्भ की जायेंगी ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) विमानन क्षमता की कठिनाई के कारण 17 जनवरी, 1989 से, इण्डियन एयरलाइन्स का उड़ान संख्या आईसी-487/488, जो दिल्ली-पटना-गुवाहाटी और वापसी सेक्टर पर परिचालन कर रही थी, को बदलकर दिल्ली-गुवाहाटी-दिल्ली कर दिया गया था जिसमें पटना को छोड़ दिया गया था। 1 अप्रैल, 1989 से पटना के लिए परिचालन करने हेतु इस उड़ान को पुनः शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती मनोरमा सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि वे बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारे बिहार में पटना और रांची को छोड़कर व्यावसायिक दृष्टिकोण से मुजफ्फरपुर और भागलपुर दो अन्य बड़े केन्द्र हैं, क्या माननीय मंत्री जी अगली योजना में इन दोनों केन्द्रों को भी वायु सेवा से जोड़ने के प्रश्न पर विचार करेंगे। कृपया इसकी जानकारी सदन को दें।

श्री शिवराज वी० पाटिल। माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, उसके सम्बन्ध में अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे दिल में इसके प्रति पूरी सहानुभूति है, मगर मैं इस सदन में खड़े होकर कहूं कि इस चीज को करूंगा, अभी से यह आश्वासन देना अदूरदर्शितापूर्ण होगा क्योंकि पटना के लिये परिचालन करने हेतु उड़ान को पुनः शुरू करने में हमें काफी कठिनाइयां रहीं, बड़ी कोशिश करने के बाद ही हम इस उड़ान को पुनः शुरू कर पाये हैं। हमारी कोशिश है कि जब हम नये विमान लेंगे, उसके बाद जितनी जगह को हम कवर करने की स्थिति में अपने आप को पायेंगे, उन सब जगहों पर ज्यादा से ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे। हमें सुरक्षा की दृष्टि से और दूसरे कई मैटर्स भी देखने पड़ते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, मगर मेरे इस कथन को आप एश्योरेंस मत मानियेगा।

श्रीमती मनोरमा सिंह : मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि मौसम अक्सर खराब रहने से पूर्व के इलाकों में वायुदूत सेवा में भारी कठिनाइयां आती हैं और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या आप कोई ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत मौसम खराब होने पर भी विमान सकुशल हवाई पट्टी पर उतर सके। क्या इस दिशा में कुछ प्रयास चल रहे हैं या नहीं। दूसरे पूर्वी क्षेत्र में जब यात्री स्ट्रांड हो जाते हैं. हमारा खुद का अनुभव है, जब हम कई मैम्बर्स मोहार्ट गये हुए थे, हमारा प्लेन 10 घंटा लेट होने की वजह से हम लोगों को काफी असुविधा हुई. वहां ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी और न खाने का इन्तजाम था। इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिये क्या माननीय मन्त्री जी कोई कार्यवाही कर रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न होने पाये। इसके लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, आपने कुछ समय पूर्व इसी सदन में मुझे बताया था कि जहाजों के आने-जाने में सेफ्टी के दृष्टिकोण से सतर्कता बरती जाये, सेफ्टी पर हम ज्यादा ध्यान दें, हम उसका प्रयास कर रहे हैं, इस कारण यदि एक-आध जगह पर उड़ान में विलम्ब हो जाता है, तो उससे कठिनाई होना स्वाभाविक है, मैं यहां उसके लिये आपसे माफी मांग लेता हूं क्योंकि हमें सेफ्टी का ध्यान विशेष रूप से रखना है। देरी इस वजह से हो सकती है लेकिन जहां तक ज्यादा सुविधायें देने का सवाल है, हम उसकी जरूर कोशिश करेंगे।

श्री गोकुल सैकिया : वहां सही मायने खाने-पीने और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, आप कृपया व्यवस्था के लिये मंत्री जी को कहें।

अध्यक्ष महोदय ; खाने-पीने की तरफ ज्यादा ध्यान मत दिया करो।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : अध्यक्ष जी, पटना से उधर जाने के लिये हमें दिन में पहले दो ही फ्लाइट मिलती थीं, उधर से आने में भी काफी असुविधा होती थी। आपने पटना होकर इस फ्लाइट को रैस्टोर किया है, इससे हमें काफी सुविधा हो जायेगी। इसके अलावा रांची हमारे यहां महत्वपूर्ण स्टेशन है परन्तु वहां नाइट हाल्ट की फैसिलिटी न होने से पटना से रांची होते हुए कलकत्ता जाने वाली फ्लाइट, यदि एक घंटा लेट भी होती है, तो बिना रांची को टच किये, पटना से डायरेक्ट कलकत्ता चली जाती है। हमारा मंत्री जी से आग्रह है और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप रांची में, जो बिहार की दूसरी राजधानी है, नाइट हाल्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : मैं इस प्रश्न का समर्थन कर रहा हूं क्योंकि उड़ानें रांची में नहीं उतरती (व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : वे सब बहुत से स्थानों पर वायुसेवा उपलब्ध कराने के लिए कह रहे हैं हम सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरसक प्रयत्न करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुरक्षा पहले, उड़ानें बाद में (व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम भरसक प्रयत्न करते हैं, किन्तु यह कोई आश्वासन नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर : अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में दो-तीन दिन के लिए उड़ान बन्द की थी, लेकिन फिर मैंने पत्र लिखा, तो वह चालू कर दी, इसके लिए मैं मंत्री जी की आभारी हूं, लेकिन मैं

यह जानना चाहती हूं कि भुज एअरपोर्ट के लिए 3 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है और जब मैंने आपसे पूछा कि आप वहां के लिए क्या काम कर रहे हैं तो आपने मुझे बताया कि 10 लाख रुपया हम वहां खर्च करने जा रहे हैं, तो 3 करोड़ में से मात्र 10 लाख रुपए खर्च करने का क्या-क्या कारण है, इस बारे में मुझे भी स्पष्ट करें ?

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी०. पाटिल : मैं इसके लिए पृथक सूचना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे : अध्यक्ष जी, बिहार में रांची और पटना के अलावा मंत्री महोदय ने धनबाद और गया को भी वायुदूत सेवा से जोड़ा है, लेकिन अनुभव यह है कि टिकट कटाकर लोग धनबाद में बैठे रहते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता चलता कि जहाज आएगा भी या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस बात का मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मैंने कलकत्ता में टिकिट ले लिया और बैठा रहा, जहाज नहीं आया। इसलिए धनबाद के लिए जो भी दिन निश्चित है, उस दिन जहाज निश्चित रूप से आएगा, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें और कम्युनिकेशन की सुविधा भी धनबाद में नहीं है। इसलिए क्या मंत्री महोदय, बताएंगे कि धनबाद एअरपोर्ट पर कम्युनिकेशन की पर्याप्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करवा दी जाएंगी जिससे लोगों को कम से कम यह तो पता चल सके कि जहाज आएगा या नहीं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन, मैं बार-बार इस हाउस में और बाहर भी यह कहता रहा हूं कि हमारे पास केवल 64 एयरक्राफ्टस हैं जिनकी मदद से हम सारे हिन्दुस्तान में चल रहे हैं। इसमें आप की सहानुभूति की बहुत ज्यादा जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : पूरी सहानुभूति है।

नौ सेना अकादमी, एजिमाला

[अनुवाद]

*458. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि नौ सेना अकादमी एजिमाला के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सौंपे गए निर्माण कार्यों में से कुछ कार्यों को परियोजना का भाग माना जाए तथा केन्द्रीय सरकार उनका निर्माण कराए; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि पुणे स्थित केन्द्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र में चल रहे अध्ययन के पूरा होने पर विभिन्न निर्माण कार्यों की लागत उपलब्ध होने के बाद, इस मामले का पुनरीक्षण किया जाएगा।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : महोदय एजिमाला में नौसेना अकादमी स्थापित करने के लिए राज्य सरकार 955·1397 हेक्टेयर भूमि पहले ही मुक्त उपलब्ध करा चुकी है। इस भूमि के अधिग्रहण की लागत लगभग 24 करोड़ रुपए बैठती है। कुछ पार्टियों ने जिनसे भूमि का अधिग्रहण

किया गया था अधिक मुआवजे के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसलिए वास्तविक व्यय और अधिक होगा। पहले राज्य सरकार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई थी। उसके लिए भी 60 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अब नौ सेना अकादमी के अधिकारी चाहते हैं कि राज्य सरकार लगभग साढ़े तीन किलोमीटर लम्बी समुद्री दीवार का निर्माण करे तथा पिछले पानी का भी तीन मीटर गहरा निकर्षण करे। इन कामों पर भी लगभग 23 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस निकर्षण तथा समुद्री दीवार के निर्माण कार्य को आधारभूत सुविधाओं में शामिल नहीं किया जाए तथा समुद्री दीवार के निर्माण तथा पश्चजल के निकर्षण का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस प्रश्न पर फिर से विचार करेगी और समुद्री दीवार और निकर्षण का कार्य केन्द्रीय सरकार स्वयं करेगी।

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : तीन निर्माण कार्य, जिनका, माननीय सदस्य ने जिक्र किया है अर्थात् समुद्री दीवार, "रिटेनिंग वाल" और निकर्षण का मामला केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पुणे को और आगे अध्ययन के लिए भेजे गये थे। उन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट की नौसेना मुख्यालय द्वारा जांच भी की जा रही है। और इस रिपोर्ट के अध्ययन के पश्चात् हम राज्य सरकार से इस विषय पर विचार-विमर्श करेंगे। यह इत्तेफाक ही है कि आज केरल के मुख्य सचिव व रक्षा सचिव के साथ 12.15 बजे इस विषय पर बातचीत के लिए दिल्ली आने वाले हैं। इसलिए, बेहतर यह होगा कि वह बातचीत द्वारा आपस में फैसला कर ले।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : यह अच्छी बात है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले पर राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के लिए कदम उठा रही है। किन्तु मैं नहीं समझता कि अधिकारी स्तर पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा। मैं यह महसूस करता हूं कि राज्य सरकार यह काम पूरा करने की अधिक इच्छुक नहीं है। वास्तव में वे पिछली सरकार द्वारा किए गए मूल वायदे से भी हट रहे हैं। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री मुख्य मंत्री के साथ उच्च स्तर पर एक वार्ता करें तथा प्रत्येक सरकार द्वारा आरम्भ किए जाने वाले कार्यों के बारे में निर्णय ले ताकि यह परियोजना जल्द से जल्द पूरी की जा सके। हम समझते हैं कि केरल के संसद सदस्यों की उपस्थिति में मुख्य मंत्री के साथ चर्चा में आधारभूत सुविधाओं के संबंध में प्रत्येक सरकार द्वारा आरम्भ किए जाने वाले कार्यों के बारे में काफी मतभेद है। इसलिए उच्च स्तरीय बातचीत काफी उपयोगी होगी। क्या सरकार इस संबंध में कदम उठाएगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : केरल के मुख्य मंत्री अभी कुछ महीने पहले मुझसे मिले और हमने इस विषय पर चर्चा की, बहुत गहराई से नहीं केवल विचारों का आदान-प्रदान किया। हमारी अपनी कठिनाइयां हैं। उनकी अपनी कठिनाइयां हैं। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसे राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों ही काफी महत्व दे रही हैं। फिर भी बजट में व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पहले केन्द्र तथा राज्य में एक अधिकारी स्तर का विचार-विमर्श आवश्यक समझा गया। यदि राजनैतिक स्तर पर चर्चा करना आवश्यक हुआ है तो हम करेंगे।

नेशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर

* 461 श्री उत्तम राठौड़ : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी कार्य कलापों के संबंध में आंकड़ों के संग्रहण कार्य के केन्द्रीकरण हेतु राष्ट्रीय संसूचना केन्द्र (नेशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर) नामक एक नये विभाग की स्थापना की गई है :

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के स्वरूप का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह केन्द्र, केन्द्री सांख्यिकी संगठन, अन्य मंत्रालयों के सांख्यिकी विभागों और थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने वाले निकायों के कृत्यों को भी अपने हाथ में लेगा

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) :

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) और (ख) : जी नहीं

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र इलैक्ट्रानिकी विभाग के अधीन 1975 से विद्यमान रहा है । मार्च, 1987 में इसका अन्तरण योजना आयोग में किया गया । इस केन्द्र का मूल उद्देश्य केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा जिला प्रशासनों के मध्य सम्पर्क स्थापित करके एक राष्ट्रव्यापी कम्प्यूटर संचार आधार-संरचना सृजित करना है । राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की प्राथमिक जिम्मेवारी उपयुक्त कम्प्यूटर का उन्नयन करना तथा डिसीजन सपोर्ट आन-लाइन प्लान प्रोजेक्ट सूचना के लिए सूचना संबंधी प्रोसेसिंग तथा उपयोजन को युक्तिसंगत बनाना और कम्प्यूटर पर सृजित डाटा बेसों का उपयोग करते हुए सहायता करना अथवा विश्लेषण तथा माडलिंग अध्ययन करना है ।

(ग) जी, नहीं ।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ : मैंने विशेष रूप से पूछा है कि क्या सांख्यिकी विभागों तथा विभिन्न मंत्रालय द्वारा रखे जाने वाले आंकड़े केन्द्र को अन्तर्गत किए जाएंगे । लेकिन उन्होंने कहा नहीं । क्या मैं इस केन्द्र को सौंपे गए विशेष कार्य के बारे में पूछ सकता हूं ?

वे बाकी सब कार्य मंत्रालयों पर क्यों छोड़ देते हैं ? इसके पीछे क्या विचार है ?

श्री बीरेन सिंह एंगती : हमने अपने उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है कि आंकड़ों संबंधी कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों को मिलाने का कोई विचार नहीं है । जहां तक एन.आई.सी. का संबंध है यह पृथक रूप से कार्य कर रहा है । इसका आधारभूत उद्देश्य राष्ट्रव्यापी कम्प्यूटर संचार व्यवस्था कायम करना है । यह केन्द्र राज्य तथा केन्द्र सरकारों को सभी प्रकार की जानकारी देगा । इसलिए हमने अपने उत्तर में कहा है कि उसके कार्यों में मुख्यतः 27 मदें आती है । यह जानकारी जिला और राज्य स्तर पर उपलब्ध है । और जब कभी प्रयोक्ता अर्थात राज्य या केन्द्र सरकार को जरूरत होगी हम वे वांछित जानकारी एन. आई.सी. से प्राप्त कर सकेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वायुदूत के लिए विमानों की खरीद

[हिन्दी]

*451. श्री शान्ति धारीवाल
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही } : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या वायुदूत को अपनी सेवायें चलाने के लिए विमानों की कमी महसूस हो रही है;

(ख) इस समय वायुदूत द्वारा कितनी उड़ानों का संचालन किया जाता है और इसके पास कुल कितने विमान हैं;

(ग) क्या सरकार का विमानों की कमी को पूरा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने कुल कितने विमानों की खरीद की स्वीकृति दी है और उन्हें विदेशों से खरीदने का विचार है ?

नागर और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) अपने विमान बेड़े में 20 टर्बो-प्रोप विमानों के साथ वायुदूत प्रति सप्ताह 235 उड़ानों का परिचालन करता है। मौजूदा परिचालनों को पूरा करने के लिए वर्तमान विमान बेड़े को पर्याप्त समझा गया है।

(ग) और (घ) यातायात में भविष्य की वृद्धि को पूरा करने के लिए वायुदूत को अपनी विमान क्षमता बढ़ानी होगी। नए विमानों के अर्जन के लिए वायुदूत को सरकार से कोई मंजूरी नहीं दी गई है।

महाराष्ट्र में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

*452. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम ने महाराष्ट्र में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को वर्षवार कोई सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने महाराष्ट्र में विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटक आधार-संरचना का विकास करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की हैं :—

(लाख रुपयों में)

क्रम सं० परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1985-86	
1. बीबी-का-मकबरा, औरंगाबाद, पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था	5.18
2. एलिफेंटा, अजंता और एल्लोरा में शौचालय तथा पीने के पानी की व्यवस्था	4.50
1986-87	
1. गणपतिपुले में समुद्रतट कुटीरें	8.77
2. बल्लेश्वर में समुद्रतट विहार-स्थल	34.10
3. शेगांव में यात्री निवास	25.98
1987-88	
1. लोणावली में मनोरंजन सुविधाएं	17.95
1988-89	
1. ट्रैकिंग उपकरण	5.77
जोड़	102.99

इलेक्ट्रानिकी उद्योग की समस्याएं

*459. श्री मुरलीधर माने : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इलेक्ट्रानिकी उद्योग ऐसी समस्याओं का सामना कर रहा है जिसके कारण इसके विकास में बाधा पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों से इन समस्याओं का समाधान हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस नीति में क्या अन्य परिवर्तन करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) इलक्ट्रानिकी उद्योग पिछले चार वर्षों से 30 प्रतिशत की ऊंची दर से लगातार प्रगति करता आ रहा है। इलेक्ट्रानिकी की प्रगति को सुस्थिर बनाए रखने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं।

विमान सुरक्षा से सम्बन्धित उच्च अधिकारियों के रिक्त पद

[हिन्दी]

460. श्री जितेन्द्र सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन निदेशालय में विमान सुरक्षा से सम्बंधित विशेषज्ञों तथा अन्य उच्च अधिकारियों के अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पदों को धन की कमी के कारण नहीं भरा गया है; यदि नहीं, तो इन पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) विमान सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इन पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय के हवाई सुरक्षा निदेशालय में समूह "क" के छ: पद खाली पड़े हैं।

(ग) इन पदों को, फीडर ग्रेड में और खुले बाजार से उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने तथा चुने गए उम्मीदवारों द्वारा पदोन्नति स्वीकार न किये जाने के कारण नहीं भरा जा सका।

(घ) इन खाली पदों को सीधी भर्ती से और पदोन्नति द्वारा, जैसा भी लागू हो, भरने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

छावनी क्षेत्रों में अवैध निर्माण कार्य

[अनुवाद]

*462. डा० वी० वेंकटेश
श्री एच० वी० रायुलु } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड, कानपुर और रक्षा सम्पदा कार्यालय, सेंट्रल कमांड, लखनऊ ने परिसर संख्या 75 कानपुर छावनी में अवैध निर्माण कार्य के विरुद्ध सरकारी नियमों के अनुसार कार्यवाही आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परिसर का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) जून, 1987 में एक अवैध निर्माण का पता लगा था। इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए। सम्बन्धित पक्षों ने न्यायालय में मामले दायर किए और उसके बाद रिट याचिकाएं दायर कर दीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन पक्षों को यथा पूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए 21 मई, 1988 को निर्देश दिए। उक्त न्यास (ट्रस्ट) स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं इसलिए छावनी के अधिशासी अधिकारी ने न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के लिए उच्च न्यायालय में दो अवमानना (कंटेम्प्ट) याचिकाएं दायर कर दी हैं। मामला न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) उक्त स्थल को पुनर्ग्रहण के लिए अनुमोदित किया गया है। मामला न्यायाधीन है।

अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में समाप्त करना

[हिन्दी]

*463. चौधरी अख्तर हसन : क्या प्रधान मंत्री दिसम्बर, 1967 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तथा दिनांक 18 जनवरी, 1968 का अधिसूचित सरकार के राजभाषा नीति सम्बन्धी संकल्प के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परीक्षाओं में अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता को समाप्त करने की अपनी मांग के समर्थन में विद्यार्थीगण दिनांक 16 अगस्त, 1988 से संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के समक्ष सत्याग्रह कर रहे हैं और उनका दिनांक 20 मार्च, 1989 से आमरण अनशन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता को समाप्त करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लोगों का एक समूह 16 अगस्त, 1988 से संघ लोक सेवा आयोग के परिसर के बाहर धरने पर बैठा हुआ है और यह मांग कर रहा है कि आयोग की परीक्षाओं से अनिवार्य अंग्रेजी को हटा दिया जाए। अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संस्थान, गाजियाबाद से आयोग को 14 मार्च, 1989 को एक नोटिस भी प्राप्त हुआ था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि सत्याग्रहियों ने अपनी मांग के समर्थन में 20 मार्च, 1989 से आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय किया है। आयोग को हिन्दी सेवक, लखनऊ नाम के एक संगठन से भी इस आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ है कि वे 20 मार्च, 1989 से आमरण अनशन करें। ऐसे संकेत हैं कि भूख-हड़ताल अभी शुरू नहीं हुई है हालांकि कुछ आंदोलनकारी आयोग के परिसर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं।

कोठारी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1979 में लागू की गई नई योजना के अन्तर्गत सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में अंग्रेजी का मैट्रिक स्तर का एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र शामिल किया गया था। कुछ अन्य परीक्षाओं में भी अंग्रेजी/सामान्य अंग्रेजी का एक प्रश्न-पत्र अथवा प्रश्न-पत्र का एक भाग रखा गया है। इन परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परीक्षाओं के लिए भाषाएं

*464. श्री शिव प्रसाद साहू
　　श्री राम पूजन पटेल } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपनी परीक्षाओं में क्षेत्रीय/भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान न किये जाने के क्या कारण है जबकि इस आशय का एक संसदीय संकल्प 18 जनवरी, 1968 को अधिसूचित किया जा चुका है;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में क्षेत्रीय/भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो मान्यता कब तक प्रदान की जायेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) राजभाषा संकल्प, 1968 में यह अपेक्षा की गई है कि कोठारी की भावी योजना क्रियाविधिक पहलुओं तथा समय के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के बाद ही संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को, अखिल भारतीय तथा उच्च केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाए जाने की अनुमति दी जाएगी। 1979 में शुरू की गई सिविल सेवा परीक्षा की नई योजना में, उम्मीदवार को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में देने का विकल्प दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के लिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए कई भाषाओं में प्रश्न पत्र तैयार करने, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने तथा साक्षात्कार आयोजित करने में काम की अत्यधिकता तथा जटिलता के कारण बहुभाषी माध्यम की सुविधा देना सम्भव नहीं हो सका है।

रक्षा सेवाओं में आधुनिकीकरण योजनाओं का स्थगन

[अनुवाद]

*465. श्री आर० जीवरत्नम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनराशि की अत्यधिक कमी के कारण विभिन्न रक्षा सेवा परियोजनाओं में आधुनिकीकरण को या तो स्थगित कर दिया गया है या उन्हें रोक दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का मशीनों का उपयोग करके जनशक्ति स्तर कम करने का प्रस्ताव है, जिससे कि आधुनिकीकरण की गति को बनाए रखा जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) इस समय धन की ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके कारण रक्षा सेना परियोजनाओं के आधुनिकीकरण को स्थगित करना या रोकना पड़े। आधुनिकीकरण और मशीनीकरण में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप जनशक्ति के स्तर का पुनरीक्षण करना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों को रोजगार देना

*466. श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ित व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकार के परामर्श से भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों को रोजगार देने के लिये उनका समुचित ध्यान रखने हेतु कोई नीति और कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि उन्होंने भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों को रोजगार/स्व-रोजगार देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें रोजगार के

अवसर पैदा करने के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र का विकास, सवेतन रोजगार तथा स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना, स्व रोजगार के लिए बैंक ऋणों की व्यवस्था करना, कार्य के अवसर प्रदान करने के लिए वर्क शेडों की स्थापना तथा व्यावसायिक परामर्शी एकक तथा एक विशेष रोजगार कार्यालय सहित एक व्यापक प्रशिक्षण कम्पलैक्स की स्थापना सम्मिलित है।

मध्य प्रदेश सरकार के एक सुझाव पर भारत सरकार ने एकमुश्त उपाय के रूप में इस आशय के आदेश जारी किए हैं कि रेल मंत्रालय द्वारा भोपाल में स्थापित की जा रही कोच रिपेयर फैक्ट्री में समूह "ग" तथा समूह "घ" के उपयुक्त पदों पर नियुक्ति के मामले में आयु सीमाओं, शैक्षिक अर्हता तथा रोजगार कार्यालय की क्रियाविधि में ढील देते हुए गैस पीड़ितों/उनके बच्चों को तरजीह दी जाए।

कमजोर वर्गों को लाभ

*467. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उत्थान के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन वर्गों द्वारा उठाये गये लाभों के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला और ये आंकड़े किन-किन एजेंसियों के माध्यम से एकत्रित किये गए हैं; और

(ग) कमजोर वर्ग के लोगों को दिये गये कृषि और अन्य ऋणों का प्रतिशत शेष लाभभोगियों की तुलना में कितना है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उत्थान के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन वर्गों द्वारा उठाए गए लाभों के सम्बन्ध में मूल्यांकन के लिए कोई विशेष अध्ययन शुरू नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया के लिए एक ही बोर्ड

*468. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के लिये प्रस्तावित एक ही बोर्ड का विचार त्याग दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के निदेशक मंडल का वर्तमान कार्यकाल 30 जून, 1989 तक है। इंडियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के लिए साझा बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार

*469. प्रो० पराग चालिहा
श्री सैफुद्दीन अहमद } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सी.ए.टी.) की अभी तक कितने स्थानों पर पीठें स्थापित की गई हैं;

(ख) निकट भविष्य में किन-किन स्थानों पर इसकी नयी पीठें स्थापित किये जाने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित तथा नियन्त्रित निगमों/सोसाइटियों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लाने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की, दिल्ली, न्यू बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद बंगलौर चण्डीगढ़, गुवाहटी, अहमदाबाद, कटक, जोधपुर, जबलपुर, हैदराबाद, पटना तथा एर्नाकुलम में पन्द्रह न्यायपीठों सहित स्थापना की गई है ।

(ख) जयपुर तथा लखनऊ में न्यायपीठें स्थापित करने का निर्णय पहले ही किया जा चुका है।

(ग) और (घ) जी, हां। यद्यपि कुछेक संगठनों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कार्य क्षेत्र के अधीन पहले ही लाया जा चुका है, फिर भी प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 14(2) के अन्तर्गत जिसमें केन्द्रीकृत रूप में वित्त पोषित तथा नियंत्रित निगमों/सोसाइटियों को अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लाने वाली कोई सामान्य अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है क्योंकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अतिरिक्त कार्यभार सम्भालने की स्थिति में नहीं है।

पर्यटन को उद्योग घोषित करना

*470. श्री बी० तुलसीराम
प्रो० नारायण चन्द पराशर } : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने पर्यटन को उद्योग घोषित किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो इन निदेशों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के निदेशों को लागू किया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने पर्यटन/होटलों को उद्योग के रूप में घोषित किया है :—

राज्य/संघ शासित प्रदेश जिन्होंने पर्यटन को उद्योग
के रूप में घोषित किया है

क. राज्य

1. हिमाचल प्रदेश
2. मेघालय
3. उत्तर प्रदेश
4. अरुणाचल प्रदेश
5. केरल
6. आन्ध्र प्रदेश
7. हरियाणा
8. तमिलनाडु
9. बिहार
10. त्रिपुरा
11. मणिपुर
12. असम
13. कर्नाटक

ख. संघ शासित प्रदेश

1. अण्डमान और निकोबार
2. लक्षद्वीप

राज्य जिन्होंने होटलों को उद्योग के रूप में घोषित किया है :—

1. उड़ीसा
2. पश्चिम बंगाल
3. राजस्थान

(ख) से (घ) नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित करने के लिए विभिन्न बैठकों, सम्मेलनों, आदि में विचार-विमर्श के जरिए राज्य सरकारों को राजी करता रहता है और पत्र-व्यवहार द्वारा नियमित रूप से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों पर जोर डालता रहता है ताकि पर्यटन सम्बन्धी कार्यकलापों को भी वही लाभ मिल सकें जो अन्य उन कार्यकलापों को उपलब्ध हैं जिन्हें उद्योग के रूप में घोषित किया गया है। अभी तक 13 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित किया है तथा 3 राज्यों ने होटलों को उद्योग के रूप में घोषित किया है। अनेक राज्यों ने सूचित किया है कि यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

खारे पानी से ऊर्जा का उत्पादन

4383. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खारे पानी से ऊर्जा उत्पादन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ख) दलित बाढ़ से दूर खारे पानी से ऊर्जा पैदा करने हेतु किन-किन राज्यों में अन्वेषण कार्य किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) । (क) प्रयोगशाला मान पर कुछ प्रारंभिक प्रयोग राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा में किया गया किन्तु प्रयोग से प्राप्त परिणामों में वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य परियोजना स्थापित करने सम्बन्धी सम्भावना का कोई उल्लेख नहीं था ।

(ख) किसी भी राज्य में अन्वेषण कार्य नहीं किया गया है ।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय संस्थान, मैसूर द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की पेशकश

4384. श्री एन० डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसूर द्वारा कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की पेशकश की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई.) मैसूर नियमित पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है :

(1) दो वर्ष की अवधि का मैसूर विश्वविद्यालय का खाद्य प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम; और

(2) आटा चक्की उद्योग के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए ही आटा पिसाई में दस माह अवधि का पाठ्यक्रम ।

इसके अतिरिक्त, तीन दिन से चार सप्ताह तक की अवधि के अल्पावधि पाठ्यक्रमों को भी आयोजित किया जाता है जिनमें फल संसाधन, फ्रूट जूस कंसंट्रेट आटा पिसाई चक्की बेकिंग, संवेदी मूल्यांकन तकनीकें, प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान, खाद्य उद्योग प्रबन्धन, अनाज भण्डारण, खाद्य उत्पादों का विग्रसन (कीटाणुनाशन), खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान और सफाई, खाद्य पैकेजिंग आदि विषय शामिल हैं।

मध्य प्रदेश को जनजाति उप-योजना के अंतर्गत आवंटन

4385. श्री के० एन० प्रधान : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि आवंटित करने का क्या मानदण्ड है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश को कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता देने का विचार है और इस योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में अब तक वास्तव में कितनी धनराशि दी गई है और शेष अवधि में कितनी धनराशि दी जायेगी ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) विशेष केन्द्रीय सहायता, जो राज्य आदिवासी उप योजना के अतिरिक्त दी जाती है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या आदिवासियों द्वारा बसे भौगोलिक क्षेत्र और राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, आवंटित की जाती है।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में, आदिवासी उपयोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश राज्य को लगभग 204 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था की गई। सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान, मध्य प्रदेश सरकार को 178.22 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। 1989-90 के दौरान राज्य को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में लगभग 52 करोड़ रु० की और धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है।

राज्यों को क्षेत्रवार विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पूरी करने वाली अपेक्षित कमियों को देखते हुए सम्बन्धित राज्यों द्वारा क्षेत्रीय आबंटन किया जाता है। सातवीं योजना अवधि में लघु सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्रावधान और व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	प्रावधान रु० लाखों में	व्यय
1985-86	227.00	142 43
1986-87	300.00	300.00
1987-88	475.00	475.22
1988-89	475.00	475.00 (अनुमानित)
1989-90	478.75 (प्रस्तावित)	—

रोग मुक्त कुष्ठ रोगियों के प्रशिक्षण के लिये राज्यों को सहायता

4386. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोग मुक्त कुष्ठ रोगियों को फिर से बसाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिये विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता की कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, नहीं। फिर भी, कुष्ठ रोग से मुक्त हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायक-अनुदान दिए जाते हैं।

(ख) कुष्ठ रोग से मुक्त हुए व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को पिछले तीन वर्षों में सहायक अनुदान दी गई धनराशि संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

विवरण

		(रुपयों में)	
स्वयंसेवी संगठनों के नाम	1986-87	1987-88	1988 89
1. बमंग कुष्ठ राहत सब पुनर्वास कोष, 4, आवपति स्ट्रीट, थिलोंयनगर, मद्रास 60003	11,070/-	59,864/-	47,106/-
2. हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, भुवनेश्वर, उड़ीसा।	5,02,200/-	—	—
3. संथाल पहाड़िया सेवा मण्डल, वैद्यनाथ, देवघर (बिहार)	4,07,251/-	4,31,322/-	2,85,242/-
4. सोसायटी आफ दि सेक्रेड हर्ट लेप्रोसी सेन्टर, सक्कोट्टाई 612401 कुम्भाकोनम् (तमिलनाडु)	35,652/-	1,25,000/-	—
5. हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, पश्चिम बंगाल शाखा, 94, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता।	—	—	2,21,189/-
6. हिन्द कुष्ठ निवारण, शिमला।	1,00,000/-	—	—
7. अवैतनिक सचिव, शिवानन्दा पुनर्वास गृह, कूकायपल्ली, हैदराबाद-872	—	—	1,53,000/-

एयरबस ए-320 की उड़ान

4387. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि एयर बस ए-320 विमानों को अन्य किसी विमान चालक दल द्वारा न उड़ाया जाकर इस विमान को उड़ाने में कुशल विमान चालक दल द्वारा ही उड़ाया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या उन विमान चालकों जिन्होंने इस विमान को उड़ाने में अर्हता प्राप्त कर ली है निर्धारित विमान उड़ानों के रोस्टर में सम्मिलित किया जायेगा और उन्हें एक ही प्रकार का विमान उड़ाने की अनुमति दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने, अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव भी दिया है कि क्योंकि एक एयरबस ए-320 विमान में अब तक प्रचालित पारंपरिक नियंत्रण की तुलना में "फ्लाई बाई वायर" तकनीक आरम्भ की गई है, अतः ए-320 विमानों की उड़ानें प्रचालित करने वाले कर्मीदल को केवल एक ही प्रकार के विमान की उड़ान भरने की सीमा लगाई जानी चाहिए। इस सिफारिश की जांच की जा रही है।

इलैक्ट्रॉनिकी ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० द्वारा वी०सी०पी०/वी०सी०आर० का निर्माण

4388. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रॉनिकी ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वी०सी० पी० और वी०सी०आर० के निर्माण के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) एकक की प्रस्तावित क्षमता कितनी है और इसकी स्थापना करने पर कुल कितनी अनुमानित लागत आएगी;

(घ) क्या केरल में यह एकक अथवा इसका कोई संघटक स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) प्रस्तावित स्थान का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अतिरिक्त विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ङ) वीडियो कैसेट रिकार्डरों तथा वीडियो कैसेट प्लेयरों के विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट कारपोरेशन (ई टी एण्ड टी) से एक संशोधित आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है तथा सरकार के विचाराधीन है।

आयुध उपकरण कारखाना, कानपुर द्वारा प्राप्त निविदाएं

4389. श्री एच. जी. रामुलु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध उपकरण कारखाना, कानपुर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/कम्पनियों से कारखाने के लिए कुछ स्टोर सम्बन्धी मदों की सप्लाई हेतु निविदाएं प्राप्त कर रहा है;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त निविदाओं को वरीयता देकर सरकारी क्षेत्र से प्राप्त निविदाएं रद्द की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और पिछले एक वर्ष के दौरान आयुध उपकरण कारखाना, कानपुर द्वारा सरकारी क्षेत्र से प्राप्त की गई निविदाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकारी क्षेत्र को समर्थन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तकनीकी स्वीकार्यता और उचित मूल्य की पेशकश के आधार पर चयन करने से पूर्व, प्राप्त सभी निविदाओं पर जब विचार किया जाता है तब सरकारी क्षेत्र की निविदाओं को निजी क्षेत्रों की निविदाओं से अधिक प्राथमिकता दी जाती है चाहे उनका निविदा प्रस्ताव निजी क्षेत्रों के प्रस्ताव से 10% तक अधिक ही क्यों न हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों राष्ट्रीय कपड़ा निगम और ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की कपड़ा निविदाओं को खरीद के मामले में, उनकी कीमत पर ध्यान दिए बिना, स्वीकार करने में तरजीह दी जाती है बशर्ते सुपुर्दगी कार्यक्रम स्वीकार्य हो और उनकी क्षमता में सन्देह न हो।

भारत और पाकिस्तान के गृह सचिवों की बैठक

4390. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा पार अपराधियों के चोरी-छिपे आने-जाने और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिये कार्य प्रणाली तैयार करने के बारे में भारत और पाकिस्तान के गृह सचिवों की बैठक इस्लामाबाद में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह बैठक कब आयोजित की जायेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

आयुध कारखानों में सुपरवाइजर के पदों को समाप्त करना

4391. श्री सतीश चन्द्र सिन्हा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों के महानिदेशक ने आयुध कारखानों में सुपरवाइजर के पद समाप्त करने के सरकार के निर्णय के बावजूद न तो अभी तक यह पद ही समाप्त किया है और न ही इस पद का दर्जा बढ़ा कर चार्जमैन किया है;

(ख) क्या अन्य निरीक्षण विभागों ने सुपरवाइजर के पद का दर्जा बढ़ाकर चार्जमैन करने के आदेश जनवरी, 1986 में ही जारी कर दिए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप पर्यवेक्षक "ख" (तकनीकी) (संशोधन पूर्व वेतनमान 380-560 रुपए) और चार्जमैन ग्रेड-2 (तकनीकी) (संशोधन पूर्व वेतनमान 425-700 रुपए) के पदों के वेतनमान 1400-2300 रुपए कर दिए गए थे। पर्यवेक्षक

"क" (गैर-तकनीकी) (संशोधन पूर्व वेतनमान 425-640) और चार्जमैन ग्रेड-2 (गैर-तकनीकी) (संशोधन पूर्व 425-700 रुपए) के पदों के वेतनमान भी 1400 2300 रुपए कर दिए गए थे। दूसरे, पर्यवेक्षक "ख" (तकनीकी) के पदों को चार्जमैन ग्रेड-2 (तकनीकी) के साथ मिलाया जाना है और पर्यवेक्षक "क" (गैर-तकनीकी) के पदों को चार्जमैन ग्रेड-2 (गैर-तकनीकी) के साथ मिलाया जाना है। पर्यवेक्षक "ख" (गैर-तकनीकी) के पदों को उपयुक्त रूप से फिर से पदनामित किया जाना था। आयुध निर्माणियों में पर्यवेक्षक के पदों को समाप्त किए जाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

2. पर्यवेक्षक "ख" (तकनीकी) और उच्च कुशल ग्रेड-1 श्रमिक के पदों में पदोन्नतियां उसी ग्रेड के उच्च-कुशल ग्रेड-2 श्रमिकों से की जाती थीं। उच्च-कुशल ग्रेड-1 श्रमिकों और पर्यवेक्षकों "ख" (तकनीकी) दोनों के संशोधन-पूर्व वेतनमान एक जैसे अर्थात् 380-560 रुपए थे। अब उच्च कुशल ग्रेड-1 श्रमिकों के वेतनमान 1320-2040 रुपए कर दिए गए हैं। फलत. पर्यवेक्षकों (तकनीकी) का चार्जमैन ग्रेड-2 (तकनीकी) में स्थानांतरण करने और स्थानांतरित व्यक्तियों तथा पदोन्नत व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उच्च कुशल ग्रेड-1 श्रमिकों की चार्जमैन ग्रेड-2 (तकनीकी) में पदोन्नति करने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। इसलिए भर्ती नियमों में उपयुक्त रूप से संशोधन किए जा रहे हैं।

3. पर्यवेक्षक "क" (गैर-तकनीकी) के पदों को 1.1.86 से चार्जमैन ग्रेड-2 (गैर-तकनीकी) के पदों के संवर्ग में मिलाए जाने के लिए 29.9.1986 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई थी।

4. निरीक्षण विभाग, जो कि अब गुणता आश्वासन महानिदेशालय है, में 1.1.86 से तकनीकी पर्यवेक्षकों के पदनाम चार्जमैन ग्रेड-2 करने के लिए 27.10.1987 को आदेश जारी कर दिए गए थे। इन पदों पर लागू होने वाले भर्ती नियम आयुध निर्माणियों में लागू नियमों से भिन्न हैं।

एअर इंडिया में खान-पान व्यवस्था

[हिंदी]

4 92. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय एअर इण्डिया में खान-पान की व्यवस्था गैर-सरकारी होटलों द्वारा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस व्यवस्था के फलस्वरूप सरकार और यात्रियों को क्या विशेष लाभ हुआ है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) 27 स्टेशनों पर उड़ान पाकशालाएं एयर इण्डिया के लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं। खान-पान प्रबन्धकों का चयन एयर इण्डिया की आवश्यकताओं के अनुसार, प्रतियोगी दरों पर अच्छा भोजन प्रदान करने की उनकी उपयुक्तता के अनुसार किया जाता है। भारत में अधिकांश एयर

इण्डिया की उड़ानों के लिए भोजन सेफेयर और भारत पर्यटन विकास निगम से लिया जाता है और शेष ओबराय और ताज होटल से लिया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश को खेतों की सिंचाई हेतु छोटी नालियों के निर्माण के लिए आबंटन

[अनुवाद]

4393. श्री टी० बाल गौड़ : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा खेतों की सिंचाई हेतु छोटी नालियों के निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : आन्ध्र प्रदेश में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ-साथ खेतों की सिंचाई हेतु छोटी नालियों के निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के लिए अनुमोदित परिव्यय निम्न प्रकार है :—

		(लाख रु०)
1985-86	—	1083
1986-87	—	1000
1987-88	—	1300

इंडियन एयरलाइंस द्वारा सामान खरीदा जाना

4394 श्री वी श्रीनिवास प्रसाद : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस को सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों से ऐसे अनेक आवेदन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इंडियन एयरलाइंस उनके द्वारा निर्मित सामान खरीदे जो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले सामान का हिस्सा होते हैं;

(ख) क्या यह सामान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से नहीं खरीदा जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्मित सामान की भी खरीद करने हेतु दिशा निर्देश जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों से उनकी वस्तुओं के लिए प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त हुए हैं। अन्यों के साथ-साथ इन आवेदनों/प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। निर्धारित विशिष्टियों/अपेक्षाओं को पूरा करने वाली तथा प्रतियोगी पाई जाने वाली वस्तुओं को स्वीकृत किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विकलांगों के अधिकारों की रक्षार्थ कानून बनाना

4395. डा० वी० विजय रामा राव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 मार्च, 1989 के "इंडियन एक्सप्रेस" में छपे एक समाचार के अनुसार सरकार विकलांगों के अधिकारों की रक्षार्थ कानून बनाने पर विचार कर रही है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित कानून का प्रारूप तैयार करते समय विकलांगों के लिए अनेक वर्षों से कार्य कर रही "स्पैस्टिक सोसाइटी", "समाधान" जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं से परामर्श करने का है; और

(ग) क्या सरकार और गैर सरकारी संगठनों दोनों ही स्तरों पर किए जा रहे प्रशिक्षण और पुनर्वास संबंधी प्रयासों पर निगरानी रखने और उनमें समन्वय लाने के लिए सरकार का विचार किसी ऐसे शीर्षस्थ निकाय का गठन करने का है जिसमें दोनों ही क्षेत्रों के प्रतिनिधि हों; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए कानून बनाने की सिफारिश करने हेतु सरकार द्वारा 1987 के दौरान श्री बहरुल इस्लाम, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने जून, 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिस पर संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से जांच की जा रही है। इस समिति में सभी श्रेणियों के विकलांगों के लिए कार्यरत अनेक स्वयं सेवी संगठनों को शामिल किया गया था।

(ग) सरकार ने पहले ही विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया हुआ है जो कि एक सलाहाकार निकाय है ताकि विकलांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण और उनकी पुनर्वास सेवाओं के लिए समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके और विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कल्याण उपायों की समीक्षा की जा सके। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संगठनों को इस परिषद में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए शामिल किया गया है।

तिरुनेलवेली में फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन

4396. श्री गुरुदास कामत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तिरुनेलवेली में पूर्वी कमान का फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा;

(ग) क्या इसका कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(घ) यह परियोजना कब तक तैयार हो जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) तिरुनेलवेली जिले में लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत पर एक संचार केन्द्र का निर्माण-कार्य पूरा होने वाला है।

विदेशी विमान परिचारिकाओं की भर्ती

4397. श्री रेणुपद दास : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी विमान कम्पनियां विभिन्न देशों के यात्रियों को आकर्षित करने के लिये विभिन्न देशों की विमान परिचारिकाओं की भर्ती कर रही है;

(ख) यदि हां, तो एयर इंडिया ने वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न देशों से कितनी विमान परिचारिकाओं को भर्ती की है; और

(ग) सरकार का अधिक विदेशी यात्रियों को एयर इंडिया के विमानों में यात्रा करने के लिये आकर्षित करने हेतु अधिक विदेशी विमान परिचारिकाओं की भर्ती करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया के पास 1988-89 में 10 जापानी और 6 यूरोपियन विमान परिचारिकाएं थीं। मार्च, 1988 में एक जापानी विमान परिचारिका सेवा विमुक्त हो गई थी और 6 यूरोपीय विमान परिचारिकाओं ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार कर ली थी। आज की तारीख में एयर इंडिया में केवल 9 जापानी विमान परिचारिकाएं हैं।

(ग) इस समय और अधिक विदेशी विमान परिचारिकाओं को भर्ती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल से स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के मामले

4398 श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के लिये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सिफारिश किये गये कितने आवेदन पत्र मंजूरी हेतु लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यह आवेदन पत्र कब से लम्बित पड़े हुए हैं;

(ग) इन मामलों को निपटाने में हुई देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों को कब तक निपटाया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) जुलाई/अगस्त, 1986 में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पश्चिम बंगाल के सभी लम्बित मामलों का निपटान कर दिया गया था। तथापि जिन मामलों को विशेष अभियान के दौरान अस्वीकृत किया गया था उनकी पुनरीक्षा के लिए कुछ आवेदकों से सीधे तथा राज्य सरकार के माध्यम से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे मामलों में पेंशन की मंजूरी के लिए 31-3-1989 को राज्यों से प्राप्त 432 सिफारिशें लम्बित थी। इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार से मवेशियों की तस्करी

4399. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेपाल और बंगलादेश से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार मवेशी तस्करी के वर्षवार कितने मामलों का पता चला है;

(ख) क्या यह सच है कि मवेशियों की तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है और स्थानीय पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल इसे रोकने में असफल रहते हैं; और

(ग) सरकार ने इस तरह की तस्करी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) (क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत बंगला० देश सीमा पर पकड़े गये पशुओं की संख्या इस प्रकार है :—

1986	4665
1987	5583
1988	7839

भारत-नेपाल सीमा पर कोई केन्द्रीय बल तैनात नहीं है और सीमा की देखभाल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और इस मुद्दे के बारे में मन्त्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) जहां तक भारत-बंगलादेश सीमा का संबंध है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि पशुओं की तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है।

(ग) भारत-बंगलादेश सीमा पर सीमा पार से अपराधों को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ किया गया है ?

सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबलों की भर्ती

4400. श्री राज करन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई-जून, 1988 के दौरान सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर भर्ती करने के लिये दिल्ली के छावला कैम्प में काफी संख्या में उम्मीदवारों की डाक्टरी/शारीरिक जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने उम्मीदवारों को अन्तिम रूप से चुना गया था;

(ग) अन्तिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवारों को अब तक प्रशिक्षण के लिये बुलाया गया है; और

(घ) शेष उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिये कब तक बुलाया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) दिल्ली के सी०सु० बल कैम्प, छावला में मई/जून, 1988 के दौरान 627 उम्मीदवारों की शारीरिक और डाक्टरी जांच की गई। उनमें से 455 उम्मीदवारों को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया। सभी चुने गए उम्मीदवारों को मई, जून तथा जुलाई, 1988 के महीनों के दौरान प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया।

यात्रा एजेंटों की नियुक्ति

4401. डा० जी०एस० ढिल्लों : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के यात्रा एजेंटों की नियुक्ति के लिये क्या दिशा निर्देश और शर्तें निर्धारित की हैं;

(ख) राजधानी में, उत्तर प्रदेश में और अन्य महानगरों में नियुक्त किए गए एजेंटों के नाम क्या हैं; और

(ग) इनके माध्यम से इण्डियन एयरलाइंस के कारोबार में किस हद तक वृद्धि हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इण्डियन एयरलाइंस द्वारा यात्रा एजेंटों की नियुक्ति की जाती है। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नियुक्त किए जाने वाले यात्री बिक्री एजेंटों के मार्गदर्शी सिद्धान्त और मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

— बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के महानगरीय शहरों में अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आयटा) द्वारा केवल अनुमोदित एजेंटों पर विचार किया जाता है।

— इन प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों के बाहर शहरों में, शहर की सम्भावित बिक्री के आधार पर गैर-आयटा एजेंटों की सीमित संख्या पर विचार किया जाता है।

— अन्य सभी स्टेशनों में जहां इंडियन एयरलाइंस उड़ानों का परिचालन करती है, वहां आयटा द्वारा अनुमोदित और गैर-आयटा दोनों एजेंटों पर विचार किया जाता है। वहां भी आयटा एजेंट होते हैं, वहां उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

— ऐसे स्टेशनों में जहां इंडियन एयरलाइंस परिचालित नहीं करती है वहां शहर की सम्भावित बिक्री का प्रथम मानदंड माना जाता है।

— सभी एजेंटों के मामलों में सबसे पहले यह आवश्यक है कि एजेंसी के पास इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपेक्षित स्तर का परिसर, कम से कम दो प्रशिक्षित कर्मचारी, यात्रा व्यवसाय में कुछ अनुभव, बिक्री बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता और बिक्री की अपेक्षित मात्रा को देखने के लिए समुचित वित्त व्यवस्था होनी चाहिए।

— सभी एजेंटों को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रयोगात्मक आधार पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें बिक्री का एक लक्ष्य दिया जाता है। यदि वे बिक्री के उस लक्ष्य को पूरा करते हैं तो उनकी नियुक्ति निश्चित की जाती है, यदि वे बिक्री के उस लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी नियुक्ति समाप्त की जाती है।

— नियुक्त एजेंट द्वारा एक महीने की बिक्री की एक बैंक गारंटी की भी व्यवस्था करनी होती है।

(ख) दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य महानगरीय शहरों में नियुक्त यात्री बिक्री एजेंटों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) एजेंट एक विशेषज्ञ संस्था होती है जो नियुक्त होने पर, क्रेडिट सुविधाएं, निवास या कार्यालय पर टिकटों की सुपुर्दगी; अन्य यात्रा व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने जैसी यात्रियों और कम्पनियों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए विमान कम्पनियों के लिए बिक्री बढ़ाती है। विमान कम्पनियों द्वारा इस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाती है और इसलिए ऐसे यात्री और कम्पनियां जो इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, वे यात्री एजेंटों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी तथा अन्य महानगरीय शहरों में नियुक्त एजेंटों की सूची

I. दिल्ली

1. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड
2. एशियाटिक ट्रैवल सर्विस एण्ड कारगो
3. एयरफ्रेंड (प्रा.) लि. (इंडट्रैवल्स)
4. एम्बेसेडर ट्रेवल्स (प्रा.) लि.
5. बालमेर लारी एण्ड कं.
6. कान ट्रेवल्स
7. काक्स एण्ड किंग्स (इण्डिया) लि.
8. चौधरी इन्टरनेशनल
9. कांटीनेन्टल ट्रेवल सर्विस
10. एवरेट ट्रैवल सर्विस
11. गितांजलि ट्रैवल्स
12. गोबन ट्रेवल्स
13. इंडियन एयर ट्रेवल्स
14. भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
15. इंडिका ट्रेवल एण्ड टूर्स प्रा. लि.
16. इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस लि.
17. विवक ट्रेवल्स (प्रा.) लि.
18. मर्करी ट्रेवल्स (आई.) लि.
19. मैक एयर ट्रेवल्स
20. मैकिनन मकेनजी एण्ड को. लि.
21. मिनी पैन (इंडिया) प्रा.लि.
22. न्यू एयरवेज ट्रेवल्स (दिल्ली) प्रा. लि.
23. ओरियण्ट एक्सप्रेस क. (प्रा.) लि.
24. ओरियन्ट ट्रेवल्स (प्रा.) लि.
25. सिद्धार्थ ट्रेवल्स प्रा.लि.
26. एस.ओ.टी.सी. ट्रेवल्स एण्ड टूर्स (आई.) प्रा.लि.
27. सीटा वर्ल्ड ट्रेवल (आई.) प्रा.लि.
28. स्फिन्टर ट्रेवल्स इंटरनेशनल (प्रा.) लि.
29. साहा एण्ड राय ट्रेवल्स (आई.) प्रा.लि.
30. सनसाइन ट्रेवल्स (आई.) प्रा.लि.
31. एयर अफेयर एण्ड संस (प्रा.) लिमिटेड
32. एयर ट्रेवल ब्यूरो (प्रा.) लि.

33. पोरवोल टूर्स एण्ड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
34. ट्रेवल केयर
35. ट्रेड विंग्स लि.
36. ट्रेवल कारपोरेशन (आई.) प्रा.लि. चीमा हाउस
37. ट्रेवल इंडिया ब्यूरो (प्रा.) लि.
38. थामस कुक (इंडिया) लि.
39. ट्रेवल कारपोरेशन (आई.) प्रा.लि.—होटल मैट्रो
40. एबिस ट्रेवल्स (प्रा.) लि.
41. एलके ट्रेवल्स
42. बजाज ट्रेवल्स
43. गुलिवर ट्रेवल्स (प्रा.) लि.
44. असीम ट्रेवल्स (प्रा.) लि.
45. आलपिन ट्रेवल्स एण्ड टूर्स (प्रा.) लि.
46. ट्रेवल मार्ट
47. चिक ट्रेवल्स (प्रा.) लि.
48. कम्बाइन्ड ट्रेवल्स (प्रा.) लि.
49. इण्डियन टूरिज्म को-आपरेटिव लि.
50. बाघविन ट्रेवल्स (प्रा.) लि.
51. वेव्स ट्रेवल्स
52. ए.बी.सी. ट्रेवल (आई.) (प्रा.) लि.
53. ट्रांसनेशनल ट्रेवल्स (प्रा.) लि.

II. बम्बई

1. एबीसी ट्रेवल कन्सेलटेन्ट्स
2. अशोर ट्रेवल्स (प्रा.) लि.
3. एयरो एजेंसीज (प्रा.) लि.
4. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.
5. एपैक्स ट्रेवल्स एण्ड टूर्स प्रा. लि.
6. एयर ट्रेड एण्ड टूर्स (प्रा.) लि.
7. आरकेडिया ट्रेवल्स (प्रा.) लि.
8. अम्बेसडर ट्रेवल्स (प्रा.) लि.
9. एयरक्रेट (प्रा.) लि.
10. एसियाटिक ट्रेवल्स सर्विस
11. एटलांटिक पैसीफिक ट्रेवल सर्विसेस (प्रा.) लि.
12. ए.के. ट्रेवल्स एण्ड टूर्स
13. बलोबा ट्रेवल्स (प्रा.) लि.
14. ब्लेस टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्रा. लि.
15. ब्लू स्काईस ट्रेवल्स और टूर (प्रा.) लि.
16. बलमेर लावरी और कम्पनी लि.

17. कोसमोस ट्रैवल (प्रा.) लि.
18. कोस और किंग्स (प्रा.) लि.
19. चम्पकलाल इनवेस्टमेंट और फाइनेंसियल कन्सुलटेन्सी प्रा.लि. डी/ए चैम्पियन ट्रैवल्स और टूर
20. दीपक ट्रैवल्स
21. दिनेश वर्ल्ड ट्रैवल
22. ईगल ट्रैवल
23. एवेरेट ट्रैवल सर्विस
24. ईस्टर्न ट्रैवल और टूर (प्रा.) लि.
25. फोरवेल्स टूरस और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, लि.
26. फोरवेज ट्रैवल्स (प्रा.) लि.
27. फेरेट केरियर्स (प्रा.) लि.
28. गामे गार्डन टूर और ट्रैवल्स
29 ग्लोबल ट्रैवल एजेंसी
30. गोकुल ट्रैवल सर्विसेज
31. गोबल ट्रैवल्स
32. हरमेस ट्रैवल और कार्गो प्रा.लि.
33. हिन्द मुसाफिर एजेंसी (प्रा.) लि.
34. कांजी जादवजी और कम्पनी
35. मारकोपिया ट्रैवल्स प्रा.लि.
36. मरकरी ट्रैवल्स (आई.) लि.
37. एम. बन्नोभाई पटेल और कम्पनी
38. मकीनोन मैसिन्जीया और कम्पनी लि.
39. ओरिएन्ट एक्सप्रेस कम्पनी, प्रा.लि.
40. पनोरमा ट्रैवल्स (ग.) लि.
41. पार्क ट्रैवल (आई) प्रा.लि.
42. रेक्सी टूवर्स एवं ट्रैवल्स प्रा.लि.
43. शालीमार ट्रैवल्स
44. सीता वर्ल्ड ट्रैवल्स (आई.) प्रा. लि.
45. सरल ट्रैवल्स प्रा.लि.
46. सीनियर ट्रैवल्स प्रा.लि.
47. स्काईलार्क ट्रैवल्स प्रा.लि.
48. स्टारलाइन ट्रैवल्स प्रा.लि.
49. सत्य ट्रैवल्स प्रा.लि.
50. स्काईड स्पीड टूवर एवं ट्रैवल कम्पनी
51. एस.ओ.टी.सी. ट्रैवल एवं टूवर्स
52. ट्रैवलर्स प्रा.लि.
63. ट्रान्स ट्रैवल (प्रा.) लि.

54. टैलिस्टार ट्रैवल (प्रा.) लि.
55. ट्रेड विंगस (प्रा.) लि.
56. ट्रैवल कारपोरेशन (आई) प्रा.लि., मैसूर
57. ट्रैवल कारपोरेशन ऑफ इंडिया प्रा.लि., मरीमन प्वाइंट
58. ट्रैवल्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया प्रा.लि. चन्द्रमुखी
59. स्काईलाक ट्रैवलर्स प्रा.लि.
60. थोमस कुक (इंडिया) लि.
61. ट्रिडेंट ट्रैवल एंड टूअर्स प्रा.लि.
62. यूनिपैसिफिक ट्रैवल एंड टूअर्स लि.
63. यूनिवर्सल एक्सप्रेस ट्रैवल्स एंड टूअर्स (प्रा.) लि.
64. वेस्टीमला अम्बरमल एंड सन्स
65. वैंडिग ट्रैवल्स (प्रा.) लि.
66. विस्टा ट्रैवल्स प्रा.लि.
67. बी.बी. लाम्ब ट्रैवल कन्सल्टेन्ट्स
68. अरब टूअर्स एवं ट्रैवल्स
69. क्यूपिड ट्रैवल्स एंड टूअर्स
70 एम.टी.बी. ट्रैवल्स प्रा लि.
71. एलवी सर्विसज ट्रैवल प्रा. लि.
72. साउन्ड ट्रैवल कारपोरेशन
73. ट्रैवल लाइन्स कारपोरेशन
74. ट्रस्ट ट्रैवल एंड टूअर्स
75. विस्को शिप मैनेजमैंट एंड ट्रैवल्स प्रा.लि.
76. मूलचन्द ट्रैवल्स सर्विस प्रा.लि.
77. दीपा ट्रैवल्स
78. ईस्ट वैस्ट ट्रैवल्स एंड टूअर्स
79. ईस्ट वैस्ट ट्रैवल्स एंड ट्रेड विंग्स (प्रा.लि.)
80. एवरेस्ट ट्रैवल्स प्रा.लि.
81. मधु ट्रैवल्स
82. महेश ट्रैवल्स सर्विस
83. पाशा ट्रैवल्स एण्ड टूरस
84. पूनम ट्रैवल्स एण्ड प्रा.लि.
85. रिलायंस ट्रांसपोर्ट एण्ड ट्रैवल्स प्रा.लि.
86. रिची ट्रैवल्स
87. श्रीराम ट्रैवल्स एण्ड टूरस प्रा.लि.
88. सुप्रीम ट्रैवल्स एण्ड टूरस
89. सिल्वर स्काई ट्रैवल्स एण्ड टूरस
90. ट्रैवल्स सिक्स

91. यूनर ट्रैवल्स प्राइवेट लि.
92. त्रिमीति एअर ट्रैवल्स एण्ड टूरस प्रा.लि.
93 सिसोदिया ट्रैवल्स एंड कार्गो (1) प्रा.लि.
94. ट्रैनिंग्स ट्रैवल सर्विसिज प्रा.लि.
95. माजदा ट्रैवल्स प्रा.लि.
96. बड़या ट्रैवल प्रा.लि.
97. स्पेस ट्रैवल्स
98. त्रिवामका ट्रैवल्स प्रा.लि.
99. सोनावाला ट्रैवल्स प्रा.लि.
100. ओलम्पिक एक्सप्रैस
101. सीरिसा ट्रैवल्स प्रा.लि.
102. इन्टरनेशनल ट्रैवल हाउस प्रा.लि.
103. ट्रैवल इंडिया ब्यूरो प्रा.लि.
104. अगस्त ट्रैवल्स सर्विसिज प्रा.लि.

III. कलकत्ता

1. अमरीकन एक्सप्रैस बैंक लि.
2. बालमेर लारी एंड प्रा.लि.
3. कारवां ट्रैवल्स
4. ईस्टर्न ट्रैवल्स प्रा.लि.
5. एवेंट ट्रैवल सर्विस
6. त्रिवेलोयून इंडिया प्राइवेट लि.
7. गिनानी ट्रैवल्स एंड टूरस
8. ग्लोब ट्रैवल्स
9. हेल्मर लिमिटेड
10. इंडियन एअर ट्रैवल्स
11. नियोमल एडवर्ड्स लि.
12. मार्बल इन्टरनेशनल
13. मर्करी ट्रैवल्स (इंडिया) लि.
14 मैकेंजियन मैकनजी एंड कं. लि.
15. मिनी पान ट्रैवल्स प्रा.लि.
16. ओरियन्ट एक्सप्रैस कम्पनी (प्राइवेट) लि.
17. पन्नूरजी कम्पनी
18. पासपुर ट्रैवल्स प्रा.लि
19. सीता वर्ल्ड ट्रैवल्स (इंडिया) प्रा.लि.
20. ओरियन्टल ट्रैवल विंग्स (प्राइवेट) लि.
21. सिकलेयर होटल एण्ड ट्रांसपोर्टेशन लि.
22. साऊथविंड ट्रैवल एजेंटस
23. स्पीडवेल इन्टरनेशनल प्रा.लि.

24. ट्रेड विंग्स (कलकत्ता) प्रा.लि.
25. ट्रैवल कार्पोरेशन (इंडिया) प्रा.लि.
26. टाइम्स ट्रैवल्स प्रा.लि.
27. बालीमल बालारमल एंड ब्रदर्स
28. बारन ट्रैवल्स
29. गलेक्सी ट्रैवल्स प्रा.लि.
30. सिल्वर विंग्स प्रा.लि.

IV. मद्रास

1. अशोक ट्रैवल्स (प्रा.) लि.
2. एयर फराइट (प्रा.) लि.
3. बालमेर लारी एंड कम्पनी लि.
4. बिन्नी लि. टी/ए बिन्नी ट्रैवल सर्विस
5. भारत ट्रैवल सर्विस (प्रा.) लि.
6. बे ट्रैवल्स (प्रा.) लि.
7. गुडविल ट्रैवल्स एंड कार्गो
8. कावन ट्रैवल्स
9. मर्करी ट्रैवल्स (इंडिया) लि.
10. ओरियन्ट एक्सप्रेस कम्पनी (प्रा.) लि.
11. पान एयर ट्रैवल्स
12. पारी एंड कं. लि.
13. राम मोहन एंड कं. लि.
14. रेवल टूरस एंड ट्रैवल्स प्रा.लि.
15. सीता वर्ल्ड ट्रैवल्स (आई.) प्रा.लि.
16. शेरीफ ट्रैवल्स एंड कार्गो सर्विस प्रा.लि.
17. शीबी ट्रैवल्स प्रा.लि.
18. ट्रेड विंग्स लि.
19. ट्रैवल्स कार्पोरेशन (आई.) प्रा.लि.
20. थॉमस कुक (आई.) प्रा.लि.
21. पीएण्ड वर्ल्ड वेज लि.
22. ओबिक ट्रैवल्स प्रा.लि.
23. एम्बेसी ट्रैवल्स एंड टूर्स प्रा.लि.
24. जेट विंग्स ट्रैवल्स प्रा.लि.
25. ट्रैवल्स हाउस
26. ईस्ट मेन ट्रैवल्स एंड टूर्स प्रा.लि.
27. प्राइमर टूर्स एंड ट्रैवल्स
28. वायु यात्रा ट्रैवल्स प्रा.लि.
29. ट्रैवल्स इंडिया ब्यूरो प्रा.लि.
30. वायक ट्रैवल्स टूर्स एंड कार्गो प्रा.लि.

V. उत्तर प्रदेश

1.	ट्रैवल्स कार्पोरेशन (आई.) प्रा.लि.	आगरा
2.	ट्राव वर्ल्ड ट्रैवल्स	देहरादून
3.	एयरकेट प्रा.लि.	कानपुर
4.	सीता वर्ल्ड ट्रैवल्स (आई.) प्रा.लि.	कानपुर
5.	आरसीस ट्रैवल्स सर्विस	लखनऊ
6.	ट्रैवल्स कार्पोरेशन (आई.) प्रा.लि.	लखनऊ
7.	विक ट्रैवल्स (प्रा.) लि.	मोदीनगर
8.	प्रेसिडेंट ट्रैवल एजेंसी.	देहरादून
9.	ट्रैवल पवानर्स प्रा.लि.	गाजियाबाद
10.	हेव मोर्स लि.	गाजियाबाद
11.	ए.के. ट्रैवल्स एंड टूर्स	गाजियाबाद
12.	होलीवेज (आई.) ट्रैवल्स	लखनऊ
13.	कमफर्ट ट्रैवल्स एंड टूर्स	लखनऊ
14.	वेजावर ट्रैवल	नोयोडा
15.	नारायणन ट्रैवल एंड टूर	नोयोडा
16.	पोरविंग ट्रैवल्स एंड टूर्स	नोयोडा
17.	भारती ट्रैवल्स	नोयोडा
18.	स्वीपंट ट्रैवल्स	नोयोडा
19.	ट्रैवल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	वाराणसी
20.	वरुण ट्रैवल	वाराणसी

लिपिकों/आशुलिपिकों की भर्ती

4402. श्री कमलेश प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लिपिकों की भर्ती के लिये अन्तिम परीक्षा कब ली गई थी;

(ख) इस परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठे थे और रिक्त पदों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या सरकारी कार्यालयों में भारी संख्या में आशुलिपिकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं; और यदि हाँ, तो इन रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या लिखित परीक्षा न लेकर केवल शार्टहैण्ड और टाइपिंग की परीक्षा ही लेने के लिए भर्ती नियमों में कोई ढील देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिपिकों की भर्ती के लिये अन्तिम परीक्षा 9 अक्तूबर, 1988 को ली गई थी।

(ख) परीक्षा में 781443 अभ्यर्थी बैठे थे। कर्मचारी चयन आयोग को अभी तक 4,069 रिक्तियां सूचित की गई हैं।

(ख) विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आशुलिपिकों की रिक्त स्थिति केन्द्रीकृत रूप से रखी जाती है। कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के कार्यालयों में आशुलिपिकों की भर्ती के लिए एक वार्षिक परीक्षा आयोजित करता है। वर्ष 1989 के लिए लिखित परीक्षा 19.2.1989 को पहले ही आयोजित की जा चुकी है। विद्यमान रिक्तियां इस परीक्षा के आधार पर भरे जाने की सम्भावना है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/भारत तिब्बत सीमा पुलिस में पुलिस उपाधीक्षकों/कम्पनी कमांडेंटों/सहायक कमांडेंटों की नियुक्ति

4403. श्री विष्णु मोदी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल में पुलिस उपाधीक्षकों/कम्पनी कमांडेंटों/सहायक कमांडेंटों के अनेक पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन अर्द्ध-सैनिक बलों में इन रिक्त पदों को भरने हेतु कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गयी है, यदि हां तो कब;

(ग) प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर इन पदों के लिए कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया; और

(घ) अब तक कितने सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है और शेष को कब तक नियुक्त किये जाने की सम्भावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/भारत तिब्बत सीमा पुलिस उप-अधीक्षक, कम्पनी कमांडरों और सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंटों के 1.1.89 तक रिक्त पदों की संख्या नीचे दी गई है:—

रिक्तियां जब से जारी हैं :—

	1987	1988	योग
के. रि. पु. बल	15	147	162
भा. ति. सी. पु.	12	18	30
सी. सु. बल	—	186	186

(ख) सीधी भर्ती के कोटे वाले रिक्त पदों को भरने के लिए 1988 में एक सामान्य भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था।

(ग) 190 उम्मीदवारों को चुना गया।

(घ) चुने गये व्यक्तियों की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर नियुक्ति पत्र भेजे जाएंगे।

हैदराबाद में उन्नत अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना

4404. श्री ई. अय्यपू रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ चूर्णित धातु विज्ञान के लिए हैदराबाद में एक उन्नत अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने पर सहमत हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या है और अनुसन्धान केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी हां, भारत और सोवियत संघ चूर्णित धातु विज्ञान के लिए हैदराबाद में एक उन्नत अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। यह भारत और सोवियत संघ का संयुक्त उपक्रम होगा। इस केन्द्र के लिए सोवियत संघ की ओर से आवश्यक उपस्कर और मशीनों को उपलब्ध कराया जाएगा तथा भारत की ओर से भूमि, भवन, अवसंरचना तथा स्थानीय मशीनरी और उपस्कर के खर्चों का वहन किया जाएगा। केन्द्र की स्थापना में लगभग तीन वर्ष लगने की संभावना है।

'सुमिटोमी-नेग परियोजना की स्वीकृति'

4405. श्रीमती बसवाराजेश्वरी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या विदेशी निवेश बोर्ड ने भारत में मोनो क्रोम ग्लास-सेलों के निर्माण के लिये "सुमिटोमी-नेग" परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना से क्या लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) मोनोक्राम (एक-वर्णी) ग्लास शेलो के विनिर्माण के लिए (1) निप्पन इलेक्ट्रिक ग्लास कम्पनी लि. जापान (2) मैसर्स सुमीटोमो कारपोरेशन, जापान के साथ विदेशी-सहयोग के बारे में मैसर्स सुमीटोमो कारपोरेशन लि., नई दिल्ली से प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ग) श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के लिए भारी मात्रा में ग्लास शेलों का आयात किया जा रहा है। इस परियोजना की स्थापना से विदेशी-मुद्रा में काफी बचत होगी।

कांच के शेलों के निर्माण के लिए भारत-कोरियाई परियोजना

4406. श्री एस० एम० गुरड्डी
श्री एस० बी० सिदनाल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरिया का एक उच्च शक्ति प्राप्त दल देश में काले और श्वेत कांच के शेलों के निर्माण हेतु भारत के सहयोग से एक परियोजना को अन्तिम रूप देने के लिए हाल ही में दिल्ली के दौरे पर आया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) श्याम तथा श्वेत श्याम सेटों के विनिर्माण के लिए किसी भी कोरियाई कम्पनी के साथ विदेशी सहयोग करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्बन्धी समिति

4407. श्री रॉय कुमार राय : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को सीमित करने अथवा उसका विस्तार करने के सम्बन्ध में सरकारी की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से रोग आते हैं ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव राव सोलंकी) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार करने में निम्नलिखित मापदण्ड अवश्य पूरे होने चाहिए :

(1) जब कोई विशिष्ट स्वास्थ्य समस्या/रोग अन्तर्राज्यीय सीमा लांघ रहा हो और यह भारी अस्वस्थता दर और मृत्यु दर से जनसंख्या को प्रभावित करते हुए क्षेत्रीय अथवा अन्तर्राज्यीय विशिष्टता वाला है।

(2) जब ऐसी स्वास्थ्य समस्या/रोग का नियंत्रण/उन्मूलन लोगों के स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाने में सहायक होगा।

एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तब सीमित किया जाता है जब यह ऊपर बताए गए लक्ष्य प्राप्त कर चुका हो अर्थात स्वास्थ्य समस्या रोग विशेष का देश में नियंत्रण/उन्मूलन हो चुका है तथा इस समस्या के कारण अस्वस्थता दर और मृत्यु दर नगण्य अथवा नहीं है।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नीति सिफारिशें तैयार करने के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण से सम्बन्धित दो संचालन समितियों तथा 11 कार्यदलों का गठन किया है। समितियों तथा दलों में विशेषज्ञों, सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया है।

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल बीमारियां संलग्न विवरण में बताई गई हैं।

विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल बीमारियां

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम— इसमें मलेरिया तथा फाइलेरिया शामिल है।
2. राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम—इसमें तपेदिक शामिल है।

3. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम—इसमें कुष्ठ शामिल है।

4. अन्धापन नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम—इसमें मोतियाबिन्द तथा अन्य आंख की बीमारियाँ जिससे अन्धापन होता है, शामिल है।

5. राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम—इसमें गलगण्ड बौनापन आदि जैसी आयोडीन की कमी वाली बीमारियाँ शामिल हैं।

6. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम—इसमें एड्स शामिल है।

7. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम—इसमें कैंसर के सभी रूप शामिल हैं।

8. राष्ट्रीय नहरुआ उन्मूलन कार्यक्रम—इसमें नहरुआ बीमारियाँ शामिल हैं।

9. प्रति रक्षण तथा व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तार कार्यक्रम—इसमें टीटनेस से गर्भवती माताओं की सुरक्षा और डिफ्थिरिया, टीटनेस, कुकुर खांसी, पोलियो तपेदिक खसरा से बच्चों तथा बड़े बच्चों (स्कूल से पहले) के लिए भी टाईफाइड की सुरक्षा शामिल है।

10. लोह तथा फोलिक ऐसिड और विटामिन "ए" की पोषाहार कमी के कारण बच्चों तथा माताओं का रोग निरोधन—इसमें विटामिन "ए" की कमी के कारण अनेमिया तथा अन्धेपन की सुरक्षा होती है।

11. दस्त सम्बन्धी बिमारी नियन्त्रण कार्यक्रम—इसमें मौखिक चिकित्सा विज्ञान तथा अन्य आवश्यक उपचारों द्वारा दस्त सम्बन्धी बीमारियों से सुरक्षा होती है। मद सं. 9-11 के कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं।

12. ग्रामीण स्वास्थ्य स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का प्रशिक्षण तथा चिकित्सा कामगारों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रयोगशाला की सुविधाओं का प्रावधान, चिकित्सा शिक्षा का पुनर्सृजन, राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आदि जैसी सेवाओं की श्रेणी में सुधार के लिए कुछ अन्य कार्यक्रम हैं।

कर्नाटक में नेहरू शताब्दी समारोह

4408. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के लिए वर्ष 1989 के दौरान जवाहर लाल नेहरू शताब्दी समारोह मनाने के लिये कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई हैं;

(ख) इसके लिये अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या उक्त समारोह के लिये स्कूलों तथा कालेजों को कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : (क) जवाहरलाल नेहरू शताब्दी कार्यान्वयन समिति ने जवाहरलाल नेहरू शताब्दी समारोह मनाने के लिये विभिन्न राज्यों को कोई धनराशि आवंटित नहीं की है।

राज्यों से आशा की जाती है कि वे अपने वर्तमान बजट तथा कुल वित्तीय परिव्यय में से कार्यक्रम/दर्शनीय तैयार करें।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गणित और गणित भौतिकी संबंधी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद

4409 श्री. सी० जंगा रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मेहता गणित और गणित भौतिकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के कार्यकरण को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इस संस्थान में बहुत समय तक निदेशक तथा कुछ अन्य कर्मचारियों के पदों को भरा नहीं गया और यदि हां, तो संस्थान के आरम्भ से लेकर कब तक इन पदों को भरा नहीं गया; और

(ग) क्या इस संस्थान को राज्य/केन्द्रीय सरकार से कोई अनुदान/राज सहायता दी गई थी; और यदि हां, तो इस अनुदान राशि में से कितने प्रतिशत धनराशि अनुसंधान कार्य पर व्यय की गई ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा; इलेक्ट्रानिक और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के.आर. नारायणन) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग, मेहता गणित तथा गणित भौतिकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद को अनुदान देकर उसकी मदद करता रहा है। संस्थान का और ज्यादा विकास करने और गणित के कई क्षेत्रों में अनुसंधान करने में अग्रगण्य शिक्षा-शास्त्रियों को आकर्षित करने की दृष्टि से हाल ही में निर्णय लिया गया है कि संस्थान को इलाहाबाद में किसी अन्य स्थान पर पुन: स्थापित किया जाए जिसके लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण उत्तर प्रदेश सरकार अपने खर्च पर कर रही है।

(ख) इस संस्थान में वर्ष 1968 तथा 1975 तथा 1982 के बीच कोई नियमित निदेशक नहीं था। संस्थान के सबसे बाद के निदेशक ने वर्ष 1985 में त्यागपत्र दे दिया था। उपयुक्त निदेशक खोजने का प्रयास किया जा रहा है। संस्थान में कर्मचारियों की कोई अन्य समस्या नहीं थी।

(ग) चालू योजनावधि में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा संस्थान को दिए गए अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

	लाख रुपए
1985—86	14.20
1986—87	15.53
1987—88	18.21
1988—89	22.00

संस्थान को दिया गया अनुदान गणित और गणित भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने और उसकी तरक्की में सहयोग देने के लिए है।

आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करना

4410. श्री सी० सम्भु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में एक और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बलात्कार कानून में संशोधन

4411. श्री शरद दिघे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा जनवरी, 1989 को सुमन रानी (हरियाणा) के मामले में दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का महिलाओं के आन्दोलन को ध्यान में रखते हुए निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने या बलात्कार कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

भूतपूर्व सैनिकों की मांगें

4412. श्री पी. एम. सईद
श्रीमती बसवाराजेश्वरी
श्री शरद दिघे
श्री लक्ष्मण मलिक
} : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक समन्वय समिति ने अपनी कठिनाइयों के बारे में हाल ही में राजधानी में एक रैली आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के बारे में वर्ष 1983 में गठित की गई उच्च-स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) इस समय भूतपूर्व सैनिकों की मांगें क्या हैं और उनकी प्रमुख कठिनाइयां क्या हैं; और

(ङ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : 68 सिफारिशों में से 50 को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है, 6 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है तथा 12 को स्वीकार नहीं किया गया है। जिन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है उनमें से 4 को विद्यमान योजनाओं और संस्थानों के माध्यम से देखे जाने की संभावना है। (स्वीकार न की गई सिफारिशों का ब्योरा संलग्न विवरण—1 में दिया गया है)।

(घ) और (ङ) : सूचना संलग्न विवरण—2 में दी गई है।

विवरण—1

स्वीकार न की गई सिफारिशें

उन सिफारिशों की सूची, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है लेकिन विद्यमान योजनाओं और संस्थानों के जरिए अन्यथा देखी जाएंगी :

1. 15.30 केन्द्र में राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक वित्तीय निगम की स्थापना।
2. 15.31 भूतपूर्व सैनिकों द्वारा अपनी स्व-नियोजित रोजगार इकाइयों में प्रशिक्षण सहित प्रस्तावित निगम सभी सहायता उपलब्ध कराएगा।
3. 15.44 केन्द्र में 170 करोड़ रुपए और राज्य सरकार स्तर पर 180 करोड़ रुपए की योजना लागत का प्रस्ताव।
4. 15.55 15.44 के अन्तर्गत निधि का आबंटन सातवीं पंचवर्षीय योजना के पांच सालों के लिए किया जाएगा।

उन सिफारिशों की सूची, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है तथा उनके कारण :

1.15.3 एक व्यापक राष्ट्रीय भूतपूर्व पुनर्वास अधिनियम अधिनियमित करना तथा राज्यों के लिए नमूना-प्रारूप (ड्राफ्ट मॉडल) अधिनियम बनाना।

15.4 भूतपूर्व सैनिकों के लिए योजनाओं और सुविधाओं का कार्यान्वयन देखने के लिए एक संसदीय समिति का गठन।

15.5 भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास आयोग की स्थापना :

कारण : इन तीन सिफारिशों के सेट पर सरकार ने विचार किया किन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया। सरकार ने इस बात को नोट किया है कि अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति के मामले में भर्ती आरक्षण के लिए केवल कार्यकारी अनुदेश हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इस प्रकार के अनुदेश संवैधानिक प्रावधानों से कहीं अधिक पर्याप्त और लचीले हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की भांति एक आयोग बनाने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। आगे यह भी कि रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति भूतपूर्व सैनिकों के कार्यक्रमों के कार्यान्वय की पुनरीक्षा कर सकती है और इसके लिए अलग से एक संसदीय समिति गठित करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

2. 15.15 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित रोजगार।

15.17 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित रोजगार के तौर-तरीके।

15.18 58 वर्ष की आयु के बाद स्वीकृति सुनिश्चित रोजगार की रियायतों को समाप्त करना :

कारण : सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में गठित समिति ने 58 वर्ष की आयु के बाद सुनिश्चित रोजगार देने की सिफारिश पर विचार किया और यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह बात व्यवहारिक नहीं है कि रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले सभी व्यक्तियों को सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया

जाए। इसने सिफारिश की कि आरक्षित रिक्तियों का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए, गहरी पुनरीक्षण और प्रबोधन, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाएं और स्व-रोजगार धंधों पर जोर दिया जाए।

3. 15.21 उन आपातकालीन सेवा कमीशन और अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसरों की ज्येष्ठता, जिन्होंने पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण या जिन्होंने 01 नवम्बर, 1962 से पहले लेकिन 10 जनवरी, 1968 के बाद कमीशन प्राप्त किया और जिनकी अनारक्षित रिक्तियों के स्थान पर नियुक्ति की गई :

इस पर विचार किया गया और इसे स्वीकार करना व्यवहारिक नहीं पाया गया।

4.15.37 रैंक के अनुसार पेंशन : इस सिफारिश को चतुर्थ वेतन आयोग ने स्वीकार नहीं किया और तदनुसार सरकार ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। यह मामला उच्चतम न्यायालय के पास न्यायाधीन है क्योंकि भूतपूर्व सैनिक लीग और कुछ अन्य ने इसके विरुद्ध न्यायालय में रिट याचिका दायर की है।

विवरण-2

राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक समन्वय समिति के माध्यम से उठाई गई भूतपूर्व सैनिकों की मुख्य मांगें और इनसे संबंधित स्थिति इस प्रकार है :-

(1) रैंक के अनुसार पेंशन

यह मांग न तो चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा और न ही सरकार द्वारा स्वीकार की गई है। यह मामला न्यायाधीन है।

(2) वेतन निर्धारण, ज्येष्ठता, पदोन्नति और पुनर्नियुक्ति के समय दिए जाने वाले सम्बद्ध लाभों के लिए सैन्य सेवा को मान्यता प्रदान करना

यह मांग की गई है कि चाहे कोई व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर रहा हो अथवा नहीं, सभी उद्देश्यों के लिए सैन्य सेवा को हिसाब में लिया जाना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित की गई उच्चस्तरीय समिति ने भी पेंशन प्राप्त कर रहे भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति के समय वेतन-निर्धारण के लिए कोई अतिरिक्त वेतन-वृद्धि की सिफारिश नहीं की है क्योंकि इस प्रकार वे दोहरा लाभ प्राप्त करेंगे, विशेष रूप से अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के वेतन-निर्धारण के मामले में सम्पूर्ण पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों को छोड़ दिया जाता है। हालांकि केन्द्र सरकार के पदों पर पुनर्नियुक्त होने पर वेतन-निर्धारण के लिए कार्मिक विभाग ने कुछ सामान्य आदेश जारी किए हैं परन्तु इन्हें बैंक, जीवन बीमा निगम, सरकारी उद्यमों आदि के मामले में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्दिष्ट समय पर इन संगठनों में वेतन और मंहगाई भत्ते का ढांचा सरकारी विभागों से अलग होता है।

(3) द्वितीय महायुद्ध के सैनिकों को पेंशन दिया जाना

जिन कार्मिकों को द्वितीय महायुद्ध में एक निर्धारित अवधि के लिए तैनात किया गया था और बाद में उनसे सेवा नहीं ली गई थी उन्हें तैनाती की शर्तों के अनुसार युद्ध-अनुदान दिया गया था। वे सैन्य पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं। इनमें से जो कार्मिक दयनीय स्थिति में जीवन-यापन कर रहे हैं वे राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई वृद्धावस्था पेंशन पाने के हकदार होंगे।

(4) स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था

भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता देने के लिए सेमफेक्स-1 और सेमफेक्स-11 नामक दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं।

(5) युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, युद्ध घायलों और उनके आश्रितों की उपयुक्त देखभाल

युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, युद्ध घायलों और उनके आश्रितों का रोजगार और अन्य सहायता उपलब्ध कराने के बारे में आवश्यक आदेश मौजूद हैं। इस बारे में राज्य सरकारों को भी लिखा गया है, विशेष रूप से इसलिए कि कार्मिकों को रोजगार और सुविधाओं को उनके घर के समीप ही उपलब्ध कराया जाना होता है।

(6) राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक समन्वय समिति को आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में मान्यता प्रदान करना

भूतपूर्व सैनिकों की किसी भी समिति को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है और सरकार भूतपूर्व सैनिकों की समितियों को आवश्यक रूप से स्वयंसेवी संगठन मानती है। राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे भू-पूर्व सैनिकों की समितियों, जैसे राष्ट्रीय भूपूर्व सैनिक समन्वय समिति, जो अखिल भारतीय स्तर की और संघीय ढांचे से युक्त हो तथा जो राज्यस्तरीय इकाइयों का अंग या इससे सम्बद्ध हो, को भी वही सुविधाएं प्रदान करें जो भारतीय भूतपूर्व सैनिक लीग को दी जाती हैं।

(7) विभिन्न समितियों/बोर्डों और लोकतांत्रिक संस्थानों (पंचायत से संसद तक) में भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व

भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय सरकार के उन्हीं निकायों/समितियों में शामिल किया जाता है। जिनमें उनके प्रतिनिधित्व की आवश्यकता जरूरी समझी जाती है (उदाहरण के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, कल्याण निधि की प्रबंध समितियां आदि) राज्य सरकार और इससे नीचे स्तर के निकायों में प्रतिनिधित्व देने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाता है। लोकतंत्रात्मक रूप से चुने गए निकायों में आरक्षण के आधार पर प्रतिनिधित्व देना उचित नहीं समझा गया है।

(8) उच्चस्तरीय समिति की कुछ मुख्य सिफारिशें स्वीकार करना

उच्चस्तरीय समिति की जिन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है उनके संबंध में स्थिति प्रश्न के (ख) और (ग) भागों के उत्तर में बताई गई है।

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों की टिप्पणियां

[हिन्दी]

4413. श्री जगदीश अवस्थी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान कितने मामलों में न्यायालयों द्वारा दिल्ली पुलिस के विरुद्ध टिप्पणियां और सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध जांच पड़ताल करने की सिफारिश की गई;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) 1988 के दौरान 46 मामलों में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियां की गयी थी। आलोचना की जांच करने के बाद सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कारंवाई प्रारम्भ की गयी है।

खाद्यान्न संवर्धन संबंधी विशेष कार्यक्रम

[अनुवाद]

4414. श्री महेश्वर तांती : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए खाद्यान्न संवर्धन सम्बन्धी कोई विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 1988-89 के दौरान विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्देश्य के वृहद शीर्षों के अनुसार अतिरिक्त निधि आबटन निम्न प्रकार है :

	आवंटन (करोड़ रु०)
1. बीज कार्यक्रम	0.50
2. ऋण प्रणाली को तर्कसंगत बनाना	25.88
3. उर्वरकों तथा खरपतवार नाशकों फसल विकास कार्यक्रम	43.62
4. प्रमुख तथा मंझोली सिंचाई	75.00
5. तालाब सिंचाई	21.95
6. सिंचाई वितरण प्रणालियां	3.05
7. कमान क्षेत्र विकास	30.00
जोड़	200.00

रक्षा लेखा विभाग में संवर्ग पुनरीक्षा

4415. श्री हरीश रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा विभाग के वर्ग "क" के पदों की पुनरीक्षा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी पुनरीक्षाएं की गई हैं;

(ग) संवर्ग की पुनरीक्षा से पहले तथा इस समय विभाग में लेखा नियंत्रक संयुक्त लेखा नियंत्रक तथा उप लेखा नियंत्रकों की संख्या कितनी है और इस संबंध में कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(घ) वर्ग "ख" और वर्ग "ग" के कितने पदों को समाप्त कर दिया गया है;

(ङ) क्या वर्ग "ख", "ग" और "घ" के पदों के संवर्ग की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां ।

(ख) तीन संवर्ग पुनरीक्षाएं की जा चुकी हैं ।

(ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

(घ) समूह 'ग" में 180 पद ।

(ङ) और (च) समूह "ख', "ग" और "घ" की संवर्ग पुनरीक्षा के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है । इस सम्बन्ध में कार्रवाई अभी प्रारम्भिक स्तर पर है ।

विवरण

भारतीय रक्षा लेखा सेवा की प्राधिकृत संवर्ग संख्या

संवर्ग	प्रथम संवर्ग पुनरीक्षा (1.4.76) से पूर्व	प्रथम संवर्ग पुनरीक्षा (27.5.76) पर	द्वितीय संवर्ग पुनरीक्षा (24.2.81) पर	तृतीय संवर्ग पुनरीक्षा (25.2.86) पर	15.03.89 को वर्तमान संख्या
1	2	3	4	5	6
1. नियन्त्रक और उससे उच्च अधिकारी	15	15	24	38	39
2. संयुक्त नियंत्रक	23	27	37	50	53
3. उप नियंत्रक	104	104	99	119	148

टिप्पणी :— कोई भी अधिकारी भारतीय रक्षा लेखा सेवा में प्रतिनियुक्ति पर नहीं है जो रक्षा लेखा विभाग के समूह "क" में अधिकारी उपलब्ध कराता है ।

पुनः नियोजित भूतपूर्व सैनिकों से रक्षा पेंशन की वसूली

4416. प्रो० मधु दण्डवते : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनः नियोजित भूतपूर्व सैनिकों से रक्षा पेंशन की वसूली करने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ उत्तेजित भूतपूर्व सैनिकों ने युद्ध के अपने मेडल और स्टार वापिस कर दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उन आदेशों की पुनरीक्षा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही):

(क) जी, नहीं। लेकिन सरकार के आदेशों के अनुसार जिन पुन: नियोजित भूतपूर्व सैनिक अफसरों ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनरीक्षित वेतन] नियम, 1986 द्वारा नियंत्रित होने का विकल्प दिया था, उनका वेतन, उनकी संशोधित पेंशन को ध्यान में रखते हुए, जहाँ लागू हो, 1.1.1986 से पुन: निर्धारित कर दिया गया है। उन पुन: नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के वेतन से ही अधिक अदायगी की वसूली की जाएगी/समायोजित की जाएगी जो अपनी पूरी पेंशन, जिसे वेतन-निर्धारण में शामिल नहीं किया जा रहा है, के हकदार नहीं हैं।

(ख) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्लाटों का आवंटन

[हिंदी]

4417. श्री राम प्यारे सुमन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने अनुसूचित जाति और भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि भूमि और रिहायशी प्लाटों का आवंटन किया गया ;

(ख) क्या आवंटितियों को भूमि का कब्जा मौके पर हो दे दिया गया है; और

(ग) क्या वर्ष 1988 के दौरान हरियापुर गांव में अनुसूचित जाति की महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों को आवंटित की गयी भूमि का कब्जा उन्हें दे दिया गया है और क्या राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज कर लिये गये हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सुदूर संवेदी केन्द्र

[अनुवाद]

4418. श्री सोमनाथ रथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) अब तक कितने बड़े सुदूर संवेदी केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं; और उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ख) क्या कोई नया केन्द्र चालू किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो यह कब कार्य आरम्भ करेगा; और

(घ) क्षेत्रीय केन्द्रों की किन-किन राज्यों में स्थापना की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) अन्तरिक्ष विभाग ने अन्य केन्द्रीय प्रयोक्ता मन्त्रालयों की आंशिक निधि की सहायता से राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन.एन.आर.एम.एस.) के अन्तर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान के राज्यों में पांच क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र (आर.आर.एस.एस.सी) स्थापित किए हैं। ये आर.आर.एस.एस.सी. मुख्यत: उपग्रह सुदूर संवेदन आंकड़ों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित उपयोग परियोजनाओं को प्रतिबिम्ब संसाधन/विश्लेषण सेवाएं प्रदान

करते हैं, और राज्य सरकारों/एजेन्सियों द्वारा किए जाने वाले इसी प्रकार के अध्ययनों में भी सहायता प्रदान करते हैं। आर.आर.एस.एस सी. प्रयोक्ता एजेन्सियों के कार्मिकों को अंकीय प्रतिबिम्ब संसाधन में प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन का अहमदाबाद स्थित अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र तथा अन्तरिक्ष विभाग की हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेन्सी (एन.आर.एस.ए.) प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण, मानीटरन तथा प्रबन्ध के लिए उपग्रह सुदूर संवेदन आंकड़ों का उपयोग करते हुए मुख्यतया प्रायोगनात्मक तकनीकों का विकास करते हैं। एन.आर.एस.ए. के अधीन देहरादून स्थित भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान प्रयोक्ताओं को सुदूर संवेदन में प्रशिक्षण प्रदान करता है। एन.आर.एस.ए. भी सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों के अभिग्रहण, संसाधन तथा प्रकीर्णन में कार्यरत है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार की अनेक प्रयोक्ता एजेन्सियों में भी सुदूर संवेदन उपयोग सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ शैक्षिक संस्थाओं में भी सुदूर संवेदन में प्रशिक्षण और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) अन्तरिक्ष विभाग के पास किसी नए सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, अन्तरिक्ष विभाग ने एन. एन. आर. एम. एस. के अधीन अनेक क्षेत्रीय/राज्य सुदूर संवेदन केन्द्रों को एक स्वीकृत फार्मूले के आधार पर, जिसमें प्रत्येक राज्य की जरूरत के पहलुओं और विकास को ध्यान में रखा जाता है, 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(घ) कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्रों की स्थापना हो गई है। इसके अलावा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और मिजोरम राज्यों ने राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्रों की स्थापना की है। अन्य राज्य सरकारें भी ऐसे केन्द्रों की स्थापना की योजना बना रही हैं।

फ्रांस के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा

4419. श्री के० प्रधानी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1988 में फ्रांस के रक्षा मन्त्री की भारत यात्रा के दौरान रक्षा सम्बन्धी कुछ समझौते किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही): (क) से (ग) इस यात्रा के दौरान समुद्र नियंत्रण पोत का संरचना डिजाइन अध्ययन के लिए फ्रांस की एक फर्म मेसर्स "सोफमा" के साथ एक परामर्शी करार पर हस्ताक्षर किये गये थे।

विदेशी अनिवासी भारतीयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों पर चार्टर्ड विमान सेवा

4420. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अनिवासी भारतीयों ने एअर इण्डिया के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों पर चार्टर्ड विमान सेवा प्रारम्भ करने में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) मैसर्स फैरको चार्टर्स, टोरंटो, कनाडा ने एयर इण्डिया के सहयोग से टोरंटो/दिल्ली/बम्बई/टोरंटो सैक्टर पर परिचालन करने की पेशकश की थी। इस पेशकश को स्वीकार्य नहीं पाया गया था।

सीमावर्ती सड़कों और भारत-बांग्ला सीमा पर कंटीली तार की बाड़ लगाने से प्रभावित हुए लोग

4421. श्री अब्दुल हमीद : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में विशेषकर धुबड़ी जिले में भारत-बांग्ला सीमा के निकट प्रस्तावित सीमावर्ती सड़कों के बनाये जाने और कंटीली तार की बाड़ लगाये जाने से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए असम राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई; और

(ख) प्रभावित लोगों का ब्यौरा क्या है और मुआवजे के रूप में उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) असम में सीमा सड़क के निर्माण और कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा फरवरी, 1989 तक खर्च की गई राशि 214.60 लाख रुपए है जिसमें से धुबड़ी जिले में 124.79 लाख रुपए खर्च किए गए।

(ख) चूंकि भूमि अधिग्रहण और लोगों को मुआवजे की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, इसलिए सीमा सड़क/बाड़ लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित लोगों की संख्या और उन्हें दी गई मुआवजे की राशि के ब्यौरे केवल राज्य सरकार के पास ही उपलब्ध होंगे।

इलेक्ट्रानिकी नीति

4422. श्री चिन्तामणि जेना : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान इलेक्ट्रानिकी नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिये वर्तमान नीतियों का लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है तथा जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो उनमें संशोधन/परिवर्तन किए जाते हैं।

पाकिस्तानी नागरिकों का निश्चित समय अवधि से अधिक समय तक भारत में रहना

4423. श्री विजय एन० पाटिल
श्री परसराम भारद्वाज } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक पाकिस्तानी नागरिक वीजावधि समाप्त हो जाने के बाद भी भारत में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन लोगों की संख्या क्या है और वे किन-किन राज्यों में रह रहे हैं; और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठा रही है कि वे लोग केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना निश्चित वीज़ावधि से अधिक समय तक भारत में न रह पाये ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां; श्रीमान, कुछ पाकिस्तानी नागरिक निश्चित समयावधि से अधिक समय तक भारत में रह रहे हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है।

(ग) पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में प्रवेश करने, यहां ठहरने और यहां से बाहर जाने के बारे में व्यापक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में आने वाले पाकिस्तानी नागरिक, प्राधिकारियों की अनुमति अथवा बिना अनुमति से भारत में कभी-कभी निश्चित समय-अवधि से अधिक समय तक रहते हैं। राज्य सरकारों को उनसे विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत निपटने के लिये स्थाई निर्देश दिये गये हैं। भारत में निश्चित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगाने के लिये किए जा रहे प्रयासों को बढ़ायां जा रहा है।

विवरण

1. आन्ध्र प्रदेश	54
2. असम	—
3. अरुणाचल प्रदेश	—
4. बिहार	181
5. गोवा	5
6. गुजरात	392
7. हरियाणा	32
8. हिमाचल प्रदेश	—
9. जम्मू और कश्मीर	94
10. केरल	366
11. कर्नाटक	86
12. मध्य प्रदेश	1164
13. महाराष्ट्र	1742
14. मेघालय	—
15. मणिपुर	—
16. मिजोरम	—
17. नागालैण्ड	—
18. उड़ीसा	36
19. पंजाब	380
20. राजस्थान	402
21. सिक्किम	—

22. तमिलनाडु	93
23. उत्तर प्रदेश	1168
24. पश्चिम बंगाल	444
25. त्रिपुरा	—
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—
27. चंडीगढ़	—
28. दादरा और नगर हवेली	—
29. दिल्ली	148
30. दमण और द्वीव	—
31. लक्षद्वीप	—
32. पांडिचेरी	—

आतंकवाद से निपटने के लिये सहायता

*4424. श्री कमल चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ को दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान दिल्ली और पंजाब सरकार द्वारा मांगी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली और पंजाब को पर्याप्त सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.चिदम्बरम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब सरकार दिल्ली और चंडीगढ़ प्रशासनों को आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए दी गई सहायता में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा वाहनों और उपकरणों आदि की खरीद, गोला बारूद की आपूर्ति तथा अर्ध-सैनिक बलों को तैनात करने के लिए फण्ड मंजूर करना शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पीठों की स्थापना

4425. श्री मुहीराम सैकिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया है कि उन सभी स्थानों पर, जहां उच्च न्यायालय हैं, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पीठ अवश्य स्थापित की जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को, दिल्ली, न्यू बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंगलौर, चंडीगढ़, गुवाहाटी अहमदाबाद, कटक, पटना, जोधपुर, जबलपुर, हैदराबाद तथा एर्णाकुलम में नियमित न्यायपीठें स्थापित कर दी गई हैं। अन्य ऐसे स्थानों में जहां उच्च न्यायालय विद्यमान हैं, वहां केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सरकिट बैठकें आयोजित की जाती हैं।

कानपुर छावनी में शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलना

4426. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री वी श्रीनिवास प्रसाद } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड, कानपुर के अधिकारी सरकार के इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं कि वहां के निवासियों को अपने निजि शौचालयों को फ्लश शौचालय प्रणाली में बदलने की अनुमति दी जाए जबकि वहां के निवासी इसके लिए बार-बार अनुरोध करते रहे हैं;

(ख) क्या ये अधिकारी उन निवासियों का पक्ष ले रहे हैं जो इसे परिवर्तित करने के पक्ष में नहीं हैं;

(ग) क्या इन अधिकारियों द्वारा सरकार के हरिजन उत्थान कार्यक्रम में अड़चने डाली जा रही हैं;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण मामलों में क्या कार्यवाही की जाएगी; और

(च) सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के इच्छुक व्यक्तियों को अनुमति देने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) : जी, नहीं

(ग) हरिजनों के उत्थान के लिए जन शौचालयों को क्रमिक रूप से सुलभ शौचालयों में बदला जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च)। शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलने के लिए छावनी के निवासियों से प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों को मंजूर कर लिया गया है। 17 मार्च 1989 तक छावनी बोर्ड के पास कोई आवेदन लंबित नहीं पड़ा था। छावनी क्षेत्र में पानी की सप्लाई में कमी और मल व्ययन सुविधाओं की कमी के कारण बोर्ड इन्हें बदलने के लिए दबाव नहीं दे रहा है और इसलिए किसी के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की गई।

पुरुषों में जनन क्षमता को नियंत्रित करने के टीके

4427. श्री पी. आर. कुमारमंगलम
डा० टी. कल्पना देवी } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुषों में जनन क्षमता को नियन्त्रित करने के टीके अब तैयार हो गये हैं जैसाकि 10 जनवरी, 1989 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी नहीं। वैक्सीन नर वानरों पर कारगर सिद्ध हुई है। मानव नरों पर बड़े पैमाने पर उपयोग किए जा सकने से पहले वैक्सीन के अभी चरण—1, चरण—11 तथा चरण-111 नैदानिक परीक्षणों में सफलता प्राप्त की जानी है।

(ख) और (ग) जी नहीं। अन्य प्रजनन क्षमता नियंत्रण परियोजनाओं सहित मिशन मोड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना के रूप में पुरुष वैक्सीन परियोजना की एक बहु-संस्थानिक कार्य बल के माध्यम से जिसमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ सम्मिलित हैं, मानीटरी की जा रही है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा होटलों की स्थापना

4428 श्री गोपाल कृष्ण थोटा / श्रीमती बसवाराजेश्वरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार के पास प्रमुख होटलों के स्वामियों तथा अनिवासी भारतीयों से होटलों की स्थापना के लिए प्राप्त अनेक आवेदन पत्र मंजूरी के लिए लम्बित पड़े है;

(ख) लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इन आवेदन-पत्रों पर शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग में होटल परियोजनाओं की मंजूरी हेतु कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जैन-बनर्जी समिति

[हिन्दी]

4430 श्री बलवंत सिंह रामूवालिया / श्री विनेश गोस्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1984 में हुए दंगों की जांच करने हेतु गठित जैन-बनर्जी समिति लम्बे समय से निष्क्रिय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य में अड़चनों का ब्यौरा क्या है और ये अड़चनें कब से पैदा हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने अड़चनों को दूर करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक उठाए गए कदमों का क्या परिणाम निकला है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव : (क) और (ङ) नवम्बर, 1987 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के परिणामस्वरूप, समिति आगे कार्य नहीं कर

सकी। दिल्ली प्रशासन ने स्थगन आदेश को खारीज करने के लिए वकील को न्यायालय में याचिका दायर करने के निदेश दिये हैं।

आशुलिपिकों के पदों का दर्जा बढ़ाना

[अनुवाद]

4431. श्री शमिन्दर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978 में सरकार द्वारा अधिकारियों के साथ-साथ आशुलिपिकों के पदों का दर्जा बढ़ाने/पद सृजित करने के अनुदेश जारी किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों के साथ-साथ आशुलिपिकों के सभी पद सृजित किए गए हैं/इसका दर्जा बढ़ाया गया है अथवा नहीं;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और किन-किन परिस्थितियों के कारण उक्त अनुदेशों का पालन नहीं किया गया;

(घ) वायुसेना मुख्यालय सिविल सेवा अधिकारियों के संवर्ग की पुनरीक्षा सहित प्रत्येक संवर्ग की पुनरीक्षा के फलस्वरूप और 1988 के अनुज्ञप्ति पत्र के अनुसार भी अलग-अलग रूप से अभी ऐसे कितने पदों का सृजन किया जाना है/ दर्जा बढ़ाया जाना है; और

(ङ) सरकार का एक निश्चित समय में उपर्युक्त बकाया पदों का सृजन करने/दर्जा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) ; ये अनुदेश केवल केन्द्रीय सचिवालय की आशुलिपिक सेवा पर लागू करने के लिए जारी किए गए थे और पद मंत्रालय के सचिवालय में सृजित/उन्नयित किए गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अयोध्या के लिए "ओपन एयर थियेटर" योजना

[हिन्दी]

4432. श्री निर्मल खत्री : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री अयोध्या का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास के बारे में 4 अप्रैल, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5562 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अयोध्या में 'ओपन एयर थियेटर" रंगमंच के निर्माण की परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य शुरू हो गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव के आधार पर 26.80 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर ओपन एयर थियेटर के लिए एक स्टेज के निर्माण तथा अयोध्या में मार्गस्थ सुविधाओं हेतु एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें से ओपन एयर थियेटर के लिए स्टेज घटक पर 10.80 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। कार्य निष्पादित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित एजेन्सी द्वारा कार्य लगभग शुरू किया जाना था

कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अयोध्या ने कार्य का क्रियान्वयन इस आधार पर रोक दिया कि स्टेज के लिए चुना गया स्थल उपयुक्त नहीं था क्योंकि इसके मुख्य राजमार्ग पर स्थित होने के कारण इसमें यातायात समस्याएं उत्पन्न होंगी। राज्य सरकार ने अब एक नया स्थल प्राप्त कर लिया है तथा निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ होने की संभावना है।

राष्ट्रीय निवेश बैंक की स्थापना

[अनुवाद]

4433. श्री जी० एस० बसवाराजू, श्रीमती बसवाराजेश्वरी : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतन टाटा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय निवेश बैंक की स्थापना करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक मसले अस्थगित कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय निवेश बैंक की स्थापना करने के सुझाव की जांच की जा रही है।

प्रश्न शब्दश: इतना व्यापक है कि इसका संक्षिप्त उत्तर नहीं दिया जा सकता।

महिलाओं के प्रति अपराध

4434. श्री एच० बी० पाटिल, डा० फूलरेणु गुहा, श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के प्रति अपराध की घटनायें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार पृथकत: महिलाओं के प्रति अपराध किये जाने की कितनी घटनाओं का पता चला है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और कितने व्यक्तियों को सजा दी गई; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारी कदम उठाये गये है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1986 1987 और 1988 में महिलाओं के प्रति अपराध के उपलब्ध आंकड़ों का राज्यवार और संघ शासित क्षेत्रवार विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-7686/89]

(ग) अपराध के मामले दर्ज करना, उनकी जांच पड़ताल करना और उनका पता लगाना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। अपराधी व्यक्तियों पर मुकदमा

चलाने और उन्हें सजा देने के बारे में सूचना केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

(ख) कानून को और सक्त बनाने के लिए दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 को 1984 और 1986 में संशोधित किया गया है। दहेज के कारण हुई मौत के मामलों तथा विवाहित महिलाओं के प्रति निर्दयता के मामलों को कारगर ढंग से निपटाने के लिए भारतीय दंड संहिता, अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भी संशोधित किया गया है।

एयर इंडियन/इंडियन एयरलाइंस को लाभ/घाटा

4435. श्री ए० चार्ल्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस को कुल कितना लाभ हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विमान कम्पनियों को हुए लाभ/घाटा की तुलना में यह कितना अधिक अथवा कम है; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान लाभ-घाटा का क्षेत्र-वार क्या है और वर्ष 1989-90 के लिए अनुमानों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क) वर्ष 1998-89 के दौरान इंडियन एयरलाइंस को कर से पहले 38.10 करोड़ रुपए और कर के बाद 14.10 करोड़ रुपये के लाभ की आशा है। एयर इंडिया ने वर्ष 1988-89 के लिए वास्तविक लाभ का हिसाब अभी तक नहीं लगाया है। तथापि अप्रैल, 1988 से जनवरी, 1989 के अस्थायी वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, एयर इंडिया ने 21.06 करोड़ रुपए का उत्तरोत्तर लाभ कमाया है।

(ख) वर्ष 1985-86 से 1988-89 के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लाभ/हानि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं।

	लाभ/हानि			
	एयर इंडिया		इंडियन एयरलाइंस	
	कर से पहले	कर के बाद	कर से पहले	कर के बाद
			(करोड़ रुपए)	
1985-86	66.00	66.00	63.52	63.22
1986-87	30.16	30.16	63.74	3874
1987-88	(43.41)	(43.41)	75.60	30.10

(ग) चूंकि वर्ष 1988-89 के अन्तिम लाभ और हानि के लेखा तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए एयर इंडिया के क्षेत्रवार लाभ और हानि के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अप्रैल, 1988 से जनवरी, 1989 तक नगद लागत को पूरा करने के बाद अतिरिक्त नगद के अस्थायी वास्तविक आंकड़े और वर्ष 1989-90 के अनुमानित आंकड़े निम्नलिखित हैं : —

मार्ग	अप्रैल/जनवरी, 89	अनुमानित अप्रैल, 89 मार्च, 90
केवल अनुसूचित उड़ानें	नकद लागत के बाद बचत	नकद लागत के बाद बचत
		(करोड़ रुपये में)
भारत/यू०एस०ए०	57.40	65.04
भारत/यू०के०	17.73	24.92
भारत/महाद्वीप	27.18	85.38
भारत/जापान	28.66	56.04
भारत/आस्ट्रेलिया	8.49	9.47
भारत/खाड़ी क्षेत्र	138.91	221.73
भारत/यू०एस०एस०आर०	9 78	11.82
भारत/सिंगापुर	10.50	13.74
भारत/हांगकांग	3.57	4.70
भारत/पूर्वी अफ्रीका	3.19	3.76
मालवाहक विमान		
भारत/जापान	1.98	—
भारत/यू०एस०ए०/यूरोप/ज्यूरिख	8.08	5.47
	315.47	502.07

जहां तक, इंडियन एयरलाइंस का सम्बन्ध है, वित्तीय वर्ष के पूरे ब्यौरे उपलब्ध होने के बाद क्षेत्रवार लाभ और हानि का संकलन शुरू होता है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए पद्धति

4436. डा० ए० के० पटेल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 के राष्ट्रीया प्रतिदर्श सर्वेक्षण के बाद गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के आंकड़ों के अभाव में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव का अनुमान समवर्ती मूल्यांकन और अन्य अध्ययनों के आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो समवर्ती मूल्यांकन और अन्य अध्ययनों की विशिष्ट पद्धति क्या है और इस अध्ययन के आधार पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति कैसे आंकी जाती है; और

(ग) वर्ष 1983-84 के बाद किए गए ऐसे अध्ययनों से सम्बन्धित एकत्रित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादक परिसम्पत्तियों के प्रावधान के जरिए गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह से सम्बन्धित परिवारों की सहायता करना है जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अर्ध-रोजगार और बेरोजगारों

के लिए अतिरिक्त मजदूरी रोजगार सृजित करना है। इन कार्यक्रमों के समवर्ती मूल्यांकन का उद्देश्य कार्यान्वयन की अवधि के दौरान पता लगाना है कि क्या ये कार्यक्रम अपेक्षित दिशा में जा रहे हैं, क्या लक्षित समूहों को लाभ पहुंच रहा है, और क्या केन्द्र और राज्यों द्वारा जारी किए गए मार्ग-दर्शी सिद्धांतों का इस क्षेत्र में पूर्णरूपेण अनुपालन किया जा रहा है।

इसी प्रकार अन्य मूल्यांकन अध्ययन जो कि वस्तुतः स्वाभाविक हैं जैसे कार्यान्वयन के बाद के अध्ययनों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या इन कार्यक्रमों का इस क्षेत्र में अपेक्षित प्रभाव है। ऐसे अध्ययनों से जहां कहीं आवश्यक हो, सरकार को सुधारक उपाय करने में सहायता मिलती है। तथापि, इन मूल्यांकन अध्ययनों से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की वास्तविक संख्या का अनुमान केवल राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय-समय पर लगाया जाता है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए क्रियाविधि स्तरित बहुउद्देशीय संयोगिक प्रतिदर्शी पर आधारित है। प्रत्येक महीने देश में लगभग 36 जिलों को संयोगिकी रूप से चुना गया है और चुने हुए प्रत्येक जिले से संयोगिक प्रतिदर्शी आधार पर दो ब्लाक चुने जाते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मामले में प्रत्येक चुने हुए ब्लाक से 10 नए और 10 पुराने लाभग्राहियों को नमूने के रूप में चुने जाता है, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मामले में प्रत्येक चुने हुए ब्लाक से 5 पूरे किए गए कार्यों और 5 जारी कार्यों को प्रतिदर्श के रूप में संयोगिक रूप से चुना जाता है। प्रसिद्ध स्वतंत्र अनुसन्धान संगठनों द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण कराया जाता है।

अन्य मूल्यांकन अध्ययनों के सम्बन्ध में एक अध्ययन की क्रियाविधि दूसरे से भिन्न होती है।

नौसेना दिवस समारोह

4437. श्री वी० वी० रमैया : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में बम्बई में आयोजित नौसेना दिवस समारोह पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) इसके कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुल कितने आमंत्रित व्यक्तियों ने नौसेना दिवस समारोह में भाग लिया ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) बम्बई में हाल ही में आयोजित "नौसेना दिवस समारोह" के बारे मे अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-II के वेतन के बारे में विनिर्णय

4438. श्री अजय मुशरान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्राफ्ट्समैन ग्रेड II को 1400-2300 रुपये का वेतनमान दिए जाने के बारे में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर के विनिर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस निर्णय को लागू किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) जबलपुर स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा मामला संख्या ओ ए-87/86 में 21-4-1987 को दिए गए विनिर्णय का कार्योत्पादक भाग निम्नलिखित से सम्बन्धित है :—

(1) इस मामले में पात्र याचिका कर्त्ताओं और आवेदकों को 425-700 रु० (पुनरीक्षित वेतनमान 1400-2300 रुपए) का वेतनमान देना।

(2) 1956 के कानूनी नियम आदेश-4 में अधिसूचित भर्ती नियमों की पुनरीक्षा।

(3) आयुध निर्माणी संगठनों में ड्राफ्ट्समैनों के पदों के ढांचे की पुनरीक्षा और ड्राफ्ट्समैनों के पदों के लिए भर्ती नियम बनाना।

ऊपर (1) पर कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। (2) और (3) पर कार्रवाई चल रही है।

21-4-1987 को दिए गए विनिर्णय के खिलाफ भारत सरकार के पुनरीक्षण आवेदन पर 25-4-1988 को निर्णय लिया गया। 1956 को भर्ती नियम तथा वे नियम जो ड्राफ्ट्समैनों पर लागू होते हैं, को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है, उनमें उन कर्मचारियों की अनेक श्रेणियां शामिल हैं जिनमें विभिन्न स्तरों पर परामर्श की आवश्यकता है और इसमें संशोधित भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने में समय लगा। इन्हें अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पहले विधीक्षा के लिए विधि मन्त्रालय को भेजा जा रहा है।

भारत में स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देना

4439. श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान अंग्रेजी की तुलना में भारतीय भाषाओं में कितनी पुस्तकें और कितनी पत्रिकायें प्रकाशित की गईं;

(ग) क्या "इंडिया" नामक पत्रिका में प्रकाशित किसी अशुद्धि की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) मूल रूप से हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पर्यटन विभाग हालिडे रिसोर्टों, तीर्थ स्थानों, ऐतिहासिक केन्द्र के स्थलों, आदि को लोकप्रिय बनाने तथा राष्ट्रीय एकता का संवर्धन करने के लिए विज्ञापन अभियानों तथा मुद्रित प्रचार सामग्री के माध्यम द्वारा बड़ी तत्परता से स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करता है।

(ख) पर्यटन विभाग कोई प्रकाशन अथवा पत्रिका नहीं निकालता। परन्तु यह एक मासिक संवाद पत्रिका "भारत दर्शन" शीर्षक से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में अवश्य प्रकाशित करता है।

1988 के दौरान हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद के बारह-बारह संस्करण प्रकाशित किए गए थे।

(घ) और (च) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठते।

सिर पर मल-मूत्र ढोना

4440. श्री मोहन भाई पटेल : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या देश के कुछ भागों में सफाई-कर्मचारी अभी भी मल-मूत्र अपने सिर पर ढोते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस प्रथा को समाप्त करने और कुछ वैकल्पिक प्रबंध करने के सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी किए गए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) कुछ राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि मल-मूत्र सिर पर ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रधान मन्त्री जी ने दिनांक 10-2-87 को सभी मुख्य मन्त्रियों, उप-राज्यपालों तथा केन्द्रीय मन्त्रियों को सफाई प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रभावकारी उपाय करने के लिए लिखा था।

कल्याण मन्त्रालय ने "संपूर्ण कस्बा पद्धति के आधार" पर लघु तथा मध्यम कस्बों के शुष्क शौचालयों को जल वाहित शौचालयों में परिवर्तित करते हुए तथा बेरोजगार सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक व्यवसाय देकर पुनर्वास करके सफाई कर्मचारियों की मुक्ति की एक योजना प्रारम्भ की है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया जा रहा है कल्याण मन्त्री ने कुछ राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को लिखा है जहां इस समस्या की मात्रा अधिक है। शहरी विकास मन्त्रालय ने बड़े कस्बों को शामिल करने के लिए योजनाएं बनाई हैं, जबकि पर्यावरण तथा वानिकी मन्त्रालय ने शुष्क शौचालयों को जल वाहित शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए लिए गए कार्य योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग भी इस कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भ कर रहा है।

महिलाओं के साथ छेड़छाड़

4441. श्री एच० एल० बोरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू शताब्दी दौड़ के अवसर पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कुछ घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) इस प्रकार की कोई भी घटना पुलिस को सूचित नहीं की गई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

त्रिवेन्द्रम में प्रियदर्शिनी तारामंडल के लिए वित्तीय सहायता

4442. प्रो० के० वी० थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय ने त्रिवेन्द्रम में प्रियदर्शिनी तारामण्डल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय ने त्रिवेन्द्रम में प्रियदर्शिनी तारामण्डल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। तथापि, वित्तीय प्रतिबन्धों के कारण संग्रहालय को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना संभव नहीं हुआ है।

कझिकुट्टम सैनिक स्कूल

4443. श्री टी० बशीर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कझिकुट्टम स्कूल के वर्तमान कैडेटों और अध्यापकों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) अब तक कितने कैडेटों ने इस स्कूल से शिक्षा पूरी की है;

(ग) क्या सरकार का स्कूल में अधिक छात्रों को प्रवेश देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही): (क) 31 अक्तूबर, 1988 को शैक्षिक कर्मचारियों की संख्या 35 थी और विद्यार्थियों की संख्या 604 थी।

(ख) अब तक 1091 विद्यार्थियों ने समय-समय पर विद्यालय में उपलब्ध उच्चतम श्रेणी की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मालदीव के लिए एयर इंडिया की विमान सेवा

4444. श्री हरिहर सोरन
श्रीमती जयन्ती पटनायक } : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालदीव के लिये इस समय चलाई जा रही विमान सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत और मालदीव के बीच और अधिक विमान सेवाएं आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और विमान सेवाएं कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) इंडियन एयरलाइन्स त्रिवेन्द्रम और मालदीव के बीच प्रति सप्ताह तीन बी-737 सेवाएं प्रचालित कर रही है।

(ख) और (ग) फरवरी, 1988 में भारत और मालदीव के बीच हुई द्विपक्षीय हवाई वार्ता में यह निर्णय किया गया था कि भारत और मालदीव के नामित वाहकों की हकदारी को प्रति सप्ताह 3 से बढ़ाकर 5 किया जाएगा। इस अतिरिक्त हकदारी को इस्तेमाल करने की इंडियन एयरलाइन्स की तत्काल कोई योजना नहीं है।

स्वागत अधिकारियों की नियुक्ति/स्थानांतरण
के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश

4445. श्री संतोष कुमार सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में स्वागत अधिकारियों की नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई मार्गनिर्देश निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और उन्हें कितने कार्यकाल के लिये नियुक्त किया जाता है;

(ग) क्या ऐसे भी मामले हैं जिनमें कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी नियुक्त व्यक्ति निरन्तर एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो कार्य काल समाप्त हो जाने के बाद भी उन्हें एक ही स्थान पर कार्य करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं और मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) से (घ) स्वागत अधिकारी की किसी विशेष गेट पर तैनाती सामान्यतः 1-2 वर्षों के लिए की जाती है जिसकी अवधि को प्रशासनिक अपेक्षाओं के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तथापि तैनाती के स्थान की विशेष परिस्थितियों और जनहित में कुछ मामलों में इस नियम को नजरअन्दाज करना पड़ता है।

सिक्किम में साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत प्रस्ताव

4446. श्रीमती डी॰ के॰ भंडारी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत सात "रास्टर हट" और चोकीदार क्वार्टरों के निर्माण हेतु सिक्किम से कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने डिक्चू और लेगशिप में एक आधार शिविर तथा आवासीय सुविधा, प्रत्येक में 3.00 लाख रु० की लागत पर, निर्मित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। राज्य ने लिकिम, ओरेथांग, मिज़िलार, मेली और माखा प्रत्येक में 1.50 लाख रु० की लागत पर रेपटर्स हट्स/रेसक्यू स्टेशन का निर्माण करने के लिए भी केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह केन्द्र सरकार के पक्ष में पट्टे पर भूमि की उपलब्धता के बारे में बताए।

इंस्टीट्यूट आफ एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कार्यक्रम

4447. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंस्टीट्यूट आफ एयरपोर्ट मैनेजमेंट के वर्तमान मुख्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इंस्टीट्यूट आफ एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने कोई नई योजनायें बनाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) हवाई अड्डा प्रबन्ध संस्थान इस समय हवाई अड्डा और नागर विमानन प्रबन्ध से सम्बन्धी विभिन्न प्रबन्धकीय और व्यवसायिक कार्यक्रम चला रहा है।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विमानन प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, कनाडा के सहयोग से वर्ष 1989 के दौरान इस संस्थान का प्राथमिक विमानन प्रबन्ध से सम्बन्धी कार्यक्रम शुरू करने का विचार है।

दण्डकारण्य परियोजना के अंतर्गत आदिवासियों का पुनर्वास

4448. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत 25 प्रतिशत स्थानीय आदिवासियों के पुनर्वास की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस सीमा तक लागू किया गया है;

(ग) क्या इस योजना में कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आदिवासियों में भारी असन्तोष व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) भारत सरकार द्वारा दी गई धनराशि से उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दण्डकारण्य क्षेत्र में आदिवासियों के पुनर्वास का कार्यक्रम निष्पादित किया गया है। इस प्रयोजन के लिए दण्डकारण्य क्षेत्र में भूमिहीन आदिवासियों को आवंटन के लिए दण्डकारण्य प्रयोजना द्वारा अधिग्रहित 25% भूमि राज्य सरकारों को सौंप दी गई।

(ख) उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा बसाये गये परिवारों की स्थिति इस प्रकार है :—

उड़ीसा	मध्य प्रदेश	जोड़
3,420	1,303	4,723

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान का विस्तार

4450. श्री एन० डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्थान का विस्तार किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री आर० के० नारायणन) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य पैकेजिंग और खाद्य विषविज्ञान सहित कुछ चुनी हुई सुविधाओं को केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय संस्थान (सी० एफ० टी० आर० आई०) मैसूर में शक्तिशाली बनाने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त लखनऊ और हैदराबाद स्थित सी० एफ० टी० आर० आई० क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण और क्षेत्रीय अनुसन्धान और विकास समस्याओं की प्राथमिकता पर बल देकर इन केन्द्रों के कार्यकलापों के विस्तार की भी योजना है।

केरल में पिछड़े जिले

4451. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने राज्य के किन-किन जिलों को पिछड़े जिलों के रूप में चुना है;

(ख) वर्ष 1988 और वर्ष 1989 के दौरान इन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) केरल में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) यह मामला पूर्ण रूप से केरल राज्य सरकार से सम्बन्धित है। अतः माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सूचना राज्य से मांगे।

एयर बस खरीद के लिए धनराशि

4452. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 19 अतिरिक्त एयरबस प्राप्त करने के लिये पर्याप्त धनराशि जुटा ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उन स्रोतों का ब्यौरा क्या है जिनसे उक्त धनराशि जुटाई गई तथा कितनी-कितनी धनराशि जुटाई गई और विमान पर इस समय कुल लागत आने का अनुमान है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा 19 एयरबस ए-320 विमानों को प्राप्त करने के लिए अनुमोदित परियोजना लागत 1238.37 करोड़ रुपए है जिसमें 1142.23 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अंश भी सम्मिलित है। विदेशी मुद्रा का अंश 951.862 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष है। जबकि रुपये में भुगतान की राशि का प्रबन्ध इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से किया जाएगा, विदेशी मुद्रा सहायता का प्रबन्ध निम्न प्रकार से किया जायेगा :—

संसाधन	राशि
1. मुफ्त विदेशी मुद्रा और उधार	167 906 मिलियन अमरीकी डालर
2. ऋण से	783.956 मिलियन अमरीकी डालर

इंडियन एयरलाइन्स ने पहले ही 561.07 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण प्रतिबन्धों के लिए निम्नलिखित 5 स्रोतों से प्रबन्ध कर लिये हैं जिनकी राशि प्रत्येक के सामने दी गई है :—

उधार देने वाली एजेंसी	ऋण की राशि
1. के.एफ.डब्ल्यू. पश्चिमी जर्मनी	250 00 मिलियन अमरीकी डालर
2. 12 जापानी बैंकों का समूह	250.00 मिलियन अमरीकी डालर
3. जापान का औद्योगिक बैंक	50.00 मिलियन अमरीकी डालर
4. निर्यात विकास निगम, कनाडा	12.60 मिलियन अमरीकी डालर
5. अमरीका का निर्यात आयात बैंक	3 47 मिलियन अमरीकी डालर
कुल :	516.07 मिलियन अमरीकी डालर

267.886 मिलियन अमरीकी डालर की शेष राशि प्रतिबन्धित की जानी है। इंडियन एयरलाइन्स ऋण प्रबन्धकों के लिये विभिन्न स्रोतों से प्रयास कर रही है और लीज वित्त व्यवस्था, पारंपरिक यूरो डालर ऋण और कर-मुक्त ऋण आदि जैसे अन्य ऋण विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है।

विदेशों में एयर इंडिया के अलाभकारी कार्यालयों को बन्द करने का प्रस्ताव

4453. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों और पश्चिम एशिया के देशों से विमान द्वारा आने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो एयर इंडिया द्वारा इन देशों में विशेषतः अपने कार्यालय के रखरखाव पर किये जा रहे खर्च तथा तत्सम्बन्धी अन्य खर्चों में कितनी कटौती की गई है;

(ग) क्या विदेश स्थित एयर इंडिया के किसी अलाभकारी कार्यालय को, जहां से जाने वाले यात्रियों की संख्या भी अधिक नहीं है, बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से कार्यालय हैं और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1988 के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, भारत और खाड़ी/पश्चिमी एशिया के बीच एयर इंडिया द्वारा वाहित यात्रियों की संख्या 607375 से बढ़कर 616493 यात्री हो गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। खाड़ी/पश्चिमी एशिया में स्थित सभी स्टेशन लाभकारी हैं, और इसलिए इस समय किसी भी स्टेशन को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य-वार प्रति व्यक्ति आवंटन

4454. श्री टी० बाल गौड़ : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के लिए राज्यवार प्रति व्यक्ति रुपयों में योजना आवंटन के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के लिये वार्षिक आवंटन में केन्द्रीय सहायता की प्रतिशतता क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1989-90 के लिए राज्यवार प्रति व्यक्ति आवंटन तथा राज्यों की वार्षिक योजनाएं 1986-87 से 1988-89 के लिए केन्द्रीय सहायता में प्रतिशतता भाग

राज्य	वार्षिक योजना 1989-90 के लिए प्रतिव्यक्ति परिव्यय	प्रतिशतता अवधियों में केन्द्रीय सहायता में अन्तर्राज्यीय भाग		
		1986-87*	1987-88*	1988-89**
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	209	5.5	5.1	5.1
अरुणाचल प्रदेश	1906	=	2.2	2.2
असम	266	8.8	8.5	7.3
बिहार	217	8.5	8.1	7.9

1	2	3	4	5
गोआ	908	=	2.1	1.2
गुजरात	352	4.1	3.5	3.3
हरियाणा	427	1.5	1.0	1.1
हिमाचल प्रदेश	607	3.1	3.7	3.2
जम्मू व कश्मीर	728	6.7	6.7	7.1
कर्नाटक	238	3.5	3.0	2.7
केरल	198	4.9	3.3	3.4
मध्य प्रदेश	298	6.4	6.1	5.9
महाराष्ट्र	361	6·4	5.1	5.3
मणिपुर	823	2.0	1.9	2.1
मेघालय	907	1.7	1.7	1.8
मिजोरम	1532	=	1.0	1.9
नागालैंड	1246	2.5	2.6	2.5
उड़ीसा	304	4.5	4.2	4.6
पंजाब	408	1.0	0.8	0.8
राजस्थान	188	4.4	4.3	4.2
सिक्किम	1682	1.0	1.0	0.9
तमिलनाडु	248	4.4	5.4	5.3
त्रिपुरा	673	2.0	2.0	2.2
उत्तर प्रदेश	214	12.3	12.6	13.5
पश्चिमी बंगाल	175	4.3	4.1	4.3
जोड़ : राज्य		100	100	100

*स्वीकृत　　—उस समय राज्य नहीं था।

**आबंटन

टिप्पण :—केन्द्रीय सहायता में संशोधित गाडगिल फार्मूला के अन्तर्गत प्रदान की गई सामान्य केन्द्रीय सहायता तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता शामिल है।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद का नाम बदलना

4455. श्री टी० बाल गौड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त संस्थान का नाम परिवर्तित होने के साथ-साथ इसके अनुसंधान कार्यक्रम में क्या परिवर्तन होने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां, क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद का नाम बदलकर दिनांक 1.4.1989 से "इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ केमिकल टेक्नोलाजी" (भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान) किया जाना है।

(ख) यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि प्रयोगशाला के इस नाम से उसके गुण, योगदान और किसी विशिष्ट क्षेत्र में विकसित उत्कृष्टता पर प्रकाश पड़ेगा।

(ग) जी नहीं।

आंध्र प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

4456. श्री टी० बाल गौड़ : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया गया;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया जाएगा;

(ग) क्या राज्य में भूतपूर्व सैनिकों का शीघ्र पुनर्वास करने के लिये कोई विशेष योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परमाणु बिजली, यूरेनियम और प्लूटोनियम में आत्मनिर्भरता

4457. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ख) आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये यूरेनियम तथा प्लूटोनियम की खोज हेतु कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम के प्रारम्भिक चरणों से ही इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनने के लिए कदम उठाए जाते रहे हैं। अब भारत परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये डिजायन बनाने, निर्माण, कार्य तथा उत्पादन करने, संयंत्रों आदि को चालू करने और चलाने, तथा अन्य सहायक कामकाज करने के मामले में बहुत स्वदेशी क्षमता हासिल कर चुका है।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग परमाणु खनिजों का, जिनमें यूरेनियम भी शामिल है, सर्वेक्षण और अन्वेषण इस शताब्दी के छठे दशक से करता रहा है। यूरेनियम के नए निक्षेपों का पता लगाने, अन्वेषण करने और उन्हें खनन योग्य बनाने के लिए अन्वेषण की बहु-उद्देशीय नीति अपनाई जाती है जिसमे परिकल्पनात्मक माडलों का प्रयोग किया जाता है और आधुनिकतम कार्य पद्धति तथा तकनीकें अपनाई जाती हैं। इस काम के अन्तर्गत, ऐसे क्षेत्रों का चुनाव किया जाता

है जहां खनिज मिलने की सम्भावना हो, वायुयानों की सहायता से ऐसे हवाई सर्वेक्षण किए जाते हैं जिनमें गामाकिरण स्पेक्ट्रोमीटरों और चुम्बकीय सर्वेक्षणों का उपयोग किया जाता है, व्यापक रूप से भू सर्वेक्षण किए जाते हैं, भू वैज्ञानिक, भू-रासायनिक तथा भू-भौतिकी जांचों का काम समेकित रूप से किया जाता है, समन्वेषी भू-वेधन किया जाता है और इसके बाद जहां आवश्यक समझा जाता है वहां समन्वेषी खनन किया जाता है। 17 नई परियोजनाओं के अन्तर्गत अन्वेषण के काम को और बढ़ाया जा रहा है।

जबकि यूरेनियम प्रकृति में एक खनिज के रूप में पाया जाता है, प्लूटोनियम मानव द्वारा निर्मित मूलतत्व है। इस कारण प्लूटोनियम के अन्वेषण का प्रश्न ही नहीं उठता। प्लूटोनियम को भुक्तशेष यूरेनियम ईंधन से पुन: संसाधन करने वाले संयन्त्रों में रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग किया जाता है।

स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सर्वेक्षण

4458. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान अपना बलिदान दिया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का देश की स्वतन्त्रता के लिए शहीद हुए व्यक्तियों के परिवारों को राहत और सहायता देने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाएं और अविवाहित/बेरोजगार लड़कियां मासिक पारिवारिक/आश्रित पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं के पात्र हैं।

आंध्र प्रदेश में "न्यूक्लियर-कम्प्यूटर डाटा बेस सेंटर"

4459. श्री पी० पेंचालय्या : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश में एक "न्यूक्लियर-कम्प्यूटर डाटा बेस सेंटर" स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नोएडा में आर्मी वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन द्वारा आबंटितियों के साथ आवंटन समझौता

4460. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्मी वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन द्वारा नोएडा कम्पलैक्स में आवंटन समझौता को कार्यान्वित करने के लिए आबंटियों से कितनी धनराशि ली गई है;

(ख) क्या उपर्युक्त समझौते के कार्यान्वयन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कितने मामले लम्बित पड़े हैं और इसके क्या कारण और हैं;

(घ) आर्मी वेल्फेयर हाऊसिंग आर्गनाइजेशन का लेखा परीक्षा कब किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही): (क) से (घ) आर्मी वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन एक पंजीकृत सोसायटी है जो सोसाइटी पंजीकरण नियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। इस सोसाइटी की व्यवस्था एक बोर्ड द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष एडजुटेंट जनरल हैं। रोजमर्रा का प्रबन्ध कार्य एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। आर्मी वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन के ऊपर रक्षा मन्त्रालय का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। उक्त सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

(i) आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन और आवंटियों के बीच आवंटन समझौते को निष्पादित करने के लिए 1987 सदस्यों से प्रति आवंटी के हिसाब से 200 रुपए की दर से 3,97,400/- रुपए की राशि वसूल की गई।

(ii) ऊपर (i) में से, अब तक 1332 समझौते किए जा चुके हैं।

(iii) आवंटन के शेष 655 समझौतों में से 545 मकान आवंटित किये जाने की प्रक्रिया में है और शेष 110 मामले रोक दिए गए हैं क्योंकि आवंटियों ने आवासीय इकाइयों का अवैध निर्माण/परिवर्तन/अवैध कब्जा/व्यवसायिक प्रयोग किया है या उन्होंने अरुण विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड की सदस्यता नहीं ली है जो पंजीकरण के लिए एक आवश्यक शर्त है।

(iv) जुलाई 1987 से 31 मार्च, 1988 की अवधि के लिए आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन का लेखा परीक्षण पहले ही किया जा चुका है और 31 मार्च, 1989 तक की बाद की अवधि के लिये लेखा परीक्षण किया जा रहा है।

कार निकोबार द्वीप के लिये विमान सेवा

4461. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के निवासी विशाखापत्तनम और मद्रास से कार निकोबार द्वीप के लिये इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान आरम्भ करने और कलकत्ता तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच उड़ानों की बारम्बारता में वृद्धि करने एवं दिल्ली/भुवनेश्वर उड़ान को पोर्ट ब्लेयर तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन मांगों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है और उड़ानें कब तक आरम्भ करने अथवा उड़ानों की बारम्बारता कब से बढ़ाये जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) बीच पर अतिरिक्त बी-737 विमान शामिल कर लिये जाने पर शीघ्र ही इण्डियन एयरलाइन्स की दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर के बीच भुवनेश्वर से होकर सीमित आवृत्ति के आधार पर

एक बी-737 सेवा के परिचालन की योजना है। कलकत्ता-पोर्ट ब्लेयर, मद्रास-पोर्ट ब्लेयर के बीच विमान क्षमता में बढ़ोतरी होने तथा कार-निकोबार और मद्रास के बीच सेवाओं के आरम्भ किये जाने के प्रश्न पर इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अपने विमान बेड़े में ए-320 विमान के शामिल किये जाने के बाद विचार किया जाएगा। तिरुवनन्तपुरम से होकर दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार के बीच इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान को प्रारम्भ करना, विमान क्षमता की उपलब्धता तथा यातायात की सम्भावना पर निर्भर करेगा।

अपंग यात्रियों को रियायत

4462. श्री एन० डेनिस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इन्डिया, इन्डियन एयरलाइन्स वायुदूत अथवा पवन हंस द्वारा अब यात्रियों को विमान यात्रा के लिए कोई रियायत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यात्रियों की किस श्रेणी को यह रियायत दी जाती है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) आयटा नियमों के अनुसार, एयर इंडिया द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग यात्रियों को विमान यात्रा में कोई रियायत नहीं दी जाती है। इण्डियन एयरलाइन्स पूर्ण रूप से अन्धे यात्रियों को अन्तर्देशीय सेक्टरों पर मूल किराये में 50 प्रतिशत रियायत प्रदान करती है। वायुदूत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को खास किरायों पर 50 प्रतिशत तक रियायत प्रदान करता है। पवन हंस शारीरिक रूप से विकलांग यात्राओं को कोई रियायत नहीं देता है।

(ग) आयटा फोरम में हुई सहमति के अनुसार एयर इण्डिया द्वारा कुछ श्रेणी के यात्रियों को रियायत प्रदान की जाती हैं। जिनमें शिशु बच्चे, नाविक और विद्यार्थी इत्यादि आते है।

रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण करने वाली कम्पनियां

4463. डा० जी० विजय रामा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन-कौन सी कम्पनियां रंगीन टेलिविजन सेटों का निर्माण और विपणन कर रहीं है और उनमें से प्रत्येक कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष अनुमानतः कितनी बिक्री की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया आदि देशों में उपभोक्ता एसोसिएशन बाजार में उपलब्ध सभी ब्रांडों की जांच परख करती है और उन्हें अपना ग्रेडिंग देती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उपभोक्ताओं के लाभार्थ रंगीन टेलीविजन सेटों के सभी ब्रांडों की जांच-परख करने हेतु इसी तरह की एजेन्सियां गठित करने अथवा विद्यमान एजेंसियों को प्राधिकार देने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) लगभग 200 इकाईयों से रंगीन दूरदर्शन रिसीवर सेटों के उत्पादन की सूचना मिली है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल उत्पादन नीचे दिए अनुसार हुआ :–

वर्ष	उत्पादन लाखों में
1986	8.5
1987	11.0
1988	13.0

(ख) जी, हां।

(ग) ऐसी एजेन्सियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। किन्तु सरकार ऐसे कार्यकलापों के लिये किसी भी उपभोक्ता संगठन को अपने मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण के कार्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

पोलियो के टीके का उत्पादन

4464. श्री उत्तम राठौड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में पोलियो के टीके के उत्पादन के लिये मंजूर की गई तथा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या बम्बई और पुणे स्थित हाफकिन्स इंस्टीट्यूट को भी पोलियो के टीके के उत्पादन का कार्य सौंपा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार ने "रोगप्रतिरक्षण पर राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी मिशन" के अन्तर्गत पोलियो वैक्सीन सहित वाईरल वैक्सीनों का अनुसंधान एवं विकास तथा उत्पादन आरम्भ करने के लिये हाल ही में दो परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। ये हैं :—

1. वैक्सीनालॉजी में उन्नत अनुसन्धान एवं विकास करने तथा ओरल पोलियो वैक्सीन की प्रति वर्ष 100 मिलियन खुराकों के उत्पादन के लिये उत्तर प्रदेश के जिला बुलन्दशहर में स्थापित की जा रही एक सरकारी क्षेत्र इकाई, तथा
2. प्रतिवर्ष इनएक्टीवेटिड पोलियो वैक्सीन (50 मिलियन खुराकें) तथा खसरा (10 मिलियन खुराकें) और ऊतक संवर्धन रेबीज (2 मिलियन खुराकें) वैक्सीनों के उत्पादन के लिये वैक्सीनोलॉजी में उन्नत अनुसंधान एवं विकास आयोजित करने के लिए हरियाणा के जिला गुड़गांव में एक संयुक्त क्षेत्र इकाई।

(ख) और (ग) बम्बई में हाफकिन बायोफार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (एच.बी.पी.सी.एल.) आयातित बल्क से ओरल पोलियो वैक्सीन (ओ.पी.वी.) तैयार कर रहा है तथा देश में रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम को सप्लाई कर रहा है। एच.बी.पी.सी.एल. ने 1982 में अपना स्वदेशी ओ.पी.वी. बल्क बनाने का दावा भी किया है जो अभी तक उपयोग के लिये निर्मुक्त नहीं किया गया है। एच. बी. पी. सी. एल. ने ओ. पी. वी. के उत्पादन के लिये वित्तीय सहायता हेतु भारत के औद्योगिक विकास बैंक को हाल ही में एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पुणे में, एच. बी. पी. सी. एल. इस समय केवल एक अवक्षायक का रख-रखाव तथा अश्वीय प्रतिसीरा (एन्टी सीरा) का उत्पादन कर रहा है। वैक्सीनों के उत्पादन के लिए एच. बी. पी. सी. एल. की पुणे में कोई सुविधा नहीं है।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू का जन्म शताब्दी समारोह

4465. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी समारोह सम्बन्धी कार्यान्वयन समिति तथा इसकी विभिन्न उप समितियों का गठन किस प्रकार किया गया है;

(ख) जन्म शताब्दी समारोह के अन्तर्गत क्या-क्या कार्यक्रम प्रारम्भ किए गये हैं और प्रत्येक कार्यक्रम पर कितना खर्च आने का अनुमान है;

(ग) दिनांक 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस समिति को मौलाना अबुल कलाम आजाद और आचार्य नरेन्द्र देव जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं, जिनकी जन्म शताब्दी नेहरू की जन्म शताब्दी के साथ पड़ती है के जन्म शताब्दी समारोह राष्ट्रीय स्तर पर समायोजन करने का कार्य सौंपा गया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : (क) कार्यान्वयन समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(i) श्रीमती शीला दीक्षित राज्य मन्त्री (प्रधान मन्त्री कार्यालय) तथा राज्य मन्त्री (संसदीय कार्य)	अध्यक्षा
(ii) श्री जितेन्द्र प्रसाद, संसद सदस्य	उपाध्यक्ष
(iii) मेजर जन० नरिन्दर सिंह	सदस्य
(iv) श्री अरुण नन्दा	सदस्य
(v) श्री एन० डी० दयाल	सदस्य
(vi) प्रो० रवीन्द्र कुमार	सदस्य

इस कार्यान्वयन समिति की कोई उप-समिति नहीं है।

(ख) इस कार्यान्वयन समिति द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों और प्रत्येक कार्यक्रम का अनुमानित खर्च का विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 7687/89]

(ग) केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियां जन्म शताब्दी के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही हैं और प्रत्येक कार्यक्रम की उपलब्धि के बारे में किसी विशेष तारीख तक की सूचना प्राप्त करना मुश्किल होगा।

(घ) जी नहीं।

राष्ट्रीय आय

4466. श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय आय में 3, 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने के लिए निर्धारित लक्ष्य की कहां तक प्राप्ति नहीं हो पाई; और

(घ) राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सातवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5.0 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत संवृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। वास्तव में 1987-88 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 3.6 प्रतिशत संवृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था। तथापि, सातवीं योजना में प्रत्येक वर्ष के लिए नहीं बल्कि योजना अवधि के लिये 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष औसत संवृद्धि दर की अभिधारणा की गई है।

(घ) कृषि, उद्योग तथा आधार-संरचनात्मक क्षेत्रकों में निवेशों में वृद्धि तथा उत्पादन के स्तर को बढ़ाकर संवृद्धि को कायम रखने तथा उसकी गति को तीव्र करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दशमक वर्ग (डेसिल ग्रुप्स) के भारतीयों की व्यय और आय

4467. (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क योजना आयोग तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग के अद्यतन अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या के विभिन्न दशमक वर्ग (डेसिल ग्रुप्स) के लोगों का निजी व्यय और आय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उच्च तथा निम्न दशमक वर्ग (डेसिल ग्रुप्स) के लोगों के परिवारों मासिक अथवा वार्षिक आय स्तरों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी)। (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा. प्र. स.) संगठन केवल पारिवारिक (निजी) खपत व्यय पर सर्वेक्षण करता है। 1983 में अन्तिम पूर्ण पंचवार्षिक सर्वेक्षण किया गया था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए प्राइवेट खपत व्यय के लिए 1983-84 दशमकवार वितरण के लिये राष्ट्रीय लेखे में यथासूचित राष्ट्रीय प्राइवेट खपत व्यय के अनुरूप राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों को समायोजित करने के बाद प्राप्त किया गया, जो संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। विवरण में उच्च तथा निम्न दशमक में औसत मासिक पारिवारिक व्यय भी दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा भारतीय जनसंख्या के विभिन्न दशमक वर्गों की आय पर अभी तक कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया है।

विवरण

दशमक वर्ग द्वारा औसतन प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राइवेट खपत व्यय का वितरण

दशमक	ग्रामीण	शहरी (रु०)
पहला दशमक	51.60	69.30
दूसरा दशमक	71.10	94.60
तीसरा दशमक	84.00	111.90
चौथा दशमक	93.70	135.20
पांचवां दशमक	109.30	143.80
छठा दशमक	123.40	165.90
सातवां दशमक	135.00	206.20
आठवां दशमक	159.40	228.00
नवां दशमक	198.90	296.90
दसवां दशमक	333.70	532.90

केरल द्वारा प्रस्तुत विधेयक को मंजूरी

6468. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को "केरल रजिस्ट्रेशन आफ टूरिस्ट ट्रेड बिल" नामक विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु भेजा था जो राज्य सरकार के क्षेत्र में कार्यशील व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के बारे में है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे मंजूरी कब प्रदान की जाएगी ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इलेक्ट्रॉनिकी के सामान पर आयात शुल्क में छूट

4469. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इलेक्ट्रानिकी सामान अन्य देशों की तुलना में 80 प्रतिशत महंगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'इलेक्ट्रानिक कम्पोनेंट्स इन्डस्ट्री एसोसिएशन' ने कच्चे माल पर आयात शुल्क अधिक मूल्य का मुख्य कारण बताया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस कच्चे माल पर आयात शुल्क हटाने का है जो देश में उपलब्ध नहीं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री आर० नारायणन : (क) इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जे आयातित संघटक-पुर्जों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य की तुलना में औसतन लगभग 80% से अधिक महंगी बैठते हैं । किन्तु जिन इलेक्ट्रानिक वस्तुओं में इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी लागत पर इसका प्रभाव विनिर्माण की प्रक्रिया, विनिर्माण का स्तर आदि बातों पर निर्भर करता है ।

(ख) जी हां । इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग संघ इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि स्वदेश में विनिर्मित इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों का मूल्य अधिक होने का एक मुख्य कारण कच्ची सामग्रियों पर अतिरिक्त कलपुर्जों, खपत होने योग्य वस्तुओं आदि पर लगाने वाला आयात शुल्क हैं ।

(ग) हालांकि कच्ची सामग्रियों पर रियायती शुल्क का अनुमोदन कर दिया गया है, किन्तु आयात शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है ।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के मामले

4470. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने स्वतन्त्रता सेनानियों ने केन्द्रीय सरकार से पेंशन मांगी है;

(ख) सत्यापन के पश्चात् कितने दावे अस्वीकार किए गए और कितने दावे स्वीकार किये गये तथा 1 जनवरी, 1989 को स्वतन्त्रता सेनानियों के राज्य-वार कितने दावे विचाराधीन थे;

(ग) स्वतन्त्रता सेनानियों के दावों के निपटान में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन दावों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972, जिसका नया नाम स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 है, के अधीन प्राप्त 4,46,062 आवेदनों में से 1,46,884 स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन स्वीकृत की गई है। 932 मामले लंबित हैं, जिनमें से कुछ मामलों में राज्य सरकारों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और कुछ मामलों में आयंगार समिति द्वारा संवीक्षा की जानी है। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) ऐसे मामलों में देरी होती है जिनमें राज्य सरकार से सत्यापन रिपोर्ट/स्पष्टीकरण अथवा आवेदकों से कुछ अन्य सूचना की आवश्यकता होती है। दावों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने विभिन्न गैर-सरकारी जांच समितियां भी गठित की हैं।

विवरण

राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का नाम	स्वीकृत मामलों की संख्या	अस्वीकृत मामले की संख्या	लम्बित मामले
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	9195	16829	36
असम	4130	22398	—
बिहार	22460	71965	328
गुजरात	3473	3276	4
गोआ	766	2491	—
हरियाणा	1447	1224	87
अरुणाचल प्रदेश	2	39	—
हिमाचल प्रदेश	460	719	1
जम्मू एवं कश्मीर	1652	1412	3
कर्नाटक	9952	8577	18
केरल	2595	27493	1
महाराष्ट्र	16067	21471	28
मणिपुर	62	158	—
मध्य प्रदेश	3225	5050	21
मेघालय	78	156	—
मिजोरम	3	1	-

1	2	3	4
नागालैंड	3	29	—
उड़ीसा	3826	11148	—
पंजाब	6531	5617	318
राजस्थान	713	864	15
तमिलनाडु	3885	7940	—
त्रिपुरा	711	2638	—
उत्तर प्रदेश	17424	9642	39
पश्चिम बंगाल	16605	58965	1
आई० एम० ए० कार्मिक	19307	15358	—
संघ शासित क्षेत्र प्रशासन			
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	38	55	—
चण्डीगढ़	84	53	—
दिल्ली	1905	1117	32
पांडिचेरी	285	1561	—
	1, 46,884	2,98,246	932

भारत में पर्यटकों का आना

4471. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986,1987 और 1988 के दौरान किस-किस देश के कितने-कितने पर्यटक भारत आए और प्रतिवर्ष इनकी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई;

(ख) इन पर्यटकों से वर्षवार कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई;

(ग) भारत में विदेशी पर्यटक औसतन कितने समय तक ठहरे; और

(घ) भविष्य में प्रतिवर्ष इसमें कितनी वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में पर्यटक आगमन तथा उनके प्रतिशत अन्तर के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित है :—

वर्ष	पर्यटकों की संख्या (पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत अन्तर
1986	10,80,050	29.1
1987	11,63,774	7.8
1988	12,39,992	6.5

इन पर्यटकों के आगमन के प्रमुख देश अपनी महत्ता के क्रम में हैं। ब्रिटेन, अमरीका, जर्मन, संघीय गणराज्य, श्रीलंका, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा, सोवियत संघ, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैंड, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर तथा सऊदी अरेबिया।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन से प्राप्त अनुमानित विदेशी मुद्रा आय निम्नलिखित है :—

वर्ष	करोड़ रु.
1986-87	1780
1987-88	1890
1988-89	2103

(पूर्वानुमानित)

(ग) भारत में विदेशी पर्यटकों के ठहरने की औसत अवधि लगभग 30 दिन है।

(घ) योजना आयोग द्वारा सातवीं योजनावधि में भारत में विदेशी पर्यटक यातायात में प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है।

युवा स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

4472. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री एस० जयपाल रेड्डी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन हैदराबाद राज्य के ऐसे युवा स्वतंत्रता सेनानियों के 40 से अधिक मामले हैं जिन्होंने 18 वर्ष से कम आयु में उक्त राज्य के भारत संघ में विलय के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए उनके आवेदनपत्र केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित औरंगाबाद समिति ने इस स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहनदेव : (क) सरकार को तत्कालीन हैदराबाद राज्य के युवा स्वतन्त्रता सेनानियों के कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्होंने 18 वर्ष से कम आयु में हैदराबाद राज्य को भारत संघ में विलय के लिए हुए संग्राम में भाग लिया था। तथापि, ऐसे आवेदकों के सही आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

(ख) हैदराबाद विशेष जांच समिति ने इस श्रेणी के कुछ आवेदकों को पेंशन दिए जाने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) कुछ मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है।

विमान यात्रा के लिए आरक्षण

4473. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान यात्रियों को आरक्षण करवाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का आरक्षण-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स के सेक्टर पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू कर दिये जाने से आरक्षण का संचालन युक्तिसंगत बना दिया गया है और बहु-सेक्टर पर आरक्षण साथ-साथ ही कर लिये जाते हैं तथा इस प्रणाली के द्वारा यात्री स्वत: ही प्रतीक्षा सूची से आरक्षण सूची में आ जाते हैं। 56 स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सी. आर. टी. सुविधा के साथ शुरू किया गया है और 8 स्टेशनों पर टेली-टाइप सुविधा के साथ इससे बहुत काफी हद तक आरक्षण सुविधाओं में सुधार हुआ है। जहां तक वायुदूत का संबंध है, यात्रियों को तत्काल आरक्षण उपलब्ध कराने की मौजूदा समस्या को हल करने की दृष्टि से इस कम्पनी का कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू करने का विचार है।

पर्यटन विकास के कारण पारिस्थितिकीय अव्यवस्थाओं को रोकने हेतु सुरक्षोपाय

4474. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए पर्यटन विकास के प्रयास से होने वाली पारिस्थितिकीय अव्यवस्थाओं को रोकने हेतु क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोवलम, मवालीपुरम, ठक्काडी और पुरी में पर्यटन स्थलों के पारिस्थितिकी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया है ;

(ग) क्या सभी बड़े पर्यटन स्थलों में पर्यावरणीय कारकों का नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) पर्यटन विकास की योजना तैयार करते समय, पारिस्थितकीय कारकों को उचित महत्व दिया जाता है। इस संबंध में जो एहतियात बरते गए हैं, उनमें तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर तक पर्यटक विहार-स्थलों के निर्माण पर रोक शामिल है, सिवाए कुछ चुनिंदा समुद्रतटों को छोड़कर जहां कुछ सुरक्षा उपायों तथा दिशा-निर्देशों और वन्य जीव अभ्यारण्यों आदि के नियमित विकास आदि पर निर्भर रहते हुए निर्माण की अनुमति है। कोवलम, महाबलीपुरम, ठेक्काडी तथा पुरी का वर्तमान पारिस्थिकीय स्तर निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों से तटीय क्षेत्रों की स्तर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है जिनमें इन क्षेत्रों के पर्यटक स्थल शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर निगरानी रखने के लिए जल (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई है।

सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और कदाचार

4475. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी हाल की रिपोर्ट में यह बताया है कि अनेक सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार और कदाचार के बावजूद केवल कुछ ही मामलों का पता चल पाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बढ़ प्रतिशत मामलों का पता लगाने हेतु अपने व्यवस्था-तन्त्र को और सुदृढ़ बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार का अभियान एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में नीतियों को लगातार मानीटर तथा संशोधित किया जाता है ताकि उन्हें बदलते हुए परिवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी तथा अधिक जवाबदेह बनाया जा सके।

एक वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए एक तीन सूत्री योजना की परिकल्पना की गई है। ये तीन सूत्र हैं (क) निवारक सतर्कता (ख) निगरानी और खोज तथा (ग) निवारक दण्डात्मक कार्रवाई। इन तीनों क्षेत्रों के अधीन, कार्ययोजना में सतर्कता संगठन के यथा संभव अधिक से अधिक पहलुओं को शामिल करने का प्रयत्न है। मंत्रालयों/विभागों में उनके भ्रष्टाचार निवारक प्रयत्नों द्वारा की गई है। प्रगति को आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से मानीटर करने की भी व्यवस्था की गई है। सरकार का यह प्रयत्न है कि प्राप्त रिपोर्टों की तत्काल जांच करके तथा इन क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के निष्पादन की समय-समय पर पुनरीक्षा के माध्यम से इस क्षेत्र में गति को बनाए रखा जाए।

कमियों को समाप्त करने तथा विद्यमान भ्रष्टाचार निवारक कानूनों को दृढ़ करने के उद्देश्य से, व्यापक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 लागू किया गया है। सतर्कता तन्त्र को विशेषकर सरकारी क्षेत्र के मुख्य उपक्रमों में मजबूत बनाया जा रहा है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मजबूत बनाने तथा इसके कार्यकरण में सुधार लाने के उद्देश्य से एक भावी योजना तैयार की गई है। इस योजना में 1991 तक की अवधि को लिया गया है। विभिन्न स्तरों पर कई नए पद मंजूर किए गए हैं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली में नए एकक स्थापित करने के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है।

नौसेना को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाना

4476. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री एस० बी चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द सागर में विदेशी नौसैन्य बलों की बढ़ती हुई गतिविधियों से हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है,

(ख) यदि हां, तो ये नौसैन्य बल किन-किन देशों के हैं, और

(ग) अपनी नौसेना को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) इस संबंध में स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है।

(ख) हिन्द महासागर में अन्य देशों के साथ-साथ अमरीका, रूस, फ्रांस ब्रिटेन और इटली की नौसेनाएं मौजूद हैं।

(ग) सरकार देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखती है और पूर्ण रक्षा तैयार बनाए रखने के लिए समय-समय पर उपयुक्त उपाय करती है। भारतीय नौसेना को आवश्यकता के अनुसार सुसज्जित किया जाता है और अद्यतन बनाया जाता है।

"सिगनेचर कैम्पेन बाई आई० ए० पाइलट्स" शीर्षक समाचार

4477. श्री पी० एम० सईद
श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 7 मार्च, 1989 "द हिन्दू" दिल्ली संस्करण में "सिगनेचर कैम्पेन बाई आई. ए. पाइलट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विमान-चालकों के चयन के सम्बन्ध में प्रबंधकों द्वारा अपनाये गये सुरक्षा उपाय पर्याप्त समझे जाते हैं;

(ग) क्या दिल्ली क्षेत्र के विमान चालकों ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) : जी, हां।

(ग) : जी, हां।

(घ) ज्ञापन में दिए गए मुख्य मुद्दे निम्न प्रकार हैं :-

1. नए कैरियर पैटर्न में ए 320 के लिए चयन किए गए सह-विमान चालकों के अनुभव स्तर को काफी महत्व नहीं दिया जाता।

2. सह-विमान चालकों के पास अनुभव-हीनता पहले हुई कई दुर्घटनाओं का कारण रही हैं।

3. नए कैरियर पैटर्न के फलस्वरूप, बी-737 विमान चालक जिनके पास जेट विमान पर 500 घंटों से कम का अनुभव होगा वे ए-320 विमान पर सह-विमान चालक के रूप में उड़ान करेंगे।

4. बी-737 सह-विमान चालक जिनके पास जेट विमान पर 1500 घंटों का अनुभव है, और जहां 3 कर्मी-दल परिचालन है, उन्हें ए-300 विमान पर रखा जा रहा है और उन्हें सुरक्षा उपायों को प्रभावित किये बिना अनुभव रहित सह-विमान चालक द्वारा भी आसानी से अपनाया जा सकता है।

5. एयरलाइन्स इनमें से कुछ विमान चालकों पर दुगुनी प्रशिक्षण लागत खर्च, करेगी जिन्हें हाल ही में ए-300 पर सह-विमान चालकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है और इन्हें अब ए-320 पर कैप्टन के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।

6. इंडियन एयरलाइन्स ने पांच वर्ष से कम अवधि की शेष सेवा वाले विमान चालकों को ए-320 पर प्रशिक्षण पर भेजते हुए अपनी नीति में परिवर्तन किया है।

7. एयरलाइन को ए-320 विमानों पर दो विमान चालक के स्थान पर 3 विमान चालक का स्वरूप देना चाहिए।

8. एयरबस इण्डस्ट्री से ए-320 विमानों के लिए विमान चालकों के न्यूनतम स्तर के अनुभव के लिए परामर्श ले लिया जाना चाहिए।

9. नए कैरियर पेटर्न को यदि इस वर्तमान स्वरूप में कार्यान्वित किया जाता है तो यह विवेकपूर्ण न होगा तथा साथ ही अत्यन्त असुरक्षित रहेगा।

जांच करने के पश्चात् जहां कहीं आवश्यक होगा, उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

रद्द किए गए टिकट के मूल्य की वापसी

4478. श्री पी एम. सईद : क्या विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मल्होत्रा बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में इंडियन एयरलाइंस का बुकिंग कार्यालय 24 घंटे खुला रहता है ;

(ख) क्या इस कार्यालय में टिकटों का रद्दीकरण देर रात को स्वीकार किया जाता है और रद्द किये गये टिकटों के मूल्य की राशि वापस लेने के लिये यात्रियों को अगले दिन सुबह आने को कहा जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार का यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये रद्द किये गये टिकटों के मूल्य की वापसी की सुविधा देर रात तक भी प्रदान करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) । जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) क्योंकि देर रात के दौरान राशि वापसी के अनुरोध बहुत ही कम होते हैं जिसके स्टाफ और अन्य प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं होती, अतः यात्रियों से रद्द किये गये टिकटों के बदले पैसे की वापसी के लिए अगली सुबह आने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, विशेष मामलों में, राशि की वापसी देर रात को भी की जाती है।

(घ) इस तथ्य को देखते हुए केवल कुछ टिकटें ही रद्द की जाती हैं और धन-राशि की वापसी के लिए कहा जाता है, अतः अब यह व्यवहार्य नहीं होगा।

क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा की गई नई औषधि

4479. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा गठिया रोग रोधी एक अत्यन्त प्रबल औषधि तैयार की गई है जिसका भारी प्रचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी हां। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा गठिया (आर्थ्राइटिस) और छोथरोधी (एन्टी-

इन्फ्लेमेटरी) अवस्थाओं के उपचार में उपयोगी "ट्रॉमाफिल" नामक एक औषधि विकसित की गई और सन् 1977 में मैसर्स यूनीकैम लेबोरेटरीज लिमिटेड को इसके उत्पादन और बिक्री का लाइसेंस दिया गया। इस फर्म द्वारा इस औषधि को अनेक वर्षों तक बाजार में बेचा गया। तथापि, इस क्षेत्र में बाद में और अधिक प्रभावशाली औषधियों के आने से इस औषधि की बाजार-बिक्री समाप्त हो गई है।

परीक्षा शुल्क समाप्त करना

4480. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या छात्र संगठनों द्वारा निरन्तर इस बात की मांग की जाती रही है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और मध्य वर्ग के व्यक्तियों से परीक्षा शुल्क न लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी समय समय पर इस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जो उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं उन्हें निर्धारित परीक्षा शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई है।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भी संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले समूह "ग" और समूह "ख" (अराजपत्रित) के सभी पदों पर भर्ती के लिए शुल्क अदायगी से छूट प्राप्त है। किसी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के बारे में परीक्षा शुल्क समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुनर्वास

4481. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए वर्ष 1987-88 तक तैयार किए गए केन्द्रीय सरकार के पुनर्वास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पुनर्वास बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों की कालोनियों के विकास हेतु क्रियान्वयन की जा रही योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रावधान किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) पात्र शरणार्थी परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अधीन पुनर्स्थापित किया गया था। इन योजनाओं को मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में रखा जा सकता है :

1. कृषि योजना
2. लघु व्यापार और व्यवसाय योजना
3. औद्योगिक योजनाएं
4. व्यावसायिक और प्रौद्योगिक प्रशिक्षण

आवास, चिकित्सा तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए भी सहायता दी गई थी।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 31-3-1988 तक 745.56 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

(ख) 1-1-1964 से 25-3-1971 तक की अवधि के दौरान आए विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्वास योजनाओं के लिए वर्ष 1988-89 के लिए 155.69 लाख रुपए उपलब्ध कराये गये गए। इस समूह के प्रवासियों के पुनर्वास योग्य परिवारों को स्थायी देयता गृहों में बसाने का खर्च भी इस समग्र प्रावधान में से ही किया जाता है।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा
सार्वजनिक बान्ड जारी करना

4482. श्री मक्षेश्वर तांती : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के विभिन्न विमानपत्तनों पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के कार्यक्रम को शुरू करने के लिये राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का सार्वजनिक बान्ड जारी करने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) । (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया

4483. श्री हरीश रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने अपने द्वारा स्थापित होटल कारपोरेशन आफ इंडिया से अपने आप को अलग कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) होटल कारपोरेशन आफ इंडिया और इसकी अधीनस्थ कम्पनियों के कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को रोजगार देने के लिए
रानीखेत में बनियान निर्माण एकक की स्थापना

[हिन्दी]

4484. श्री हरीश रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को रोजगार देने के लिए रानीखेत (उत्तर प्रदेश) में शाल और बनियान का निर्माण करने वाली एक एकक स्थापित की गई है,

(ख) यदि हां, तो इस एकक का वार्षिक उत्पादन कितना है और उसमें युद्ध में मारे गए सैनिकों की कितनी विधवाओं को रोजगार दिया गया है;

(ग) क्या इस एकक का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में नये विकास ब्लाक

4485. श्री हरीश रावत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार का कुछ नये विकास ब्लॉक आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार के नये विकास ब्लॉक आरम्भ करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव राव सोलंकी) : (क) नए विकास ब्लॉकों के सृजन का कार्य राज्य सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार की वार्षिक योजना (1989-90) के अनुसार नए विकास ब्लॉकों के शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रानीखेत छावनी में पानी का संकट

4486. श्री हरीश रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीखेत (उत्तर प्रदेश) छावनी क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में हमेशा ही पानी का संकट रहता है;

(ख) यदि हां, तो इस संकट को समाप्त करने के लिए क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार छावनी बोर्ड को अपनी पृथक जल योजना तैयार करने के लिए कोई अनुदान देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या-क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) छावनी मे गर्मी के महीनों के दौरान पानी की सप्लाई की कमी रहती है।

(ख) उत्तर प्रदेश जल निगम को पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए संयंत्र और मशीनरी को बदलने हेतु जनवरी, 1986 में 11.24 लाख रुपए का अग्रिम ऋण दिया गया था। छावनी की पूरी

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रचय कार्य में वृद्धि करने हेतु निगम के अनुरोध पर उसे मार्च, 1988 में उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से 65 लाख रुपए का एक और ऋण दिया गया था।

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विमान दुर्घटनाएं

[अनुवाद]

4487. श्री के० प्रधानी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना के किस प्रकार के विमानों की गत तीन वर्षों के दौरान दो से अधिक दुर्घटनाएं हुईं; और

(ख) उपर्युक्त विमानों में से किस प्रकार के विमानों का व्यापक परीक्षण जांच-परख के लिए प्रयोग से हटाए जाने के आदेश दिए गए थे और उसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) इस सूचना का प्रकट करना लोकहित मे नहीं होगा।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय वायु सेना के किसी भी विमान को उपयोग से हटाए जाने के आदेश नहीं दिए गए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

4488. श्री के० प्रधानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया;

(ख) उपयुक्त वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों में चेयरमैन के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की गई और ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति में वृद्धि अथवा कमी हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी उपक्रमो में प्रतिनियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है :—

31-3-1987 को	13
31-3-1988 को	25
9-3-1989 को	28

इन अधिकारियों को निम्नलिखित उपक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया था :—

1. भारतीय खाद्य निगम ।
2. केन्द्रीय भांडागार निगम ।
3. हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम ।
4. विद्युत वित्त निगम ।
5. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ।
6. राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा इसकी सहायक कम्पनियां ।
7. दिल्ली परिवहन निगम ।
8. राष्ट्रीय बीज निगम ।
9. भारतीय कोयला लिमिटेड ।
10. उत्तर-पूर्वी हथकरघा तथा हस्तशिल्प विकास निगम ।
11. बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारी अध्यक्षों/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों के रूप में निम्नलिखित सरकारी उपक्रमों में नियुक्त किए गए थे :—

1. भारतीय खाद्य निगम ।
2 हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम ।
3. विद्युत वित्त निगम ।
4. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ।
5. राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा इसकी सहायक कम्पनियां ।
6. दिल्ली परिवहन निगम ।
7. राष्ट्रीय बीज निगम ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है।

असम आंदोलन के पीड़ितों को अनुग्रह राशि का भुगतान

4486. श्री अब्दुल हमीद : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को असम आन्दोलन के पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतान में किये जा रहे पक्षपात की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) असम आन्दोलन के प्रत्येक शहीद के निकटतम संबंधी को 50,000 रु० की अनुग्रह पूर्व अदायगी के लिए असम राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने असम आन्दोलन के दौरान

मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को किसी भेदभाव के बगैर 20,000 रुपए की अनुग्रह पूर्व अदायगी की राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए सिद्धान्त रूप में अपना निर्णय राज्य सरकार को सूचित कर दिया है। तथापि, राज्य सरकार ने अभी इस निर्णय के अनुसरण में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हैं।

कलकत्ता-रूपसी-गुवाहाटी के बीच वायुदूत सेवा

4490. श्री अब्दुल हमीद : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से रूपसी तक तथा रूपसी से गुवाहाटी तक वायुदूत सेवा पुन: चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) विमान क्षमता को उपलब्धता और परिचालनों की आर्थिक साध्यता के आधार पर वायुदूत की चालू योजना अवधि में असम राज्य में रूपसी के लिए पुन: सेवाएं परिचालित करने की योजना है।

हल्के लड़ाकू विमानों का विकास

4491. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्के लड़ाकू विमानों के डिजाइन और विकास पर गत तीन वर्षों के दौरान अनुमानतः कितना व्यय किया गया है; और

(ख) हल्के लड़ाकू विमानों का स्थान लेने वाले विमान की आयोजना करने में कितना समय समय लगेगा ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हल्के लड़ाकू विमान परियोजना पर लगभग 179 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ख) देश में बना हल्का लड़ाकू विमान अति आधुनिक लड़ाकू विमान है। ऐसा विमान अभी तक किसी भी देश की सेना में नहीं है। हल्के लड़ाकू विमान परियोजना की उत्पादन क्षमता अच्छी है और जब लगभग 1990 के दशक के मध्य में यह परियोजना अन्तिम चरण में पहुंचेगी तो भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हल्के लड़ाकू विमान का स्थान लेने वाले विमान पर कार्य किया जाएगा।

महाराष्ट्र और गुजरात में लाभान्वित हुए आदिवासी परिवार

4492. श्री विजय एन० पाटिल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान आदिवासी परिवारों की निर्धनता उन्मूलन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत महाराष्ट्र और गुजरात में कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रमों से इन परिवारों को वस्तुत: हुए लाभ का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला और उक्त अवधि के दौरान कितने आदिवासी परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा गैर-समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन तीन वर्षों के दौरान गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में क्रमशः 16.49 करोड़ रु० और 21.03 करोड़ रु० खर्च किए गए। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजनाओं के अन्तर्गत, इन वर्षों के दौरान, गुजरात में 34.14 करोड़ रु० तथा महाराष्ट्र में 29.39 करोड़ रु० खर्च किए गए।

(ख) और (ग) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी गई सहायता के परिणामस्वरूप गरीबी रेखा पार करने वाले परिवारों का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए समवर्ती मूल्यांकन की रिपोर्टों के अनुसार, छठी योजना के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लाभ प्राप्तकर्ताओं में से 60% ने 3500/-रु० की गरीबी रेखा को पार कर लिया है तथा उनमें से 13% ने 6400/-रु० की संशोधित गरीबी रेखा को पार कर लिया है।

दिल्ली से भिखारियों को अन्यत्र भेजना

4493. श्री विजय एन० पाटिल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में लागू किये गये बंबई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भिखारियों को अन्य राज्यों में भेजने में कठिनाई का सामना कर रहा है;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में भिखारियों को वापस लेने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करने और जिम्मेदार राज्यों पर दबाव डालने के लिए केन्द्रीय सरकार को कई पत्र भेजे थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने दिल्ली से भिखारियों को वापस भेजने के मामले में राज्य सरकारों पर दबाव डालने के लिए क्या कार्यवाही की है और इसमें अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 जिसका विस्तार दिल्ली में भी किया गया है, में व्यवस्था है कि उस राज्य की सहमति के बिना कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। फिर भी, केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली से भिक्षुकों का स्थानांतरण स्वीकार करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया था जबकि कुछ राज्यों ने स्थानांतरण स्वीकार किया है, कुछ राज्यों ने स्थानांतरण स्वीकार करने में कठिनाई व्यक्त की है चूंकि उनके राज्यों में कोई भिक्षुक निवारण अधिनियम नहीं बनाए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन विभिन्न राज्यों में 317 भिक्षुओं को वापिस भेज सका है। वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

1986-87	128
1987-88	102
1988-89	87

पंजाब में 20-सूत्रीय कार्यक्रम

8494. श्री कमल चौधरी : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1988 तक गत तीन वर्षों के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में पंजाब सरकार द्वारा की गई प्रगति का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 20-सूत्रीय कार्यक्रम की कतिपय महत्वपूर्ण मदों के कार्यान्वयन में पंजाब द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन इस मन्त्रालय द्वारा मासिक आधार पर किया गया है। निष्पादन के श्रेणीकरण के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यों में पंजाब की स्थिति नीचे दिये अनुसार थी :—

वर्ष	दर्जा
1986-87	1
1987-88	1
1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक)	10

गत तीन वर्षों अर्थात् 1986-87, 1987-88 और 1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक) के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंजाब का निष्पादन दर्शाने वाले विवरण-1, विवरण-2 और विवरण-3 संलग्न हैं।

विवरण-1

वर्ष 1986-87 के दौरान पंजाब में बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निष्पादन

मद	इकाई	1986-87		प्रतिशत	श्रेणी
		लक्ष्य	उपलब्धि		
1	2	3	4	5	6
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	"000 परि.	92	100	109	बहुत अच्छा
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	लाख श्रम दिवस	12	16	133	,, ,,
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	—वही—	15	18	120	,, ,,

1	2	3	4	5	6
फालतू भूमि का वितरण	एकड़	1200	1500	125	बहुत अच्छा
अनुसूचित जाति के परिवारों को दी गई सहायता	"000 सं.	41.7	62	149	" "
पेय जल की सप्लाई	ग्रामों की सं.	140	180	129	" "
शामिल की गई गंदी बस्तियों की जनसंख्या	"000 सं.	60	181	302	" "
अक्ति चालित पम्प	—वही—	20	51	225	" "
वृक्षारोपण	लाख सं	550	575	105	" "
बायो गैस संयंत्र	"000 सं.	1.6	1.4	8.7	अच्छा
नसबन्दी	—वही—	125	144	115	बहुत अच्छा
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सं.	40	40	100	" "
उप-केन्द्र	—वही—	50	50	100	" "
एकीकृत बाल विकास सेवा खण्ड	—वही—	9	9	100	" "
लघु उद्योग इकाई	—वही—	6	6	100	" "

टिप्पण—श्रेणी

बहुत अच्छा	—	लक्ष्य के 90% और अधिक की उपलब्धि
अच्छा	—	लक्ष्य के 80% और 90% के बीच की उपलब्धि
निकृष्ट	—	लक्ष्य के 80% से नीचे की उपलब्धि

विवरण-2

वर्ष 1987-88 के दौरान पंजाब में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निष्पादन

मद	इकाई	1987-88 लक्ष्य	1987-88 उपलब्धि	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	"000 परि.	55	74	135	बहुत अच्छा
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	लाख श्रम दिवस	17.6	19	108	" "
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	—वही—	19.6	21	107	" "
लघु उद्योग इकाई	"000 सं.	12.5	13	104	" "

1	2	3	4	5	6
फालतू भूमि का वितरण	एकड़	590	735	125	बहुत अच्छा
पेय जल	ग्रामों की संख्या	342	308	90	" "
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	सं.	12	12	100	" "
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	—वही—	70	70	100	" "
उप केंद्र	—वही—	50	50	100	" "
बाल प्रतिरक्षण	"000 सं.	363	412	113	" "
नसबंदी	—वही—	125	149	119	" "
समतुल्य नसबंदी	—वही—	108	149	130	" "
एकीकृत बाल विकास सेवा					
खंड (संचयी)	सं.	38	43	113	" "
आंगनवाड़ी (संचयी)	सं.	4087	4623	113	" "
अनुसूचित जाति के परिवारों को दी गई सहायता	"000 सं	36	47	131	" "
इंदिरा आवास योजना	सं.	—	—	—	—
अल्प आय वर्ग के मकान	सं.	550	550	100	बहुत अच्छा
शामिल की गई गंदी बस्तियों की जनसंख्या	"000 सं.	65	151	232	" "
वृक्षारोपण	लाख सं.	450	496	110	" "
शक्ति चालित पम्पसैट	"000 सं.	20	22	110	" "
सुधरे चूल्हे	—वही—	30	40	133	" "
बायो गैस संयंत्र	सं.	1300	1364	105	" "

टिप्पण—श्रेणी

बहुत अच्छा—लक्ष्य के 90% और अधिक की उपलब्धि

अच्छा—लक्ष्य के 80% और 90% के बीच की उपलब्धि

निकृष्ट—लक्ष्य के 80% से नीचे की उपलब्धि

विवरण-3

वर्ष 1988-89 (दिसम्बर "88 तक) के दौरान पंजाब में बीस-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निष्पादन

मद	इकाई	1988-89			प्रतिशत	श्रेणी
		लक्ष्य	उपलब्धि			
		वार्षिक	अप्रैल-दिसम्बर, 88	अप्रैल-दिस० 88		
1	2	3	4	5	6	7
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	"000 परि.	40.1	28	31	111	बहुत अच्छा

1	2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	लाख श्रम दिवस	21.9	13.1	11	84	अच्छा
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	—वही—	15.6	9.3	9.2	99	बहुत अच्छा
लघु उद्योग इकाई		13.0	9.8	98	100	,, ,,
फालतू भूमि का वितरण	एकड़	700	490	249	51	निकृष्ट
पेय जल	गांवों की संख्या	380	247	190	77	,,
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	संख्या	10	2	0	0	,,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	—वही—	85	42	0	0	,,
उप-केंद्र	—वही—	50	25	0	0	,,
खसरा प्रतिरक्षण	''000 स.	379.0	258	307	119	बहुत अच्छा
नसबंदी	—वही—	120	78	65	83	अच्छा
समतुल्य नसबंदी	—वही—	119.1	89	111	125	बहुत अच्छा
एकीकृत बाल विकास सेवा खण्ड (संचयी)	सं.	43	43	43	100	,, ,,
आंगनबाड़ी (संचयी)	सं.	4623	4623	4786	104	,, ,,
अनुसूचित जाति के परिवारों को दी गई सहायता	''000 सं.	54.1	39	31	79	निकृष्ट
इंदिरा आवास योजना	सं.	1364	981	0	0	,,
अल्प आय वर्ग को मकान	सं.	550	397	408	103	बहुत अच्छा
शामिल की गई गंदी बस्तियों की जनसंख्या	''000सं.	65	47	52	111	,, ,,
वृक्षारोपण	लाख सं.	500	490	472	96	,, ,,
शक्ति चालित पम्पसेट	''000सं.	17.8	10	9	90	,, ,,
सुधरे चूल्हे	—वही—	40	19	18	95	,, ,,
बायो गैस संयन्त्र	सं.	2500	1000	741	74	निकृष्ट

टिप्पण—श्रेणी

बहुत अच्छा – लक्ष्य के 90% और अधिक की उपलब्धि

अच्छा—लक्ष्य के 80% और 90% के बीच की उपलब्धि

निकृष्ट—लक्ष्य के 80% से नीचे की उपलब्धि

पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण और कोचिंग केन्द्र

4495. श्री कमल चौधरी
　　श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में और अधिक पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण और कोचिंग केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे कितने केंद्र खोलने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) कल्याण मन्त्रालय के पास विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रों की स्थापना करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक "कोचिंग एण्ड ऐलाइड स्कीम" है। कल्याण मन्त्रालय ने सूचित किया है कि वर्ष 1988-89 के दौरान सात नए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों, मध्य प्रदेश में 5 तथा केरल और उड़ीसा में एक-एक, की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भी शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों की कोचिंग के लिए कोचिंग केन्द्रों की स्थापना के प्रयोजन से विश्वविद्यालयों तथा कालिजों की सहायता हेतु एक योजना है ताकि वे (क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक तथा निजी उपक्रमों, बैंकों आदि के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए (ख) इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि, प्रबन्ध पाठ्यक्रमों आदि में दाखिलों के लिए तथा (ग) टंकण, आशुलिपि तथा सचिवालय पाठ्यक्रमों आदि में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के योग्य बन सकें। वर्ष 1988-89 के दौरान पंजाब (2), हिमाचल प्रदेश (1), केरल (1), तमिलनाडु (1), आन्ध्र प्रदेश (1) तथा कर्नाटक (1), राज्यों के विभिन्न कालिजों में सात नए कोचिंग केन्द्रों की स्थापना की गई थी।

अमरीका की बोइंग कम्पनी द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से पुर्जों का आयात किया जाना

4496. श्री गोपाल कृष्ण थोटा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की बोइंग कम्पनी हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से पुर्जों का आयात करने की सम्भावना का पता लगा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) फरवरी, 1989 के दौरान मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में अमरीका का मैसर्स बोइंग की एक टीम आई थी। इस टीम ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को कुछ कार्य सौंपने पर विचार करने के दृष्टिकोण से बंगलूर और कानपुर स्थित हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की यूनिटों में उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए वहां का दौरा किया था।

नागर विमानन के क्षेत्र में फ्रांस से सहयोग

4497. श्री शान्ति लाल पटेल }
श्री ए०बी० सिंघल } : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस और भारत नागर विमानन के क्षेत्र में परस्पर और अधिक सहयोग करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्धी कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और समझौते को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

4498. श्री शान्ति लाल पटेल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की थी;

(ख) कितने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) कितने मामलों का निपटान किया जाना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) 1599।

(ग) 1150 (पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं)।

भारतीय हल्के हेलीकाप्टर का प्रोटोटाइप

4499. श्री शान्ति लाल पटेल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्रयोजनार्थ बनाए गए भारतीय हल्के हेलीकाप्टर के पहले प्रोटोटाइप की परीक्षण उड़ान चालू वर्ष के दौरान की जा चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने पश्चिम जर्मनी के सहयोग से इसका विकास किया है;

(ग) इस हेलीकाप्टर का अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्या होगा; और

(घ) इस परीक्षण उड़ान की सफलता के बारे में ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं।

(ख) पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के सहयोग से हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एक उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर विकास कर रहा है।

(ग) उत्पादन कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भंडार से लेखन सामग्री की खरीद

4500. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार से लेखन सामग्री की खरीद के बारे में जांच के सम्बन्ध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सलाह प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी शास्ति कार्यवाही शुरू करने की सलाह दी है।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह स्वीकार कर ली गई है।

मन्त्रालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार सम्बन्धी समिति

4501. श्री एस०एम० गुरड्डी
श्री जी०एस० बासवराजू } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रत्येक मन्त्रालय में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति का गठन करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने केन्द्रीय आर्थिक मन्त्रालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार समितियां गठन करने का सुझाव दिया है।

(ख) सलाहकार समितियां उद्योग, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थाओं आदि से विशेषज्ञों को लेती है। ये सलाहकार समितियां अन्य बातों के साथ-साथ एक विकास नीति, एक एकीकृत प्रौद्योगिकी विकास आयोजन, नयी प्रौद्योगिकी के संवर्द्धन के लिए एक नीति ढांचा तथा सम्बन्धित विभागों से सम्बद्ध वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय वर्ण्य विषय का प्रारम्भ करने के लिए कार्यक्रम कार्रवाई को तैयार करती है।

इस समय, 19 मन्त्रालयों/विभागों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार समितियां गठित की हैं।

"पुलिकात सरासू" को पर्यटक केन्द्र में बदलने का प्रस्ताव

4502. श्री सी० सम्बु : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के नैल्लोर जिले में स्थित "पुलिकात सरासू" को पर्यटक केन्द्र में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी हां। पुलिकात झील में पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने की दृष्टि

से केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पर्यटक कुटीरों का निर्माण करने हेतु 13.48 लाख रुपये की राशि मंजूर की है।

आन्ध्र प्रदेश में यात्री निवासों का निर्माण

4503. श्री सी० सम्मु : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कितने यात्री निवास बनाये गये हैं और इनके अलावा कितने और यात्री निवास बनाने का विचार हैं;

(ख) प्रत्येक यात्री निवास के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी तथा उसकी क्षमता कितनी है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में श्रीशैलम और प्रकाशम जिले में वडारेव्यू में यात्री निवासों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद में 25.29 लाख रु० की अनुमानित लागत पर 60 बैड वाला एक यात्री निवास निर्माणाधीन है।

(ग) राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सबरीमलाई तीर्थ स्थल पर सुविधाएं उपलब्ध करना

4504. श्री सी० सम्मु : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सबरीमलाई तीर्थ स्थल पर पर्यटकों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद में डिसनी लैंड जैसे केन्द्र की स्थापना

4505. श्री सी० सम्मु : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या हैदराबाद में "डिसनी लैंड" की तरह का केन्द्र, जैसा कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है, स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को हैदराबाद में एक डिसनीलैंड स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकार से विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं और मनोरंजन पार्क हेतु आयात के लिए प्रस्तावित उपकरणों के आयात शुल्क में छूट सम्बन्धी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार का ऐसे अनिवासी भारतीयों को गृह स्थल एवं बने-बनाए मकान बेच कर विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रस्ताव था जिन्होंने विदेशी मुद्रा में उतनी ही लागत के उपकरण उपलब्ध कराने थे। जांच करने पर यह पाया गया कि वर्तमान नियमों के तहत अनिवासी भारतीयों को, इस परियोजना में, उनके द्वारा प्रस्तावित निवेश के विरुद्ध हैदराबाद में सम्पत्ति बेचना सम्भव नहीं होगा। अत: राज्य सरकार को संशोधित प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया गया है। उन्हें आगे यह सुझाव दिया गया कि परियोजना में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पर, परियोजना में अनिवासी भारतीयों के सहयोग को अलग रख कर इसकी गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जायेगा और सीमा शुल्क में छूट या रियायत का प्रश्न तभी उठेगा जब परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित हो जाए तथा परियोजना हेतु विदेशी मुद्रा रिलीज करने के लिए सहमति हो जाए।

कारवाड़ नौसैनिक अड्डे का डिजाइन तैयार करने के लिये ठेका प्रदान करना

4506. श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारवाड़ नौसैनिक अड्डे का डिजाइन तैयार करने के लिये एक डच कम्पनी को ठेका प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस कम्पनी का नाम क्या है;

(ग) क्या देश में इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली परामर्शदात्री कम्पनियां नहीं हैं;

(घ) डच फर्म को ठेका देने के क्या कारण हैं;

(ङ) यह डच फर्म किस प्रकार का कार्य करेगी; और

(च) उक्त कार्य के लिये डच फर्म को कितनी धनराशि अदा की जानी है और यह फर्म अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगी ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही)। (क) से (ङ) कारवाड़ नौसैनिक अड्डे के चरण-1 की वृहत योजना तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के परामर्श कार्य में सहयोग देने हेतु आस्ट्रेलिया की एक फर्म मैसर्स 'रेंडिकॉन' को एक ठेका दिया गया है। इस फर्म का बंदरगाह (हारबर) इन्जीनियरी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एक डच फर्म मैसर्स "नेडेको" के साथ सम्बन्ध है। ऐसी कोई भारतीय कम्पनी/संगठन नहीं है जिसके पास एक आधुनिक एकीकृत नौसैनिक अड्डे (बेस) की योजना बनाने और निर्माण करने का अपेक्षित मात्रा में अनुभव हो। सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम मैसर्स इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को विदेशी परामर्शदाताओं के साथ मुख्य परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

विदेशी परामर्शदाताओं यानी, मैसर्स रेंडिकॉन/नेडेको को अनुभव, विशेषज्ञता, परामर्शी-शुल्क आदि के विभिन्न पहलुओं के आधार पर 5 सूचीबद्ध फर्मों/निकायों में से चुना गया है।

(ग) उक्त इंजीनियरी फर्म को अदा किया जाने वाला एक मुश्त शुल्क करीब 80 लाख रुपए होगा। विदेशी परामर्शी अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1990 के अन्त तक प्रस्तुत कर देंगे।

"विमानपत्तन सुविधा प्रभार" की वापसी

4507. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स प्रति यात्री प्रति टिकट 10/- रुपये की राशि "विमानपत्तन सुविधा प्रभार" के रूप में वसूल करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या "विमानपत्तन सुविधा प्रभार" और "ईंधन प्रभार" टिकट के रद्द होने की स्थिति में स्वतः ही वापस कर दिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय विमान वाहक प्रत्येक एक एक तरफ यात्रा के लिए अन्तर्देशीय यात्रियों से अन्तर्देशीय सेवा प्रभार के रूप में प्रति टिकट 10 रुपए वसूल करते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा को बढ़ावा

4508. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकमुश्त कार्यक्रमों को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो एकमुश्त कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा को इससे कितना बढ़ावा मिलेगा;

(घ) इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा में मूल अनुसन्धान पर एक कार्यक्रम को तैयार करने के लिए योजना आयोग ने प्रधानमन्त्री की विज्ञान सलाहकार परिषद के अध्यक्ष प्रो० सी० एन० आर० राव के अधीन इन विषयों पर दो अलग समूहों का गठन किया है। इन समूहों के विचार-विमर्शों पर आधारित अनेक सिफारिशों की रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है। आठवीं योजना के दौरान मूल अनुसन्धान और तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए प्रधान मन्त्री की विज्ञान सलाहकार परिषद द्वारा भी इन रिपोर्टों का उपयोग किया गया। इन सिफारिशों में कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को विश्वविद्यालयों के स्तर की मान्यता देना तथा उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अन्तरविश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना करना जैसी कुछ विशेषताएं शामिल हैं। रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जा रहा है।

दिल्ली में भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों से जनता को होने वाली परेशानियों से बचाना

4509. श्री ई० अय्यपु रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने एक दस्ता गठित करके भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों से जनता को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए एक प्रणाली तैयार की है;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान पुलिस द्वारा जनता को परेशान किये जाने के कितने मामलों का पता चला और दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या पुलिस लोकपाल नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सतर्कता शाखा द्वारा कुछ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच किए जाने पर दुराचरण/भ्रष्टाचार की 10 शिकायतों को सत्यापित किया गया। इनमें से प्रत्येक मामले में गलती करने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के विकलांग हुए सैनिकों को रोजगार देना

4510. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार
श्री हरिहर सोरन
} : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय शांति सेना के कितने सैनिक श्रीलंका में अपना कार्य वहन करते हुए विकलांग हुये हैं;

(ख) क्या सरकार का उन्हें केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रोजगार देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न मन्त्रालयों को क्या निदेश दिये गये हैं; और

(घ) इन विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने और क्या प्रयास किये हैं?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) 23 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार भारतीय शान्ति सेना के 15 कार्मिकों को श्रीलंका में ड्यूटी के दौरान विकलांग होने के कारण डाक्टरी आधार पर सेवामुक्त किया गया है।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत समूह "ग" और समूह "घ" पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में निर्देश पहले से विद्यमान हैं। निःशक्तता प्राप्त भूतपूर्व सैनिक, चाहे वे युद्ध के दौरान विकलांग हुए हों या शान्ति के समय, सरकारी नौकरी से छटनी किए गए कर्मचारियों के साथ-साथ प्राथमिकता-1 पाते हैं। इसके अतिरिक्त, रक्षा सेवाओं के निःशक्त कार्मिकों, चाहे यह निःशक्तता युद्ध के दौरान हुई हो या शान्तिकाल में, (जिनकी 50% निःशक्तता सैन्य सेवा के कारण हुई है और वे रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं हैं) के प्रत्येक परिवार के दो सदस्यों तक रोजगार कार्यालय द्वारा भरे जाने वाले समूह "ग" और समूह "घ" की नियुक्ति के लिए प्राथमिकता-2-छ प्रदान की जाती है।

2. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) ने भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि भूतपूर्व सैनिकों से भरे जाने वाले पदों के मामलों में समूह "ग" और समूह "घ" पदों पर रोजगार के लिए भारतीय शान्ति सेना के निःशक्तता प्राप्त कार्मिकों को प्राथमिकता दी जाए।

3. भारतीय शान्ति सेना के निःशक्त कार्मिक, भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-रोजगार पद्धति—सेमफैक्स-1 और सेमफैक्स-2 आदि जैसी वर्तमान सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं।

गगल और हमीरपुर में हवाई अड्डे का निर्माण

4511. प्रो० नारायण चंद पराशर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और हमीरपुर जिले के गगल में हवाई अड्डे के निर्माण करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के सहयोग से उसका निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को किस तारीख को स्वीकृत किया गया था और प्रत्येक मामले की कार्य स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार की कांगड़ा जिले में गगल पर एक हवाई अड्डे के निर्माण की योजना है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस परियोजना के लिए केवल तकनीकी परामर्श सेवाएं ही प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास हमीरपुर में विमान क्षेत्र के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जिला मुख्यालयों को विमान सेवा से जोड़ना

4512. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत का जिला मुख्यालयों सहित ऐसे महत्वपूर्ण शहरों, जो इण्डियन एयरलाइन्स अथवा वायुदूत की सेवा से नहीं जुड़े हुये हैं, को विमान सेवा से जोड़ने का कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1989 को स्थिति के अनुसार उन वायु मार्ग स्टेशनों के नाम क्या है जिन्हें विमान सेवाओं और वायुदूत द्वारा इसकी स्थापना के बाद से पहली बार विमान सेवा से जोड़ा गया; और

(ग) सातवीं योजना के शेष वर्षों और आठवीं योजना के दौरान राज्य-वार अतिरिक्त स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने हेतु वायुदूत का क्या कार्यक्रम है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) उन स्टेशनों की सूची जहां कोई हवाई सेवाएं उपलब्ध नहीं थी और जिन्हें वायुदूत द्वारा 31-3-89 तक जोड़ा गया है, विवरण-1 के रूप में संलग्न है ।

(ग) आधारभूत सुविधाओं के विकास, विमान क्षमता की उपलब्धता और आर्थिक साध्यता के आधार पर वायुदूत की चालू योजना अवधि के दौरान विवरण-2 में दिए गए स्टेशनों तथा आठवीं योजना अवधि के दौरान विवरण-3 में दिए गए स्टेशनों को हवाई सेवा से जोड़ने की अनन्तिम योजना है ।

विवरण—1

उन स्टेशनों का विवरण जहां पर कोई विमान सेवा नहीं थी और जिन्हें 31-3-89 तक वायुदूत द्वारा विमान सेवा से जोड़ा गया

1	राजमुंदरी	23	कैलाशहर
2	कुडप्पा	24	देहरादून
3	रामागुंडम	25	पंतनगर
4	जमशेदपुर	26	कूच-बिहार
5	कांडला	27	मालदा
6	सूरत	28	बालूरघाट
7	शिमला	29	पासीघाट
8	मैसूर	30	जीरो
9	विलौरी	31	तेजू
10	पुना	32	ऐजाल
11	रत्नागिरी	33	दीपारीजो
12	नांदेड़	34	एयवाल
13	कोलापुर	35	दमन
14	शिलांग	36	भटिंडा
15	राउरकेला	37	बिलासपुर
16	जयपुर	38	जगदलपुर
17	लुधियाना	39	गया
18	बीकानेर	40	धनबाद
19	जैसलमेर	41	बस्ती
20	तंजावूर	42	रीवा
21	नैवेली	43	राजौरी
22	कमालपुर	44	सतना
		45	अकोला

विवरण-2

चालू पंचवर्षीय योजना में वायुदूत द्वारा विमान सेवा से जोड़े जाने वाले प्रस्तावित स्टेशनों की सूची

1. आबू रोड	राजस्थान
2. अजमेर	राजस्थान
3. तिरुनेलवेली	तमिलनाडु
4. अलवर	राजस्थान
5. भिलाई	मध्य प्रदेश
6. कालीकट	केरल
7. चन्द्रपुर	महाराष्ट्र
8. चेटीनाड	तमिलनाडु
9. दिव	संघ शासित
10. द्वारका	गुजरात
11. फैजाबाद	उत्तर प्रदेश
12. गंगानगर	राजस्थान
13. गंगटोक	सिक्किम
14. गाजीपुर	उत्तर प्रदेश
15. गोपालपुर	उड़ीसा
16. इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
17. हुबली	कर्नाटक
18. जलगांव	महाराष्ट्र
19. तूतीकोरिन	तमिलनाडु
20. झारसुगुडा	उड़ीसा
21. जालन्धर	पंजाब
22. किस्तवाड़	जम्मू और कश्मीर
23. कोल्हापुर	महाराष्ट्र
24. मिसा	असम
25. नाजिरा	असम
26. पठानकोट	पंजाब
27. पटियाला	पंजाब
28. पांडिचेरी	संघ शासित
29. सुरनकोट	जम्मू और कश्मीर
30. पूर्णिया	बिहार
31. रायचूर	कर्नाटक
32. रूपसी	असम
33. सदिया	असम

विवरण-3

आठवीं पंचवर्षीय योजना में वायुदूत द्वारा विमान सेवा से जोड़े जाने वाले प्रस्तावित स्टेशनों की सूची

राजस्थान
1. भीलवाड़ा
2. भरतपुर

मध्य प्रदेश
1. शिवपुरी
2. उज्जैन
3. छिंदवाड़ा
4. बालाघाट
5. रतलाम
6. नीमच
7. शाहडोल
8. सागर

महाराष्ट्र
1. मदुर
2. अमरावती
3. सिंगली

तमिलनाडु
1. वेल्लोर
2. इरोड
3. सेलम
4. रामनाथपुरम

गुजरात
1. अमरेली
2. डीसा
3. भड़ोच

कर्नाटक
1. बीजापुर
2. गुलबर्गा
3. बीदर
4. शिमोगा

उत्तर प्रदेश
1. झांसी
2. मुरादाबाद
3. सहारनपुर
4. बरेली
5. गोचर
6. पिथौरागढ़
7. मेरठ
8. कसिया

पश्चिम बंगाल
1. जलपाईगुड़ी
2. शान्तिनिकेतन
3. आसनसोल

असम
1. दिफू
2. हाफलांग

मेघालय
1. तेरा

बिहार
1. भागलपुर
2. रक्सौल
3. डेलटनगंज

अरुणाचल प्रदेश
1. तूतिंग
2. मेचुका
3. विजयनगर

जम्मू और कश्मीर
1. कारगिल

हिमाचल प्रदेश
1. लाहौल
2. धर्मशाला

मिजोरम
1. लगलाई

पंजाब
1. फिरोजपुर

अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय

4513. श्री एन० डेनिस : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाथ बच्चों के लिये अनाथालय स्थापित करने के लिये उठाये गये कदमों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इस कार्य में लगे गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों और व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) कल्याण मंत्रालय सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए 1974-75 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। निराश्रित बच्चों को संगठनात्मक देखभाल प्रदान करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत उन्हें भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा तथा उनके पुनर्वास के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के ब्यौरे

1979-80 से सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए योजना के अन्तर्गत व्यय केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्वयंसेवी संगठनों के बीच 45 : 45 : 10 के अनुपात में वहन किया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह व्यय 47.5 : 47.5 : 5 के अनुपात में वहन किया जाता है। केन्द्र शासित प्रदेशों के सम्बन्ध में 90% व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है और 10 प्रतिशत व्यय स्वयंसेवी संगठन द्वारा वहन किया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में स्वयंसेवी संगठनों का हिस्सा केवल 5 प्रतिशत होता है। बच्चों के रखरखाव के लिए स्वयंसेवी संगठनों को 150/- रु० प्रतिमास, प्रति बच्चे की दर से और किराए के लिए 40 रु० प्रतिमास, प्रति बच्चे की दर से आवर्ती अनुदान प्रदान किए जाते हैं। फर्नीचर, बिस्तरे, पलंग, व्यावसायिक उपकरण, बर्तन आदि की खरीद के लिए 500/- रुपए प्रति बच्चे के लिए गैर-आवर्ती अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं। 25 बच्चों के एक यूनिट के लिए काटेजों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग अनुसूची दरों के अनुसार या निर्माण लागत के लिए 6000/- रुपए प्रति बच्चे की दर से, जो भी कम हो, पूंजी अनुदान प्रदान किया जाता है। फोस्टर केयर आयोजकों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त फोस्टर केयर सेवाओं के अधीन फोस्टर अभिभावकों के लिए भोजन, वस्त्र, चिकित्सा खर्चों आदि को शामिल करने के लिए 75 रुपए प्रति बच्चा प्रतिमास की दर से फोस्टर अभिभावकों के लिए भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वयंसेवी संगठनों/फोस्टर केयर आयोजकों/फोस्टर अभिभावकों को सीधा कोई अनुदान नहीं दिया जाता। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को और आगे भुगतान के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

विदेशियों द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करना

4514. श्री एन० डेनिस : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रहने वाले विदेशियों को यहां की नागरिकता प्रदान करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ऐसे विदेशियों की कुल संख्या क्या है जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन किया है और नागरिकता प्रदान किये गये, नागरिकता देने से इन्कार किए गए और लम्बित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके तहत बनाए गए नियमों में दी गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों/विदेशों में भारतीय दूतावासों से भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	भारतीय नागरिकता प्रदान किए व्यक्तियों की संख्या	स्वीकार किए गए आवेदनों की संख्या	अस्वीकार किए गए आवेदनों की संख्या	लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या
1986 (1-4-86 से 31-12-86 तक)	936	383	269	184	100
1987	1458	589	357	292	220
1988	957	98	261	197	401
जोड़ :	33 51	1070	887*	673+	721

* अपेक्षित दस्तावेजों के जमा कराने के बाद ही इनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।

+ इनमें वे मामले भी शामिल हैं जिनमें आवेदकों को नए आवेदन पत्र जमा कराने को कहा गया है क्योंकि उनके द्वारा जमा कराये गये आवेदन या तो अधूरे हैं अथवा आवेदन जमा कराने की तिथि को वे उनमें से कुछ संवैधानिक अपेक्षायें पूरी नहीं करते अथवा अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत उनको नये सिरे से आवेदन देने के लिए कहा गया है।

बहु-प्रयोजनीय पहचान-पत्र योजना

4515. डा० ए० के० पटेल । क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल करने के लिए और अधिक बहु-प्रयोजनीय पहचान-पत्र जारी करने की योजना के बारे में गुजरात और राजस्थान सरकार के सुझाव मान लिए हैं; यदि हां, तो गुजरात और राजस्थान के विभिन्न तहसीलों और तालुकों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या इन दोनों राज्यों में अल्प आयु-समूह वाले व्यक्तियों को भी इस प्रकार के पहचान-पत्र जारी किए जायेंगे और यदि हां, तो किस आयु-समूह तक के व्यक्तियों को पहचान-पत्र जारी किए जायेंगे;

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) इसी प्रकार की योजना के लिए असम से प्राप्त प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) बढ़ाई गई योजना के अन्तर्गत राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में सीमा क्षेत्र के साथ-साथ निम्नलिखित अतिरिक्त क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किए जाने हैं :—

राज्य	जिला	तहसील
राजस्थान	गंगानगर	गंगानगर
		पदमपुर
		अनूपगढ़
		रायसिंह नगर
		घरसाना
	जैसलमेर	जैसलमेर
		पोखरन
	बाड़मेर	बाड़मेर
		शिव
	बीकानेर	बीकानेर
		कोलायत

राज्य	जिला	तहसील
गुजरात	कच्छ	नाखतराना
		भचाऊ
		लखपत
		रापड़
	बनस्कान्ठा	वव
		सन्तालपुर

(ख) इस समय इन दो राज्यों में केवल 16 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने का निर्णय किया गया है।

(ग) योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उत्साहवर्धक समर्थन प्राप्त हुआ है।

(घ) असम समेत कुछ अन्य राज्य सरकारों से इस योजना को उनके राज्यों में भी आरम्भ करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन राज्य सरकारों को स्पष्ट किया गया है कि इस योजना को अन्य क्षेत्रों में लागू करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रायोगिक योजना पूरी तरह लागू हो जाएगी और उसका मूल्यांकन कर दिया जाएगा।

सचिवालय सुरक्षा बल का नाम

4516. डा० ए० के० पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवालय सुरक्षा बल को वर्ष 1988 से पहले गृह मंत्रालय सुरक्षा पुलिस का नाम दिया गया था ;

(ख) यदि हां तो इस बल के नाम में परिवर्तन करने के क्या कारण है; और

(ग) इस बल के कर्मचारियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्धसैनिक बलों के समान वेतन तथा भत्ते न दिए जाने के क्या कारण हैं जब कि दोनों बलों के दायित्व लगभग समान हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सचिवालय सुरक्षा बल (स०सु०ब० को इसके गठन के आरम्भ में गृह मंत्रालय सुरक्षा पुलिस के नाम से जाना जाता था। तथापि, समय के साथ-साथ के कर्तव्य और कार्यों को अधिक व्यापक तथा वास्तविक बनाया गया तथा बल का केन्द्रीय सचिवालय के दिल्ली स्थित समस्त कार्यालयों की सुरक्षा के लिए विस्तार किया गया। इससे नाम में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया।

(ग) यह कहना सही नहीं कि सचिवालय सुरक्षा बल के कार्य लगभग सी.आर.पी.एफ/बी.एस.एफ. आदि के कार्यों के समान ही हैं। जबकि सी. आर.पी.एफ/बी.एस.एफ. संघ के सशस्त्र बल हैं, इसके सदस्यों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है तथा उनको देश की सीमाओं की सुरक्षा करने सहित (बी.एस.एफ. के मामले में (कानून और व्यवस्था जैसी कठिन ड्यूटी भी निभानी पड़ती है; लेकिन सचिवालय सुरक्षा बल के बारे में ऐसा नहीं है। यह एक निहत्था बल है और इसका कार्य दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय की निगरानी करना तथा उनमें प्रवेश को नियमित करना है।

सचिवालय सुरक्षा बल के समूह "घ"-कर्मचारी

4517. डा० ए० के० पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवालय सुरक्षा बल के समूह "घ" कर्मचारियों को केन्द्रीय सचिवालय के समूह "घ" कर्मचारी के समकक्ष माना जाता है :

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें भी केन्द्रीय सचिवालय के समूह "घ" कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते जिसमें समयोपरि भत्ता/वाहन भत्ता आदि शामिल है, दिए जाते हैं :

(ग) क्या सेवा शर्तों के मामले में भी उन्हें केन्द्रीय सचिवालय के समूह "घ" कर्मचारियों के समकक्ष माना जाता है : और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) तक सचिवालय सुरक्षा बल के "घ" समूह के कर्मचारियों और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के "घ" समूह के कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर एक समान सेवा नियम लागू होते हैं। तथापि, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा उत्तरदायित्वों, आदि की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन और भत्तों की दरें समान नहीं हैं। इस प्रकार, सचिवालय सुरक्षा बल के "घ" समूह के कर्मचारियों को केन्द्रीय सचिवालय के "घ" समूह के कर्मचारियों के मुकाबले थोड़ी अधिक वेतन और वर्दी दी जाती है। "कार्यालय स्टाफ" न होने के कारण सचिवालय सुरक्षा बल के कर्मचारी समयोपरि भत्ते के हकदार नहीं है। तथापि, अधिक ड्यूटियां किए जाने के एवज में उनको "अवकाश" दिये जाते है। जहां तक यात्रा भत्ते का प्रश्न है, न तो यह सचिवालय सुरक्षा बल के 'घ" समूह के कर्मचारियों को देय है और न ही केन्द्रीय सचिवालय के "घ" समूह के कर्मचारियों को देय है : परन्तु जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो उनके यात्रा खर्चे की प्रतिपूर्ति की जाती है।

पंजाब के लिए एकमुश्त कार्यक्रम कार्यान्वयन

4518 श्री शरद दिघे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 3 मार्च, 1989 को घोषित एकमुश्त कार्यक्रम को अब तक कितना कार्यान्वित किया जा चुका है : और

(ख) इसका पंजाब की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधान मंत्री द्वारा 3 मार्च 1989 को घोषित की गई पैकेज योजना में शामिल सभी विषयों पर कारंवाई पूरी की जा चुकी है। जोधपुर के सभी विचाराधीन कैदियों के विरुद्ध लगाए गए युद्ध छेड़ने के मामले वापस ले लिए गए और उन कैदियों को छोड़कर जिन पर युद्ध छेड़ने के मामलों के बजाय अन्य अपराधिक आरोप है, जेल से रिहा कर दिया गया है। आपत्तिजनक भाषण देने के बारे में दर्ज किए गए 563 मामलों की पंजाब सरकार द्वारा पुनरीक्षा की गई है। विदेशी अधिनियम के अधीन पंजाब की यात्रा करने वाले विदेशियों पर सभी प्रतिबन्ध हटा लिया गया है। पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम तीन सीमावर्ती जिलों नामतः अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर तक सीमित है और राज्य सरकार और अधिक क्षेत्रों को इन अधिनियमों के क्षेत्राधिकार से बाहर करने के मुद्दे पर विचार कर रही है। पुलिस कार्यप्रणाली को सामान्य बनाने के लिए अनुदेश जारी कर दिये गये हैं 606 गांवों में विशेष पुलिस टुकड़ियां गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त 1104 गांवों में स्वयंसेवी ग्राम सुरक्षा दल भी गठित किए गए है।

(ख) अब तक उठाए गये कदमों का समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया है।

जबलपुर स्थित गोला बारूद कारखानों में प्रशिक्षित प्रशिक्षु

4519. श्री अजय मुशरान : रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जबलपुर स्थित गोला-बारूद कारखानों में प्रतिवर्ष कितने प्रशिक्षु प्रशिक्षित किये गये;

(ख) उनके प्रशिक्षण पर प्रतिवर्ष कितना खर्च हुआ ;

(ग) प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण पूरा करने के बाद गोला-बारूद कारखानों में प्रतिवर्ष कितने प्रशिक्षुओं को रोजगार दिया गया है; और

(घ) शेष बेरोजगार प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को रोजगार देने की क्या योजना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) चार आयुध निर्माणियों मे वर्ष 1986,1987 और 1988 के दौरान क्रमश 103,133 और 120 ट्रेड शिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया ।

(ख) । वर्ष 1985-86,1986-1987 और 1987-88 के दौरान इनके प्रशिक्षण पर क्रमश: 12.57 लाख रुपए, 14.61 लाख रुपए और 18.07 लाख रुपए की वार्षिक लागत आई ।

(ग) शून्य ।

(घ) शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कुछ ट्रेड शिक्षुओं को विभिन्न निर्दिष्ट में प्रशिक्षण देने का आयुध निर्माणियों का वैधानिक दायित्व है । हालांकि ट्रेड शिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी आयुध निर्माणियों की है परन्तु उन्हें रोजगार देने की जिम्मेदारी उनको नहीं है । फालतू स्टाफ का पता लगाने के संबंध मे समीक्षा का कार्य पूरा होने तक भर्ती पर लगी रोक के मौजूदा आदेशों के अनुसार नई भर्ती नहीं की जा सकती । फिर भी अन्य स्थानों पर, नई निर्माणियों/परियोजनाओं में भर्ती की अनुमति है और प्रशिक्षित शिक्षु इन नई निर्माणियों/परियोजनाओं में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

तमिलनाडु में एक अन्तरिक्ष एकक की स्थापना करने का प्रस्ताव

4520. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तुम्बा, त्रिवेन्द्रम स्थित अन्तरिक्ष एकक का विस्तार करने अथवा वहां पर और एककों की स्थापना करने का विचार था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव में परिवर्तन करके तमिलनाडु में अन्तरिक्ष एकक स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं . और

(ङ) इन अतिरिक्त अन्तरिक्ष एकक को स्थापित करने से अनुमानत: कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी,

नहीं। त्रिवेन्द्रम, केरल स्थित अन्तरिक्ष केन्द्र में अतिरिक्त यूनिटों के विस्तार/प्रारंभ करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन भावी कार्यक्रमों की कार्यकरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, उपयुक्त परियोजना टीमों के गठन और अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों के समाकलन संबंधी कार्य जारी रहेंगे।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बलियापाल परियोजना के बारे में विदेशी दलों से अभ्यावेदन

4521. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं विदेशी दलों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें अनुरोध किया गया है कि उड़ीसा में बलियापाल में गोलाबारी परीक्षण केन्द्र स्थापित करने की परियोजना को छोड़ दिया जाये,

(ख) इन दलों ने इसके क्या कारण बताये हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) :(क) जी हां।

(ख) अधिकांश दलों का यह दावा था कि बलियापाल में राष्ट्रीय चांदमारी क्षेत्र स्थापित करने से कई किसानों और मछुआरों को अपनी भूमि तथा जीविका से हाथ धोना पड़ेगा। इन लोगों ने इससे प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों के प्रति भी चिंता व्यक्त की। कुछ लोगों ने क्षतिपूर्ति और पुनर्वास के लिए आश्वासन (गारंटी) के बारे में आशंका व्यक्त की है।

(ग) बलियापाल, उड़ीसा बालासोर जिले के तटीय क्षेत्र में राष्ट्रीय चान्दमारी क्षेत्र की स्थापना करने के सरकारी निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिन परिवारों के विस्थापित किए जाने की सम्भावना है उनके लिए एक विस्तृत पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना तैयार की गई है।

पिक्चर ट्यूबों का निर्माण

4522. श्री मोहन भाई पटेल
श्री चिंतामणि जेना : } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं जो ब्लेक एण्ड व्हाइट तथा रंगीन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण कर रहे हैं और प्रत्येक एकक का आकार-वार वार्षिक उत्पादन कितना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के आर० नारायणन) : वर्ष 1988 के दौरान श्याम तथा श्वेत और रंगीन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण करने वाली औद्योगिक इकाइयों के नाम तथा प्रत्येक इकाई द्वारा किए जाने वाले इन पिक्चर ट्यूबों के आकार-वार वार्षिक उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1988 के दौरान उत्पादन

वस्तु/विनिर्माता का नाम	आकार (सेमी. में)	मात्रा (दस लाख में)
श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबें		
1. भारत इलेक्ट्रानिक्स लि., बंगलौर	51/36/11.5	0.73
2. फेनाविजन लि., हैदराबाद	51/36	0.01
3. जे सी टी इलेक्ट्रानिक्स लि., चंडीगढ़	51/36	0.81
4. गुजरात ट्यूब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	36	0.13
5. प्रकाश पाइप्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली	36	1.25
6. क्वालीट्रान कॉम्पोनेंट्स लि., अहमदाबाद	36	0.05
7. समटेल (इंडिया) लि., नई दिल्ली	36	1.22
	51	0.60
8. सुचित्रा टेलीटयूब्स लि., हैदराबाद	51	0.14
9. टेलीट्यूब्स इलेक्ट्रॉनिक्स लि., गाजियाबाद	51	0.39
10. टेबेल वीडियो डेवाइसिस लि., कलकत्ता	51	0 01
	योग	4.83
रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबें		
1. जे सी टी इलेक्ट्रानिक्स लि., (सी पी टी वर्क्स), चंडीगढ़	51	0.27
2. समटेल कलर लि. नई दिल्ली	53	0.04
3. अपट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब्स लि., साहिबाबाद	51	0.07
	योग	0.38

सहायक पुलिस आयुक्तों से मजिस्ट्रेट की शक्तियां वापस लेना

4523. श्री कमल चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1989 के हिन्दु (दिल्ली संस्करण) में" अगेन्स्ट मजिस्ट्रीयल पावर्स वेस्टेड इन एसीपी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है :

(ख) यदि हां, तो सरकार सहायक पुलिस आयुक्तों से मजिस्ट्रेट की शक्तियां वापस लेने पर विचार कर रही है।

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं : और

(घ) दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के अधीन सहायक पुलिस आयुक्तों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं । मोटे तौर से यह प्रणाली संतोषजनक ढंग से चल रही है ।

(घ) संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त, जिसके नाम का यहां उक्त समाचार में उल्लेख किया गया है, उसे स्थानान्तरित कर दिया गया है और अब वह विशेष अधिशासी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत नहीं है ।

वायुदूत को लाभ/हानि

4524. श्री बल्लभ पाणिग्रही / डा० फूलरेणु गुहा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) वायुदूत को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) वायुदूत की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) : पिछले तीन वर्षों में वायुदूत को लगभग 10.37 करोड़ रुपए की संचित हानि होने का अनुमान है ।

(ख) हानि के मुख्य कारण हैं, डोर्नियर विमान की अधिक पूंजीगत लागत, विदेशी मुद्रा का प्रतिकूल उतार-चढ़ाव और वायुदूत परिचालकों का विशिष्ट स्वरूप ।

(ग) बजटीय सहायता के प्रावधान के अतिरिक्त, वायुदूत को परिचालन लागतों और कम अवधि के ऋणों में रियायत प्राप्त करने में सहायता दी गई है । वायुदूत के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाये गए हैं :—

(i) किराये के ढांचे को युक्ति संगत बनाना;

(ii) ऐसे मार्गों की पहचान करना तथा उन्हें समाप्त करना जो काफी समय से अपना संतुलन नहीं बना सके;

(iii) साध्यता के आधार पर यथा समय नए स्टेशनों का चयन करना ।

आपराधिक मामलों से निपटने के लिये विदेशी सहयोग

4525. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपराधिक मामलों में जांच पड़ताल के लिए परस्पर सहायता देने के लिए कुछ देशों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; जिनके साथ ऐसे समझौते किए गए हैं; और

(ग) इन देशों के साथ हुए ऐसे समझौते का ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारत, अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (इन्टरपोल) का सदस्य होने के नाते, आपराधिक मामलों की जांच-पड़ताल से सम्बन्धित मामलों में अन्य 146 सदस्य देशों को, उनके कानून की सीमा के भीतर, सहयोग प्रदान करता है/उनसे सहयोग प्राप्त करता है। हरारे में 1986 में राष्ट्रमंडल के कानून मंत्रियों की बैठक में पारित की गई आपराधिक अपराधों की जांच पड़ताल सम्बन्धी पारस्परिक सहायता योजना के अनुसरण में, भारत राष्ट्रमण्डल के सदस्य देशों को पारस्परिक सहयोग प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी कर चुका है। 14 देशों के आप्राधिक सहायता के लिए विद्यमान पारस्परिक प्रबन्धों के अतिरिक्त, भारत ने हाल ही में स्वीज़रलैंड और तुर्की के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता के लिए समझौता किया है। समझौते में, पारस्परिकता और दोहरी आपराधिकता के सिद्धान्त के आधार पर कानून प्रवर्तक अधिकरणों के बीच गवाहों की अवस्थिति, उनके परिसाक्ष्य, रिकार्ड प्रस्तुत करना इत्यादि समेत, अपराधिक मामलों में सहयोग करने की व्यवस्था है।

एयर बस सेवा

4526. प्रो० के० वी० थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-कोचीन और दिल्ली-कोचीन क्षेत्र में हाल ही में प्राप्त किए गए एयर बस विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो इन क्षेत्रों में कितनी नयी एयर बसों का उपयोग किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स अपने नेट-वर्क पर ए-320 विमानों के परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दे रहा है। इसमें हवाई अड्डों की नेटवर्क उपयुक्तता की अपेक्षाओं और रक्षा प्राधिकारियों द्वारा मरम्मत के लिए कोचीन हवाई अड्डे को बन्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव को ध्यान में रखा जाएगा।

स्वर्ण मन्दिर को सुन्दर बनाने की योजना

4527. प्रो० के० वी० थामस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर स्थित स्वर्ण मन्दिर परिसर को सुन्दर बनाने की योजना कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उक्त परियोजनाओं पर अब तक कितनी धन-राशि खर्च की गई है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने पर कितनी धन-राशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पंजाब सरकार के अनुसार ऐतिहासिक, पुरातत्वीय अथवा सुरक्षा

प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे जाने वाले भवनों को छोड़कर सभी सम्पत्तियों गिराने का कार्य प्रथम चरण कार्यक्रम के अधीन पूरा कर लिया गया है।

(ख) अभी तक परियोजना पर 50.03 करोड़ रुपया खर्च हुआ बताया गया है।

(ग) वर्तमान अनुमानों के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए 21.73 की और आवश्यकता होगी।

(घ) पंजाब सरकार के अनुसार वर्ष के अन्त तक परियोजना पूरी होने लगा है।

के-बैंड उपग्रह

4528. श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सूचना-केन्द्र ने के-बैंड उपग्रहों के सम्बन्ध में सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सम्भाव्यता अध्ययन किस प्रयोजन हेतु सहायक होगा; और

(ग) रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रौद्योगिकी की जांच करने के उद्देश्य से कम्प्यूटरों के मध्य केवल आंकड़ों के संचरण के लिए एक विशेष उद्देशीय के-बैंड उपग्रह के उपयोग करने की सम्भावना पर एक अध्ययन शुरू किया गया है जिससे इसके नेटवर्क, निसनेट में भू केन्द्रों की स्थापना की लागत को कम किया जा सके। अध्ययन अभी प्रारंभिक चरण में है।

विज्ञान केंद्र की बैठक

4529. श्री एस० एम० गुरड्डी
श्री शांतिलाल पटेल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुट निरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की शासी परिषद् की बैठक 16 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) बैठक में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बैठक में केन्द्र से सम्बन्धित कार्यकलापों के बारे में विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के निष्कर्ष और निर्णय निम्नलिखित हैं :

(1) केन्द्र (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनशक्ति प्रशिक्षण तथा (ख) सदस्य देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना इसके संग्रह के आदान-प्रदान तथा प्रसारण को सुसाध्य बनाएगा। यह बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमों के निर्माण, जो सदस्य देशों के हित में तथा उनकी आवश्यकताओं पर आधारित हो, को भी सुसाध्य बनाएगा।

सदस्य देशों द्वारा केन्द्र को संसाधनों की वचनबद्धता के लिए जरूरत पर प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की;

(3) ऐसे गुट निरपेक्ष और विकासशील देश, जो अभी तक इस केन्द्र के सदस्य नहीं बने हैं, को तुरन्त इस केन्द्र का सदस्य बनाने का अनुरोध किया गया;

(4) केन्द्र का पहला निदेशक भारत का होगा;

(5) केन्द्र के निदेशक की नियुक्ति के अनुमोदन करने तथा केन्द्र के बजट में सदस्य देशों के अंशदानों पर विचार करने के लिए अगस्त, 1989 में केन्द्र की एक असाधारण बैठक आयोजित की जाएगी; तथा

(6) शासी परिषद् की अगली बैठक अप्रैल, 1990 से पहले आयोजित की जाएगी।

कम्प्यूटर वाइरस

4530. श्री बी०एस० बासवराजू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित लगभग 20 फर्में हाल ही में "कम्प्यूटर वाइरस" से प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस मामले में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) बम्बई में कम्प्यूटर "विषाणु" से सम्बन्धित रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी थी। इसके सम्बन्ध में कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) से (घ) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने इस समस्या पर विचार करने और उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

ए०एस०एल०वी० (संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट)—2 का असफल होना

4531. श्री बी०एस० बासवराजू
श्री एस०बी० सिदनाल } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट-2 की वाहन नियंत्रण प्रणाली में कुछ खामियां आने के कारण यह राकेट असफल रहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके असफल होने के तुरन्त बाद सरकार ने कोई "विफलता विश्लेषण समिति" नियुक्त की थी;

(ग) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थीं; और

(घ) समिति द्वारा पाई गई खामियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ)

अन्तरिक्ष विभाग ने ए०एस०एल०वी०डी०-2 की उड़ान के तुरन्त बाद इसकी असफलता के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए एक असफलता विश्लेषण समिति (एफ०ए०सी०) गठित की थी। इसके अलावा, ए०एस०एल०वी०-डी०-2 की असफलता के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए तथा भावी उड़ानों के लिए उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश करने के लिए ए०एस०एल०वी०-डी० 2 तथा डी० 1 उड़ानों के उड़ान आंकड़ों के स्वतन्त्र रूप से पुनरीक्षण के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक पैनल को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ पुनरीक्षण पैनल (ई०आर०पी०) का भी गठन किया गया। एफ०ए०सी० ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी ई०आर०पी० द्वारा जांच की जा रही है। एफ०ए०सी० ने इस असफलता का कारण अधिकतम गति की दबाव क्षेत्र पर नियंत्रण के न रहने के परिणामस्वरूप आक्रमण के पार्श्ववर्तन कोण के अधिक मात्रा में बढ़ने तथा उड़ान भार के स्वीकार्य सीमाओं से अधिक होना बताया है और सिफारिश की है कि अन्य बातों के साथ-साथ विविध राकेट अवरोधों को ध्यान में रखते हुए मुख्यतया संकीय आटो पायलट का पुनर्डिजाइन किया जाए। ई०आर०पी० का स्वतन्त्र मूल्यांकन और निष्कर्ष तथा सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा है, जिनके आधार पर अगले प्रमोचन की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाइयां प्रारम्भ की जाएंगी।

राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान द्वारा संगोष्ठी

4532. श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान ने एक संगोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संगोष्ठी में यह विचार व्यक्त किया गया था कि कृषि क्षेत्र को छोड़ कर, विज्ञान प्रौद्योगिकी बाकी के क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण लोगों में व्याप्त गरीबी को दूर करने के मामले में सफल नहीं रही है;

(ग) क्या उपरोक्त संगोष्ठी में गरीबी उन्मूलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभावकारी प्रयोग के बारे में कुछ सिफारिशें की गई थीं;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर आधारित किसी कार्यक्रम को लागू करने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) दिनांक 1 नवम्बर, से 3 नवम्बर, 1988 तक इण्डियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टिट्यूशन द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली में आयोजित किये गये वैज्ञानिकों प्रौद्योगिकीविदों और सामाजिक वैज्ञानिकों की विचारगोष्ठी में पढ़े गये पेपरों में से एक में यह विचार व्यक्त किया गया कि केवल कृषि के क्षेत्र को छोड़कर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयों के कार्यक्रमों में ग्रामीण जनसंख्या के मात्र एक छोटे हिस्से को ही अब तक दायरे में लिया गया है।

(ग) अन्य बातों के साथ ही निम्नलिखित आवश्यकता पर जोर देते हुए कतिपय सुझाव इस सम्बन्ध में विचारगोष्ठी में रखे गये।—

(1) जो संस्थान वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान में रत हैं, उनमें से अधिकांश के ढांचे के अंतर्गत अलग ग्रामीण अनुभागों/इकाइयों का सृजन करना।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में रुचि और चिंतन रखने वाले वैज्ञानिकों के कोर कैडर स्थापित करना जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये गहन रूप से प्रोत्साहित किए जाएंगे।

(3) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रभावकारी उपकरण के रूप में और जो अनुसन्धान हाथ में लेते हैं और जो अपनी नैत्यिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अनुसन्धान के परिणामों को लागू करते हैं, उन लोगों के मध्य संबंधों के रूप में सक्षम और स्वैच्छिक एजेन्सियों को मजबूत करना और विकास करना।

(4) आवश्यकता के स्तर के लिये अधिक उन्नत और प्रचलित प्रौद्योगिकियों को लागू करने और आत्मसात (अधिकार) करने के लिये सबहारा वर्ग में कौशल और क्षमता को बढ़ाना।

(ख) और (ग) सामान्य सूचना के लिये अधिकाधिक प्रचार हेतु संस्तुतियां स्वरूप में केवल सुझाव थीं। तथापि, सरकार ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से परिचित है और ग्रामीण क्षेत्र के लाभ के लिये पहले ही बहुत से उपाय, योजनाएं और मिशन प्रारम्भ किये गये हैं। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी ढांचा पूर्णरूप से इस कार्यक्रम में संलग्न है।

वेस्टलैंड हेलिकाप्टरों का कार्य निष्पादन

4533. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवनहंस लिमिटेड के कितने हेलीकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए और चालू हालत में नहीं हैं और इस समय कितने चालू हालत में हैं;

(ख) वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों की कम्पनी से इनकी मरम्मत हेतु कितनी धनराशि वसूल करने का विचार है; और

(ग) सेवा में न लाये जा सकने वाले हेलीकाप्टरों को वापस करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) 21 वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के कुल बेड़े में से, 19 हेलीकाप्टर इस समय पवन हंस लिमिटेड की सेवा में हैं। दुर्घटनाग्रस्त दो अन्य हेलीकाप्टरों की लागत पवन हंस लिमिटेड की स्वतः बीमा योजना द्वारा कवर कर ली गई है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखकर प्रश्न नहीं उठते।

पर्वतीय विकास परिषद के लिए धनराशि का आवंटन

4534. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत 9 मार्च, 1989 को दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय विकास परिषद के चैयरमैन द्वारा कलकत्ते में दिए गए इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वे "राजनीति" में आ सकते हैं यदि पर्वतीय विकास की "पुरानी संकल्पना" को नई संकल्पना में न बदल दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परिषद के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) सरकार ने समाचार देखा जिसमें दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद के अध्यक्ष श्री सुभाष घीसिंग ने पहाड़ी परिषद को धन आवंटित करने के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र योजना के लिए आवंटन राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में किया जाता है, जिसमें विशेष केन्द्रीय सहायता जोड़ी जाती है। दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र के लिए केंद्रीय सहायता का भाग, इस प्रकार की सहायता को शासित करने वाले अनुमोदित फार्मूले के अनुसार निकाला जाता है।

विमान परिचारिकाएं

4535. श्री रेणुपद दास : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विमान परिचारिकाओं को ऐसे विमानों पर उड़ान के लिए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिनके लिए उन्होंने एयर इण्डिया प्रबन्धकों से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1988 से फरवरी, 1989 के दौरान कितनी विमान परिचारिकाओं को इस प्रकार की उड़ानों पर जाने के लिए निर्देश दिए गए थे; और

(ग) एयर इंडिया प्रबन्धकों द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि विमान परिचारिकाओं को विशेष प्रकार के विमान पर उड़ान के लिए जाने से पहले उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। एयर इंडिया की कोई उड़ान अप्रशिक्षित मेन्डेटरी न्यूनतम केबिन कर्मीदल के साथ प्रचालित नहीं की गई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वायुदूत सेवा उपलब्ध कराना

4536. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान वायुदूत सेवा से किन-किन स्थानों को जोड़ने का विचार है; और

(ख) कितने स्थानों के लिए वास्तव में अब तक वायुदूत सेवा उपलब्ध कराई गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वायुदूत द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान तथा सातवीं योजना अवधि के अन्त तक हवाई सेवा से जोड़े जाने वाले प्रस्तावित स्टेशनों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) वर्ष 1987-88 से बाकी की अवधि के दौरान वायुदूत द्वारा प्रस्तावित 44 स्टेशनों में से अब तक हवाई सेवा से जोड़े गए स्टेशन निम्न प्रकार हैं :—

1.	राजौरी	7.	गया
2.	[illegible]	8.	अकोला
3.	शिमला	9.	भटिंडा
4.	नेवेली	10.	धनबाद
5.	जबलपुर	11.	जम्मू
6.	बिलासपुर		

विवरण

वायुदूत द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान तथा सातवीं योजना अवधि के अन्त तक हवाई सेवा से जोड़े जाने वाले प्रस्तावित स्टेशनों की सूची

1.	पांडिचेरी	23.	तिरुनेलवेली
2.	पटियाला	24.	आबू रोड
3.	जालंधर	25.	अजमेर
4.	कुल्लू	26.	अलवर
5.	राजौरी	27.	भिलाई
6.	सूरनकोट (पुंछ)	28.	कालीकट
7.	किस्तवाड़	29.	बैतोनाब
8.	लक्षद्वीप	30.	दीव
9.	शिमला	31.	द्वारका
10.	फैजाबाद	32.	गंगानगर
11.	नेवेली	33.	गंगटोक
12.	जबलपुर	34.	गाजीपुर
13.	बिलासपुर	35.	गोपालपुर
14.	तूतीकोरीन	36.	इटानगर
15.	रायपुर	37.	भिंडा
16.	गया	38.	नवीरा
17.	पूर्णिया	39.	पठानकोट
18.	मुजफ्फरपुर	40.	सबिया
19.	कैलाशहर	41.	भटिंडा
20.	जलगांव	42.	धनबाद
21.	अकोला	43.	हुबली
22.	चन्द्रपुर	44.	जम्मू

"धाक" समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

4537. डा० बी० एल० शैलेश : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में "धाक" समुदाय अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल है जबकि बिहार में "धाक" समुदाय को "पिछड़ा वर्ग" माना जाता है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बिहार में भी "धाकड़" समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए अनुरोध करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमति सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अनु० जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में परिवर्तन करने के संबंध में प्राप्त सभी प्रस्तावों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन करने के संदर्भ में विचार किया जा रहा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। इस समय लोकहित में इससे अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती है।

पंजाब और चण्डीगढ़ में आतंकवादी गतिविधियां

4538. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और चण्डीगढ़ में वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान आतंकवादियों द्वारा मारे गए और घायल किए गए व्यक्तियों की मासिक औसत संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रपति शासन की अवधि तथा उससे तत्काल पूर्व की निर्वाचित सरकार की अवधि में इस संख्या का मासिक औसत कितना है;

(ग) इन तीन वर्षों के दौरान मारे गए, गिरफ्तार किए गए और रिहा किए गए आतंकवादियों की मासिक औसत संख्या का वार्षिक ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रपति शासन की अवधि तथा उससे तत्काल पूर्व की निर्वाचित सरकार की अवधि के लिए इस संख्या का मासिक औसत कितना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष/अवधि	मारे गए व्यक्तियों का मासिक औसत	जख्मी	मारे गए व्यक्तियों का मासिक औसत	गिरफ्तार
1	2	3	4	5	6
I. पंजाब	1986	43.33	29.66	6.50	131.75
	1987	75.83	53.25	27.33	312.50
	1988	162.41	103.08	31.08	323.50
बरनाला सरकार के दौरान	1-10-1985 से 11-5-1987	42.16	30.89	6.71	143.84

1	2	3	4	5	6
राष्ट्रपति शासन	12-5-1987 से 28-2-1989	128.15	81.35	33.72	326.67
II. चण्डीगढ़	1986	—	—	—	—
	1987	.42	.58	—	.42
	1988	.33	.50	.25	.25

चण्डीगढ़ में 1988 में हिरासत से 5 आतंकवादी रिहा किए गए। 1986 और 1987 के दौरान चण्डीगढ़ में कोई आतंकवादी रिहा नहीं किया गया।

पंजाब में रिहा किए गए आतंकवादियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों से अंशदान लेने पर प्रतिबंध

4539. प्रो० राम कृष्ण मोरे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गरीबी उन्मूलन और अन्य कल्याण कार्यक्रमों में लगे भारतीय स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विदेशों से अंशदानों/अनुदानों/दानों को लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी और किन-किन स्वयंसेवी एजेंसियों की मान्यता समाप्त कर दी गई अथवा उन पर विदेशों से धन लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत आने वाले केवल कुछ एक संगठनों पर विदेशी अभिदान स्वीकार करने पर जनहित में प्रतिबन्ध लगाया गया है। उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 10(क) के अन्तर्गत जिन संगठनों पर विदेशी अभिदान प्राप्त करने पर जनहित में प्रतिबंध लगाया गया है उनके नाम

1986

क्रम सं०	
1.	रूरल एक्शन इन डेवलपमेंट, जिला गुड्डप्पा (आन्ध्र प्रदेश)
2.	भोपाल तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल (मध्य प्रदेश)

1987

1.	एक्शन फार पीपुल्स पार्टिसिपेशन एंड इनवायरमेंट क्वेर इरनाकुलम कोचीन केरल
2.	सोशल एक्शन मूवमेंट आफ ईदुक्की, पुलियनमाला, जिला इडुक्की।
3.	अन्नाकार विकास संगम, अन्नाकारा, (जिला इदुक्की)
4.	सामाजिक सौहार्द के लिए उच्चस्तरीय एकीकृत विकास सोसायटी, कम्पंपन्न क्वायल पो. ओ. इदुक्की।

5. सोसायटी फार एक्शन विद यूथ, पानीविजा अदूर, पो.ओ. पायलमिथीटा जिला (केरल)
6. कर सेवा संगठन बाबा जगतार सिंह, तरन तारन, जिला अमृतसर (पंजाब)

1988

1. इस्लामिया कालेज, कुटबीयादो, कालीकट जिला (केरल)
2. सामुदायिक सेवा समिति, कन्याकुमारी (तमिलनाडु)
3. सोसायटी फार पीपुल्स एक्शन डवलपमेंट, तानाली।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 को संशोधित करना

4540. प्रो० राम कृष्ण मोरे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गरीब लोगों के कल्याण के लिए बने सरकारी 20-सूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के काम में लगे स्वयंसेवी न्यासों/संघों द्वारा विदेशी अभिदायों की प्राप्ति से संबंधित प्रक्रिया को भी उदार बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) । (क) से (घ) जी हां, श्रीमान् । विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 को संशोधित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर इस उद्देश्य के लिए सदन के समक्ष एक विधेयक लाया जाएगा ।

पाकिस्तान से आतंकवादियों को हथियार और गोलाबारूद

4541. डा० दत्ता सामंत
श्री जी० एम० बालयराजू } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से भारत में आतंकवादियों को मिलने वाले हथियारों और गोला बारूद की मात्रा में हाल ही में कमी आई है;

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(ग) भारत-पाक सीमा पार करते हुए कितने आतंकवादी मारे गए अथवा गिरफ्तार किए गए ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) । (क) भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े जा रहे हथियारों और गोलाबारूद में हाल में कोई कमी ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) दिसम्बर, 1988 से फरवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद पकड़ा गया :

राइफल	—	सं० 6
पिस्तौल	—	सं० 8
गन	—	सं० 5
रिवाल्वर	—	सं० 2
विविध गोलाबारूद	—	3971 राउण्ड

(ग) दिसम्बर, 1988 से फरवरी 1989 तक की अवधि के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर 700 घुसपैठिए पकड़े गए और 76 घुसपैठिए मारे गए। यह कहना सम्भव नहीं है कि इन पकड़े गए और मारे गए व्यक्तियों में से कितने संदिग्ध आतंकवादी थे।

पंजाब में नजरबंदियों की रिहाई

[हिन्दी]

4542. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पंजाब में उन व्यक्तियों को रिहा करने का निर्णय किया है जिन्हें आपत्तिजनक भाषण करने के आरोप पर गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के अन्तर्गत अब तक कुल कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया है;

(ग) मार्च, 1989 के मध्य तक कुल कितने व्यक्ति ऐसे आरोपों पर जेलों में बन्द थे; और

(घ) इन्हें रिहा न किए जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) यह निर्णय किया गया है कि पंजाब सरकार, आपत्तिजनक भाषणों के सम्बन्ध में दर्ज उन मामलों की पुनरीक्षा करेगी, जो लम्बित पड़े हैं और उन्हें वापस लेने के लिए न्यायालयों में याचिका दायर करने के लिए कदम उठाएगी।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां

[अनुवाद]

4543. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में कितने आतंकवादी मारे गये, घायल हुए और पकड़े गये; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान पंजाब में कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई अथवा क्षतिग्रस्त हुई?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान पंजाब में 779 आतंकवादी मारे गए तथा 9213 गिरफ्तार किए गए।

उपर्युक्त अवधि के दौरान घायल हुए आतंकवादियों और नष्ट/क्षतिग्रस्त हुई सम्पत्ति के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक घरानों द्वारा इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उत्पादन

4544. श्री गुरुदास कामत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक घरानों को रक्षा विभाग से सम्बन्धित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन करने की अनुमति दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार रक्षा सम्बन्धी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक माप यन्त्र, संचार उपस्करों के लिए अपेक्षित प्रणालियां/उप प्रणालियां, कम्प्यूटर और कम्प्यूटरों से सम्बन्धित संघटकों आदि की प्रतियोगी निविदाओं के आधार पर सिविल क्षेत्रों से खरीद की जाती है। इन उपकरणों की खरीद करने के लिए चयन प्रक्रिया में कम्पनी के मालिकाना स्वरूप को ध्यान में नहीं रखा जाता है। बड़े औद्योगिक घरानों के नियन्त्रणाधीन जिन फर्मों ने रक्षा सम्बन्धी इलेक्ट्रानिक उपकरणों के लिए आर्डर प्राप्त किए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. यूनिट्रॉन
2. फिलिप्स इंडिया लिमिटेड
3. इंग्लिश इलेक्ट्रिक कम्पनी
4. टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी

उपग्रह प्रक्षेपण

4545. श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 में उपग्रह प्रक्षेपण के लिये तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा इनका उपयोग किन-किन प्रयोजनों के लिये किया जाएगा।

(ख) क्या सरकार ने प्रस्तावित प्रक्षेपण-कार्यक्रमों के लिये विदेशों से वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री आर० नारायणन) : (क) 1989 से 1991 तक के वर्षों में उपग्रहों के उपयोगों के साथ-साथ इनके प्रक्षेपण का कार्यक्रम निम्न तालिका में दिया गया है :

	उपग्रह	प्रमोचन अवधि	उपयोग
1	2	3	4
1.	इन्सेट-1 डी.	मई, 1989 के आस-पास	यह घरेलू संचार, प्रसारण, मौसम-विज्ञान और आंकड़ा रिले सेवाओं के लिए भारत की बहुउद्देशीय प्रचालनात्मक उपग्रह प्रणाली की शृंखला में चतुर्थ उपग्रह है।
2.	आई. आर. एस. 1 बी.	1990/1991	यह आई. आर. एस. शृंखला में द्वितीय स्वदेशी उपग्रह है तथा आई. आर. एस. 1 ए., जिसे मार्च 17, 1988 को सफलता-पूर्वक छोड़ा गया था, के समतुल्य है। यह उपग्रह पृथ्वी के संसाधनों के सर्वेक्षण और आंकलन में सुदूर संवेदन आंकड़ों के उपयोग के लिए है।
3.	आई. आर. एस. 1 ई.	1990/1991	आई.आर.एस. 1 ई. उपग्रह आई. आर.एस.1 शृंखला का इन्जीनियरी मॉडल है। इसे स्वदेशी रूप में विकसित प्रथम ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.-डी.1) से छोड़े जाने की योजना है।
4.	इन्सेट-II-टी.एस. 1	1990/1991	यह स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित उपग्रह प्रणाली है, जो इन्सेट-1 शृंखला के उपग्रहों को प्रतिस्थापित करेगी तथा दूरसंचार और अन्य सेवाओं में बढ़ी हुई क्षमता प्रदान करेगी।
5.	स्रोस उपग्रह (संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट) ए.एस.एल. वी. (की अगली उड़ान में छोड़ा जाना है)	इसके प्रमोचन की तारीख विशेषज्ञ पुनरीक्षण पैनल (ई.आर.पी.) की सिफारिशों और इनके विश्लेषण पर निर्भर करती है।	यह अंतरिक्ष विज्ञान और उपयोग के क्षेत्र में अन्वेषणों के लिए परीक्षणों को करने के लिए स्वदेशी उपग्रह है।

(ख) और (ग) इन कार्यक्रमों के लिए विदेशों से किसी भी प्रकार की वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता नहीं मांगी गई है।

नेत्रहीनों के लिए समन्वित शिक्षा

4546. श्री एस० बी० सिदनाल
श्री डी० बी० चन्द्रशेखरप्पा } : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पांच प्रतिशत नेत्रहीन बच्चे ही स्कूल जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या समन्वित शिक्षा के माध्यम से नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा देने में कोई खास प्रगति नहीं हुई है;

(ग) क्या नेत्रहीन के कल्याण के लिये सरकार का कोई कानून बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य उपमन्त्री (श्रीमति सुमति उरांव) : (क) जी, नहीं। यद्यपि देश में स्कूल जाने वाले नेत्रहीन बच्चों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। यह अनुमान है कि 15 प्रतिशत नेत्रहीन बच्चे स्कूल जाते हैं।

(ख) शिक्षा विभाग के प्रशासनिकाधीन विकलांग व्यक्तियों के लिए समेकित शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, 1984-85 के दौरान लगभग 7,000 से बढ़ाकर, 1988-89 में संख्या लगभग 20 000 हो गई है, जिसमें लगभग 3,000 नेत्रहीन बच्चे भी शामिल हैं। संख्या में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने सभी श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों जिसमें नेत्रहीन भी शामिल हैं, के लिए विस्तृत विधान का सुझाव देने के लिए श्री बहरूल इस्लाम, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श से समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

एच०डी०डब्ल्यू० पनडुब्बी की खरीद

4547. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघीय जर्मन गणराज्य से एच०डी०डब्ल्यू० पनडुब्बियों की खरीद के बारे में सरकार द्वारा कराई गई जांच के क्या परिणाम निकले;

(ख) अब तक कुल कितनी एच०डी०डब्ल्यू० पनडुब्बियां खरीदी गई है और सुपुर्दगी की तिथियां तथा अदा किए गए गोदी मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी एच०डी०डब्ल्यू० पनडुब्बियों के लिए क्यादेश दिए गए हैं तथा उनकी संभावित सुपुर्दगी तिथियां और उनका कितना गोदी मूल्य निर्धारित किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) किसी भी अनियमितता का पता नहीं चल सका।

(ख) और (ग) दो बनी-बनाई एस. एस. के. पनडुब्बियां पश्चिम जर्मनी की फर्म मैसर्स एच. डी.डब्ल्यू. से 1986 में प्राप्त की गई थीं। इसी श्रेणी की दो और पनडुब्बियां मैसर्स एच. डी. डब्ल्यू. से प्राप्त की गई सामग्री पैकेजों से बम्बई स्थित माझगांव डॉक लिमिटेड में निर्मित की जा रही हैं।

स्वचालित तोप

4548. श्री जितेन्द्र सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आर्टिलरी रेजिमेंट के पास वैसी स्वचालित तोप नहीं है जैसी कि हमारे एक पड़ोसी देश की सेना के पास है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) भारतीय आर्टिलरी रेजीमेंट के पास पहले से ही कतिपय व्यास (कैलिबर) की स्वचालित तोपें हैं। रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन ने पहले ही दीर्घ-व्यास की स्वचालित तोपों का देश में ही विकास करना आरम्भ कर दिया है।

केरल में परमाणु विद्युत संयंत्र

4549. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षमता का संयंत्र स्थापित किया जाएगा और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) निकट भविष्य में केरल में परमाणु बिजलीघर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि दक्षिण, क्षेत्र में भविष्य में लगाए जाने वाले बिजलीघर चाहे किसी भी स्थान पर स्थित हों, सरकार यह सुनिश्चित रखना चाहती है कि ऐसे केन्द्रीय बिजलीघरों में पैदा हुई बिजली उस क्षेत्र के सभी राज्यों को उचित मात्रा में दी जाए।

केन्द्रीय सेवाओं के ग्रुप "क" के अधिकारियों की समयबद्ध पदोन्नति

[हिन्दी]

4550. श्री प्रो० चन्द्रभानु देवी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेवाओं के ग्रुप "क" के अधिकारियों की तुलना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहले पदोन्नति मिलती है, जबकि दोनों श्रेणियों के अधिकारियों की भर्ती एक ही परीक्षा के आधार पर की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सेवाओं के ग्रुप "क" के अधिकारियों को समयबद्ध पदोन्नति देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) किसी सेवा में पदोन्नति के अवसर उसकी संवर्ग संरचना तथा पिछली भर्ती को देखते हुए समय-समय पर बदल सकते हैं।

(ग) केन्द्रीय सेवाओं की समूह "क" की किसी भी सेवा में समयबद्ध पदोन्नति के लिए कोई अवधारणा नहीं है। तथापि 1-1-1986 से केन्द्रीय सेवाओं के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के

स्तर II तथा स्तर I का विलय कर दिया गया है। केन्द्रीय सेवाओं के समूह "क" के चयन ग्रेड में पदों की संख्या बढ़ा दी गई है जिससे पदोन्नति के अवसरों में सुधार हुआ है।

बंगलौर हवाई अड्डे को राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपा जाना

[अनुवाद]

4551. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर हवाई हड्डा सेना के नियंत्रणाधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बंगलौर हवाई अड्डे को भारतीय राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण को सौंपने का है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) बंगलौर हवाई अड्डे का स्वामित्व हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास है और उसके द्वारा ही उसका रख-रखाव किया जाता है जो कि रक्षा मन्त्रालय के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा रक्षा उपकरणों का निर्माण

4552. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा उपकरणों के निर्माण का कार्य भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सौंपा है; और

(ख) यदि हां, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही विभिन्न प्रकार की युद्ध-सामग्री का ब्यौरा है?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) जी, हां। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को ये कार्य सौंपे गए हैं—स्टीम टरबाइन्स का निर्माण, फ्रीगेटों के लिए 750 किलोवाट और 500 किलोवाट के अल्टरनेटरों का निर्माण, फ्लीट टैंकरों के लिए इंटरमीडिएट साफ्ट, प्रणोदक साफ्टिंग और टुरेट-कास्टिंग तथा टी-72 एम एल टैंक के लिए विशेष इस्पात की प्लेटों के थर्मो-प्रेसिंग जैसे बड़े उपकरणों के लिए ब्रैकटों का निर्माण। कतिपय विकास परियोजनाओं में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को कुछ निर्माण/विकास कार्य भी सौंपे गए हैं।

विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को छात्रवृत्ति

4553. श्री जी० भूपति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.बी.बी.एस., एम.एस., एम.डी. और एम. टेक की तुलना में एम.एस.सी., एम.ए. आदि जैसे मूल विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री धारकों को जब वे पी.एच.डी. शुरू करते हैं, दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में असमानता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस असमानता को दूर करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन): (क) से (ङ) जी हां। इनमें थोड़ी-सी असमानता है। सरकार इस पर विचार कर रही है तथा यह देखने का प्रयास कर रही है कि क्या इस मामले को युक्तियुक्त बनाया जा सकता है।

छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अन्तर्गत नेहरू यात्री टिकट जारी करना

4554. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री देश में चारों ओर चलने वाली विशेष टिकटों के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को नेहरू यात्री टिकटों की सुविधा प्रदान की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में निदेश जारी किये जायेंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उस स्थान की घोषणा पहले ही करनी होती है जहां वे जाना चाहते हैं। इस आशय के अनुदेश पहले ही विद्यमान हैं कि ऐसे मामलों में जहां किसी सर्कुलर यात्रा टिकट पर यात्रा की जाती है वहां छुट्टी यात्रा रियायत-मुख्यालय तथा यात्रा के घोषित गंतव्य स्थान के बीच की दूरी के लिए छोटे से छोटे सीधे रास्ते से, जिस श्रेणी का कोई हकदार हो उसके किराए तक अथवा जो किराया वास्तव में दिया गया है, इनमें से जो भी कम हो, उस किराए की राशि तक सीमित कर दी जाएगी। इन अनुदेशों के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत के लिए नेहरू टिकट खरीद कर की गई यात्रा भी अनुज्ञेय है। अतः इस सम्बन्ध में कोई और अनुदेश आवश्यक नहीं है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि कुयाल बायोस ने विपक्ष के कुछ सदस्यों पर अभ्यारोपण किया है···(व्यवधान)। इसमें कहा गया है कि विदेशी एजेंसियों से धन प्राप्त हुआ है और विपक्ष के अनेक नेताओं के नामों का उल्लेख किया गया है : श्री म ए दण्डवते का फोटो बहुत प्रमुखता से छापा गया है···(व्यवधान)। महोदय, प्रतिवेदन को प्रकाशित होने दो। प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाने दो। प्रतिवेदन को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया है ? इसे सभा पटल पर रखा जाने दो···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : देखिए ··

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। देखिए। प्रश्न यह है····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब यहां देखिए। मैं खड़ा हूं···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सुन तो लो।

[अनुवाद]

मैं खड़ा हूं।

[हिन्दी]

जयपाल रेड्डी जी, आप क्या करते हैं।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है कि यह सरकार के पास है। वे इसे सभा पटल पर रख सकते हैं और तब आप चर्चा कर सकते हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपको कौन रोक रहा है? आपको कोई नहीं रोकता ··

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, यही कुदाल आयोग आपातकाल विरोधी गांधीवादी संगठनों के सदस्यों की जयप्रकाश नारायण के साथ सम्बद्धता की जांच कर रहा था और चूंकि उन्हें कुछ नहीं मिला इसलिए उन्होंने कुदाल आयोग का कार्य समाप्त कर दिया·· (व्यवधान)। उन्हें आगे आने दो, हम चुनौती स्वीकार करते हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई वाद-विवाद नहीं करना है···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अच्छे लगते हैं बीच में खड़े हुए।

[अनुवाद]

आप अपने स्थान पर क्यों नहीं जाते ?···

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम भी यह चाहते हैं कि प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाये।··· (व्यवधान)।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। यदि वे हमारी देशभक्ति को चुनौती देना चाहते हैं तो हम यह चुनौती स्वीकार करते हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया बैठ जाइये···

(व्यवधान)

श्री शांता राम नायक : महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मामला है··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइये···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। मैं खड़ा हूं। आप बैठते क्यों नहीं ? यह एक साधारण सी बात है। मैंने अनेक बार इन आयोगों के बारे में स्पष्ट किया है। क्या मुझे यह बार-बार स्पष्ट करना पड़ेगा ? मुझे सरकार पर दबाव डालने का कोई अधिकार नहीं है परन्तु मैं केवल इतना कह सकता हूं जब कभी भी सरकार उन्हें सभा पटल पर रखेगी, तो मैं उन पर चर्चा कराने को तैयार हूं। इसमें कोई समस्या नहीं है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसा करने दो। मैं किसी को नहीं रोक रहा हूं। इस पर चर्चा होने दो। यह बहुत आसान है···

(व्यवधान)

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : महोदय, हमें कारण का पता होना चाहिए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को नहीं रोक रहा हूं। उन्हें ऐसा करने दो। मैं उन्हें निदेश नहीं दूंगा। न ही मुझे ऐसा करने का अधिकार है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी जाये। यहां मेरे नाम का उल्लेख किया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? मेरे पास कुछ है ही नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, यह संसद के सदस्यों की ईमानदारी का प्रश्न है। मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बता दीजिए। आपका नाम आता है तो क्या होता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने मेरा नाम लिया है। यह कार्यवाही-वृत्तांत में आ गई है। इसलिए मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है तो आप मुझे बता सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं ? इसे सभा पटल पर रखने दीजिए मैं इस पर चर्चा करा सकता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपने मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

श्री टी० बशीर : महोदय, आप सभी लोगों को अनुमति दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांता राम नायक : मधु दंडवते जी, क्या आप इसे स्वीकार कर रहे हैं ताकि आप अपनी बात कह सकें। तब तो इसका स्वागत है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब तक पहले उचित सूचना नहीं दी जायेगी मैं किसी सदस्य के विरुद्ध किसी परोक्ष संकेत या किन्हीं आरोपों की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दूसरे, मेरे हाथ में कुछ होना चाहिए। मैं हवा में बातें नहीं कर सकता। मुझे सभा पटल पर कुछ चाहिए।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : महोदय, यह आयोग का निष्कर्ष है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसे लाने दो। मैं इसे क्यों रोकूं ? उन्हें पता लगाने दो। आप क्यों बेकार ही शोर मचा रहे हैं ? मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)*

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : आपको किसने अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह करने दीजिए। मैं उनसे नहीं कह सकता। यह मेरा काम नहीं है

(व्यवधान)

श्री टी० बशीर : महोदय, आपने उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दी है। आप हमें अपनी बात कहने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : महोदय, आपने ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन पर पहल की थी अब यहां भी पहल कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया है। अब आप मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के०के० तिवारी) : महोदय, आपने अभी-अभी कहा है कि सभा पटल पर कुछ भी नहीं रखा गया है और इसलिए आप किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे सकते। महोदय, आपको याद होगा कि 1984 में एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश किया था·· (व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं है। मैंने किसी को किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत बुरी बात है। मैंने आपसे कई बार कहा है और मैं पुन:···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रोफेसर साहिब आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने किसी भी सदस्य को अनुमति नहीं दी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है। तब आप बैठ क्यों नहीं जाते? मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है। मेरी इजाजत के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

श्री बासुदेव आचार्य : आपने उसको बोलने की क्यों अनुमति दी है?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वह ऐसा वक्तव्य क्यों दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही वह भी कर रहे हैं। श्रीमान्, आप भी वैसा कुछ ही कर रहे हैं। आप बैठ जाइए। समस्या यह है कि···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जायें। बार-बार मुझे वही बात दोहरानी पड़ रही है कि·

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको कौन सुनने देगा, मिश्राजी। आप क्यों तंग हो रहे हैं। कौन सुनने देगा।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री श्रीपति मिश्र (मछलीशहर) : मैं शून्यकाल में कभी नहीं बोला···

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं यही तो आपको कह रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीपति मिश्र : मैं शून्यकाल में बोलने के लिए पहली बार खड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बोलने के लिए अवसर दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको कोई सुनने देगा, तो आप बतायेंगे। ऐसे कौन सुन सकता है। आप बोलेंगे। तो भी नहीं सुनेगा।

[अनुवाद]

यही मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

फायदा क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बार-बार कहा है, जो मेरे बस में है, वह तो मैं कर सकता हूं और जो मेरे अधीन नहीं है, मैं उसको कैसे कर सकता हूं। मैंने कब रोका है। न मैं उस कमीशन की रिपोर्ट की डिसकस करने से रोकता और मैं इसको रोकता। पहले मेरे पास कुछ आए तो सही। मैं अन्धेरे में लठ चलाऊं, कहां चलाऊं, किसको मारूं, क्या हवा में मारूं। सीधी सी बात है।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप शोर क्यों कर रहे हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप शोर मत कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी जंगल में चिल्ला रहे हो। यह क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शोर करने का क्या फायदा है। यह किसी को शोभा नहीं देता है। कौन सुनता है आपकी बात।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात का ध्यान रखिए कि मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप को 20 दफा कहा है, आप मानते हैं कभी।

श्री बसुदेव आचार्य : हम तो मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कहां मानते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : हम तो मानते हैं लेकिन मिनिस्टर नहीं मान रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने उनको मनाया है इस मामले में।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कोई किसी की नहीं मान रहा है। दोनों बिलकुल बराबर हैं।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने बिना किसी आधार के अपमानजनक वक्तव्य दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है :

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने एलाऊ ही नहीं किया, फिर वही बात।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, मैंने कहा है कि मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

तिवारी जी बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य ने कुदाल आयोग के बारे में उल्लेख किया था तो आपने कहा था कि सरकार इस सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती है। मैं इस माननीय सभा को सूचित करना चाहता हूं कि कुदाल आयोग के तीन प्रतिवेदन इस सभा में पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं। शेष 4 अथवा 5 प्रतिवेदन सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन हैं। हम इनकी जांच और इन पर कार्यवाही कर रहे हैं और जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत हमारे जो कर्तव्य है हम उनको पूरा करेंगे और इन्हें सभा के समक्ष लायेंगे।

अध्यक्ष महोदय: तब तो सभा इस पर कार्यवाही करेगी। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आयोग को समाप्त कर दिया गया है, या यह सच है कि आयोग को समाप्त कर दिया गया है। यह बात उन्हें कहने दीजिए।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या आयोग अभी भी कार्य कर रहा है अथवा उसे समाप्त कर दिया गया है ? (व्यवधान)

श्री टी० बशीर (चिरांयिकिल) : पिछले दो वर्षों से इन प्रतिवेदनों को सभा पटल पर नहीं रखा गया है। इनको सभा पटल पर रखने में इतनी देरी क्यों हुई ? (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : महोदय, जैसा कि श्री आचार्य जी ने जानना चाहा है कि क्या आयोग ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि इसमें अनेक संगठन शामिल है। अनेक मामले सम्मिलित हैं। अतः जब मैं इस माननीय सभा के समक्ष अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करूंगा उस समय हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप तब चर्चा कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं समझता हूं कि लाखों रुपये खर्च करने के पश्चात् उन्होंने आयोग को समाप्त कर दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समस्या क्या है ?

[हिन्दी]

अब तो बात खत्म हो गई।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : महोदय, जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है····

सरदार बूटासिंह : शाह आयोग पर करोड़ों रुपये खर्च किए गये थे। यह पहली बार हो रहा है कि कुदाल आयोग आपके कुछ संगठनों के कार्यों को उजागर कर रहा है। इसीलिए आप इतने परेशान है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते नहीं हैं तो क्या करें। सब ऐसे ही हो जाता है और काम बिगड़ जाता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। लेकिन इससे पहले मैं अपने दल की स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। हम चाहते हैं कि सभी आयोगों के प्रतिवेदनों को अन्य सभी दस्तावेजों के साथ यहां सभा पटल पर रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आज की कार्य-सूची के मद 8 पर चर्चा के लिये ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन को रखा गया है। मुझे परेशानी इस बात की है कि मुझे यह नहीं मालूम कि क्या हमें उन दस्तावेजों के आधार पर ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए कहा जायेगा जो पहले से ही सभा पटल पर रखे जा चुके हैं। हमारी यह निश्चित धारणा है कि प्रतिवेदन में………………… शामिल है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब आइटम आएगा, तब बात करेंगे।

[अनुवाद]

आप उससे पहले ही बोल रहे हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं तैयारी कैसे कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

मेरा आपसे केवल यह निवेदन है कि आप कृपया हमारी उस बात को ध्यान से सुनें जिसे हम इस सम्बन्ध में उठाना चाहते हैं कि पूरे प्रतिवेदन का क्या अर्थ है ?

अध्यक्ष महोदय : अब बैठ जाइए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्यों, 28 मार्च 1989 को प्रो० मधु दण्डवते…

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : विनिर्णय देने से पहले कृपया हमारी बात ध्यान से सुनिये। (व्यवधान)

अध्यक्षमहोदय : बैठ जाइये। आप एक दम निष्कर्ष क्यों निकाल रहे हैं ? मैं कुछ कह रहा हूं। आप पहले मेरी बात सुनिये। आप व्यर्थ ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं। यदि मुझे कोई विनिर्णय देना है तो मैं वह दे दूंगा। मुझे विनिर्णय देना है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप विनिर्णय दे सकते हैं। परन्तु हम यह चाहते हैं कि आप अपनी विनिर्णय देने से पहले हमारी बात भी सुनें। हम किसी विनिर्णय के विरुद्ध नहीं हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है। इस विषय में सदस्यों की बात सुनी जानी चाहिए। हम ऐसे किसी विनिर्णय से सहमत नहीं होंगे जो…(व्यवधान)

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : यह सभा की अवमानना है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शान्ताराम जी आप अगर चुप हो जाएंगे, तो मैं कर लूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा कार्य है। मैं इनसे निपट लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, आप बहुत ही सहायक होंगे यदि आप शान्त रहें। मैं श्री जयपाल रेड्डी को सम्भाल सकता हूं क्योंकि मैं नियमों के अधीन बात कर रहा हूं और वे नियमों से बाहर

जा रहे हैं। वह नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं परन्तु मैं नहीं क्योंकि मैं नियमों से बंधा हुआ हूं तथा मैं ऐसा ही करने जा रहा हूं। मैं फिलहाल कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप मेरी बात को क्यों नहीं सुनते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई उपबन्ध है कि मुझे आपकी बात सुननी ही है। ऐसी कोई बात नहीं है मैं जैसा चाहूं, वैसा विनिर्णय दे सकता हूं। वह मेरी भूमिका है जो मुझे अदा करनी है। आप इसके बारे में क्यों चिन्तित हैं ? परन्तु आपको यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि मेरा विनिर्णय अन्तिम है क्योंकि आप इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते। जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, वह अन्तिम बात है।

(व्यवधान)

---

12 22 म०प०

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, 28 मार्च, 1989 को प्रो० मधु दण्डवते तथा श्री तम्पन थामस ने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के सम्बन्ध में न्यायमूर्ति ठक्कर जांच आयोग के प्रतिवेदन को 27 मार्च, 1989 को सभा पटल पर रखते समय उसके दो खण्ड छिपाको सभा को कथित रूप से गुमराह करने के सम्बन्ध में गृह मन्त्री श्री बूटासिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं दी थी। अगले दिन श्री सी० माधव रेड्डी ने भी उसी विषय पर विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी। मैंने इन सभी सूचनाओं को अपने विचारार्थ रख लिया था।

मैंने नियम 222 के अधीन प्रो. मधु दंडवते को सभा के विचारार्थ विशेषाधिकार के प्रश्न कर उठाने की सहमति दे थी।

(व्यवधान)

प्रो मधु दण्डवते (राजापुर) : आप की अनुमति से मैं, विशेषाधिकार के उस प्रश्न को उठाऊंगा जिसकी मैंने नियम 223 के अधीन सूचना दी थी तथा जिसके बारे में आपने मुझे नियम 222 के अधीन सहमति दे दी है। 1986 में यथा संशोधित जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अनुसार····

श्री जी० एम० बनातवाला(पौन्नानी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा था कि आप महान्यायवादी वगैर की सलाह देंगे।

अध्यक्ष महोदय : बात अभी भी नहीं है। यह बात समाप्त नहीं हुई है। यह आप इसके बारे में सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता भी सकता हूं।

माननीय सदस्यों को स्पष्ट होगा कि 28 मार्च, 1989 को अनेक सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या सरकार ने ठक्कर आयोग के पूरे प्रतिवेदन को सभा पटल पर रख दिया है अथवा इसके कुछ हिस्सों को रोक लिया गया है। सभा में शोर-शराबा था, इसलिए मुझे 12.30 म. प. पर सभा की बैठक स्थगित करनी पड़ी। उसके तुरन्त पश्चात् मैंने अपने कक्ष में दल/ग्रुपों के नेताओं की एक बैठक बुलाई। गृह मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री भी उपस्थित थे चूंकि इस बात पर मतभेद था कि आयोग के पूरे प्रतिवेदन से क्या आशय है, इसीलिये मैंने अपना अन्तिम विनिर्णय देने से पूर्व इस मामले में महा न्यायवादी की सलाह लेने का निर्णय किया। तदनुसार, अगले दिन महान्यायवादी को एक पत्र भेजा गया।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि मुझे अब महान्यायवादी की राय प्राप्त हो गई है। मैं इसके सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहा हूं तथा आशा करता हूं कि आज सायं तक मैं अपना विनिर्णय दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। महान्यायवादी की राय को विचार में लाये बिना विशेषाधिकार के इस मसले पर विचार किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, प्रो० मधु दण्डवते बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैंने नियम 184 के अधीन सूचना दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। ये दो अलग-अलग बातें हैं। यह नहीं हो सकता। मैंने केवल प्रो० दण्डवते को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)*

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : महोदय, मेरा केवल यह अनुरोध है कि आप अपना निर्णय देने से पहले हमें अपनी बात कहने की अनुमति दें जिससे कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकें। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। ऐसा हमेशा किया जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते, कृपया बोलना जारी रखिये।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय 27 मार्च 1989 को सरदार बूटा सिंह ने सभा पटल पर (i) श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट, (ii) आयोग की अन्तिम रिपोर्ट; (iii) रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही का ज्ञापन और (iv) रिपोर्ट के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों के साथ-साथ प्रकाशित न कर सकने के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण रखा था। महोदय, 27 मार्च, 89 को सभा में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के दोनों खण्डों की जांच करने पर मैंने अन्तरिम रिपोर्ट के पृष्ठ 7 पर पैरा 1.83 में निम्नलिखित उल्लेख पाया और और मैं इसे उद्धृत करता हूं :

> "आयोग की रिपोर्ट चार खंडों में है। खंड एक में पांच अध्याय हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है। खड दो और तीन में व्यक्तियों को जारी की गई कारण बताओ सूचनायें, उनके जवाब और उस सम्बन्ध में आयोग की कार्यवाही से सम्बन्धित कागजात हैं। प्रत्येक खंड में लगभग 2000 पृष्ठ हैं। खंड चार में विभिन्न व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से जारी की गई प्रश्नावलियां और क्रमशः उनके उत्तर तथा अनेक व्यक्तियों से हवालों के तौर पर की गई पूछताछ और उनके उत्तर शामिल हैं। सभी खंडों में उनकी अपनी अनुक्रमणिका है। उन दो विचारणीय विषयों के अन्तर्गत आने वाले मामलों से सम्बन्धित कागजात, जिन्हें इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, को बाचे हुए मामलों पर रिपोर्ट के साथ एक अलग खंड में शामिल किया जायेगा।"

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय मैं प्रस्ताव पेश करने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं···· मैंने पहले भी यही कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। आप कृपया आगे बोलिये।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ठक्कर आयोग ने सरकार को रिपोर्ट के चार खंड प्रस्तुत किये थे जबकि माननीय गृह मन्त्री ने वे सभी खंड सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस प्रकार केन्द्रीय मंत्री ने संसद से कुछ खंड छिपा लिये हैं और सभा को गुमराह किया है। इससे सभा का अनादर हुआ है और अतः यह लोक सभा के विशेषाधिकार का हनन है। इसके अतिरिक्त मैं संशोधित जांच आयोग अधिनियम, 1952 का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसे 1986 में संशोधित किया गया था और जिसका हमने पुनःस्थापित और विचार किये जाने के चरणों पर विरोध किया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, सभा में व्यवस्था बनाये रखें मुझे प्रो० दण्डवते की बात सुनने दीजिये।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इस बात का उल्लेख है कि जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 में एक संशोधन के रूप में एक अतिरिक्त उप-खंड (5) यह उपबन्ध करने के लिये जोड़ा गया था कि यदि सरकार महसूस करती है कि सुरक्षा की दृष्टि से, पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की दृष्टि से, और सार्वजनिक हित में संसद में उन्हें पेश नहीं किया जाता तो एक अधिसूचना जारी करनी होती हैं। वह अधिसूचना इस सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ रखी गई थी। जब ऐसा कर दिया जाता है, तो वे उन रिपोर्टों को संसद में पेश किये जाने से रोक सकते हैं। यह प्रावधान था। परन्तु महोदय, उप-धारा (5) के नीचे, यानि कि धारा 3 में एक स्पष्टकारक टिप्पणी है। उस पर मतभिन्नता हो सकती है। मैं अभी भी यह मानता हूं और यह मेरी राय है उप-धारा (5) में यह लिखा है कि इस धारा के प्रयोजन के लिये आयोग की रिपोर्ट में अन्तरिम रिपोर्ट और सभी कार्यवाहियां शामिल हैं। "सभी" मेरा शब्द नहीं है, यह स्पष्टीकरण में शामिल है।

आपका मत यह प्रतीत होता है कि स्पष्टीकरण धारा 3 की उप-धारा (5) पर लागू होता है, न कि धारा 3 की उप धारा-(4) पर जिसके अधीन रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं। यह बहुत विचित्र निर्वचन है। कई न्यायविदों ने यही स्पष्टीकरण दिया है और यह माना है कि यह स्पष्टीकरण धारा 5 पर भी लागू होता है। मैं एक साधारण उपमा दूंगा। आखिरकार एक रिपोर्ट तो रिपोर्ट ही है चाहे उसका उल्लेख आप किसी पूर्व धारा में अथवा किसी अन्य धारा में करते हैं। उदाहरणार्थ यदि एक आम के फल को परिभाषित करना है तो चाहे इसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाय अथवा इसे बाहर फेंक दिया जाय, दोनों दशाओं में, आम तो आम ही रहेगा। और इसलिये, चाहे आप रिपोर्ट सभा पटल पर रखते हैं अथवा नहीं प्रत्येक दशा में····

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : कानून और गणित भिन्न-भिन्न हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : प्रतिवर्ती क्रिया आप कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप केवल यह कह सकते हैं कि यदि इसे बाहर फेंक दिया जाता है तो यह सड़ जाता है यदि इसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है तो यह ताजा रहता है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रतिवर्ती क्रिया को किसी व्यक्ति द्वारा किये गये उस कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो बिना विचार किये किया जाता है। प्रायः यह प्रतिवर्ती कार्य के रूप में हस्तक्षेप करता है। उसका कोई महत्व नहीं है। यह मेरी व्याख्या है। मैं इस पर जोर नहीं देता कि आप इसे स्वीकार करें। परन्तु मैंने इसे साधारण रूप में रखने का प्रयास किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपकी यही बात थी ?

प्रो० मधु दण्डवते : मेरी यही बात थी। मैं आपकी बात नहीं कह सकता। जब मैं खड़ा हुआ तो मैं अपनी बात कहूंगा। अब मैं इस बात की व्याख्या कर रहा हूं। इसलिए, यह बहुत स्पष्ट है कि जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है, समस्त विधि रिपोर्ट का प्रत्येक भाग एक रिपोर्ट ही होती है, इसका अर्थ यह है कि अन्तरिम रिपोर्ट और सभी कार्यवाहियाँ और जब यह मेरी धारणा है, तब मेरा बेचैन होना स्वाभाविक ही है जब स्वयं आयोग ने इसे वस्तुतः अपना अपमान नहीं माना है तब आपको महान्यायवादी की राय की आवश्यकता ही क्यों पड़ी।

चूंकि मैं समझता हूं वह व्यक्ति जो रिपोर्ट लिखता है, रिपोर्ट का लेखक ही सबसे अधिक उपयुक्त प्राधिकारी है जो सभा को बताये कि रिपोर्ट क्या है ? वह कहते हैं कि अब आयोग ने रिपोर्ट तैयार करली है। अंतरिम रिपोर्ट के पृष्ठ 7, 1.83 में वे कहते हैं कि ये रिपोर्ट है जो लेखको ने कहा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिये। इसीलिये यदि रिपोर्ट के लेखकों ने स्वयं ही रिपोर्ट को एक विशेष रूप में परिभाषित किया है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे महान्यायवादी अथवा किसी अन्य न्यायविद अथवा यहां तक कि मधु दण्डवते के पास भेजने के बजाय यह अधिक अच्छा होगा यदि रिपोर्ट इसके लेखकों के पास भेजी जाय। और वे स्वयं कहते हैं कि ये रिपोर्टें हैं। हम आशा करते हैं जब तक प्रतिवेदन सभा के समक्ष नहीं आ जाता तब तक हमें इस आयोग की कार्य-विधि समझने में कठिनाई होगी और इस आयोग की सिफारिशों के बारे में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमें वह कार्य प्रणाली मालूम होनी चाहिए जो इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए अपनायी गयी है और इसीलिए इस प्रतिवेदन के ये सभी पहलू बहुत आवश्यक हैं। इसलिए सभा के समक्ष यह विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं आप से आपकी अन्तरात्मा से और साथ ही आपके विश्वास से भी अपील करता हूं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं—क्योंकि जो भी विनिर्णय आप देंगे वह भविष्य के लिए पूर्व दृष्टान्त बन जायेगा। यह नहीं कि वे उसका सदा पालन करेंगे क्योंकि आप इस सभा में जब भी कोई विनिर्णय देते हैं तो आप तो 1952 से 1989 तक के पूर्वदृष्टांतों को ध्यान में रखते हैं उन्होंने कहा है कि जब सभा की बैठकें हो रही हैं, तब विशेष रूप से वित्तीय मामलों के बारे में नीति सम्बन्धी निर्णय पहले नहीं लिये जाने चाहिये। किन्तु विनिर्णय लेते रहते हैं और अध्या-देश जारी करते रहते हैं। और इसीलिये मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि आप जो भी निर्णय लेंगे उसका पूर्णरूपेण पालन किया जाएगा। किन्तु कम से कम आपके बाद आने वाले सभी अध्यक्ष— मैं यह नहीं चाहता कि आप अध्यक्ष पद से हट जाएं चाहे कोई भी हो जो यह आसन ग्रहण करें वह कहेगा कि डा० बलराम जाखड़ ने यह अद्भुत दृष्टांत प्रस्तुत किया था और हमें उसका अवश्य पालन करना चाहिए। अतः भावी अध्यक्ष आपके पूर्व दृष्टांत को उसी प्रकार ध्यान में रखेंगे जिस प्रकार आप श्री मावलेकर और डा० ढिल्लों के पूर्व दृष्टांतों को ध्यान में रख रहे हैं। इसलिए आपसे हार्दिक अनुरोध है कि आप इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दें आप इसे अपने तरीके से कर सकते हैं। उन्हें ठंडे दिमाग से और सुनियोजित ढंग से निर्णय लेने दें क्योंकि जो भी निर्णय लिया जाएगा वह आने वाले समय के लिए पूर्व दृष्टांत बन जाएगा। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : विशेषाधिकार के मामले की चर्चा से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरे प्रतिवेदन के बारे में आपकी क्या राय है ? इसके कई खंड और भाग हैं। इस प्रतिवेदन का मुख्य भाग 1-क है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने इसी प्रकार के प्रश्नों के बारे में अपना विनिर्णय सुरक्षित रखने की कृपा की थी, इस समय भी आपने कहा कि अभी आपने विनिर्णय नहीं दिया है; इसके बारे में महान्यायवादी की राय आप जान चुके हैं। जिन मामलों के बारे में अध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय सुरक्षित रखने की कृपा की है और यह दुहराया है कि विनिर्णय बाद में दिया जाएगा, उनके बारे म मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन मामलों को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है, जिनके बारे में आपका विनिर्णय विचाराधीन है, तब इसके लिए दो मंच हो जाएंगे। आपके प्राधिकार विशेषाधिकार समिति नहीं ले सकती है। विशेषाधिकार समिति आपसे ऊपर नहीं है और आपके विनिर्णय के बारे में वे पहले से नहीं जानते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय मैं उनसे सहमत हूं। आप महान्यायवादी से पहले मुझे सुनें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विशेषाधिकार समिति इस पर विचार नहीं कर सकती और वह भी निर्णय नहीं ले सकती कि आपका विनिर्णय क्या होगा। इसमें विवाद हो सकता है। विशेषाधिकार समिति निर्णय ले सकती है और आपका विनिर्णय भिन्न भी हो सकता है। इसलिए पीठा·········

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते को विशेषाधिकार प्रस्ताव के अन्तर्गत जिस सीमित प्रश्न पर विचार किया जाएगा। वह यह है कि क्या····

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस प्रश्न पर कृपया निर्णय लिजिए। आपका निर्णय कैसे·········

अध्यक्ष महोदय : क्या गृह मन्त्री ने इस सभा को जानबूझकर भ्रम में डाला है या नहीं। यही प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने इसी के बारे में चर्चा करनी है। आप चर्चा कराना चाहते हैं और हम वही कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इन प्रश्नों के लिए इस चर्चा में बाधा नहीं डाल सकता हूं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : यहां व्यवस्था का प्रश्न है क्योंकि आपने अपना विनिर्णय न केवल सुरक्षित ही रखा है, परन्तु आपने कुछ दिन पहले बिल्कुल साफ-साफ यह कहा था कि आज शाम को आप अपना विनिर्णय दे देंगे। आपने यही कहा था कि आप आज शाम को अपना विनिर्णय देने जा रहा हूं। फिर उससे पहले इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने के लिए कोई प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह उससे बिल्कुल अलग है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप विनिर्णय दे देते हैं तो क्या विशेषाधिकार समिति उस पर विचार कर सकती है ? विशेषाधिकार समिति आपके विनिर्णय पर विचार नहीं कर सकती। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आइए इस पर हम चर्चा करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इसे अस्वीकृत किया जाता है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री बसुदेव आचार्य : प्रतिवेदन की परिभाषा के सम्बन्ध में प्रो० मधु दण्डवते का विशेषाधिकार का प्रश्न कि प्रतिवेदन में चार खण्ड हैं·······।

अध्यक्ष महोदय : यह मैं पहले ही सुन चुका हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : स्वयं न्यायमूर्ति ठक्कर ने इस प्रतिवेदन में बताया है। आपका विनिर्णय भी तो उसी विषय पर होगा कि प्रतिवेदन की परिभाषा क्या है। क्योंकि आपने बताया है कि आपको इसके बारे में महान्यायवादी की राय प्राप्त हो चुकी है और जब आपने विरोधी दलों के नेताओं से भी भेंट की थी तब आपने बार-बार यह कहा कि आप वकील नहीं हैं और आप चाहते हैं कि ····।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। बल्कि जयपाल रेड्डी ने मेरी काफी मदद की थी·······।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया मेरी बात भी सुन लीजिए। श्री जयपाल रेड्डी उत्सुक थे कि उसे सुना जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात कहें।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह): महोदय मेरा एक छोटा सा व्यवस्था का प्रश्न है मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 222 के अधीन उठता है जिसके अन्तर्गत आपने संकल्प के प्रस्तावक करने वाले श्री मधु दण्डवते को अनुमति दी है। सभा की सहमति से एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया है और अब वह इस सभा की सम्पत्ति बन गया है। (व्यवधान) मेरी धारणा यह है कि चूंकि आपने उन्हें यह कहने का अवसर दे दिया है कि मैंने सचमुच विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, अतः मुझे भी कुछ कहने का अवसर मिलना चाहिए क्योंकि यह अब सभा में विचाराधीन है। उन्होंने अपनी बात कह दी है। अब मुझे स्पष्टीकरण देना है।(व्यवधान) इससे भी आपको कुछ सहायता मिलेगी।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में दो प्रश्न उठते हैं। पहला, क्या मन्त्री महोदय ने पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है या नहीं। दूसरा, क्या मन्त्री महोदय ने पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत न करके सभा को गुमराह किया है ? यदि विशेषाधिकार प्रस्ताव दूसरे भाग तक ही सीमित है कि उन्होंने सभा को गुमराह किया है या नहीं तो यह बिल्कुल वैध और नियमानुकूल है। किन्तु जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है कि यह पूरा प्रतिवेदन है या नहीं तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने अपना विनिर्णय अभी देना है। जब तक आपका विनिर्णय नहीं आता·······।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे यदि उन्होंने सभा को गुमराह किया है या नहीं। आपका व्यवस्था का प्रश्न अस्वीकृत किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपके यदि विनिर्णय के अभाव में हम उसके बारे में कैसे चर्चा कर सकते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया यह स्पष्ट करें कि क्या आपका विनिर्णय अब भी वह आता है, इसी प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के भावी पूर्वाक्षित निर्णय के अध्यधीन हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न उतना ही परिकल्पित है जितना मेरा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि यह सभा इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को मंजूर कर लेती है तो इससे अभिप्रेत है कि इस पर विशेषाधिकार समिति में भी विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तब क्या उसे आपके विनिर्णय की तुलना में अधिमान मिलेगा या आपके विनिर्णय को अधिमान मिलेगा ?

हम दोनों कैसे ले सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो अनुमान लगा रहे हैं। अब आप मुझे दूसरे पक्ष की भी सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि यह सभा स्वीकार करती है कि पूरा प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न नामंजूर किया जाता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जब पूरी रिपोर्ट हमें नहीं दी गई तो उस पर चर्चा कैसे हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न नामंजूर किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : अब सभा इसी मामले पर विचार कर रही है। आपको इस सम्बन्ध मे अपना निर्णय देना है। मान लें कि आप यह निर्णय देते हैं कि·······

अध्यक्ष महोदय : मान लेने की कोई बात नहीं है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या इसका अर्थ यह है कि आप अपना निर्णय रोके रखेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पीयूष तिरकी : अध्यक्ष जी मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने जिस पोश्चन के सम्बन्ध में रूलिंग दी है, उसका हिन्दी वर्जन तो हमें मिला नहीं है। जब तक हिन्दी वर्जन नहीं मिलेगा, बहुत से मेम्बर्स अच्छी तरह बोल नहीं पायेंगे। उससे पहले आप कैसे रूलिंग दे सकते हैं। जो वायदा हुआ है·······

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी छूट दे दी है।

[हिन्दी]

सरदार बूटासिंह । उसकी परमीशन मिल चुकी है।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : श्रीमान मुझे यह कहना है कि इस रिपोर्ट पर चर्चा कार्य-सूची में है। अब विशेषाधिकार के प्रश्न को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा मुद्दा यह है कि हम तब तक चर्चा नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सारे कागजात न हों और पूरी रिपोर्ट हमें उपलब्ध न कराई जाए। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : श्रीमान, मैं एक बीच का रास्ता सुझाता हूं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : कोई बीच का रास्ता नहीं।

श्रीमान, नियम 225 में यह प्रावधान किया गया है कि 'अध्यक्ष यदि नियम 222 के अन्तर्गत सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है तो वह सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा। मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य उस समय कहां थे जब श्री मधु दंडवते को अनुमति दी गई थी और जब आपने कहा था कि चर्चा नियमानुकूल है तब उनसे वक्तव्य देने को कहा गया था। उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दिया था जिसके फलस्वरूप सरकार को सभा के सामने स्थिति स्पष्ट न करने और सभा को गुमराह करने की दोषी दिखाई देने लगती थी अतः हमें उत्तर देने का हक है। सो, वक्तव्य देने के बाद और उसमें सरकार पर विशेषाधिकार भंग करने का आरोप लगाने, गृह मंत्री पर विशेषाधिकार भंग का आरोप लगाने के बाद यह आश्चर्यजनक बात है कि एक अन्य माननीय सदस्य इस समय बीच में बोलकर कह रहे हैं कि दोष लगाने की बात तो बरकरार रहेगी किन्तु सभा कोई उत्तर नहीं सुनेगी। हमें उत्तर देने का हक है······(व्यवधान)। वे चर्चा में नाम लेने के लिए बाध्य हैं और सदस्य इस पर बोलने के हकदार हैं और अततः सभा नियमानुसार इस पर निर्णय करेगी। गृह मन्त्रालय के विरुद्ध क्या आरोप हैं और सरकार के विरुद्ध क्या आरोप हैं जिसका प्रतिनिधित्व गृह मन्त्री ने उस रोज किया था जब हमने अन्तरिम तथा अन्तिम रिपोर्ट सभा पटल पर रखी थी? जैसा कि मैं प्रो० दंडवते के पत्र से समझा हूं और जिसे उन्होंने पढ़कर सुनाया है, आरोप यह है कि धारा 3, उप-धारा 4 के अधीन हम पूरी रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के लिए बाध्य हैं और यह बाध्यता हमने नहीं निभाई है।

दूसरे, उनका कहना है, मुझे विश्वास है कि उन्हें यह कहना है कि हमने यह रिपोर्ट अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर नहीं रखी क्योंकि विशेषाधिकार का मामला तभी बनेगा जब हमने सभा को गुमराह किया होगा, जबकि हमने जानबूझकर सभा को गुमराह करने के लिए वक्तव्य दिया हो और सच्चाई को सभा के समक्ष न रखने के लिए झूठ वक्तव्य दिया होगा। इसलिए, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम इस प्रश्न को उस तरह से अलग-अलग भागों में बांटें जैसाकि माननीय सदस्य श्री दिनेश गोस्वामी चाहते हैं, और हमें इस प्रश्न से दोनों पहलुओं पर ही विचार करना होगा। श्रीमान्

मैं नहीं समझता कि प्रो० मधु दंडवते ने धारा 4 की उप-धारा 5 का उल्लेख ठीक किया है; मेरा विश्वास है कि यह पहले से हो अध्यक्ष पीठ के विनिर्णय के अन्तर्गत आता है। जिस दिन यह प्रश्न उठाया गया था शायद उसी दिन या एक दिन बाद, इसके लिए हम सभा की कार्यवाही देख सकते हैं, माननीय सदस्यों ने उप-धारा 5 और उप-धारा 5 के स्पष्टीकरण को आधार बनाया था। मैं सादर कह सकता हूं कि आपने ठीक ही कहा कि रिपोर्ट धारा 3 की उप-धारा 4 के अधीन सभा पटल पर रखी जाती हैं और इसमें उप-धारा 5 लागू नहीं होती। हम इन धाराओं का संक्षिप्त इतिहास देखते हैं। 1952 में जब यह अधिनियम बनाया गया था तब उप-धारा 4 इसमें नहीं थी। रिपोर्ट को सभापटल पर रखना जरूरी नहीं था। 1971 तक यही स्थिति थी। 1971 में सभा की एक तदर्थ समिति ने इस मामले पर विचार करके अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की थी और मुझे उसका समर्थन देने का अवसर मिला था जब 1986 में सशोधनकारी अधिनियम पेश किया गया था। आप कृपया उस कार्यवाही को देखिए : समिति ने केवल यह कारण बताया था कि जांच आयोगों पर बहुत अधिक मात्रा में धन खर्च होता है और अधिक धन खर्च होने के कारण यह उचित होगा कि इन रिपोर्टों को सभा पटल पर रखा जाए। आप उप-धारा की भाषा देखिये। उप-धारा 4 का अभिप्राय है कि रिपोर्ट, यदि कोई हो, को सभा पटल पर रखना'। प्रो० मधु दंडवते ने 'यदि कोई हो' शब्दों पर गौर नहीं किया है। ऐसा कोई आयोग हो सकता है जो मामले की जांच करें, पर्याप्त कागजात एकत्र करे, काफी लोगों के साक्ष्य सुने, काफी दस्तावेज प्राप्त करें और फिर भी किसी कारण से रिपोर्ट नही दे। उप-धारा 4 के अधीन अस्तित्वहीन रिपोर्ट को रखने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी रिपोर्ट कैसी सामग्री के आधार पर होती है, दस्तावेजों, साक्ष्यों तथा प्रदर्श के आधार पर होती है। किसी प्रदर्श, सामग्री तथा दस्तावेज से रिपोर्ट नहीं बनती क्योंकि कोई आयाग कह सकता है कि उसके पास अमुक सामग्री है किन्तु वह रिपोर्ट पेश नहीं करेगा····(व्यवधान)·· मुझे बधाई देने की आवश्यकता नहीं है। 1971 में यह बाध्यकर बनाया गया था कि यदि कोई रिपोर्ट है तो सरकार उसे सभा-पटल पर रखेगी।

प्रदर्श, दस्तावेजों, सामग्री, परिसाक्ष्यों, अभिसाक्ष्यों तथा रिपोर्ट में बहुत अन्तर है; और मैं इसे पूर्वोदाहरणों के सन्दर्भ में स्पष्ट करूंगा।

फिर उप-धारा 5 आई। मैं उप-धारा 5 पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता; 1986 में उप-धारा 5 बनी और इसका संदर्भ अतिस्पष्ट है—भाषा सुस्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि उप-धारा 5 के अधीन इसे रोक सकते हैं और इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ रिपोर्ट से अभिप्रेत है रिपोर्ट तथा विचार विमर्श सम्बन्धी कार्यवाही। (व्यवधान)। अन्तरिम रिपोर्ट में इस धारा के प्रयोजनार्थ कार्यवाहियां सम्मिलित हैं। संसद ने जो पारित किया है वह उप-धारा 5 के प्रयोजनार्थ है न कि उप-धारा 4 के प्रयोजनार्थ यदि हमारे माननीय सतर्क सदस्य महसूस करते हैं कि यह उप-धारा 4 पर लागू होना चाहिए तो उन्हें उप-धारा 4 के सम्बन्ध में अपना संशोधन पेश करना चाहिए था। अब यह देश का कानून है और श्रीमान कुछ ही दिन पूर्व आपने विनिर्णय किया है कि स्पष्टीकरण केवल उप-धारा 5 पर लागू होता है यह उप-धारा 4 पर लागू नहीं होता। इसलिए, मैं नहीं समझता कि प्रो० मधु दंडवते का तर्क सही है।

आयोग क्या कहता है और पूर्वोदाहरण क्या है? पहले मैं पूर्वोदाहरणों का निकालता हूं। सभा के समक्ष पूर्वोदाहरण आने चाहिए। इस आयोग ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के सम्बन्ध में जांच की है।

आईये हम उन कुछ आयोगों पर दृष्टिपात करें जिन्होंने प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्युओं के बारे जांच की है। 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर में हुयी विस्फोट की घटना की जांच कर रिपार्ट देने के लिये मैथ्यू जांच आयोग बना था। 10 फरवरी 1975 को आयोग की नियुक्ति हुयी थी, 9 मई 1977 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट 14 नवम्बर, 1977 को सभा-पटल पर रखा दी गई थी। जो रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गयी थी वह मेरे पास है। सभा पटल पर जो कुछ रख गया था वह सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य मामलों पर अनुच्छेद उस घटना से संबंधित आयोग के निष्कर्ष, प्रजातन्त्र आदि से संबंधित सामान्य मामले आयोग की सिफारिशें तथा अनुलग्नक जो कि न्यायमूर्ति ठक्कर द्वारा शामिल किये गये कुछ परिशिष्टों के समान है, और मैं उस के बारे में भी बताऊंगा। अनुलग्नक 1 से, 4 दायर दिये गये हलफनामों की सुची, साथियों की सुची, दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारी की सूची है। ये चार सूचियां हैं आयोग के सामने दिये गये बयान इस रिपोर्ट का अंग नहीं, हैं, दस्तावेज रिपोर्ट का अंग नहीं हैं वास्तविक प्रदर्शन रिपोर्ट का अंग नहीं है और किसी ने भी यह नहीं कहा था कि यह पूर्ण रिपोर्ट नहीं, सूची प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है आपको प्रदेशों बयान भी प्रस्तुत करने चाहिये, केवल प्रदेशो की सूचि प्रस्तुत करना ही पर्याप्त नहीं है आपको प्रश्नों को भी प्रस्तुत करना चाहिये, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की सूची देना ही पर्याप्त नहीं है, आपको सभा पटल पर वह सब कुछ रखना चाहिये जो उन्होंने कहा है।"

अब, कितने साक्षियों का साक्ष्य लिया गया था? परिशिष्ट को देखे.......(व्यवधान)

अनेक साक्षियों का साक्ष्य लिया गया था..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उचित व्यवहार क्यों नहीं रह सकते है?

(श्री पी० चिदम्बरम) : दुर्भाग्य से, वे तथ्यों को स्वयं जाँच नहीं करता अथवा तथ्यों को सुनना नहीं चाहते हैं।

आइये हम कुछ साक्षियों के साक्ष्य को देखें। आयोग ने 43 साक्षियों का साक्ष्य लिया था। परिशिष्ट 2.43 साक्षियों की सूची मात्र है इसमें 43 साक्षियों की गवाहियां नहीं दी गई हैं 43 साक्षियों की गवाहियां सैंकड़ों पृष्ठों में होती। उनको कभी सभा-पटल पर नहीं रखा गया था। इसी प्रकार, प्रस्तुत किये गये प्रदेशों को भी सभा पटल पर नहीं रखा गया था।

मेरे पास जांच आयोगों की एक पूर्ण सूची है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा; मैं केवल प्रत्येक आयोग द्वारा किये गये कार्य का सारांश बताऊंगा जिसका संबंध इस आयोग से है जो हमारे समक्ष इस समय विचारणीय है।

नेताजी सुभास चन्द्र बोध के गायब होने के संबंध में न्यायमूर्ति जी.डी खोसला आयोग की नियुक्ति 11-7-1970 को हुयी थी; इसने 30 6-1974 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 3-9-1974 को इसे सभा पटल पर रखा गया था। इसमे कुछ परिकल्पनाओं और निष्कर्षों, परिशिष्ट 1 से 4, जो कि साक्षियों की सूचियां, वकीलों की सुची, सन्दर्भित की गई पुस्तकों की सूची हैं, शामिल हैं।

तत्पश्चात् महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र की जांच करने के लिये कपूर जांच आयोग बना था। उसकी रिपोर्ट अक्टूबर, 1979 में प्रस्तुत की गयी थी। सभा-पटल पर वह कब रखी गयी थी उसकी सही तिथि मेरे पास नहीं है परन्तु वह उसके मिलने के तुरन्त बाद ही रख दी गयी थी। इसमें क्या था? तीन खण्डो के भाग 1 में तथा तीन खण्डों के भाग 2 में आयोग के जांच परिणाम और

निष्कर्ष शामिल थे। इसमें परिशिष्ट भी हैं साक्षियों की एक सूची और दिनांक 24-11-64 को राज्य सभा की कार्यवाही से लिया गया एक उदाहरण है। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ आयोग ने श्री दीन दयाल उपाध्याय की मृत्यु के बारे में 17 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में मामले की जांच और आयोग के निष्कर्ष शामिल थे। परिशिष्ट 1 से 5 में हलफनामों की सूची, साक्षियों की सूची, दस्तावेजों की सूची, थीं बयान और दस्तावेज नहीं थे।

1977-79 की अवधि के दौरान जो हुआ, आइये उसको देखें। नागरवाला मामले में न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी जांच आयोग बना था। रिपोर्टों को तीन तिथियों, 30-11-77, 23-3-78 और 23-6-78 को सभा पटल पर रखा गया था। इनमें क्या है ? इसमें मामले की जांच का विवरण और आयोग के निष्कर्ष शामिल है इसमें 9 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट 1 से 6 में चुने हुए 6 दस्तावेज हैं जिनमें आयोग को गठित करने वाली वैधानिक अधिसूचना और सब न्यायाधीश दिल्ली का आदेश भी हैं जिनको आयोग ने स्वयं परिशिष्टों के रूप में शामिल किया था, परिशिष्ट 7 और 8 साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों तथा दिखाये गये दास्तावेजों की सूची है। बयानों और अवशों को सभा पटल पर नहीं रखा गया था।

न्यायमूर्ति शाह जांच आयोग के मामलों में तीन रिपोर्टों मई 78 में और 31-8-78 को सभा पटल पर रखी गयी थी। इन रिपोर्टों में आयोग के तर्क, निष्कर्ष, दलीलें और जांच परिणाम है। नोटिस जारी किये जाने वाले व्यक्तियों की सूची, उन व्यक्तियों की सूचि जिनके विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गयी थी और साक्षियों की सूची से संबंधित तीन परिशिष्ट है, महोदय, इस प्रकार मैं और भी बता सकता हू।

मुद्दा यह है कि सभा पटल पर जो कुछ रखा गया है वह रिपोर्ट है और रिपोर्ट में है कारण, दलीलें, जांच परिणाम, निष्कर्ष और सिफारिशें, यदि आयोग ऐसा चाहता है और एक अथवा दो दस्तावेज या एकअथवा दो सूचियां रिपोर्ट में परिशिष्टों के रूप में जोड़ता है, तो वह भी उसका एक भाग है। हमने उसको को विभाजित नहीं किया है हमने रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी है। महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार इन मामलो में बयान की प्रतियां, लेख और दस्तावेज सभा के समक्ष पहले कभी नहीं रखे गये हैं। यह सभा की परम्परा है। ये तथ्य है और यदि ये तथ्य माननीय विपक्षी सदस्यों के लिये असुविधाजनक है तो मैं इसने कुछ नहीं कर सकता।

अब हम इस बात पर आते हैं कि आयोग ने क्या कहा है। महोदय प्रो. दंडवते ने अन्तरिम रिपोर्ट के पैराग्राफ 1.8 3 पर विश्वास किया है। मैं पैरा 1.8.3 पढ़ूंगा, परन्तु आप मुझे अन्तरिम रिपोर्ट का पृष्ठ 339 भी पढ़ने की अनुमति दें। अन्तरिम रिपोर्ट के पृष्ठ 339 में कहा गया हैं :

"इस समय आयोग उन बातों को उजागर करने और इस दुखद टिप्पणी के साथ, कि जो परिहार्य था, अपरिहार्य हो गया, रिपोर्ट को समाप्त करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है"

इसलिये आयोग कहता है कि इसने रिपोर्ट को एक दुखद टिप्पणी के साथ समाप्त की है।

अब यह पैरा 1.8.3 में क्या कहता है।

प्रो० मधु दंडवते : अन्तरिम रिपोर्ट को पूरी करो।

श्री पी. चिदंबरम: अब मैं अन्तिम रिपोर्ट पर आता हूं। पृष्ट 7 पर पैरा 1.8.3 से आयोग कहता है।

"आयोग की रिपोर्ट चार खण्डों में है। खण्ड 1 में 5 अध्याय है जैसा कि ऊपर बताया गया है (ये पांच अध्याय यहां है) खण्ड तीन और चार में व्यक्तियों को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस कागजात उनके उत्तर और उस संबंध में आयोग की कार्यवाही से संबंधित कागजात है।"

अब, कारण बताओ नोटिस और उसका उत्तर क्या है। यदि कोई साक्षी कटघरे में आता है, यदि आप उसकी मुख्य परीक्षा करते हैं और उसकी प्रति-परीक्षा भी की जाती है, तो उसका पूरा बयान आयोग के पास उपलब्ध होता है। यदि कटघरे में लाने की बजाय, साक्षी को अथवा किसी व्यक्ति को प्रश्नावलियां अथवा नोटिसें जारी की जाती हैं और उससे लिखित रूप से उत्तर देने को कहा जाता है, तो इसमें कोई अन्तर नहीं है, मूल रूप में इसमें कोई अन्तर नहीं है कि उसने क्या कहा होता यदि वह आयोग के समक्ष उपस्थित होता (व्यवधान) उसमें हलफनामे है। महोदय प्रो० दण्डवते सहमति में सर हिला रहे है। उनके मित्र उनकी ओर नही देख रहे हैं। वे असहमति में अपने सिर हिला रहे हैं।

सर्वप्रथम उसको निश्चय कर लेने दीजिये।

प्रश्नावलियां जारी की जाती है।

1(0 म० प्र०

सिविल प्रक्रिया संहिता में एक प्रश्नावलो होती है। यह बाक्स में पले गए प्रश्नों से भिन्न नहीं होती। यह बिल्कुल वही है। मैं किसी साक्षी को प्रश्नावली देता हूं और वह उसका उत्तर देता है। वह ये उत्तर लिखित मे देता है। वह एक शपथ-पत्र दायर कर सकता है और प्रश्नावली का उत्तर दे सकता है। सभी उन प्रश्नावलियो को जानते हैं तथा विचार जानने के लिए कारण बताओ नोटिस भी कोई भिन्न चीज नहीं है। आप किसी व्यक्ति से लिखित में सूचना प्राप्त कर सकते हैं और वह उसका उत्तर देता है।

प्रत्येक खंड में 2000 पृष्ठ है। खंड IV में विभिन्न व्यक्तियों को भेजी गई प्रश्नावलियां और उनसे प्राप्त उत्तर तथा अनेक व्यक्तियों से सबूत के तौर पर की गई पूछ-ताछ और उनके उत्तर भी सम्मिलित है। खंड II, खंड-III और खंड IV मे कारण बताओ नोटिस, प्रश्नावलियाँ तथा व्यक्तियों से विशेष रूप से पूछे गए प्रश्नो और उनके उत्तर के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

श्री सत्यगोपाल मिश्रा (तामलुक) : यह इस प्रतिवेदन का भाग था।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्रश्न यह है कि क्या ये इस प्रतिवेदन के भाग है अथवा नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इतने ज़ोर से क्यों बोल रहे है ?

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि श्री आचार्य ने पृष्ठ 339 तक नहीं पढ़ा है। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : अपनी कहने से पहले मेरी बात सुनिए।

उसके बाद अन्तिम रूप से तैयार प्रतिवेदन पर बात होगी।

श्री एच. ए. डोरा (श्रीकाकुलम) : क्या आप प्रश्नावलियों को अभिसाक्ष्यों के बराबर मान सकते हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम । प्रश्नावलियां और उत्तर अभिसाक्ष्यों से भिन्न नहीं हैं। मैं अपने कथन पर अडिग हूं। इनमें कोई अंतर नहीं है। यह लिखित प्रश्न है और उसका उत्तर भी लिखित रूप में है। आप सच्चाई से इन्कार नहीं कर सकते।

श्री एच० ए० डोरा : अभिसाक्ष्य देने वाले व्यक्ति शपथ लेकर ऐसा करेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम । यदि यह आयोग ऐसा चाहता तो वह उसे धारा 8 ख के अंतर्गत बुला सकता था।

प्रो० मधु दंडवते : बोफोर्स सम्बन्धी प्रतिवेदन में बिन चड्ढा से पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर उद्धृत नए किए हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : वह जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत नहीं था।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे कुछ नहीं होता। यह एक अनुकरणीय उदाहरण है।

श्री पी० चिदम्बरम् : प्रो० साहब मैं आपको जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत एक उदाहरण दे रहा हूं।

अन्तिम प्रतिवेदन के पृष्ठ 147 में सिफारिशें 3.1 से 3.5 के पश्चात् आयोग ने अपने हस्ताक्षर के साथ यह लिखा है इसके साथ ही प्रतिवेदन समाप्त होता है" यह अन्तरिम प्रतिवेदन के पृष्ठ 339 में प्रयोग की गई भाषा के समान ही है जिसमें कहा गया है, 'इसके साथ ही प्रतिवेदन समाप्त होता है इसमें 1.6.1 से 1.6.5 में क्या कहा गया है ? प्रो. साहब आइए हम इसे मिलकर पढ़ें। 1.6.1 में कहा गया है, वर्तमान प्रतिवेदन जो अन्तिम प्रतिवेदन है, दो भागों में है, भाग—1 और भाग—1 (क) ..

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : भाग। (क) कहां है ?

श्री पी० चिदम्बरम : पहले मेरी बात तो सुनिए। अन्तरिम प्रतिवेदन में 'खंड' शब्द प्रयोग किया गया। है। इस प्रतिवेदन में उन्होंने 'भाग' शब्द का प्रयोग किया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी। खंड और भाग दो अलग-अलग चीजें हैं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बाद में अपनी बात कहने दी जाएगी। मैं आपको बोलने का समय दूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं महोदय, हम इससे सहमत नहीं हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सैफुद्दीन जी यदि आप में जरा भी आदर करने की भावना है, तो बैठ जाइए। मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं आपको बोलने का समय दूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बहुत अच्छा महोदय। आप एक महान वैधानिक व्यक्ति हैं।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं सैफुद्दीन चौधरी जी को आश्वस्त करता हूं कि हम उनकी बात में व्यवधान नहीं डालेंगे जबकि उनकी आदत हमारी बात में व्यवधान डालने की है।

महोदय, पैरा 1.0.1 में कहा गया है, "वर्तमान प्रतिवेदन, जो अन्तिम प्रतिवेदन, दो भागों में है, भाग —1 और भाग — 1 (क)। मैं विद्वान न्यायाधीश के प्रति अति आदर भाव से एक टिप्पणी करूंगा। उन्होंने अंतरिम प्रतिवेदन में कहा है कि प्रतिवेदन चार खंडों में है है। यहां वह कहते हैं कि प्रतिवेदन 2 भागों में है। स्वयं न्यायाधीश ही अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भाग—1 में पांच अध्याय हैं जो नीचे लिखे विषयों के बारे में है। इस खंड में सभी पांचों अध्याय हैं। अध्याय-V के अंत में अनुलग्नक 'क' से 'ङ' हैं जो आयोग के विचार से स्वयं भाग—1 में सम्मिलित किए जाने योग्य हैं। यह आयोग का विशेषाधिकार है। अन्य आयोगों की तरह जिन्होने एक अथवा दो दस्तावेजों को उठाकर प्रतिवदन में सम्मिलित कर लिया, इस आयोग को भी किन्हीं भी चार या पांच दस्तावेजों को चुनकर प्रतिवेदन में सम्मिलित करने का अधिकार है। वह सभी सभा पटल पर रख दिया गया है क्योंकि वह इस प्रतिवेदन का परिशिष्ट है। भाग 1 (क) सामग्री का संकलन मात्र है। वह प्रतिवेदन नहीं है। मैं यह दुहराता हूं कि भाग 1 (क) में, पैरा 1.6.2, उल्लिखित परिशिष्टों अर्थात् अंतरिम प्रतिवेदन से सम्बंधित खंडों में पहले से ही सम्मिलित पांच परिशिष्टों को छोड़कर शेष सामग्री का सकलन इसके अगले शब्द निर्णायक है – जिस पर आयोग ने अन्तिम प्रतिवेदन तैयार किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसे क्यों छुपाया जाए ?

श्री पी० चिदम्बरम : हम उस पर भी बोलेंगे। प्रश्न यह है कि क्या इसे सभा पटल पर रखा जाए या नहीं। इन्द्रजीत गुप्त जी अभी हम धारा 3 (4) पर विचार कर रहे हैं। अभी हम कानून के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दायित्व क्या है ?

आप हम पर विशेषाधिकार भंग करने का आरोप लगा रहे हैं ? यह उस सामग्री का संकलन है जिसके आधार पर आयोग ने अन्तिम रूप से प्रतिवेदन तैयार किया है। इसलिए, कुछ भी स्पष्टतर नहीं हो सकता। यही वह सामग्री है। यह सामग्री आयोग को दी गई है। इसमे सम्मिलित हैं.... दस्तावेज पत्र, प्रश्नावलियां कारण बताओ नोटिस और उत्तर....

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कौन से नोटिस ?

श्री पी० चिदम्बरम : सैफुद्दीन जी आप प्रतीक्षा कीजिए। मैं बंगाली में नहीं बोल सकता, मैं क्या कर सकता हूं ? यही वह सामग्री है। मैं आपको बता रहा हूं कि सामग्री में क्या-क्या शामिल है। आयोग का कहना है कि इस सामग्री में है कारण बताओ नोटिस, उत्तर...

श्री सैफुद्दीन चौधरी : किस बारे में ?

श्री पी० चिदम्बरम : सैफुद्दीन जी मैं बंगाली नहीं बोल सकता। मैं केवल यही भाषा जानता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सामग्री किस बारे में है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं। आपका जब वक्त आए तो बता देना।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : पढ़ता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप बता देना। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : आयोग ने स्वयं कहा है कि इन खण्डों में जो कुछ शामिल है वह इस प्रकार है :—

"कारण बताओ सूचनायें—इस सम्बन्ध में दिए गये उत्तर; परिप्रश्न और उनके उत्तर की गई पूछ-ताछ, अनेक लोगों को भेजे गए हवाले और उनके उत्तर"। इन सब को मिलाकर सामग्री तैयार हुई। इस सामग्री के आधार पर आयोग ने अन्तिम प्रतिवेदन के प्रयोजनार्थ सामग्री तैयार की। अतः यह स्पष्ट है कि सामग्री और प्रतिवेदन दो अलग-अलग चीज हैं। सामग्री एक चीज है और प्रतिवेदन सामग्री पर आधारित है। यह एक कुएं में पानी की तरह है एक बाल्टी में निकाला जाता है। कुंए में पानी है। आपने इसे एक बाल्टी में निकाला है। यहां इस आयोग के समक्ष अनेक विषयों, अनेक दस्तावेजों, अनेक अभिसाक्षियों, और अनेक प्रदर्शित वस्तुओं से संबंधित सामग्री रखी गई और इस सम्बन्ध में उन्होंने अपना जो निष्कर्ष लिख ले हैं वही प्रतिवेदन है और वह भाषा बिल्कुल स्पष्ट है। (व्यवधान)

महोदय, मुझे कहने दीजिए। जिन दो और तीन खंडों का यहां उल्लेख किया गया है उन्हें चार खंडो में उप-विभाजित किया गया है। खंड 2 और 3 को चार खंडों मे इसलिए विभाजित किया गया ताकि उनको ठीक ढंग से जिल्द बांधी जा सके।

पैरा 1.6.5 अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पैरा 1.6.4 और 1.6.3 में उल्लिखित अभिलेख कृपया देखिये—आयोग के सचिव द्वारा भारत सरकार के गृह मन्त्रालय के सचिव को भेज दिये जायेंगे। अब हम इन पैराओं के महत्व को क्यों छोड़ें ? उन्होंने स्वयं पैरा 1.6.3 में जो उल्लिखित है जो पैरा 1 (क) और 1.6.4 हैं; और जो खंड 2, 3 और 4 हैं, उनको अभिलेख के रूप में वर्गीकृत किया है आयोग का सचिव ये अभिलेख बाद में किसी दिन गृह मंत्रालय के सचिव को देगा। अतः तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि आयोग ने 19.11.85 को अपना अन्तरिम प्रतिवेदन गृह मन्त्री को प्रस्तुत किया था। 27 फरवरी, 1986 को आयोग ने अन्तिम प्रतिवेदन गृह मन्त्री को दिया था। ये दो खंड हैं। यही तारीखें हैं। आयोग के हस्ताक्षर भी यहां हैं। ये दो खंड, सभा पटल पर रखे गये थे। बादम दिनों के बाद आयोग के सचिव ने अन्य समस्त सामग्री एकत्रित कर इसे 10 अथवा 12 खंडों में बंधवा कर एक पत्र के साथ गृह मन्त्रालय को यह कहते हुए भेजा कि "आयोग ने अपना प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिया है मैं आयोग के अभिलेख भेज रहा हूं।" ये शाह आयोग द्वारा गृह मन्त्रालय को भेजे गये भारी भरकम अभिलेखों से किसी भी तरह से कम नहीं हैं। वह भारी भरकम अभिलेख कभी भी सभा के समक्ष नहीं रखे गये। जगन मोहन रेड्डी के समक्ष 272 साक्षियों का अभिसाक्ष्य कभी भी सभा पटल पर नहीं रखा गया।

महोदय, मुझे न्यायालय का एक लोकप्रिय कथन याद आ रहा है "यदि किसी जूरी विचारण में तथ्य आपके पक्ष में हों तो आप जूरी पर बरस पड़ें। यदि कानून आपके पक्ष में हो तो आप न्याय-धीश पर बरस पड़े। यदि न तो तथ्य आपके पक्ष में हों और न ही कानून तो आप मेज थपथपा दें।" यहां पूर्वोदाहरण हमारे पक्ष में हैं। कानून हमारे पक्ष में है। विपक्ष हो-हल्ला मचाता है और कहता है कि "इसे सभा पटल पर रखा जाये।" हमने कानून के अन्तर्गत अपेक्षित सभी चीजें सभा पटल पर रख दी हैं और यही पूर्ण प्रतिवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी।

(व्यवधान)

श्री बिनेश गोस्वामी : खड़े हुए

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गोस्वामी जी, पहले माधव जी बोल लें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय। पहले लंच कर लें।

[अनुवाद]

आओ, हम मध्याह्न भोजन हेतु 2 बजकर 10 मिनट तक काम स्थगित कर दें।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, एक मिनट में अभिलेख को ठीक करने के लिए····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : फिर बाद में कह लेना आकर।

1.11 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.14 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.14 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में प्रस्ताव—[जारी]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मध्याह्न भोजन अवकाश से पहले मैंने आपको एक प्रस्ताव की सूचना दी थी, जिसके अन्तर्गत विशेषाधिकार के हनन के इस प्रश्न पर हो रही तथा आगे होने वाली चर्चा को तब तक स्थगित रखे जाने के लिये कहा गया है जब तक हमें इस प्रश्न पर आपका विनिर्णय नहीं मिल जाता कि आयोग के प्रतिवेदन में क्या आता है····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब यह नियम के विरुद्ध है।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : इसके बिना कोई अर्थपूर्ण चर्चा सम्भव नहीं है····(व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे अपना प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : कैसे महोदय? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चर्चा पहले ही चल रही है। विशेषाधिकार प्रस्ताव को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। मैंने इसे प्राथमिकता दे दी है। और यह अब चल रही है और इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : आपने कृपा करके अपना विनिर्णय दिया है कि सभा के समक्ष प्रस्ताव अर्थात् विशेषाधिकार प्रस्ताव का इस व्यापक प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है कि ठक्कर आयोग के पूरे प्रतिवेदन में क्या-क्या आता है। जब कुछ सदस्यों ने आपत्ति की तो आपने टिप्पणी की कि आप इस मामले पर विचार कर रहे हैं और आप केवल उसी प्रश्न को ले रहे हैं कि क्या माननीय गृह मन्त्री ने किसी तरह से सभा को गुमराह किया है। वस्तुत: यही एक प्रश्न है जिससे हमारा सरोकार है।

अध्यक्ष महोदय : आप किस बारे में बोल रहे हैं ?

श्री सी० माधव रेड्डी : अपने प्रस्ताव के बारे में। मैंने अपना प्रस्ताव जब अन्य सदस्यों ने अपने प्रस्ताव दिये थे उससे अगले दिन तब दिया था जब माननीय बूटासिंह ने कुछ कहा था जो वास्तव में विशेषाधिकार के हनन की बात थी। इस सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों से भिन्न है। माननीय मन्त्री महोदय ने 28 मार्च को इस सभा में और सभा के बाहर भी प्रेस को दिए गए एक बयान में कहा था कि सरकार इसे अन्तिम प्रतिवेदन समझती है। फिर भी अर्थात् यदि विपक्ष यह महसूस करता है कि यह अन्तिम प्रतिवेदन नहीं है, और कुछ ऐसे अंश हैं जिन पर बाद में विचार किया जाना है, तो उन्हें लोक हित में प्रकट नहीं किया जा सकता। उन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ मामले चलाए जा रहे हैं और इस जानकारी से उन मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है उनका यही दृष्टिकोण है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि पूरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया है। ऐसा कह कर उन्होंने यह भी कहा कि यदि पूरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया है तो सरकार जो मामले चलाना चाहती है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वस्तुत: इससे जानबूझकर सभा को गुमराह किया गया है क्योंकि इससे पहले उन्होंने 17 मार्च को तथा प्रधान मन्त्री ने भी और फिर 27 मार्च को माननीय गृह मंत्री ने स्वयं यह कहा है, कि विशेष जांच दल ने उसे सुपुर्द किया गया काम पूरा कर लिया है। अन्तरिम तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कोई बाधा नहीं है। उस समय जब यह वक्तव्य दिया जा रहा था, और आगे मुकदमे चलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता था और सरकार के लिए किसी जानकारी को रोके रखना भी आवश्यक नहीं था। किन्तु अगले दिन ही उन्होंने बताया है कि कुछ जानकारी रोकी जा रही है क्योंकि इससे कुछ मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है यह वस्तुत: विशेषाधिकार का उल्लंघन है और ऐसा जानबूझकर किया गया है। मैं भी जानबूझकर इसी पहलू विशेष पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं इस प्रश्न पर चर्चा नहीं करूंगा कि वस्तुत: पूरा प्रतिवेदन का क्या अर्थ है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर आप पहले से ही काफी ध्यान दे रहे हैं और यही वह मामला है जिसके बारे में आपने कहा था कि महान्यायवादी की राय जानने के बाद ही आप विनिर्णय देंगे। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि महान्यायवादी की राय हमें अभी नहीं मिली है। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। यही उचित होगा कि आप इस व्यापक प्रश्न पर चर्चा करवायें कि क्या यह पूरा प्रतिवेदन है या नहीं तथा महान्यायवादी की राय के बारे में सभी माननीय सदस्यों को जानकारी दी जाये ताकि उस पर चर्चा की जा सके। किन्तु दुर्भाग्यवश यह चर्चा इस सीमित प्रश्न पर हो रही और इस विशेष चर्चा को इस प्रकार तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है जिससे ऐसी बातें भी शामिल कर दी जायें जो कि इस प्रस्ताव की परिधि से बिल्कुल बाहर हैं। मेरा विचार है कि यह प्रस्ताव केवल इसी बात तक सीमित रखा जाये कि क्या गृह मन्त्री ने जानबूझकर गुमराह किया है या नहीं और मेरी राय में सभा को जानबूझकर गुमराह किया गया है क्योंकि 28 मार्च को उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उसमें यह बताया गया है कि वे कुछ जानकारी रोक रहे हैं क्योंकि उससे कुछ मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : अध्यक्ष महोदय, श्री चिदम्बरम ने एक चुटकला सुनाकर अपना भाषण समाप्त कर दिया। किन्तु मेरा ख्याल है कि उनकी बात में यदि वे पूरी तरह से अभिलेखों का अध्ययन करते; मौलिकता होती और उन्हें यह पता चलता कि यही चुटकला लगभग दो माह पहले मैं इस सभा को सुना चुका हूं। इसमें दो बातें निहित हैं इस चर्चा के विधि तथा संसदीय दृष्टांतों दोनों की दृष्टि से दूरगामी परिणाम हैं। इस विशेषाधिकार प्रस्ताव में दो बातें हैं। पहली यह कि श्री बूटासिंह ने सभा को गुमराह किया है तथा दूसरी यह कि श्री बूटासिंह इस सभा को गुमराह कर रहे हैं। यदि श्री चिदम्बरम का यह तर्क होता कि सभा को जानबूझकर गुमराह नहीं किया गया है, तो स्पष्ट है कि इस सभा के बारे में इसी के आधार पर निर्णय लिया जा सकता था। किन्तु श्री चिदम्बरम ने यह रुख अख्तियार किया है कि सभा को गुमराह नहीं किया गया है क्योंकि पूरा प्रतिवेदन इस सभा के पटल पर रख दिया गया है। अब आपको इस प्रश्न के बारे में निर्णय लेना है कि क्या पूरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया है या नहीं जिसके बारे में यह सभा आपके विनिर्णय की प्रतीक्षा कर रही है और वस्तुतः आपने इस बारे में महान्यायवादी की राय मांगी है। इसलिए आप यह अपेक्षा कैसे करते हैं कि यह सभा उस विषय के बारे में निर्णय ले जिसके बारे में उसे आपके विनिर्णय की प्रतीक्षा है। यदि श्री चिदम्बरम का यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है कि पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और स्पष्टतः यह आपके विनिर्णय पर निर्भर है और यही कारण है कि सम्भवतः श्री बनातवाला ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि इसे स्थगित किया जाना चाहिए। इसके बावजूद मेरा यह अनुरोध है कि चिदम्बरम के दावे के विपरीत पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री चिदम्बरम कहते हैं कि पहले से यह दृष्टान्त हैं कि प्रतिवेदन के अलावा अन्य अनुबंध और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। उन्होंने शाह आयोग तथा जगन मोहन रेड्डी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों का हवाला दिया है और दृष्टांत के तौर पर उनका उल्लेख किया है। मैं उन्हें यह बता दूं कि जब कोई मामला उठाया जाये तभी दृष्टांत के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। जब कोई मामला उठाया जाता है, जब किसी मुद्दे पर विवाद उठ खड़ा होता है और उस मुद्दे के बारे में निर्णय लिया जाता है तब यह कहा जा सकता है कि इसके बारे में पहले से दृष्टान्त हैं। जहां तक जगन मोहन रेड्डी के प्रतिवेदन का सम्बंध है, उसमें ऐसा कोई मामला न तो उठाया गया और न ही इस सभा में उस पर विवाद हुआ। किन्तु मैं एक दृष्टान्त प्रस्तुत कर सकता हूं। सरकारिया आयोग के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों विषयक प्रतिवेदन में दलों द्वारा दिए गए सभी ज्ञापनों जिनमें मेरे दल का ज्ञापन भी सम्मिलित था, को भी खण्ड दो में शामिल किया गया है और उसे सभी सदस्य सदस्यों को भेजा गया है। इसीलिए यदि दृष्टान्त दिये जाने हैं तो शाह आयोग के प्रतिवेदन का नहीं वरन् जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत गठित आयोग के बारे में दृष्टान्त प्रस्तुत किया जाए। जांच आयोग अधिनियम के अधीन (व्यवधान) कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए और फिर आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : इसीलिए श्री चिदम्बरम ने जो तर्क दिया है वह अनुचित है। श्री चिदम्बरम की बात तब भी अनुचित सिद्ध होती है जब वे कहते हैं कि जांच आयोग अधिनियम का परन्तुक केवल धारा 4 की उपधारा (5) पर लागू होता है उपधारा (4) पर नहीं। श्री चिदम्बरम यह कहना चाहते हैं कि उपधारा (4) का उपबंध उस समय लागू नहीं होगा जब समुचित सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि उपधारा (4) के अन्तर्गत दिए गए जांच आयोग के प्रतिवेदन या उसके किसी भाग को प्रकट करना देश की संप्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, किसी अन्य देश के

मैत्री पूर्ण सम्बन्धों इत्यादि के हित में नहीं है और वह राजपत्र में उस आशय की अधिसूचना जारी करें···श्री चिदम्बरम इस स्पष्टीकरण पर निर्भर करते हैं कि उपधारा (5) के प्रयोजन हेतु इस प्रतिवेदन में एक अन्तरिम प्रतिवेदन तथा आयोग का समस्त कार्यवाही वृत्तांत सम्मिलित है। श्री दण्डवते का यह तर्क था कि इस प्रतिवेदन में आयोग का समस्त कार्यवाही वृत्तांत शामिल है। श्री चिदम्बरम ने इस स्पष्टीकरण को पढ़कर उसका खंडन करना चाहा है, कि उपधारा (5) के प्रयोजन हेतु वह सम्मिलित करता है। इसीलिए वह उपधारा (4) के प्रयोजन हेतु कुछ भी सम्मिलित नहीं करता। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उपधारा (5) से अलग हट कर स्वतन्त्र रूप से उपधारा (4) का पठन नहीं कर सकते क्योंकि उपधारा (5) और उपधारा (4) एक साथ पठित होनी चाहिए। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उपधारा (4) क्या है। उपधारा (4) के अनुसार·········(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : वे कानून के गणित का हवाला दे रहे हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : दुर्भाग्यवश श्री शान्ताराम नायक न तो कानून पर और न ही गणित पर इतना अधिकार रखते है। दिक्कत यह है कि जो न तो गणित जानता है और न ही कानून, वह हमें दोनों के बारे में पढ़ाना चाहता है····(व्यवधान)

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : यह तो वकीलों का विशेषाधिकार है कि वे कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : बिल्कुल ठीक।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु अन्तिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार तो न्यायपालिका का ही है।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, कृपया सुनिये। मैं श्री चिदम्बरम से इस बात का उत्तर चाहता हूं। श्री चिदम्बरम का कहना है कि रिपोर्ट में कार्यवाही वृत्तांत शामिल नहीं होता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ?

श्री पी० चिदम्बरम : उप-धारा (4) के अधीन।

श्री दिनेश गोस्वामी : उप-धारा (4) के अधीन, "समुचित सरकार, यथा स्थिति, लोकसभा···· के समक्ष···रखवायेगी।" यदि उप-धारा 4 में आयोग शामिल नहीं है तो उप-धारा 5 के अधीन, यदि आप कार्यवाही वृत्तांत प्रस्तुत नहीं करते तो उप-धारा 5 के अधीन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है ? यदि उप-धारा 4 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है और कार्यवाही वृत्तांत प्रस्तुत नहीं किया जाना है तो किसी भी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको उसे इस सदन में प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। संरक्षण आवश्यक हो जाता है यदि आपको कार्यवाही-वृत्तांत पटल पर रखना हो। श्री चिदम्बरम के अनुसार उप-धारा 4 कहती है कि कार्यवाही-वृत्तांत प्रस्तुत किया जाना है। उस दशा में सरकार कह सकती है कि "हम उप-धारा 4 के अधीन कार्यवाही-वृत्तांत सदन में रखने के लिए बाध्य नहीं हैं; हम इसे नहीं रख सकते" उप-धारा 5 के अनुसार, कार्यवाही-वृत्तांत भी रिपोर्ट में शामिल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि श्री चिदम्बरम की यह दलील कि धारा 5 और धारा 4 इसका समर्थन नहीं करती हैं तो इस दशा में स्पष्टीकरण अनावश्यक और निरर्थक हो जाता यदि मैंने कार्यवाही-वृत्तांत प्रस्तुत नहीं करना है तो सुरक्षा या

दोस्ताना सम्बन्धों के कारण कोई भी संरक्षण अपेक्षित नहीं है क्योंकि कानून उन्हें यह नहीं कहता कि वे रिपोर्ट का समर्थन करें। परन्तु ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री चिदम्बरम ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और मेरा यह कहना है कि ऐसा नहीं है न्यायाधीश ठक्कर ने स्वयं अन्तरिम रिपोर्ट में यह कहा है कि इसमें 4 खंड हैं और एक अलग खंड है। कुल मिलाकर 10000 धन 65 पृष्ठ ऐसे हैं जिनका उल्लेख किया गया है। अब मैं अन्तरिम रिपोर्ट के पृष्ठ 7 का उल्लेख करता हूं। आयोग की रिपोर्ट 4 खंडों में है। आयोग का कहना है कि मेरी रिपोर्ट 4 खंडों में है और गृह मन्त्री को यह कहने का कोई अधिकार या अधिकारिता नहीं है कि आयोग का यह बयान कि रिपोर्ट 4 खंडों में है, गलत है या सही है परन्तु अध्यक्ष महोदय ज्यादा महत्वपूर्ण है आयोग की अन्तिम रिपोर्ट और मैं पृष्ठ 4—अन्तिम रिपोर्ट की स्कीम से प्रारम्भ करता हूं।

1.6 1. वर्तमान रिपोर्ट जो अन्तिम रिपोर्ट है दो भागों में है। वर्तमान रिपोर्ट जिसके लिए आयोग से कहा है····अध्यक्ष महोदय, यदि आपके पास रिपोर्ट की प्रति है तो कृपया इसे देखिए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कृपया अन्तिम रिपोर्ट का पृष्ठ 4 पैरा 1.6.1. देखिए।

"वर्तमान रिपोर्ट जो अन्तिम रिपोर्ट है दो भागों में है" इसलिए, आयोग का कहना है कि वर्तमान रिपोर्ट अन्तिम रिपोर्ट है। श्री चिदम्बरम या श्री बूटा सिंह को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि यह अन्तिम रिपोर्ट नहीं है। यह दो भागों में है—भाग 1 और भाग 1 (क)/भाग 1 में पांच अध्याय हैं। उप-धाराओं का ब्योरा इस प्रकार है।

अध्याय-एक में प्रस्तावना है। कृपया खंड के अध्याय—1 को देखिए। यह तो आपके हाथ में है। इसमें प्रस्तावना है। अध्याय-2 में प्रधान मन्त्री की हत्या के कारणों का उल्लेख है। कृपया खंड के अध्याय -2 को देखिये। यह आपके हाथ में है और आप यह देखेंगे कि इसमें उन घटनाओं का उल्लेख है जिनके द्वारा हत्या की गई है। अध्याय—3 में इस प्रश्न का उल्लेख है कि क्या उन लोगों को छोड़ कर जिन पर मुकदमा चल रहा है कोई अन्य व्यक्ति भी इस कांड में शामिल था। अध्याय—4 में इस इस बात का उल्लेख है कि इस हत्याकांड में यदि कोई विदेशी एजेन्सी शामिल थी तो वह कहां तक अन्तर्ग्रस्त थी अध्याय—5 में आयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हैं। इसका उल्लेख पैरा 1.6.2. में है। अध्याय —5 के अन्त में क से ङ तक परिशिष्ट हैं जिन्हें आयोग की राय में स्वयं भाग-एक में भी शामिल किया जाना काफी महत्वपूर्ण है। भाग-एक (क) में, पैरा 1.6.2 में पूर्व उल्लिखित परिशिष्टों को छोड़कर सामग्री का संकलन है····जिस पर आयोग ने अन्तिम रिपोर्ट के प्रयोजनार्थ निर्भर किया है।

अब, भाग एक (क) कहां है ? कृपया इस खंड का पृष्ठ 138 पैरा 1.1.3 देखिए।

"अस्थिरता की स्थिति पैदा करने के लिए विदेशी एजेन्सी का शामिल होना।" यह ऐसा मामला है जिसे यह संसद सिर्फ इसलिए आसानी से नजरअन्दाज नहीं कर सकती कि कार्यपालिका ने ऐसा करने का निर्णय किया है। इसमें कहा गया है :—

"क्या किसी विदेशी एजेन्सी ने उन लोगों की सहायता की है जो भारत में भीतर से अस्थिरता फैलाने में लगे हुए थे, यह एक ऐसा मामला नहीं है जो आयोग के निर्देश पदों में शामिल हो। जो जांच एजेन्सी ने ऐसी बहुत सी सामग्री इकट्ठी की है जिससे यह पता चलता है कि किसी विदेशी एजेन्सी ने वास्तव में, आतंकवादियों को उकसाने, प्रेरित करने, सहायता देने और प्रशिक्षण देने की भूमिका अदा की है और उक्त एजेन्सी द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई एक पूर्ण एवं विस्तृत रिपोर्ट

भाग-एक (क) में शामिल की गई है। उस रिपोर्ट के आधार पर, आयोग की यह राय है कि विदेशी एजेंसी ने वास्तव में ऐसी भूमिका निभाई है।"

श्री चिदम्बरम जी, वह रिपोर्ट कहां है ? वह विदेशी एजेंसी कौन सी है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हो गया है ?

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने यह पता लगाने के लिए इस रिपोर्ट को बड़ी सावधानी से पढ़ा है कि वह विदेशी एजेंसी कौन सी है जिसका नाम यहां दिया गया है क्योंकि इस देश में विदेशी एजेंसी के अन्तर्ग्रस्त होने का मामला केवल श्री चिदम्बरम और बूटासिंह की चिंता का ही विषय नहीं है। प्रधानमन्त्री की हत्या सत्तारूढ़ दल के एकाधिकार का ही मामला नहीं है। (व्यवधान)

मैं इसे अपने आप जोड़ रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है यह बात भूल से निकल गई है।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : आप अपने शब्दों से उन्मत्त मत होइए।

श्री दिनेश गोस्वामी : यह बात भूल से निकल गई है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में कुछ नहीं हुआ है, यह बात भूल से निकल गई है।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : वह अपनी-अपनी आवाज को सुनने के इतने शौकीन हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, यह बात भूल से निकल गई। मैंने कहा.... (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): क्या वह यह कह रहे हैं कि यह बात भूल से निकल गई है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : यह बात भूल से निकल गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तिल का ताड़ क्यों बना रहे हैं ? यह बात भूल से निकल गई है। बस। कोई आदमी भूल से भी कुछ कह सकता है। यह बात भूल से निकल गई है। उनका यह आशय नहीं था।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मेरा मतलब है कि यह बात भूल से निकल गई है। आखिरकार प्रधान मन्त्री की हत्या की रिपोर्ट—मैं "रिपोर्ट" शब्द नहीं कह पाया और उन तथ्यों जिनके कारण हत्या हुई है, पर सत्तारूढ़ दल का एकाधिकार नहीं हो सकता। देश को यह जानने का पूरा हक है और अध्यक्ष महोदय, जब रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है—भाग एक (क)—जिसमें प्रधानमन्त्री की हत्या का उल्लेख है, और यह बताया गया है कि इसमें किसी विदेशी एजेंसी का हाथ है। जैसा कि मैं समझता हूं सरकार यह कह सकती है कि हम सुरक्षा के आधार पर इसे प्रकट नहीं कर रहे हैं। वह एक अलग बात है। तब आप सोचते हैं कि इसे प्रकट किया जाये या नहीं। सरकार वह रुख अपना सकती है। वह 15 क का सहारा ले सकती है कि "यह ऐसा मामला है जिसे वे प्रकट नहीं कर सकते। परन्तु सरकार यह नहीं कह सकती कि वह भाग 1 (क) को सभा पटल पर नहीं रखने जा रही है और सदन को अन्धेरे में रखा जायेगा।"

एक माननीय सदस्य : उनके अनुसार यह रिपोर्ट का भाग नहीं है ।

श्री दिनेश गोस्वामी : उनके अनुसार यह रिपोर्ट का भाग नहीं है । मेरे ख्याल में दस्तावेज पर नजर डालने से ही यह पता लगता है कि यह रिपोर्ट का भाग है और उसे परे रखने का कोई अधिकार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, तकनीकी आधार को छोड़कर, मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस प्रश्न में विधान मंडल के प्रति कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का बुनियादी सवाल अन्तर्ग्रस्त है । यदि मुझसे रिपोर्ट पर अपना विचार व्यक्त करने को कहा जाए तो मैं यह कहूंगा कि रिपोर्ट एक निष्कर्ष है या उसमें तथ्यों का पता लगाया जाता है । मैं साक्ष्य पर ध्यान दिए बिना तथ्यों पर अपने विचार कैसे व्यक्त कर सकता है ? क्या कोई भी व्यक्ति साक्ष्य को देखे बिना निर्णय कर सकता है ? श्री ठक्कर ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जो सरकार को स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि बाद में गठित विशेष जांच दल की एक समिति ने उन निष्कर्षों को रद्द कर दिया है । इन अभिलेखों को पढ़े बिना मैं उन्हें कैसे स्वीकार या रद्द कर सकता हूं ? और इसलिये इसमें संसद के प्रति कार्य पालिका के उत्तरदायित्व का बुनियादी सवाल अन्तर्ग्रस्त है और मेरा ख्याल है कि संसद को पूरे दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार है, ताकि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट से न्यायपूर्ण एव समुचित निष्कर्ष निकाले जा सकें । यदि ऐसा करने से इनकार किया जाता है तो उसका मतलब संसद के अधिकार को नकारना होगा और उन दस्तावेज के बिना ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर प्रभावी लाभदायक तथा उपयोगी चर्चा नहीं हो सकती । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सरकार को कम से कम रिपोर्ट का भाग 1-क सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके सब को मौका दूंगा । कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : मेरे मित्र श्री दिनेश गोस्वामी फिर तकनीकी बातें ला रहे हैं और अपने आपका उन तकनीकी बातों में छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और सभा के समक्ष वास्तविक तथ्यों की अवहेलना कर रहे है । मैं कोई विधि-विशेषज्ञ या वकील नहीं हूं । उन्होंने मुझे अन्तिम रिपोर्ट का पृष्ठ 163 पढ़वाया, जिसमें यह स्पष्ट किया है कि भाग 1-क क्या है । श्री गोस्वामी का कहना है कि भाग 1-क रिपोर्ट का ही अंश है । किन्तु यहां कहा गया है : "भाग 1-क सामग्री का संकलन है" । यह विशेष रूप से कहा गया है कि भाग 1-क सामग्री है । सामग्री तथा रिपोर्ट में अन्तर करने के लिए अधिक कानूनी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या सामग्री के बिना भी रिपोर्ट हो सकती है ?

प्रो पी. जे. कुरियन : कृपया सुनिए । रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता है । सामग्री तथा रिपोर्ट में स्पष्ट अन्तर है । कोई वकील ही यह स्पष्ट कर सकता है कि सामग्री तथा रिपोर्ट में कोई अन्तर है या नहीं । रिपोट में स्पष्टतः वर्णित है कि भाग 1-क में सामग्री आती है और वह रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है ।

श्रीमान, विपक्ष राजनीति का खेल खेल रहा है । मैं यही आपको बताना चाहता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कौन सा खेल ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : वही खेल जो आप खेल रहे हैं····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सम्बोधित कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पता नहीं आप क्यों बोल रहे हैं । उन्हें बोलने दीजिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : भौतिकवादी व्याख्या है ।

प्रो. पी. जे. कुरियन : आज सुबह माननीय श्री विश्वम्भरम ने कई उदाहरण तथा पूर्वोदाहरण उद्धृत किए जिनमें सभी मामले, इस सभा में प्रस्तुत की गई तथा सभा पटल पर रखी गई रिपोर्टें ऐसी थी जिनमें कार्यवाही वृत्तांत को कभी शामिल नहीं किया गया । केवल अन्तिम रिपोर्ट ही रखी गई । शाह आयोग की रिपोर्ट, जो उन्हें बहुत प्रिय थी, में भी कोई साक्ष्य, कोई सामग्री, कोई बयान, कोई दस्तावेज सभा पटल पर नहीं रखा गया । केवल निष्कर्ष रखे गए । मैं फिर कहता हूं कि मैं वकील नहीं हूं । (व्यवधान)

सरकारिया आयोग जांच आयोग अधिनियम के अधीन नहीं है ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी । यह सही है । वे न तो कानून जानते हैं और न ही तथ्य जानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय । श्री कुरियन, आप मुझे संबोधित करिए ।

प्रो. पी. जे. कुरियन । श्रीमान् सरकारिया आयोग ने स्वयं यह बताया है कि रिपोर्ट के अन्तर्गत क्या आता है और उसे सभा पटल पर रखा गया है । इस मामले में भी वह सभा पटल पर रखा गया है । जिसे परिशिष्ट कहा गया है और जो रिपोर्ट का अंश है ।

इस सम्बन्ध में दो प्रश्न उठते हैं । एक तो यह है कि क्या पूरी रिपोर्ट रखी गई है या नहीं । उसके बारे में माननीय अध्यक्ष अपना विनिर्णय दें और हमें उसकी प्रतीक्षा है । दूसरा प्रश्न यह है कि क्या गृह मन्त्री ने जानबूझकर सभा को गुमराह किया है । इस प्रश्न का निर्णय किया जाना है । विशेषाधिकार का यह प्रश्न अब क्यों उठा है ? यह सब सरकार को बदनाम करने के विपक्ष के प्रयासों का ही हिस्सा है । पिछले दो वर्ष से विपक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ ढूंढने का प्रयास करता रहा है । वे कभी एक प्रश्न उठाते हैं कभी दूसरा और जब उनसे कुछ नहीं बनता तो कोई नया प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं । मुझे केवल एक प्रश्न पूछना है : ठक्कर आयोग की रिपोर्ट क्यों पूर्व प्रस्तुत की गई थी । ऐसा क्यों है कि आपने उस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के लिए कहने की अब तक प्रतीक्षा की ? ऐसा क्यों हुआ कि इसमें हितबद्ध पत्रकारों ने इसे अब तक प्रकट क्यों नहीं किया ? कारण स्पष्ट है । (व्यवधान) । हम जानते हैं वे कौन से विपक्षी नेता हैं जो श्री धवन को अपनी तरफ करने के लिए उनके पास जा रहे थे । वे उनको अपनी ओर करके उनका इस्तेमाल करना चाहते थे । (व्यवधान) हम जानते हैं आप में से कितने उन्हें अपनी तरफ लाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे । जब आपने देखा कि आप उन्हें अपनी ओर करने के प्रयास में असफल रहे तो अब आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि आप कानून के विशेषज्ञ हैं और आप श्रीमती इंदिरा गांधी के बड़े प्रशंसक हैं । (व्यवधान) मैं पूछता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के हत्यारों के प्रति आपका क्या रवैया था । जब श्रीमती इन्दिरा गांधी के हत्यारों को फांसी होनी थी तो विपक्ष के नेताओं ने बहुत शोरगुल किया । उनमें से कई श्रीमती इन्दिरा गांधी के हत्यारों के लिए आंसू बहा रहे हैं । आप उसे भूल गए हैं ? (व्यवधान) आपके कुछ नेता गृह मन्त्री से अपील करने गए और यहां तक कि श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्यारों को बचाने के लिए वक्तव्य जारी किया और अब आप मगरमच्छ के

आंसु बहा रहे हैं। श्री दिनेश गोस्वामी ने भी ऐसा ही कहा और यह उनके वक्तव्य से स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि हत्या कांग्रेस की सम्पत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि उन्होंने इसमें कुछ शुद्धि की है।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर आप क्यों अनावश्यक रूप से उनका इसमें घसीट रहे हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं प्रो. पी. जे. कुरियन को यह बात स्पष्ट कर दूं कि मैंने इसमें शुद्धि की है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तय हो गया है। मैं संतुष्ट हूं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : क्षमायाचना सहित मैं अपने कथन में संशोधन करता हूं क्योंकि मैं भूल गया था कि उन्होंने अपनी बात में सुधार कर लिया था। (व्यवधान) विपक्ष के नेताओं का वक्तव्य न केवल उनका पक्ष लेने का था जिन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की बल्कि उन आतंकवादियों के भी समर्थन में था, जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : संकेत न करें।

प्रो. पी. जे. कुरियन : आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान के जनरल जिया ने जनता दल के नेताओं का स्वागत किया था। वे पाकिस्तान गए और उन्होंने जनरल जिया की प्रशंसा की। इन तीन वर्षों में वे श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्यारों के पक्षधर रहे और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मेरी यही शिकायत है अब वे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं क्योंकि वे इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। वे देश में होने वाली हरेक बात का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं चाहे उससे देश का नुकसान हो या फायदा। विपक्ष के लोग ऐसा खेल खेल रहे हैं।

अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आयोग के सामने आए सारे अभिसाक्ष्य तथा सारे साक्ष्य सभा पटल पर रखे जाने चाहिए।

महोदय मुझे केवल एक प्रश्न पूछना है। मान लीजिए कि सभी तथ्यों को दिखा दिया जाता है, साक्षियों और साक्ष्यों के ब्योरे को सभा पटल पर रख दिया जाता है, तो भविष्य में गठित किये जाने वाले किसी आयोग का क्या होगा? क्या कोई व्यक्ति आयोग के समक्ष गवाही देने आयेगा? यदि आयोग के समक्ष आये साक्षियों और दिये गये साक्ष्यों का ब्योरा सभा पटल पर रखा जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है, तो क्या होगा? मैं कहना चाहता हूं कि इस नियम के अधीन बना आयोग निरर्थक हो जाएगा। इसलिये इसका और भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। विशेषाधिकार के प्रश्न के अतिरिक्त, उन साक्ष्यों को सभा पटल पर रखना राष्ट्रहित के प्रतिकूल है। ये विपक्ष के लोग, राजनीतिक लाभ उठाने के लिये, इस बात की भी चिन्ता नहीं करते हैं कि क्या तथ्यों को सभा पटल पर रखना राष्ट्रहित में है अथवा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि गृह मंत्री ने सभा से जानबूझ कर अथवा जानते हुये कुछ भी छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया है। बल्कि, इसके बदले जो कुछ उन्होंने किया है वह पूर्ण विश्वास और राष्ट्र के सर्वोपरि हित में किया है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस सभा से माननीय गृह मंत्री के विरुद्ध पेश किये गये विशेषाधिकार प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह करता हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) । अध्यक्ष महोदय, आप मानेंगे कि यह बहुत अधिक महत्व का मामला है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से पहली बार यह मामला उठा है । आगे यह भविष्य में गठित होने वाले आयोगों पर भी लागू होगा । (व्यवधान)

मैं माननीय सदस्य से कुछ समय के लिए शांत रहने और बात को समझने का अनुरोध करता हूं । मैं जानता हूं कि यदि वह चाहें तो समझ सकते हैं । इसमें केवल दो प्रश्न हैं—या तो यह तथ्य का प्रश्न है अथवा यह कानून का प्रश्न है । माननीय मंत्री श्री चिदम्बरम ने यह बताने का प्रयास किया है कि अधिनियम और इसके उपयुक्त भाग की व्याख्या करने पर, यह कानून का प्रश्न है कि रिपोर्ट का क्या आशय है । इसलिये, अधिनियम खुद ही रिपोर्ट की परिधि निर्धारित करता है तथा कार्यवाही आदि कभी भी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बन सकती हैं । दूसरे, वह रिपोर्ट पढ़ते हैं और बताते हैं कि स्वयं रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि अन्य सामग्री रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बन सकती है । महोदय, हम अविलंब कानून के प्रश्न पर आते हैं । सर्वप्रथम मैं अन्य प्रश्नों पर बात करना चाहूंगा । तथ्य का प्रश्न क्या है ? यह इस बात से तय किया जायेगा कि रिपोर्ट के लेखक ने क्या कहा है क्योंकि केवल तर्क से कोई तथ्य को नहीं बदल सकता है ।

महोदय, मैं आपका ध्यान पृष्ठ 7 की ओर आकृष्ट करता हूं । और मैं अन्तरिम रिपोर्ट से प्रारम्भ करता हूं । कृपया यह याद करें कि न्यायमूर्ति ठक्कर ने कभी नहीं कहा है कि अन्तरिम रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये अथवा प्रकाशित नहीं होना चाहिये । अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उन्होंने बहुत साफ कर दिया था कि रिपोर्ट को प्रकाशित न करने का उनका अनुरोध केवल अन्तिम रिपोर्ट के लिये ही है । इसमें कहा गया है और मैं इसे उद्धृत कर रहा हूं :

"पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात आयोग की राय है कि अन्तरिम रिपोर्ट को प्रकाशित करने में कोई आपत्ति नहीं है, जबकि व्यापक जनहित की मांग है कि वर्तमान रिपोर्ट को प्रकाशित न किया जाय ।"

यह अन्तिम रिपोर्ट के विषय में है । उनके अनुसार अन्तरिम रिपोर्ट के प्रकाशन में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । अन्तरिम रिपोर्ट क्या है ? हम सभी ने रिपोर्ट का पृष्ठ 7 पढ़ा है । यहां लेखक कहता है कि रिपोर्ट में व्यक्तियों को जारी की गयी कारण बताओ नोटिसें, उनके उत्तर और उस विषय में आयोग की कार्यवाही आदि से संबंधित कागजातों वाले खण्ड I, खण्ड II और III शामिल हैं । प्रत्येक खण्ड में लगभग 2000 पृष्ठ हैं । श्री चिदम्बरम ने केवल व प्रश्नावलियों और प्रति परीक्षण का उल्लेख किया है । यदि यह प्रश्न परीक्षण अथवा साक्ष्य का है तो यदि प्रश्नावलियों को साक्ष्य भी मान लिया जाय, तो भी इसे बताने की जरूरत नहीं है । ऐसा कोई कानून नहीं है । आयोग के अध्यक्ष ने बताया है कि खंड IV में विभिन्न व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से भेजी गई प्रश्नावलियों और क्रमशः उनके जवाब तथा अनेकों व्यक्तियों से सम्बन्धों के रूप में की गई पूछताछ और उनके जवाब शामिल हैं । सभी खण्डों में उनकी अपनी विषय सूची है । अगला वाक्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है । "जो निर्देश पदों के अन्तर्गत आने वाले मामले, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार नहीं किया गया है, से संबंधित पत्रों को शेष मामलों संबंधी रिपोर्ट के साथ प्रथक खण्ड में शामिल किया जायेगा ।" कृपया देखें, शेष मामलों संबंधी रिपोर्ट के साथ ।" यह अलग खंड में होगा । उस संबंध में सभी पत्रों जिनको कि शामिल नहीं किया जा सका है, रिपोर्ट के भाग के रूप में उपलब्ध रहेंगे, उन को शामिल किया जायेगा । वह कहते हैं : "यह रिपोर्ट है ।" श्री चिदम्बरम कहते हैं "खण्ड II इस प्रकार प्रश्नावली उनके उत्तरों से संबंधित है यह कभी भी रिपोर्ट का भाग नहीं हो सकती है ।" और लेखक कहता है कि "यह

रिपोर्ट का भाग है।" सरकार की ओर से यह बड़ा विस्मयकारी दृष्टिकोण है। वह कहते हैं। मेरी रिपोर्ट दो खंडों 'तीन खंडों अथवा चार खंडो में है।" वह कहते है : "चार खंडों में नहीं है। वह ऐसा कैसे कहते है जब तक कि वः वाक्य न परिवर्तित करें—"आयोग की रिपोर्ट चार खंडों में है।" जब तक कि इसे विकृत न किया जाये मामलों के तथ्य पर सभी तर्क पैदा ही नहीं हो सकते हैं और न ही टिके रह सकते हैं।

जहां तक अन्तिम रिपोर्ट का संबंध है, यह पूर्ण रूप से स्पष्ट की गई है। पृष्ठ 138 पढ़ा गया है : "मामले की अति महत्ता के अतिरिक्त, यह विदेशी एजेन्सियों, उनके कार्यों तथा गतिविधियों पर विचार करता है' यह विशेष रूप से कहा गया है कि रिपोर्ट के भाग I (क) में साक्ष्य शामिल नहीं है। भाग I (क) प्रश्नावलियां शामिल नहीं है। इसमें प्रश्न और उत्तर सम्मिलित हैं। यहां तक कि श्री चिदंबरम द्वारा प्रस्तुत सादृश्यता पर भी कृपया 1.6 देखें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है "वर्तमान रिपोर्ट, जो कि अन्तिम रिपोर्ट है, दो भागों, भाग I और भाग I (क) में है।" (व्यवधान)

हमें एक-एक करके देखें उपेक्षा करने के लिये क्या है? वर्तमान रिपोर्ट कहती है, "शब्दों को एक अर्थ देना होता है वे साधारण शब्द है। तथा लेखक के इरादे को उसी से समझा जा सकता है जो कुछ उसने प्रयोग किया है यह रचना का बड़ा साधारण नियम है। श्री चिदंबरम जी, श्री बूटासिंह को स्पष्ट करके बतायेंगे—(व्यवधान) चूंकि आप सदैव कहते हैं कि आप कानून नहीं जानते हैं। इसलिए, अपने पक्ष को दो विधि विद्वानों से कुछ सीखें। वर्तमान रिपोर्ट, जो कि अन्तिम रिपोर्ट है, दो भागों में है। भाग क के बिन्दु 1.6.3 सामग्री का संग्रहण है।

श्री पी० चिदम्बरम : सामग्री।

प्रो. मधु दंडवते : क्या सामग्री के बिना कोई रिपोर्ट बन सकती है? सामग्री के बिना रिपोर्ट कैसे हो सकती है?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह "हा, हा" अति महत्वपूर्ण है। यह पहली बार हमें पता चला है कि सामग्री अप्रासंगिक है, सामग्री कैसे अप्रासंगिक हो सकती है।

श्री पी.चिदम्बरम : किसने "अप्रासंगिक" नहीं कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : चूंकि सामग्री का प्रयोग किया गया है और वे "हा, हा" कहते हैं, इसलिये, इसकी उपेक्षा की जानी चाहिये। भाग I (क) सामग्री का संग्रहण है जिसे आयोग ने अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने के लिये एकत्र किया है। भाग I (क) में इसकी अपनी विषय-सूची है।

अब मैं कानूनी पहलू पर आता हूं। जो कुछ भी वे कहते हैं, उन्हें दुर्भाग्य से सत्या का तदर्थ ज्ञान तो प्राप्त ही है आप काल्पनिक बातें कहते रह सकते हैं। वे चाहते हैं कि शब्दों का वह अर्थ हो, जो अर्थ वे चाहते हैं। क्योंकि श्री चिदंबरम साधारण शब्दों को एक अलग अर्थ देना चाहते हैं इसका मतलब यह तो नहीं कि शब्दों का अर्थ बदला जायेगा यह मामला एक अनिर्णीत विषय है। अनेकों प्रश्न है। जांच रिपोर्ट का कोई कानूनी अर्थ नहीं है। अतः साधारण खंड अधिनियम में भी परिभाषित नहीं किया गया है। परन्तु हमें उन उपबंधों उन क्षेत्रों पर विचार करना चाहिये जहां पर इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि रिपोर्ट क्या है। और उच्चतम न्यायालय ने विचार किया है कि जांच रिपोर्ट का अर्थ क्या है। चूंकि जब कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही होती है

तो उनको जांच रिपोर्ट दी जाती है जिससे कि विभागीय कार्यवाही के दौरान वे अपने विरुद्ध आरोप पत्र का जवाब दे सकें। उच्चतम न्यायालय ने कई बार यह माना है कि यदि एक जांच रिपोर्ट दी जाती है तो जांच अधिकारी को इसके साथ-साथ लिये गये साक्ष्य तथा सामग्री भी दी जानी चाहिये।

2.55 म. प.

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

श्री पी. चिदम्बरम : वे अलग-अलग बातें हैं उन्होंने 'इसके साथ' कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे धैर्य क्यों नहीं रखते हैं?

मैं जानता हूं कि वे बहुत परेशान हैं साक्ष्य के साथ जांच रिपोर्ट ही वह सामग्री है जिस पर सरकार को कार्यवाही करनी है।

एक माननीय सदस्य : परन्तु वह रिपोर्ट का अंश नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह घोषल-1964 उच्चतम न्यायालय के मामले में है। 1982 में मोहम्मद शरीफ के मामले में इसका अनुसरण किया गया था उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इसे अनुसरण किया था। किसलिये? इसलिये कि कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट को तब तक नहीं समझ सकता है जब तक उसे समर्थनकारी साक्ष्य और अभिलेख न दिये जायें जिससे कि वह इसका अनुमान लगा सके कि निष्कर्षों को सही ढंग से निकाला गया है अथवा नहीं। इसलिये यह कहना निरर्थक है कि रिपोर्ट में वे साक्ष्य कभी शामिल नहीं किये जायेंगे, या शामील नहीं किये जा सकते हैं जिनके आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

'इस देश में एक सर्वोच्च प्राधिकरण है। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय, कि जांच रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से साक्ष्य और सामग्री को शामिल किया जाय इसलिये है क्योंकि जांच रिपोर्ट दिये जाने का अनिवार्यतः मतलब यह है कि आपको उस साक्ष्य और सामग्री देनी है जिनके आधार पर जांच निष्कर्षों तक पहुंचाया गया है। अब वे इसका एक अलग अर्थ चाहते हैं।

दो बातों का उल्लेख किया गया है कि मामले में कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। श्री दिनेश गोस्वामी ने इस विषय में ठीक ही इंगित किया है। मंत्री जी ने नहीं बताया है, इंगित भी नहीं कर कर सकते हैं कि किसी भी अवसर पर जब कि इन रिपोर्टों को प्रस्तुत किया गया था क्या सभा पटल पर सभी सामग्री अभिलेख, साक्ष्य आदि को प्रस्तुत करने अथवा पेश करने अथवा रखने की मांग हुयी थी। आप बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कोई निर्णय उसी सीमा तक एक पूर्व उदाहरण बन सकता है जितना कि इसमें क्या निर्णय लिया गया है। यह बहुत स्पष्ट है। कोई निर्णय देने के लिये कोई मुद्दा होना चाहिये परस्पर विरोधी दावे होने चाहिए और उस पर एक निश्चय राय दी जाती है जिसको कि एक पूर्व उदाहरण माना जा सकता है। इन किसी भी अवसरों पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था, परस्पर विरोधी दावे नहीं हुए थे; सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा कोई भी विनिर्णय नहीं दिया गया था। इसलिये पहले के आयोगों का उल्लेख करने से क्या लाभ जब कि यह प्रश्न कभी उठाया ही नहीं गया था?

दूसरी बात धारा 3 की उपधारा 5 की के बारे में उनकी व्याख्या है। श्री गोस्वामी ने बताया है कि उपधारा 4 को 1971 में जोड़ा गया था जहां पर 'रिपोर्ट, यदि कोई हो' शब्दों का प्रयोग किया गया था। श्री चिदंबरम ने 'यदि कोई हो शब्द के साथ खिलवाड़ किया है जैसे कि इसका कोई विशेष अर्थ हो। यदि कोई रिपोर्ट नहीं है तो रिपोर्ट का कोई प्रस्तुतीकरण हो ही नहीं सकता

है। परन्तु 1971 में रिपोर्ट को सभा के समक्ष छः महीने के अन्दर रखने को अनिवार्य बना दिया गया था। इसमें कहीं नहीं कहा था कहा गया है कि रिपोर्ट में कार्यवाही शामिल है अथवा रिपोर्ट में यह अथवा वह शामिल है अथवा यह या वह नहीं शामिल है। इसने केवल रिपोर्ट कहा था।

उपधारा 5 अन्तः स्थापित की गई है जिसमें कहा गया है कि यदि सरकार का यह विचार हो कि प्रतिवेदन या उसके किसी भाग को प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है तो उपधारा 4 के उपबंध लागू नहीं होंगे। यह हमारे दूसरी ओर बैठे महान लोकतांत्रिकों का महान योगदान है। प्रभावी उपबंध यह है कि उपधारा 4 उपबंध लागू नहीं होंगे। उपधारा 4 क्या है? प्रतिवेदन दाखिला किया जाएगा। इसलिए, यदि सरकार इसे अनुचित समझती है तो धारा 4 लागू नहीं होगी और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवेदन का अन्तरिम प्रतिवेदन या आयोग की कार्यवाही से कुछ लेना-देना नहीं है, तो फिर संसद या प्रारूपकारों या कानून बनाने वालों को यह विशिष्ट स्पष्टीकरण देने की विशेष चिन्ता क्यों है कि उपधारा 5 के प्रयोजनार्थ प्रतिवेदन और आयोग की सभी कार्यवाही सम्मिलित हैं। इसलिए यह समझा गया कि इस स्पष्टीकरण के न होते हुए भी किसी प्रतिवेदन में किसी आयोग की कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्मिलित होनी चाहिए। इसीलिए उपधारा 5 के स्पष्टीकरण में एक स्पष्ट उपबंध किया गया है।

3.00 म० प०

क्योंकि अन्यथा उपधारा (4) के उपबंध लागू नहीं होंगे और न केवल प्रतिवेदन को, बल्कि आयोग की कार्यवाही सहित प्रतिवेदन से संबंधित सभी चीजों को सम्मिलित न किये जाने के लिए यह पर्याप्त होता। यह केवल अत्याधिक सावधानीवश नहीं है क्योंकि उपधारा (5) के आरंभिक शब्द बहुत स्पष्ट हैं। इसलिए मेरा सादर निवेदन है कि धारा के आधार पर जो कुछ भी कहा गया है वह कोई स्पष्ट एवं, प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री ने सभा में यह वायदा किया है कि पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। क्यों? क्योंकि अब इसे अधिक दिनों तक दबाये रखना आवश्यक नहीं है। जब गृह मंत्री यहां आये तो उन्होंने विपक्ष की भूमिका और आचरण के बारे में भाषण दिया, परन्तु उन्होंने कहा, "मैं प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं।" इस सरकार ने कभी भी ऐसा संकेत नहीं दिया कि प्रतिवेदन का कोई भाग या कार्यवाही या अध्याय 2 और 3 भाग। अन्तरिम, जिसके बारे में स्वयं आयोग ने कहा है कि उसे प्रकट किया जा सकता है, को दबाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया।

अब हम क्या केवल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अन्तरिम प्रतिवेदन या अंतिम प्रतिवेदन पूरा प्रतिवेदन है या श्री बूटा सिंह ने जानबूझकर कुछ किया है। यह निश्चित है कि उन्हें वही पढ़ने के लिए कहा गया जो उन्हें तैयार करके दिया गया था। (व्यवधान)

महोदय, प्रश्न यह है: क्या हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं—यह स्पष्ट नहीं किया गया है—कि प्रश्न केवल यह है कि गृह मंत्री ने प्रतिवेदन का कोई भाग जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया है या जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है वही पूरा प्रतिवेदन है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय सुरक्षित रखा है। उनका विनिर्णय स्पष्टतः इस बारे में है कि जितना प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया है क्या वह पूरा प्रतिवेदन है अथवा नहीं? उन्होंने इस मामले को बहुत गम्भीरता से लिया है। उन्होंने इस मामले को महान्यायवादी को सौंपने लायक समझा है और उन्होंने यह बात कई बार स्पष्ट कर दी है कि प्रश्न केवल यह है कि जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया

गया है वह पूरा प्रतिवेदन है अथवा नहीं। इस संबंध में हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? मेरा निवेदन है कि सभा को ऐसे मामले पर चर्चा नहीं करनी चाहिए और वह चर्चा नहीं कर सकती जिस पर माननीय अध्यक्ष का विनिर्णय लम्बित हो और उन्होंने आज प्रातः यह आश्वासन दिया है कि वे इस संबंध में अपना विनिर्णय देंगे। क्या हम ऐसे मामले पर चर्चा कर सकते हैं जो अब अध्यक्ष महोदय के पास विचारणीय है? उन्हें अभी अपना विनिर्णय देना है। जहां तक जानबूझकर किए जाने वाली बात का संबंध है, श्री चिदम्बरम ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने केवल यह स्पष्टीकरण दिया है "यह पूरा प्रतिवेदन है। मैं कहता हूं कि यह पूरा प्रतिवेदन है। आयोग ने जो कुछ कहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहता हूं कि यह पूरा प्रतिवेदन है। मैंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और इसलिए सभा को गुमराह करने का कोई प्रश्न नहीं है।"

महोदय, मेरा कहना है कि यह सही रवैया नहीं है। हमें ऐसे मामले पर विचार नहीं करना चाहिए जो अध्यक्ष के विचाराधीन हो और भले ही सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है अर्थात सब कुछ जानते हुए उन्होंने केवल सभा को गुमराह करने और इस देश की जनता को वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ रखने और अवगत न कराने के प्रयोजन से कुछ भाग रोक लिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (बसीरहाट) : महोदय, मैं उन तर्कों को दोहराना नहीं चाहता जो इस ओर बैठे मेरे सहयोगी पहले ही पेश कर चुके हैं। श्री चिदम्बरम, जिनकी बात मैंने आज प्रातः बड़े ध्यान से सुनी मुख्यतः पूर्वोदाहरणों पर निर्भर रहे। उन्होंने विशेषरूप से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु से संबंधित जांच आयोगों के कुछ पिछले प्रतिवेदनों का हवाला दिया। उन्होंने बहुत बल देकर यह बात कही कि उनमें से किसी भी मामले में, जिसमें प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गये, कार्यवाही सम्मिलित नहीं की गई। उन कथित पूर्वोदाहरणों के आधार पर उन्होंने वर्तमान मामले में सरकार की कार्यवाही को सही ठहराया है। मैं केवल वही बात कह रहा हूं जो यहां पहले भी कही जा चुकी है परन्तु मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि वर्तमान मामले में समस्या यह है कि स्वयं आयोग ने लिखित रूप से और साधारण भाषा में यह कहा है कि प्रतिवेदन क्या है। इसमें व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं है। अंतिम प्रतिवेदन के पृष्ठ 4 जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, में स्वयं आयोग ने "अंतिम प्रतिवेदन की योजना" उप-शीर्षक के अन्तर्गत 1.6.1 प्रारम्भ में यह वाक्य लिखा है "वर्तमान प्रतिवेदन जो कि अन्तिम प्रतिवेदन है"। मैं अंतरिम प्रतिवेदन के बारे में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा है कि अन्तरिम प्रतिवेदन को प्रकट किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, यद्यपि इसे भी अभी तक प्रकट नहीं किया गया है। परन्तु यहां यह कहा गया है, "वर्तमान प्रतिवेदन जो कि अंतिम प्रतिवेदन है, दो भागों में है।" प्रतिवेदन दो भागों में है अर्थात भाग I और भाग (क) इससे अधिक और क्या स्पष्ट हो सकता है? और उसके बाद उन्होंने विस्तार से बताया है कि भाग 1 में पांच अध्याय हैं जिसका सार इन अध्यायों में दिया गया है। उसके पश्चात परिशिष्ट हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं भाग 1 में सम्मिलित करने लायक समझा और उसके बाद भाग 1 क है उन्होंने यह नहीं कहा है कि भाग 1 क प्रतिवेदन से कोई अलग चीज है। इससे पहले उन्होंने कहा है कि वर्तमान प्रतिवेदन दो भागों में है यह दो भागों में है अर्थात् भाग I और भाग (क) भाग 1 क उस सामग्री का संकलन है (उपरोक्त पैरा 1.6.2 में उल्लिखित परिशिष्टों और अन्तरिम प्रतिवेदन से संबंधित खण्डों में पहले ही सम्मिलित की जा चुकी सामग्री से भिन्न जिसके आधार पर आयोग ने अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया है। आप न्यायमूर्ति ठक्कर की राय को, चाहे वह सही हो या गलत, चुनौती दे सकते हैं लेकिन जहां तक उनका अर्थात् स्वयं आयोग का संबंध है, उन्होंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है

कि उनकी दृष्टि में प्रतिवेदन दो भागों में है — भाग 1 और भाग (क) इसलिए मैं नहीं समझता कि कि श्री चिदम्बरम द्वारा पहले उद्धृत किया गया कोई पूर्वोदाहरण वर्तमान मामले में लागू होता है। वैसे भी पूर्ववर्ती आयोग ने चाहे कुछ भी कहा हो या न कहा हो मुझे नहीं मालूम और इस बारे में मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने उन प्रतिवेदनों को नहीं देखा है परन्तु वे प्रतिवेदन दो ऐसे मामले में पूर्वोदाहरण नहीं बन सकते जिसमें कोई आयोग स्पष्ट रूप से यह कहे कि प्रतिवेदन दो भागों में है। मेरा निवेदन है कि अब 1 और भाग I (क) को अस्वाभाविक रूप से एक दूसरे से अलग किया जा रहा है। वे एक ही प्रतिवेदन के भाग हैं और सरकार को जब तक कि कोई महत्वपूर्ण कारण न हो, भाग 1 क, जिसे सभा पटल पर नहीं रखा गया है, को रोके रखने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु सरकार ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया है। श्री ठक्कर ने पृष्ठ 147 पर कहा है कि यह सिफारिश की जाती है कि इस प्रतिवेदन को पैरा 1.9 में विनिर्दिष्ट कारणों से प्रकट नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह केवल अंतिम प्रतिवेदन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह अन्तिम प्रतिवेदन है। अंतरिम प्रतिवेदन के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। पृष्ठ 7, पैरा 1.9 में एक पैरा है जिसमें यह बताया गया है कि वर्तमान प्रतिवेदन को जनता के व्यापक हित में प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने तीन कारण बताये हैं यह उनका तर्क है। उन्होंने इसे प्रकट न करने के लिए तीन कारण बताए हैं।

अब सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। क्या वे इन आधारों पर निर्भर कर रहे हैं? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। उन्होंने यह कहा है कि जो भी उन्होंने दिया है वह पूरा प्रतिवेदन है, इसके अलावा सभा पटल पर रखने को और कुछ भी नहीं है। समय की बचत के लिए मैं पूरे वक्तव्य को पढ़ना नहीं चाहता हूं पहला आधार जो उन्होंने दिया है वह यह है कि इस प्रतिवेदन का जो प्रचार किया जा रहा है उससे भविष्य में जांच अभिकरण द्वारा किए जाने वाले जांच कार्य में बाधा आ सकती है अथवा यह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। गत माह की 17 तारीख को प्रधान मन्त्री पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने पता लगाया है कि जांच कार्य पूरा हो चुका है, यह कार्य समाप्त हो गया है, यह पूरा हो चुका है तथा इसीलिए इस तरह के प्रकाशन से जांच-कार्य अथवा छानबीन को हानि पहुंचने की बात अब प्रासंगिक नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वे सम्पूर्ण प्रतिवेदन सभा पटल पर रख देंगे।

दूसरा कारण जो श्री ठक्कर ने दिया है वह यह है कि ऐसे प्रचार से संदिग्ध व्यक्तियों को परेशानी अथवा हानि हो सकती है। ठीक है, हम जानते हैं कि इस आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति कौन है। सन्देह की अंगुली किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर उठी है। उन्हें परेशानी में डालने अथवा हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उन्हें पहले ही पुनः नियुक्त किया जा चुका है, वापस लिया जा चुका है तथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर रखा जा चुका है। यह एक अन्य बात है जिस पर हम बाद में आएंगे इसके विवरण पर हम बाद में आएंगे, तथा हम सरकार से स्पष्टीकरण मांगना चाहेंगे।

तीसरे आयोग ने जो कारण दिया है वह यह है कि प्रतिवेदन में एकत्रित तथा शामिल की गई सामग्री अनेक संवेदनशील विषयों को छूती है जिसका प्रचार कम से कम इस समय करना लोकहित में नहीं है। यदि उनका संकेत किसी वर्गीकृत सामग्री अथवा किसी ऐसी सामग्री की ओर है जिससे प्रत्यक्ष रूप में देश की सुरक्षा-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता हो अथवा किसी ऐसी सामग्री की ओर है जिससे बाहर के किसी देशों के साथ हमारे संबंधों

पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इस किस्म की यदि कोई बात है तो आप अवश्य बताएं। यह एक ऐसा विषय है जिसमें विपक्ष को विश्वास में तो लेना ही पड़ेगा। क्या हम आप से कम देशभक्त हैं कि हम किसी ऐसे मामले का प्रचार करना चाहते हैं जिससे इस देश की आसूचना अथवा सुरक्षा व्यवस्था के काम-काज पर कुप्रभाव पड़ सकता है? हम इसका या ऐसी किसी बात का प्रचार नहीं करना चाहेंगे जिससे पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को हानि पहुंच सकती हो। परन्तु क्या यही आपका आधार है। आपका आधार इससे भिन्न है। आपने तो यह आधार लिया है कि ऐसा कोई प्रतिवेदन है ही नहीं।

प्रो. मधु दण्डवते का प्रस्ताव जो सरकार पर सभा को गुमराह करने का आरोप लगाता है, संक्षेप में इसी कारण से आया है इन्होंने ऐसे किसी भी आधार का सहारा नहीं लिया है जो न्यायमूर्ति ठक्कर ने अपने स्वयं के प्रज्ञान से निश्चित किया हो। इन्होंने तो बस इतना कहा है कि जो कुछ इन्होंने पेश कर दिया है वही प्रतिवेदन है। और अधिक रखने के लिए कुछ नहीं है। परन्तु न्यायमूर्ति ठक्कर ऐसा कुछ नहीं कहते। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रतिवेदन भाग 1 तथा भाग 1 क को मिला कर बना है, परन्तु उनकी अपनी राय में फिलहाल इसे इन तीन कारणों की वजह से सार्वजनिक न बताया जाए। यह बिल्कुल भी वही बात नहीं है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। सरकार निश्चित रूप से केवल सभा को ही गुमराह नहीं कर रही बल्कि पूरे देश को गुमराह कर रही है। यह एक भावना-प्रवण विषय है। उन्हें कृपया यह महसूस करना चाहिए कि यह ऐसे किसी अन्य विषय जैसा नहीं है जिनका जिक्र इन्होंने सभी ऐसे लोगों के प्रति उचित सम्मान दिखाते हुए किया है। जो पहले मारे जा चुके हैं। यह इस देश के करोड़ों लोगों के लिए एक भावना-प्रवण विषय है। एक प्रधान मन्त्री की हत्या कर दी गई। स्वतन्त्रता से लेकर आज तक हमारे देश के इतिहास में यह अपनी किस्म का अकेला उदाहरण है तथा इस देश के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि वे परिस्थितियां कौन सी हैं जिनका इस हत्या से सम्बन्ध है। यह केवल एक ऐसा मामूली विषय नहीं है, एक ऐसा तकनीकी विषय नहीं है जिसमें आप यह कह कर जान छुड़ा सकें कि यह प्रतिवेदन का एक भाग है अथवा प्रतिवेदन का एक भाग नहीं है।

मुझे हर्ष है कि केवल प्रेस के लोगों के कारण ही है जिन्हें किसी स्रोत से प्रतिवेदन हाथ लग गया तथा उन्होंने इसे प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया। यह जो कुछ भी हो अनेक वर्षों बाद साढ़े चार वर्ष बीत चुके हैं, कम से कम कुछ थोड़ी सी जानकारी तो देश को उन परिस्थितियों के बारे में उपलब्ध हो रही है जिनमें श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई। अन्यथा हमें कुछ भी पता न लगता। यदि यह सरकार पर छोड़ दिया जाए, यदि यह सत्ताधारी दल पर छोड़ दिया जाए तो हम पूर्ण रूप से अन्धकार में ही रहेंगे। मुझे यह कहना चाहिए कि अब आप प्रतिवेदन के एक भाग को दबा कर इस किस्म के दुर्व्यवहार को जारी रखना चाहते हैं। यह एक बहुत गम्भीर बात है तथा मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न कि क्या पूरा प्रतिवेदन है अथवा क्या यह पूरा प्रतिवेदन नहीं है, एक सारभूत प्रश्न है। तथा एक कानूनी प्रश्न है। यह एक प्रक्रियात्मक प्रश्न नहीं है। यह विनिश्चित करने कि यह एक पूरा प्रतिवेदन है या नहीं यह एक ऐसा प्रश्न नहीं है जो इस सभा के प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत आता हो।

माननीय अध्यक्ष ने यह विनिश्चित किया है कि वे इस प्रश्न पर विनिर्णय देने जा रहे हैं। निःसन्देह उन्हें महान्यायवादी से परामर्श लेने का पूरा अधिकार है तथा मेरे विचार से इस सभा को भी यह कहने का पूरा अधिकार है कि महान्यायवादी सभा में उपस्थित होकर सभा को भी अपनी

राय दें। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अध्यक्ष उनसे उनके कक्ष में परामर्श करें। ऐसा करने का उन्हें अधिकार है। परन्तु इस सभा को भी यह अनुरोध अथवा मांग करने का अधिकार है कि महान्यायवादी को सभा में लाया जाय। उन्हें अपनी सलाह पूरे सदन में देने दीजिए क्योंकि यह कोई ऐसा विषय नहीं है जो इस सभा के प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत आता है। यह एक सारभूत प्रश्न है। इसीलिए, उन्हें यहां बुलाना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि किसी को भी उन्हें यहां बुलाने पर आपत्ति होगी। उसके लिए भी पूर्वोदाहरण हैं जैसाकि सर्वविदित है। यह पहला अवसर तो नहीं जबकि महान्यायवादी इस सभा के समक्ष उपस्थित हो रहे होंगे। श्री सीतलवाड सहित बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अन्ततः तो इस सभा को ही विनिर्णय लेना होगा। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसकी व्याख्या प्रक्रिया के किन्हीं नियमों के हिसाब से की जा सके। यह एक सारभूत प्रश्न है इसीलिए, हम प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनेंगे। सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, उस ओर के सदस्य अपने विचार व्यक्त करेंगे तथा यहां आने के लिए महान्यायवादी को भी बुलाया है आमंत्रित किया जाय तथा हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। तब फिर सभा को विनिश्चय करने दीजिए।

परन्तु हमारे उस स्थिति में पहुंचने से पहले, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि व इस पर एक राजनीतिक मामले के रूप में विचार करे। मैं उन्हें एक बहुत ही दोस्ताना सलाह दे रहा हूं अथवा उन्हें कुछ दोस्ताना सलाह देने का प्रयास कर रहा हूं। आप यह जानते हैं कि जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है आप एक स्थिति में अडिग नहीं रह पाए हैं। यह एक सत्य है जिसे आप पसन्द करें अथवा नहीं। इस सभा में आपका दृष्टिकोण बहुत ही विशिष्ट प्रकार का तथा बहुत ही हठधर्मी का रहा है क्योंकि आप यह कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर नहीं रखा जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते : मानहानि विधेयक की तरह।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ? बाहर भी आम जनता है; बाहर भी लोग हैं वे भी यह जानने के इच्छुक हैं कि किन परिस्थितियों में एक प्रधान मन्त्री की क्रूर हत्या की गई। वे भी उसके बारे में जानना चाहेंगे। जिन प्रक्रिया सम्बन्धी बारीकियों का प्रश्न आपने अब उठाया है क्या केवल उनके कारण लोगों को कोई भी बात जानने का अधिकार नहीं है? इसीलिए, कृपया इसे एक राजनीतिक मुद्दा ही मानिए। यदि आप देश की इस तरह की धारणा व्यक्त करना चाहते हैं कि एक प्रधान मन्त्री तक की हत्या के सम्बन्ध में भी आप कुछ छिपाना चाहते हैं, आप पूरी बात नहीं खोलना चाहते तथा कुछ छिपाना चाहते हैं तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह की बात आप के लिए ठीक होगी या गलत। हम नहीं समझते कि यह बात आपके लिए ठीक होगी। उसके लिए हम आंसू नहीं बहाएंगे। यदि आप राजनैतिक आत्म-हत्या करने का निश्चय कर चुके हैं तो ठीक है यह मेरी सिर-दर्दी नहीं है; यह आपकी सिर दर्दी है। यहां मैं आपको एक दोस्ताना सलाह दे रहा हूं। मेरे कुछ दोस्त इसे शायद पसन्द न करें। वे यह कह सकते हैं कि मुझे सलाह देने की क्या आवश्यकता है?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे आपकी सलाह नहीं लेंगे, यही तो समस्या है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसीलिए मैं कहूंगा कि हमें सभी बातें महान्यायवादी के स्तर तक नहीं ले जानी चाहिए कि वे पहले सलाह दें तथा फिर अध्यक्ष महोदय यह विनिश्चय करेंगे कि क्या वे किसी

ऐसे विषय पर जो प्रक्रियात्मक न हो विनिर्णय दे सकते हैं वह उस छोटी सी नियम पुस्तिका जो सदैव हमें दिखाई जाती है में दिए गए विषय के सम्बन्ध में विनिर्णय दे सकते हैं। निःसन्देह, वह नियमों के अभिरक्षक हैं; उन्हें व्यवस्था देनी पड़ती है, परन्तु यह विषय उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। यह मामला प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है। इसीलिए, हम क्या करने जा रहे हैं? अन्ततः निःसन्देह महान्यायवादी सहित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनने के पश्चात, जिसकी भी बात वे सुनना चाहते हैं, यह विनिश्चय सभा को ही करना पड़ेगा। वैसे यदि सभा केवल बहुमत जो यहां है, पर विश्वास करने का निर्णय लेती है, तो ठीक है वे ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र है। परन्तु मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसने इस देश के करोड़ों लोगों के दिमाग को झकझोर दिया है, केवल सत्ताधारी दल के लिए ही नहीं बल्कि एक संस्था के रूप में संसद के लिए भी यही रास्ता बेहतर होगा कि इस देश को यह बताया जाए कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसे हम किसी भी प्रकार से छिपाना अथवा गुप्त रखना चाहते हैं। इसीलिए, हर बात प्रकट कर दी जानी चाहिए तथा सभा पटल पर रख देनी चाहिए। यदि कोई ऐसी एसी बात है कि किसी अन्य विशिष्ट कारण से, जिससे वास्तव में देश की सुरक्षा अथवा लोकहित को हानि हो सकती है, तो, ठीक है, ऐसा कहिए। बहुत से रास्ते हैं जिनसे इस मामले का हल हो सकता है। मुझे यह अभी सुझाने की आवश्यकता नहीं है। यह पहले भी किया गया था। यदि कुछ ऐसे पैरें हैं या पृष्ठ हैं जो वास्तव मे देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं, तो ठीक है, आप हमे विश्वास में लीजिए। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो कि हठपूर्वक कहें कि "नहीं वे सभी चीजें खोली जाएं।" परन्तु ऐसा रवैया न अपनाएं तथा यह न कहें कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और कोई प्रतिवेदन नहीं है तथा यह पूरा प्रतिवेदन नहीं है तथा यह पूरा प्रतिवेदन है देश में इस पर किसी को विश्वास नहीं है। हमें इस पर विश्वास नहीं है। जन सामान्य इस पर विश्वास नहीं करता है। इससे केवल अधिक सन्देह तथा अफवाहों को ही आधार मिलेगा जिससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। न्यायमूर्ति ठक्कर के अनुसार भाग I तथा भाग 1 (क) को मिलाकर प्रतिवेदन बनता है। हमें भाग I दिया गया है। हमे नहीं पता कि भाग 1 (क) है कहां। इस मामले में इस प्रकार की आंख मिचोली अब समाप्त की जानी चाहिए। अन्यथा, इससे केवल आपकी ही बदनामी नहीं होगी बल्कि पूरी संसद की भी बदनामी होगी जो इस देश की प्रभुसत्ता-सम्पन्न संस्था है। लोग कहेंगे कि आपका किस तरह का विपक्ष है? आप श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या सम्बंधी प्रतिवेदन को सभा पटल पर नहीं रखवा सके।" यह खुद संसद के लिए एक बदनामी का मामला है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : भाग 1 (क) सी. आई. ए. के पास है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, यह वहां भी है मुझे यही सब कहना था।

श्री पी० शिव शंकर : तथ्यों और कानून सम्बन्धी प्रश्नों पर जिनके बारे में मेरे कुछ मित्रों द्वारा उल्लेख किया जा चुका है, चर्चा करने से पहले मैं सिर्फ एक वक्तव्य देना चाहता हूं, जिसके बारे में मुझसे पहले बोलने वालों ने विस्तार से चर्चा की है। परन्तु यह केवल कानून का प्रश्न ही नहीं है। मैं स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में कानून की आड़ बिल्कुल नहीं ले रही है। यह ठीक है कि हम कानून पर भरोसा करते हैं। ऐसी स्पष्ट परिस्थितियां हैं जिनमें सरकार को इस तर्क का सहारा लेना पड़ता है कि व कुछ दस्तावेजों को राष्ट्र के सामने न लाए। हो सकता है कि वह सामग्री साक्ष्य के रूप में हो या प्रश्नोत्तरों आदि के रूप में

ही । यह महसूस किया गया है कि यह देश के हित में है कि इस सामग्री को जनता के सामने प्रकट न किया जाये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह कहकर बोलना शुरू किया था कि यह मामला राजनीतिक है । इस मामले को राजनीतिक कौन बता रहा है ? विपक्ष के अपने माननीय मित्रों का सम्मान करते हुए मेरा यह कहना है कि यह उनके ही कारण है कि यह मामला राजनीतिक रूप ले रहा है और इसका फायदा उन्हीं के द्वारा उठाया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में उन्हें यह बता दिया गया था कि उन दस्तावेजों से षड्यंत्र के मुकद्दमे पर असर पड़ेगा । मुझे यह बताया गया है कि उनसे ऐसा कहा गया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पूरा का पूरा भाग एक-क ?

श्री पी० शिव शंकर : बहुत से दस्तावेज ऐसे हैं जिनका खुला सार्वजनिक हित में नहीं है । यही बात गृह मन्त्री द्वारा अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में बताई गई थी ।

प्रो० मधु दंडवते : जब मैंने इस प्रश्न को उठाया था तो मैंने इसे अध्यक्ष महोदय के ध्यान में ला दिया था कि यह बताया गया है कि कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं और कुछ मामलों में मुकदमा चलाने वाला पक्ष मुसीबत में पड़ सकता है मेरे पूछने पर उन्होने कहा कि "यही एक अकेला मुद्दा है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं अर्थात् यह रिपोर्ट पूरी है या नहीं ।"

सरदार बूटासिंह सिर्फ एक मिनट । क्योंकि अब यह प्रश्न उठाया गया है, इसलिए मुझे भी अपने साथी श्री शिव शंकर की सहायता करनी पड़ेगी । इससे यह तथ्य नहीं निकलता कि मैंने आपकी उपस्थिति में अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत नहीं की ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने यह बात कही और मैं इसे स्वीकार करता हूं । परन्तु अध्यक्ष, महोदय ने इस पर बाद मे विचार किया ।

सरदार बूटासिंह : श्री इन्द्रजीत गुप्त का यह कहना कि सरकार ने यह चीज कभी नहीं बताई सही नहीं है । दूसरी चीज है·······

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सदन में क्यों नहीं ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सिर्फ एक मिनट, बूटा सिंह जी । उस दिन सदन में जब कुछ दस्तावेजों पर चर्चा हुई थी, तो मैं आपकी सहायता करने के लिए इसलिए कह रहा था आप कुछ भी नहीं कह रहे थे ?

सरदार बूटासिंह : बिल्कुल ठीक ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु जब मैंने उसी दिन सदन में कहा तो आपने इसका फिर खण्डन किया ।

सरदार बूटासिंह : आपके कहने के बाद मैंने फिर यह कहा था·····

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी नहीं । आपने कहा था कि यह इन्द्रजीत गुप्त का अपना दृष्टिकोण है । यह सही चीज नहीं है । यह तो रिकार्ड में है । आप हमें देख सकते हैं ।

श्री वसुदेव आचार्य : आपने कभी भी सदन में यह नहीं कहा ।

सरदार बूटासिंह : अब जब आपने अपने आपको सलाह के लिये पेश कर ही दिया है तो कृपया ठीक दिशा में सोचिए।

अब, महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय को अपनी व्याख्या मानने के लिए कैसे बाध्य कर सकता हूं ? अध्यक्ष महोदय ने कहा था, "ठीक है, मैंने इसे सुन लिया है, लेकिन मैं केवल सीमित मुद्दे पर ही इसका निर्णय करने जा रहा हूं।" मैं अध्यक्ष महोदय को कैसे बाध्य कर सकता हूं। इसलिए, जो कुछ भी हमने अध्यक्ष महोदय से कहा था उसका रिकार्ड में उल्लेख है। यही मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : क्या आपने ऐसा कभी सदन में कहा था ?

सरदार बूटासिंह : हां, बाद में कहा था।

श्री दिनेश गोस्वामी : आपने ऐसा कभी नहीं कहा।

प्रो० मधु दंडवते : प्रधान मन्त्री ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुकदमा दायर करने के पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मैंने यह कहते हुए अपनी बात प्रारम्भ की थी कि यह केवल कानून का प्रश्न ही नहीं है जिसका हम इस मामले में सहारा लेने की कोशिश कर हैं, बल्कि इसमें एक और पहलू भी अन्तर्ग्रस्त हैं, मैंने यहां पर उसी की व्याख्या करने की कोशिश की है। क्या वे हमें देखने भर से भी संतुष्ट हो जाएंगे मैं तथ्य के अतिरिक्त सिर्फ यह कह रहा हूं कि क्या मैं अपने आप उन दस्तावेजों को आपको दिखाने के लिये वचनबद्ध हो रहा हूं या नहीं या क्या वे सिर्फ इस बात से भी सन्तुष्ट हो जायेंगे कि वे जो पक्षकारों को जारी किए गए थे दिखा दिये जाएं। जिन्हें इस सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया था। क्या वे उनसे संतुष्ट हो जायेंगे ? वे आसंगिक दस्तावेज हैं। केवल सम्मन और अन्य चीजें अप्रासंगिक दस्तावेज हैं। वास्तव में, इन खडों में अलग-अलग दस्तावेज हैं, । जैसा कि मेरे साथी श्री चिदम्बरम आज सुबह बता रहे थे। उनके साक्ष्य हैं। उनमें कुछ प्रपत्र हैं। इनमें कारण बताओ सूचनायें हैं। उनके कुछ प्रश्नावलियां भी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और उत्तर।

श्री पी० शिव शंकर : और उत्तर भी, मैं आपसे सहमत हूं। इसलिए, सरकार को एक निर्णय करना पड़ा। सरकार को यह निर्णय करना पड़ा कि क्या इन दस्तावजों का दिया जाना सार्वजनिक हित में है या नहीं, यह बात इस तथ्य के अलावा है कि कानूनी रूप से क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता और यह एकदम अलग विषय है।

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मुझे बताया गया है और सम्भवतया मेरे मित्र गृह मन्त्री जी इस बात को स्पष्ट कर सकें क्या षड्यंत्र से सम्बंधित मामले को अधिकार के रूप में दायर किया जा सकता है या नहीं। उसे दायर किया जा सकता है और उच्चतम न्यायालय ने बार-बार यह निर्णय किया है कि आयोग द्वारा रिकार्ड किए गए साक्ष्यों को अनिवार्य रूप से गोपनीय रखा जाये। यदि आवश्यकता पड़ी तो इस प्रयोजन के लिए मैं कुछ निर्णयों का उद्धरण दूंगा क्योंकि अन्यथा जो लोग आयोग के समक्ष साक्ष्य देते हैं, यदि गोपनीयता नहीं रखी गई तो वे साक्ष्य देने के लिए कभी आगे नहीं आयेंगे। यह केवल पूछताछ भर है और यह कोई अभियोजनीय जांच नहीं है जैसी कि इस तरह के

मामलों में की जाती है। इसलिए, महोदय, हम सचेत हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गोपनीय रखा जाये और वह राष्ट्र के हित में हो। यदि इन दस्तावेजों को इस स्तर पर प्रकट कर दिया जाये तो भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि इससे षड्यंत्र के मामले के पूरे मुकदमे पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अन्तरिम रिपोर्ट और अन्तरिम रिपोर्ट को दबा क्यों दिया गया? इसमें किसका हित था?

श्री पी० शिव शंकर : मैं इस बात पर आ रहा हूं। श्री चटर्जी, आपने यह मामला उठाया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इसका उत्तर भी दूंगा।

श्री वी. किशोर चंद्र एस. देव : उन्होंने यह पता लगाने के लिए पांच वर्ष क्यों लगा दिए कि यह षड्यंत्र है?

श्री पी० शिव शंकर : यह जांच करने वाली एजेन्सियों का काम है। यदि जांच करने वाली एजेन्सियों ने ही इसमें समय लगा दिया तो हम क्या कर सकते हैं (व्यवधान) मेरे मित्र को इस बात का पता है कि मि. ओलेफ पाल्मे की हत्या के षड्यन्त्र का अभी तक भी कोई पता नहीं चल पाया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मि. ओलेफ पाल्मे के मामले में हत्यारों को पकड़ा नहीं गया था। परन्तु इस मामले में तो हत्यारों का पता था।

श्री पी० शिव शंकर : मैं षड्यंत्र के बारे में बात कर रहा हूं। मेरा मतलब यहां हत्यारों से नहीं षड्यन्त्र से है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात है षड्यन्त्र माउन्टबेटन के मामले के मामले में भी·· ····

प्रो० मधु दंडवते : और हत्यारों में से एक की हत्या भी कर दी गई थी।

सभापति महोदय : उनको अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

श्री पी० शिव शंकर : अब, इसलिए, मेरा यह निवेदन है कि इसके कानूनी पक्ष को छोड़कर सरकार, सिर्फ सार्वजनिक हित में भी इस अंश को छुपाकर रखना चाहती है, ताकि इससे षड्यंत्र के मामले के मुकदमे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अब, इस स्तर पर हम एक बहुत ही मामूली मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। मामूली मुद्दा है कि क्या मंत्री महोदय ने सभी दस्तावेजों को या सारे तथ्यों को सभा पटल पर न रखकर सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है। असल बात तो यह है कि यह वाद-विवाद न केवल संसद में बल्कि पूरे राष्ट्र में जारी है कि यह रिपोर्ट क्या हो सकती है, क्या रिपोर्ट में मुख्य रिपोर्ट को छोड़कर जो स्वयं आयोग द्वारा ही उपलब्ध कराई गई है सभी साक्ष्य और अन्य दस्तावेज है—मेरा निवेदन है कि जब ऐसा वाद-विवाद चल रहा हो और यह वास्तव में स्पष्ट न हो कि वास्तव में रिपोर्ट क्या है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वह मन्त्री ने जानबूझकर सदन को गुमराह किया है? इसी बात से जिस पर हम यहां वाद-विवाद कर रहे हैं, यह पता चलता है कि इस बात पर हम और आप में वैचारिक मतभेद हैं कि और आप में से कुछ लोगों ने कुछ और भी कहा है; दर असल, मेरे मित्र श्री गोस्वामी ने तो यहां तक कह डाला है कि निष्कर्ष ही रिपोर्ट है। यही उन्होंने कहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि उन पर आधारित दस्तावेज रिपोर्ट का भाग है, ऐसा "भाग" जिसे वह इस वाद-विवाद को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये देखना चाहते हैं।

अब, इस विषय पर की गई रिपोर्ट असलियत में क्या है, जब इतना सारा वाद-विवाद हो चुका है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि गृह मन्त्री जी ने जो एक खास दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जानबूझकर सदन को गुमराह किया है ताकि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया जा सके ? मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस. देव : उन्होंने अनजाने में सदन को गुमराह किया होगा।

श्री पी. चिदम्बरम : तब यह विशेषाधिकार का हनन नहीं है।

श्री पी. शिव शंकर : यदि यह अनजाने में हुआ है, तो यह विशेषाधिकार हनन है ही नहीं। इसलिए, मामला यहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए इस मामले को यहीं समाप्त हो जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उन्होंने सभा को गुमराह किया है। मुझे आशा है कि वो कुछ करेंगे। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : हम छोड़ने के लिए तैयार हैं··· (व्यवधान)

श्री वी. किशोर चंद्र एस. देव : श्री दण्डवते को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

सरदार बूटासिंह : जयपाल जी सभा को गुमराह करने का विशेषाधिकार तो आपका ही है।

श्री पी. शिव शंकर : ऐसा कह चुकने पर,····

श्री दिनेश गोस्वामी : हम उस आधार पर कार्यवाही वृतांत को छोड़ने के लिए तैयार हैं कि श्री बूटासिंह······

श्री पी. शिव शंकर : अब मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं यह संशोधन पेश करूंगा कि हम कार्यवाही वृतांत को इस आधार पर छोड़ते हैं कि गृह मन्त्री ने अनजाने में सभा को गुमराह किया है।

श्री पी. शिव शंकर : फिर आपने यह मामला उठाया ही क्यों था ? आज सुबह इसे क्यों उठाया गया ?

श्री दिनेश गोस्वामी : उस समय आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया था। (व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : मुझे विश्वास है कि श्री गोस्वामी ने इसे उठाया था।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने नहीं उठाया था।

श्री पी० शिव शंकर : श्री दण्डवते को इन सभी बातों का पता था।

श्री दिनेश गोस्वामी : श्री शिव शंकर, श्री दण्डवते स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। किन्तु मैं यह कह रहा हूं कि हम आपके द्वारा दिए गए आधार को स्वीकार करके कार्यवाही वृतान्त छोड़ने को तैयार हैं।

श्री पी० शिव शंकर : वे कितनी आसानी से आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके लिए आपकी कोई प्रशंसा नहीं की जा सकती। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यह तो पब्लिक अकाउंट्स फण्ड से 2300 करोड़ रुपए अन्तरित करने के समान है। शायद यह अनजाने में हुआ था।

श्री पी० शिव शंकर : मैं एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूं;

जब श्री कुरियन कुछ कह रहे थे तो हमारे कुछ मित्रों ने उनके वक्तव्य पर आपत्ति की। असल में मेरे कुछ मित्र गलत धारणा के अन्तर्गत बात कर रहे हैं। सरकारिया आयोग को जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत गठित नहीं किया गया था। रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी गई। उसे केवल सदस्यों की सुविधा के लिए परिचालित किया गया था। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : श्री दिनेश गोस्वामी ने जो कहा है वह गलत है.....(व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : मुझे खेद है। मैं केवल इसलिए कहना चाहता था क्योंकि उन्होंने यह बात कही, इसकी जोरदार भर्त्सना करने की मांग की गई थी, मैंने सोचा कि मुझे स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट करनी चाहिए ..(व्यवधान) फिर श्रीमन्, मेरे मित्रों ने रिपोर्ट में ही कही गई बात पर व्याख्या की है। उन्होंने पूछा, भाग-एक क रिपोर्ट कहां है ? किन्तु प्रश्न यह है कि भाग-एक क क्या है? यदि आप न्यायमूर्ति ठक्कर की बात की व्याख्या करें (व्यवधान) कानूनी पहलू पर थोड़ी देर बाद आऊंगा। कानून को छोड़कर यदि आप न्यायमूर्ति ठक्कर की बात की ही व्याख्या करें तो आप यहां वहां से एक एक वाक्य पढ़कर न्याय नहीं कर सकते। आपको सारी रिपोर्ट पढ़कर ही इस निष्कर्ष पहुंचना होगा कि 'रिपोर्ट' का अर्थ क्या है....(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : इसे आंख खोलकर पढ़िए ....(व्यवधान)....... (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : मैं इसे पढूंगा और अपनी बात कहूंगा। (व्यवधान) मेरे एक मित्र ने प्रथम खंड—1.8.3. का पृष्ठ 7 ही पढ़ा है मैं इसका केवल उल्लेख मात्र कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसे पूरा पढ़ें और फिर देखें कि इसके अलग-अलग खंडों में क्या दिया गया है और फिर उसके आधार पर निर्णय करें कि कितना हिस्सा रिपोर्ट का है और कितना रिपोर्ट में नहीं आता। या फिर सारे खंडों का मिलाकर एक रिपोर्ट मान लिया जाए ? अभी मैं विधि की बात नहीं कर रहा हूं। मैं 1.8.3. से उद्धृत करता हूं :

> "आयोग की रिपोर्ट चार खंडों में है। खंड एक में पांच अध्याय हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है। खंड दो और तीन में पत्र हैं...."

वह विशेष रूप से कह रहे हैं कि उनमें पत्र हैं।

> "खंड दो और तीन में व्यक्तियों को जारी की गई कारण बताओ सूचनाएं, हैं उनके सन्दर्भ आदि और आयोग की उनसे सम्बन्धित कार्यवाहियां शामिल हैं। प्रत्येक खंड में लगभग 2000 पृष्ठ हैं। खंड चार में अलग-अलग व्यक्तियों को जारी की गई प्रश्नावलियां तथा उनके अलग-अलग उत्तर निहित हैं और कई व्यक्तियों द्वारा पूछे गये प्रश्न तथा उनके उत्तर भी दिए गए हैं। सभी खंडों की अलग-अलग अनुक्रमणिकाएं हैं।"

ये फिर कहते हैं :

> "इस रिपोर्ट में दो विचारणीय विषयों में शामिल मामलों से सम्बंधित पत्रों पर विचार नहीं किया गया है और उन्हें शेष मामलों सम्बन्धी रिपोर्ट के साथ एक पृथक खंड में शामिल किया जाएगा।"

क्या आप अन्तिम वाक्य को देखने की कृपा करेंगे जिसके बारे में मेरे मित्र ने स्वयं कहा है :

"इस रिपोर्ट में दो विचारणीय विषयों में शामिल मामलों से सम्बन्धित पत्रों पर विचार नहीं किया गया है और उन्हें शेष मामलों सम्बन्धी रिपोर्ट के साथ पृथक खंड में शामिल किया जाएगा।"

पत्र पृथक् खंड में शामिल किये जाएंगे—(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : ...के साथ सम्मिलित....(व्यवधान)।

श्री पी० शिव शंकर : क्या मैं सभा को गुमराह कर रहा हूं ?....(व्यवधान) इससे हम उसी बात पर आ जाते हैं....(व्यवधान) बहुत अच्छा, आपकी सुविधा के लिए मैं दोहराता हूं। पत्रों को रिपोर्ट के साथ एक पृथक खंड में शामिल किया जाएगा। इसलिए एक रिपोर्ट....(व्यवधान) असत्य को दोहराकर आप उसे सत्य का मामला नहीं बना रहे हैं। मैं स्वयं यह बात कह रहा हूं। इसलिए आप मेरी बात धैर्य से सुनें। मैं कह रहा हूं कि पत्र रिपोर्ट के साथ एक पृथक खंड में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट अलग है। पत्र हैं जो....(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं....के साथ (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : "साथ" से आपका क्या तात्पर्य है ? ....(व्यवधान) श्री चौधरी, मान लो कि कोई कहता है कि आप अपनी पत्नी के साथ गए थे। तो इसका क्या अर्थ बनाएंगे ?.... (व्यवधान) क्या वे आपका एक हिस्सा हैं ? बार बार अनावश्यक रूप से ऐसे न पढ़ें....(व्यवधान) मैं आगे पढ़ता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं अन्तिम रिपोर्ट के पृष्ठ 4 का उल्लेख कर रहा हूं।........ (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : ठीक है यदि आप यही चाहते हैं तो मैं अन्तिम रिपोर्ट के पृष्ठ 4 को ही देखता हूं। मेरे मित्र पैरा 1.6.1. पर जोर दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वे पैरा 1.6.1, 1.6.3 और 1.6.5 को पढ़ें और फिर निष्कर्ष निकालें। एक को दूसरे से अलग करने का प्रयास न करें........ (व्यवधान) पैरा 1.6.1 कई बार पढ़ा जा चुका है। मैं इसे फिर पढ़ दूंगा। "वर्तमान रिपोर्ट जो दो भागों में है—भाग एक और भाग एक क। भाग-एक में पांच अध्याय हैं, जिसमें विषयों से संबंधित कार्रवाई है ..." मैं यह सब नहीं पढ़ रहा हूं। फिर पैरा 1.6.3 में कहा गया है : "भाग एक-क में सामग्री का संकलन है..."

श्री बसुदेव आचार्य : आप भाग एक-क को 1.6.1 के सम्बन्ध में पढ़ें।

श्री पी० शिव शंकर : 1.6.1 को पढ़ने के बाद मैं 1.6.3 पढ़ रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं ? आप कह रहे हैं कि भाग एक-क सामग्री का संकलन है। मेरा कहना है कि इसमें एक फोटो है जिसमें किसी विदेशी एजेंट को गोली चलाते हुए दिखाया गया है। उसे हमें क्यों नहीं दिया जा सकता ? यह रिपोर्ट का हिस्सा है।

श्री पी० शिव शंकर : क्या उसमें कोई फोटो है ? क्या आपको पूर्ण विश्वास है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हां, रिपोर्ट का जो भी हिस्सा है हमें उसका अध्ययन करना होगा।

प्रो० मधु दंडवते : उत्तेजित हो गए हैं क्योंकि आपने उनकी पत्नी का जिक्र किया है। (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : तो वे संभवत: अपनी तथा अपनी पत्नी की फोटो की बात कर रहे हैं; मैं इस सम्बन्ध में पक्की तरह नहीं कह सकता।

मेरा कहना है कि पैरा 1.6.3 में कहा गया है। "भाग एक-क सामग्री का संकलन है।" तो, निस्संदेह मैं कोष्ठक में लिखे हुए को नहीं पढ़ूंगा—"ऐसी सामग्री का संकलन जिसे समिति ने अंतिम रिपोर्ट के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझा है···" इसलिए यह रिपोर्ट के विरुद्ध है। (व्यवधान) मैं आगे पढ़ूंगा। "भाग एक-क की अपनी अलग अनुक्रमणिका है।" मैं हरेक चीज पढ़ूंगा; आप चिन्ता न करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप कृपया पैरा 1.6.3 को पढ़िये जो "अन्तरिम रिपोर्ट के बारे में है।"

श्री पी० शिव शंकर : मैंने सारी बातें पढ़ दी हैं। मैं फिर से पढ़ दूंगा। कोष्ठक वाला अंश अनावश्यक है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है।

श्री बिनेश गोस्वामी : कोष्ठक वाले अंश में कहा गया है कि ये वे दस्तावेज हैं जिन्हें आयोग ने अन्तरिम रिपोर्ट से सम्बन्धित खंडों में पहले ही शामिल कर लिया है और दूसरे दस्तावेज आयोग द्वारा अन्तिम रिपोर्ट में शामिल किए जा रहे हैं। पैरा 1.6.3 का आशय यही है।

श्री पी० शिव शंकर : वह यह नहीं कहते हैं कि अन्तिम प्रतिवेदन में अन्य दस्तावेज भी शामिल है। उनका कहना है कि भाग 1-क उस सामग्री का संकलन है जिसे आयोग ने अन्तिम प्रतिवेदन के उद्देश्य से तैयार किया है।"······

श्री बिनेश गोस्वामी : आप कृपया कोष्ठक भी पढ़िए।

श्री पी० शिव शंकर : कोष्ठक कुछ भिन्न है। कोष्ठक अन्तरिम प्रतिवेदन से जुड़ा हुआ है ·····(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सभापति महोदय हम अन्त:क्षेप चाहते हैं क्योंकि वह जानबूझकर सभा को गुमराह कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : प्रश्न यह है कि आप सन्तुष्ट नहीं होना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं कि मैं आपको संतुष्ट कर सकूंगा?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं।

श्री पी० शिव शंकर : अत: आप मुझे बोलने दीजिए। आप स्वयं 'नहीं' कहते हैं—इसलिए यह बेहतर होगा कि आप मुझे बोलने दीजिए।

तत्पश्चात, महोदय पैरा 1.6.5 पढ़िए। इसमें कहा गया है कि :

"रिकार्डस—पैरा 1.6.4 और 1.6.3···में निर्दिष्ट"—'रिकार्ड' (अभिलेख) शब्द को नोट किया जाये। पैरा 1.6.3 वही है जिसे मैंने अभी-अभी पढ़ा है अर्थात् भाग-1-क, सामग्री का संकलन, आदि-आदि···(व्यवधान) यदि आप यह समझते हैं कि केवल व्यवधान उत्पन्न करके आप विवाद में जीत सकते हैं तो यह अलग बात है लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं उसे कह लेने दीजिए मैं यह कह रहा हूं कि न्यायमूर्ति स्वयं यह कह रहा है कि ये अभिलेख हैं। जब वह अभिलेख कह रहा है तो वह पैरा

1.6.3 का भी उल्लेख कर रहा हूँ अर्थात् भाग-1-क उनका कहना है कि भाग-1 क सामग्री के उद्देश्य से तैयार किया गया है जिसके आधार पर उन्होंने अन्तिम प्रतिवेदन तैयार किया है। इसे ही वह अभिलेख कहते हैं। उनका कहना है कि "पैरा 1.6.4 और पैरा 1.6.3 में निर्दिष्ट अभिलेख आयोग का सचिव भारत सरकार से गृह मन्त्रालय के सचिव को जल्दी ही भेज देगा"। इसका क्या मतलब है ? मेरा यही प्रश्न है। हम बार बार यह कह रहे हैं कि सरकार को अन्तरिम प्रतिवेदन 19 नवम्बर, 1985 को और अन्तिम प्रतिवेदन 27.2.1986 को प्रस्तुत किया गया था। आयोग का यह कहने कि सचिव इन दस्तावेजों को बाद में अलग से गृह मन्त्रालय को भेजेंगे का अर्थ यह हुआ कि ये दस्तावेज प्रतिवेदन का भाग नहीं हैं। ये अलग हैं.... (व्यवधान) आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आप पूर्णरूप से मेरे तर्क को काट सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप मुझे बोलने दीजिए। मैं अब यह कहना चाहता हूं कि ये दस्तावेज सचिव द्वारा भेजे गए प्रश्न के साथ 19 नवम्बर, 1985 अथवा 27.2.1986 को प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन से बहुत ही अधिक समय बाद में भेजे गये। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या आप अन्तिम प्रतिवेदन के पृष्ठ 138 के अन्तिम पैरा को देखेंगे ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : ये दस्तावेज उस प्रतिवेदन के साथ नहीं हैं जिस पर सरकार ने कार्यवाही करनी है।

श्री पी० शिव शंकर : यह एक संकलन है। मैं आपको अन्तिम पैरा पढ़ कर सुनाता हूं। इसमें कहा गया है : "उक्त एजेंसियों द्वारा बड़े ध्यानपूर्वक और परिश्रम से तैयार किया गया पूर्ण और विस्तृत प्रतिवेदन भाग 1 क में शामिल है।" यह एक संकलन है.... (व्यवधान) क्या आपका बीच में बोलना उचित है ? यदि आप यह चाहते हैं कि मैं न बोलूं तो मैं बैठ जाता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है.... (व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

श्री पी० शिव शंकर : यदि आप मुझे बोलने से रोकना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मुझे अपनी बात कहनी है और आप अपनी बात कह चुके हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें अपने गलत निर्वचन को पूरा करने का अधिकार है।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं यह उनका अपना तर्क है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया प्रतिवेदन का पृष्ठ 138 देखिए।

श्री पी० शिव शंकर : इसे पढ़ा जा चुका है, इसे उद्धृत किया जा चुका है। महोदय मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने अनुचित रूप से शोर-शराबा करने की कोशिश की है जिसकी जरूरत नहीं थी। वह वकील होने के नाते इसे अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वह यह था कि यदि किसी अनुशासनिक मामले में जहां प्रतिवेदन के साथ जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो आपको उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आप अनुशासनिक कार्यवाही करना चाहते हैं, न केवल दस्तावेज ही परन्तु वह साक्ष्य आदि भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो जांच के दौरान लिया गया हो- ताकि वह उचित

अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके। महोदय अब यह कहने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय का कहना है कि "जांच प्रतिवेदन सहित" क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जहां व्यक्ति प्रभावित है। उन्हें उस प्रक्रिया से सरोकार था जो संविधान के अनुच्छेद 3.1 के अन्तर्गत अपनायी जा रही थी (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन्हें बीच में क्यों टोकते हैं?

श्री पी शिव शंकर : आप मेरे से नाराज क्यों हैं? मैं तो आपसे नाराज नहीं हूं। मैं तो नाराज होने का अभिनय भी नहीं कर रहा हूं। यह अनावश्यक रूप से नाराज हैं (व्यवधान)। अब मैं विधायी इतिहास, आदि का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। मेरे मित्र श्री विश्वम्बरम पहले ही इस बारे में कह चुके हैं। मैं केवल दो पहलुओं पर जोर देना चाहूंगा। जहां तक अधिनियम और नियमों का सम्बन्ध है, मैं जांच आयोग अधिनियम की धारा 7 को पढ़ना चाहूंगा। ये वही नियम हैं जो 1972 में बनाये गये थे। नियम 7 में अभिलेख रखने की बात कही गयी है इसमें कहा गया है :

"आयोग का प्रतिवेदन और इसके सचिवालय से संबंधित कागजात इसकी स्थापना सम्बन्धी सामग्री और आयोग द्वारा निपटाये गए अन्य सभी मामले जिनमें आयोग के सामने दिया गया साक्ष्य भी शामिल है, आयोग पूरी तरह बनाए रखेगा और इन्हें आयोग के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।"

अतः नियम में प्रतिवेदन और साक्ष्य तथा अन्य कागजात के बीच विभेद किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इनका अलग-अलग कोई महत्व नहीं है जब तक साक्ष्य साथ न आये। यदि तथ्य न दिये जायें तो निर्णय में प्रतिवेदन का कोई अर्थ नहीं है।

श्री पी॰ शिव शंकर : मैं जानता हूं कि मेरे मित्र उन लोगों के पक्ष में तर्क-वितर्क करने में अभ्यस्त हैं जो उन्हें धन का संदाय करते हैं, चाहे यह अच्छा है या बुरा, यह एक अलग बात है (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उन मामलों की, जिनमें कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त होते हैं, और जिन्हें सेवा से निकाल दिया गया है। बिना फीस पैरवी करता हूं।

श्री पी॰ शिव शंकर : मैं इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मोहिनी मिल्स और स्टेशनर्स कार्यालय के कर्मचारियों की भांति बंगाल पॉटरिज के कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है।

श्री पी॰ शिव शंकर : चटर्जी साहब मैं आपके मुवक्किलों, जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं, के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कर्मकारों के विरुद्ध नहीं।

श्री पी॰ शिव शंकर : नहीं, नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो मैं जरूर कहूंगा। मैं विस्तारपूर्वक से मामले भी बता सकता हूं। मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हम इन मामलों को बाहर निपटाना चाहेंगे, यहां नहीं। यह वह जगह नहीं है जहां ये मामले निपटाये जायें (व्यवधान)

महोदय, मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि नियम 7 बिल्कुल स्पष्ट है। नियम 7 प्रतिवेदन और अन्य अभिलेखों जिसमें साक्ष्य भी शामिल है, के बीच विभेद स्पष्ट करता है। यही सब कुछ मैं कहना चाहता था। अब मैं पहले धारा की उपधारा (4) का उल्लेख करना चाहूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्नावली के उत्तर क्या हैं?

श्री पी० शिव शंकर : धारा 3 की उपधारा (4) के सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री चिदम्बरम ने "यदि कोई" अभिव्यक्ति के बारे में सभा को बताया है और यह समझाने का प्रयास किया है कि किसी मामले में ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिवेदन को तैयार ही न किया जाये। तब तो दस्तावेजों को सभापटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से कहना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि उन्होंने यह समझा है कि "समुचित सरकार उपधारा......के अन्तर्गत आयोग द्वारा की गई जांच के बारे में आयोग का प्रतिवेदन यदि कोई हो, तथा उस पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन, यथा-स्थिति, लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा, के समक्ष रखवायेगी।" मैं 'उस पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन" शब्दों पर जोर दूंगा मेरा कहना है कि जब आप किसी प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कि क्या सिफारिश की गई है और क्या सिफारिश नहीं की गई है तथा क्या आप इसे स्वीकृत करते हैं अथवा नहीं, कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं तो की गई कार्यवाही प्रतिवेदन का ज्ञापन भी प्रस्तुत करना पड़ता है। की गई कार्यवाही प्रतिवेदन का ज्ञापन न हो साक्ष्य पर न हो जारी की गई कारण बताओ सूचनाओं पर और न ही आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावलियों पर प्रस्तुत किया जाता है।

3.57 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा निवेदन यह है कि की गई कार्यवाही ज्ञापन केवल प्रतिवेदन तक ही सीमित होता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सिफारिश वाले भाग तक सीमित है। जो प्रतिवेदन का ही एक भाग होता है।

श्री पी० शिव शंकर : इसमें यह नहीं कहा गया है। इसमें 'प्रतिवेदन' तथा उस पर की गई कार्यवाही अर्थात् प्रतिवेदन का उल्लेख है। यह लिए गए साक्ष्य अथवा प्राप्त हुए दस्तावेजों अथवा जारी की गई प्रश्नावलियों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के ज्ञापन की बात सोचना किसी भी तरह से सम्भव नहीं है। अतः मेरा निवेदन यह है कि ये प्रतिवेदन का भाग नहीं हो सकते हैं। ये दो अलग-अलग चीजें हैं। इसकी भाषा अपने आप में स्पष्ट है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन इस प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर दिया जाता है।

श्री पी० शिव शंकर : इसकी भाषा अपने आप में स्पष्ट है।

प्रो० मधु दंडवते : मेरे विचार में अब आप उप-धारा (5) के स्पष्टीकरण को लीजिए।

श्री पी० शिव शंकर : मैं इसके तुरन्त बाद उस पर आता हूं।

मेरे मित्र ने कहा कि अन्तरिम प्रतिवेदन नवम्बर, 1985 से प्रस्तुत किया गया था और आयोग ने यह नहीं कहा था कि इसे सभा के पटल पर न रखा जाये। आप इसी एक को देखिए। क्या इसमें दिया गया साक्ष्य शामिल किया गया है? क्या इसमें जारी की गई कारण बताओ सूचनायें शामिल की गई हैं? (व्यवधान)।

दूसरा और अन्य दस्तावेज दो मामलों के सम्बन्ध में है। यह प्रतिवेदन तीन मामलों के संबंध में है। क्या इसमें साक्ष्य शामिल है? क्या इसमें प्रश्नावलियां शामिल हैं? इसमें क्या क्या शामिल है? यह पूर्णरूपेण प्रतिवेदन है। अतः आप जो तर्क दे रहे हैं वह आपके ही विरुद्ध है (व्यवधान) वास्तव में जहां तक संख्या 191 के दस्तावेज का सम्बन्ध है इसका कोई अंश 2 अथवा और किसी प्रकार का कोई अन्य अंश नहीं है और मान लो यदि उन्हें इसे छः महीने के भीतर प्रस्तुत करना होता तो उन्होंने केवल इसे ही प्रस्तुत किया होता। इससे सम्बन्धित ऐसा कुछ नहीं था जिसे उसी दिन प्रस्तुत कर दिया गया होता।

मैं अब उस बात को लेता हूं जिसे प्रो० मधु दण्डवते ने अनेक बार उठाया है कि मेरा उप-धारा (5) और स्पष्टीकरण के बारे में क्या कहना है?

4.00 म० प०

महोदय मैं उपस्थित नहीं था। मुझे पता चला है कि अध्यक्षपीठ ने इस सम्बन्ध में अपना विनिर्णय पहले ही दे दिया है। मेरा निवेदन कृपया यह होगा कि स्पष्टीकरण केवल उपधारा (5) तक ही सीमित है। यह उप-धारा (4) पर बिल्कुल लागू नहीं होता।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या उप-धारा (4) और उपधारा (5) के अन्तर्गत प्रतिवेदन कुछ भिन्न-भिन्न हो सकता है?

श्री पी० शिव शंकर : मैंने ऐसा नहीं कहा है। स्वयं स्पष्टीकरण ही इसे (5) तक सीमित कर रहा है।

प्रो० मधु दंडवते : (5) तो (4) से सम्बद्ध है।

श्री पी० शिव शंकर : मुद्दा यह है कि इस स्पष्टीकरण का (4) से कुछ लेना-देना नहीं है। यदि स्पष्टीकरण का उप-धारा (4) से कुछ लेना-देना नहीं है और जैसाकि स्वयं स्पष्टीकरण में कहा गया है स्पष्टीकरण केवल उप-धारा (5) से सम्बन्धित है, तो फिर दोनों भिन्न हैं। उपधाराएं (4) और (5) पूर्णतः भिन्न हैं। अन्यथा इसमें उपधारा (5) का उल्लेख क्यों होता?

प्रो० मधु दंडवते : सीधा सा कारण है : उप-धारा (5) और (4) एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं, कि यदि सभा-पटल पर कुछ नहीं रखा जाता है, तो रखा क्या जाता है?

श्री पी० शिव शंकर : उप-धारा (5) के प्रयोजनार्थ प्रतिवेदन में अन्तरिम प्रतिवेदन और/या आयोग की कार्यवाही सम्मिलित है। यह केवल उप-धारा (5) के सन्दर्भ में है। यह संशोधन वर्ष 1986 में किया गया है। उप-धारा (4) 1971 में किसी समय और उप-धारा (5) 1986 में अस्तित्व में आई थीं। चलो माना कि तर्क के लिए हम संशोधन द्वारा उप-धारा (5) का निरसन कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा? क्या उप-धारा (4) भी उसके साथ समाप्त हो जाएगी? नहीं। उप-धारा (4) रहेगी। इसलिए आपका तर्क समाप्त हुआ। इस प्रकार, उप-धारा (4) और (5) का क्षेत्र भिन्न-भिन्न है। जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह केवल उप-धारा (5) तक सीमित है। बात बहुत आसान है। यदि हम संशोधन के द्वारा इसे निरसित कर देते हैं तो उप-धारा (4) तो बरकरार रहेगी। आप इसकी क्या परिभाषा करेंगे? वर्ष 1986 से पूर्व क्या हुआ था? आओ हम इस पर विचार करें।

प्रो० मधु दंडवते : उप-धारा (5) के न होने पर उप-धारा (4) की व्याख्या को सामान्य अर्थों में लिया जाएगा।

श्री पी० शिव शंकर : वर्ष 1971 के पश्चात् उपधारा (4) की और (4) का अपना विस्तार था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कारण बताओ नोटिस उत्तर नहीं है। यह केवल आयोग की कार्यवाही है।

श्री पी० शिव शंकर । फिर मैं इस मामले में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के एक संक्षिप्त पैरा की ओर सभा का ध्यान दिलाता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह पैरा कृष्णा अय्यर का है ? क्योंकि हमें इसके लिए शब्द कोष की आवश्यकता होगी।

श्री पी० शिव शंकर : न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर इन दिनों आपके ही हित की बात करते हैं। मैं एस० पी० गुप्ता बनाम भारत संघ अर्थात् प्रसिद्ध न्यायाधीश मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर सभा का ध्यान दिलाता हूं। मैं केवल एक पैरा पढ़ूंगा। यह 1982 उच्चतम न्यायालय प्रतिवेदन, पृष्ठ 365 पर है। न्यायमूर्ति भगवती 6 न्यायाधीशों की ओर से बोल रहे थे। मैं पृष्ठ 595 पर पढ़ रहा हूं। यह प्रश्न अनुच्छेद 74 (2) और अनुच्छेद 356 के दोनों पहलुओं के सम्बन्ध में था। परन्तु मैं केवल टिप्पणियों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

"अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करते हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा बताए गए कारणों की जांच न्यायालय नहीं कर सकेगा क्योंकि यह कारण मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श का भाग होगा।"

यहां, प्रश्न यह है कि क्या आप कारण अनुच्छेद 356 के साथ पठित अनुच्छेद 74 (2) के अन्तर्गत "परामर्श" शब्द पर विचार करेंगे—क्या परामर्श में "कारण" भी सम्मिलित है या यह पृथक है ?

फिर वे कहते हैं कि।

"वह सामग्री जिस पर मंत्रिपरिषद विवेचना आधारित है और इसके द्वारा परामर्श दिया गया है, उसे परामर्श का क भाग नहीं कहा जा सकता है।" अर्थात् वह सामग्री जिस पर परामर्श आधारित है, पूर्णतः एक पृथक चीज है।

"परन्तु, वह सामग्री जिस पर मंत्रिपरिषद की विवेचना आधारित है और उसके द्वारा परामर्श दिया गया है, उसे परामर्श का भाग नहीं कहा जा सकता है। हम जो कह रहे हैं, उसे न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय का उदाहरण देकर समझाया जा सकता है। यह निर्णय निःसंदेह न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्यों पर आधारित होगा।"

मैं इसे दोहराता हूं :

"निर्णय निःसंदेह, न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्यों पर आधारित होगा। और यह ऐसे साक्ष्य का संदर्भ देगा और इस पर चर्चा करेगा परन्तु....."

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह निर्णय नहीं है। यह तो सिफारिश है। यह तो विमर्श है। (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : मैं अनुरूपता के आधार पर यह कह रहा हूं। मैं पुनः यह पढ़ता हूं :

"निर्णय निस्संदेह न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्यों पर आधारित होगा और यह ऐसे साक्ष्य का संदर्भ देगा तथा इस पर चर्चा करेगा, परन्तु, क्या इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि साक्ष्य निर्णय का एक भाग है ?

यह प्रश्न तो उन्होंने स्वयं ही उठाया है। क्या यह कहा जा सकता है कि यह निर्णय का एक भाग है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आयोग अर्द्ध-न्यायिक निकाय है ?

श्री पी० शिव शंकर : इसका कोई महत्व नहीं है। मैं फिर पढ़ता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। चुप रहिए। अपनी सलाह अपने पास रखिए।

श्री पी० शिव शंकर : इसकी अपनी प्रक्रिया है ? साक्ष्य अधिनियम इस पर लागू नहीं होता। आपका साक्ष्य भी इस पर लागू नहीं होता। इसलिए, यह तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने वाला एक निर्णय दें यह अभियोज्यकीय नहीं है। यह किसी पर दोषारोपण नहीं नहीं करता। यह इसकी जांच करता है। यह तथ्यों का पता लगाने वाला निकाय है। उच्चतम न्यायालय ने यही कार्यक्षेत्र निर्धारित किया है। (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : मुझे विश्वास है कि मुझे इसे पढ़ने दिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया पढ़िए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब आपको कुछ पता नहीं है तो कृपा करके चुप रहिए कृपा निधान आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री पी० शिव शंकर : उच्चतम न्यायालय ने कहा है :

श्री पी० शिव शंकर : उच्चतम न्यायालय कहता है :

"यह ऐसे साक्ष्य का संदर्भ देगा और इस पर चर्चा करेगा परन्तु क्या इस आधार पर साक्ष्य को निर्णय का एक भाग कहा जा सकता है ? निर्णय में तो केवल निर्णय और उसके समर्थन में बताए गए कारण ही होंगे तथा वह साक्ष्य, जिस पर विवेचना और निर्णय आधारित है, निर्णय का भाग नहीं होंगे। इसी प्रकार, उस सामग्री को. जिसके आधार पर मंत्रिपरिषद द्वारा परामर्श दिया गया है, परामर्श का भाग नहीं कहा जा सकता और विधि मंत्री, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच हुए पत्राचार, जो केन्द्रीय सरकार के निर्णय की आधार सामग्री बना, को भी तदनुसार अपवर्जन नियम के बाहर रखा जाए।"

श्री पी० किशोर चंद्र एस० देव : यह निर्णय नहीं है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : पूर्वोदाहरण के रूप में मंत्री परिषद द्वारा परामर्श की आपकी पहले की अनुरूपता एक गलत अनुरूपता है, क्योंकि वह तो बिल्कुल एक भिन्न संवैधानिक उपबन्ध है। मेरे विचार से आप इस अनुरूपता को बहुत व्यापक बना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : मैं अपना तर्क कानून और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार दे रहा हूं। मेरा निवेदन है कि सामग्री, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने प्रतिवेदन तैयार किया है, विवेचना आदि, आदि, और अन्तिम निष्कर्ष—ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं। यही बताने के लिए मैं परामर्श के अर्थ पर निर्भर रहा······

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप एक सैकंड के लिए मेरी बात सुनें तो मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि यदि आयोग सरकार को केवल सिफारिश ही भेजता है; तो क्या उन्हें प्रतिवेदन के प्रयोजनार्थ पर्याप्त माना जाएगा ? यदि सिफारिशें बिना किसी सामग्री, विवेचन, निष्कर्ष से भेजी जाए तो क्या यह पर्याप्त है ? अनिवार्यतः शेष सामग्री भी तो होनी चाहिए।

श्री पी० शिव शंकर : यह सम्भव है, क्योंकि धारा (3), उप-धारा (4) में कहा गया है कि आयोग किसी विशिष्ट मामले में कोई प्रतिवेदन तैयार न भी करे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह दूसरी बात है। (व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : मुझे विश्वास हो गया है कि यह कोई उत्तर नहीं है और इसलिए आप व्यवधान डालेंगे। मैं तो कुछ कह रहा हूं आप कृपया उसे समझिए और मुझे उत्तर दीजिए········ (व्यवधान) धारा (3) और उप-धारा (4) के अन्तर्गत यह सम्भव है कि आयोग किसी विशेष मामले में अपना प्रतिवेदन तैयार ही न करे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : न्यायालय के निर्णय की कुछ पावनता होती है। ऐसे प्रतिवेदन की क्या पावनता है जिसे पुलिस के विशेष जांच दल द्वारा बदल दिया जाए ?

श्री पी० शिव शंकर : क्या आप इस प्रश्न पर विचार करेंगे ? प्रतिवेदन सरकार की संतुष्टि के लिए है। वास्तव में आपको जानकर हर्ष होगा कि 1971 तक तो इसे सभा पटल पर रखने की भी अनिवार्यता नहीं थी। यह केवल सरकार की संतुष्टि के लिए होता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब आप कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री पी० शिव शंकर : मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि धारा (3), उप-धारा (4) के अन्तर्गत आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। यह भी सम्भव है कि आयोग यह कह दे, 'मेरी यह सिफारिश है। मैं कोई कारण बताना चाहूंगा।" ऐसा भी सम्भव है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उसे सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ?

श्री पी० शिव शंकर : सिफारिश के बारे में, हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्यों ?

श्री पी० शिव शंकर : यह की गई कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में है। सिफारिश सभा पटल पर रखी जाएंगी। आप इसे पढ़ते हैं ? हमारा मत भेद मूलतः व्याख्या सम्बन्धी भाग के बारे में

है। मुझे विश्वास है कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसके लिए आपकी आत्मा आपको कचोटती होगी। परन्तु अभी भी मुझे आपके साथ सहानुभूति है। क्या किया जा सकता है? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, एक प्रतिष्ठित विधिवक्ता इस प्रकार तर्क कर रहे हैं। सरदार बूटा सिंह ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। (व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : यह कहने के पश्चात् आप लोगों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि स्वयं केहर सिंह के ही मामले में क्या हुआ। चीजों की मांग की गई थी उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई जो ए. आइ. आर 1988, पृष्ठ 1903 में शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि……

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप को नहीं मिलती तो आप सरदार बूटा सिंह से ले सकते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : निवेदन किया गया है। केहर सिंह की ओर से, आयोग के समक्ष रिकार्ड किये गये साक्ष्य तथा प्रतिवेदन की भी मांग की गई थी। मैं इन दोनों पहलुओं के सम्बन्ध में आयोग की टिप्पणियों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु मैं उसके कुछ अंश पढ़गा। मैं उसे उद्धृत यहां करता हूं :

> "इसीलिए यह स्पष्ट है व्यापक प्रश्नों में जाए बिना यहां तक कि कि धारा (6) की स्पष्ट व्याख्या जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है, साक्षी की बात का खण्डन के लिए प्रति परीक्षा के प्रयोजनार्थ अथवा उसकी विश्वसनीयता को अधिक्षिप्त करने के लिए विचारण के समय से पहले कथनों के प्रयोग का प्रतिषेध करेगी। धारा (6) के अन्तर्गत केवल एक अनुज्ञेय प्रयोग की व्यवस्था की गई है जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। इसीलिए निचले न्यायालयों द्वारा अभियुक्त को मुक्ति न देना ठीक ही था। आयोग के प्रतिवेदन के लिए भी अनुरोध किया गया था। यद्यपि विद्वान वकील स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सके कि अभियुक्त के बचाव में ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन से क्या लाभ हो सकता है।"

प्रतिवेदन क्या है, उसके बारे में वे ऐसा कहते हैं। प्रतिवेदन आयोग की सिफारिश है जिस पर सरकार को विचार करना है। इसीलिए स्वयं उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि प्रतिवेदन क्या है। प्रतिवेदन सिफारिश ··· —

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हर समय व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

श्री पी० शिव शंकर : प्रतिवेदन आयोग की सिफारिश है जो सरकार के विचार करने के लिए है। यह साक्षियों के कथनों तथा अन्य सामग्री पर आधारित आयोग की राय है आपराधिक मामले के विचारण में इसका साक्ष्य सम्बन्धी कोई महत्व नहीं है। निचले न्यायालयों का यह कहना न्यायोचित है। इसीलिए, वह अंश जो यह कहता है कि सरकार के विचार के लिए आयोग की सिफारिश प्रतिवेदन है, साक्षियों के कथनों तथा अन्य सामग्री के आधार पर आयोग की राय है। असल बात यह है। इसीलिए ये दो भिन्न चीजें हैं। किसी ने कहा है कि साक्ष्य सम्बन्धी इसका कोई महत्व नहीं है। मैंने सोचा कि मैं इसे भी सरकार के ध्यान में ला दूं। (व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : श्री शिवशंकर अपने ही विरुद्ध बहुत सी चीज उद्धृत कर रहे हैं।

श्री पी० शिव शंकर : मुझे आपकी ना समझी पर रहम आता है। इससे अधिक और क्या कह सकता हूं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल उनकी सलाह पर कार्य कर रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, किसकी सलाह पर ?

श्री अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी की सलाह पर।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : इसीलिए, मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह स्वयं प्रतिवेदन में कही गई बात स्वयं विधी अर्थात जांच आयोग अधिनियम तथा नियमों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा कहीं गई बात पर आधारित है। मेरे विचार से प्रतिवेदन में तथा उस सामग्री में स्पष्ट अन्तर है जिसके आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है। सामग्री को प्रतिवेदन का एक भाग नहीं माना जा सकता ये दो भिन्न चीजें हैं। सामग्री के आधार पर केवल तर्क दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा है, केवल इसी तथ्य से कि वाद-विवाद इतना गहन हो रहा है, यह बात सिद्ध हो जाती है कि गृह मन्त्री की ओर से गुमराह करने के लिए जानबूझ कर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जैसाकि मेरे एक मित्र ने कहा है यह अनजाने में हो सकता है। यदि यह अनजाने से हुआ है तो यह विशेषाधिकार हनन नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि विशेषाधिकार हनन की सूचना को रद्द करना ही होगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में सरकार एक के बाद दूसरी आश्चर्य जनक बात कर रही है। वास्तव में सरकार का तर्क ज्यों का त्यों है। सरकार का मूल तर्क यही था कि प्रतिवेदन के किसी भी भाग को प्रकट करने से सरकार के हितों को हानि होगी। परन्तु 48 घण्टे के भीतर ही प्रधान मन्त्री जी ने अपनी सुविधा देखकर जबकि विरोधी सदस्य सभा में नहीं थे— इस सभा में कहा कि प्रतिवेदन का प्रकटीकरण अब जांच कार्य में बाधा नहीं डालेगा। श्री बूटासिंह ने भी 27 तारीख को यही बात दोहराई। अब श्री बूटासिंह अपनी उस बात से पीछे हट रहे हैं जो उन्होंने 15 तारीख को कही थी तथा कह रहे हैं कि शेष दस्तावेज प्रकट करने से जांच काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब उन्हें ऐसा कहने को कहा गया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उस सरकार का कोई क्या करे जो अपना दिमाग इतने थोड़े से समय में इतनी तुच्छता से इतनी जल्दी जल्दी बदलती है ? जहां तक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की बात है मुझे समय वाली बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रो. मधु दण्डवते जी तथा अन्य सदस्यों ने उससे पहले दिया था जबकि आपने मूल मामले के बारे में अपना विनिर्णय रोका था बाद आपके विचार से इस मामले को नियम 225 के अधीन उठाया जाना चाहिए था तो यह तो बेहतर होता यदि अध्यक्ष महोदय ने इस पर उसी समय विचार किया होता। अध्यक्ष महोदय ने किन्हीं उचित कारणों की वजह से, जो निश्चय ही मेरी समझ से बाहर है, उसी मूल प्रस्ताव पर विनिर्णय रोक लिए जाने के पश्चात, विशेषाधिकार सूचना को आज ग्राह्य करना उचित समझा जब अध्यक्ष महोदय ने यह घोषित किया कि इस विषय पर महान्यायवादी तथा अन्य लोगों की राय मांगी जा रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ही ने तो कहा था कि मैं ऐसा करूं

[अनुवाद]

मैं आप की सलाह के अनुसार कार्य कर रहा हूं फिर भी आप मुझे ही दोषी ठहरायेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, फिर भी मैं कहूंगा कि यह बेहतर होगा कि इस मामले को बिल्कुल ही न लेने के बजाय देर से ले लिया जाये जब अध्यक्ष महोदय सूचना को गृहीत कर लें तथा नियम 225 के अधीन सूचना पेश करने की अनुमति दे दें तो इसका अर्थ है कि उन्होंने उसे प्रथम दृष्ट्या उचित मामला समझा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब ने नहीं कहा था, यह तो उस वक्त सो रहे थे।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या जिस रूप में अध्यक्ष महोदय ने इस तथ्यों को लिया था उस श्री शिवशंकर अथवा चिदम्बरम अथवा सत्ताधारी दल भारी बहुमत के कानून द्वारा बदला जा सकता है। यहां बहुमत तथा कानून के साथ तथ्यों की तुलना करने का प्रश्न है। मेरी दृष्टि से यह बिल्कुल गलत ढंग है।

श्री चिदम्बरम ने अनेक पूर्वोदाहरण दिए हैं। परन्तु क्या वे कोई ऐसा पूर्वोदाहरण दे सकते हैं जहां आयोग ने जांच कार्यवाही एक दम गुप्त रूप से अथवा बन्द कमरे में की हों? शाह आयोग की कार्यवाही खुले में लोगों के सामने की गई थी।

प्रो. मधु दण्डवते : इतने खुले रूप में कि सम्बन्धित लोगों को न्यायाधीश की मेज पर रख दिया गया।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : परन्तु ठक्कर आयोग कार्यवाही गुप्त रूप में की गई। इसीलिए पूर्वोदाहरणों का हवाला देना उचित नहीं है। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि जिन आयोगों का हवाला दिया गया है, उन सभी की कार्यवाही खुले में की गई। इसीलिए इस 'बन्द कमरे' वाले आयोग की कार्यवाही के प्रकटीकरण को अनावश्यक महत्व नहीं दिया जा सकता या उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा जा सकता।

मन्त्री, श्री शिवशंकर ने ठीक ही कहा है कि कोई भी आयोग केवल निष्कर्ष दे सकता है जो अनुशंसात्मक होते हैं और उन्हें मानना अनिवार्य नहीं है इस मामले में यदि उन सिफारिशों पर इस सभा द्वारा निर्णय लिया जाना है तो यह आवश्यक है कि इस सभा के पास वह सामग्री होनी चाहिए जिसके आधार पर आयोग ने अपनी सिफारिशें तैयार की हैं अथवा निष्कर्ष निकाले हैं।

वर्तमान मामले में मुझे आर. के. धवन से पूरी हमदर्दी है इस बेचारे आदमी पर न जाने कैसे-कैसे गम्भीर अभ्यारोपण किये गये हैं परन्तु उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिए हैं उन्हें हम से छिपाया गया है। अभ्यारोपण तो जन-सामान्य को बता दिए गए हैं परन्तु इन्होंने अपने बचाव में जो स्पष्टीकरण दिए होंगे उन्हें हम से छिपाया जा रहा है। क्या यह उचित है?

श्री आर. के. धवन के अलावा 20 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाए थे। जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि उन्हें भेजी गई प्रश्नावली के उन्होंने क्या जवाब दिये तब तक हम प्रतिवेदन के निष्कर्षों का महत्व नहीं जान पाएंगे या उसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे या उसे नहीं आंक पाएंगे।

हम एक बहुत ही उत्तेजक स्थिति का सामना कर रहे हैं। श्री चवन के विरुद्ध बहुत ही गंभीर अभ्यारोपण किए गए थे तथा अब उन्हें केवल पुन: नियुक्त ही नहीं कर दिया गया बल्कि उनकी पदोन्नति करके उन्हें पुरस्कृत भी कर दिया गया है। न्यायमूर्ति ठक्कर, जिन्होंने श्री चवन पर अभ्यारोपण किये थे, को भी पुरस्कृत कर दिया गया है। अब हम उस सरकार का क्या करें जो श्री चवन के साथ चलना चाहती है तथा श्री ठक्कर के साथ शिकार खेलना चाहती है।

अब महोदय मैं विशेष जांच दल के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यही वही दल है जिसने इस निर्णय पर पहुंचने में प्रतिष्ठित न्यायमूर्ति ठक्कर को सहयोग दिया है। अब वही दल बिल्कुल अलग निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकता है? इसके अलावा हम उन परिस्थितियों तथा तथ्यों के बारे में जानना चाहेंगे जिनके कारण विशेष जांच दल अब एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचा है। वे कौनसे कारण हैं जिनकी वजह से वे विशेष जांच दल का प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रख सकते?

महोदय, यदि श्री आर. के. धवन के अभ्यारोपण का प्रकटीकरण लोक हित के विरुद्ध है तो फिर एक ऐसे व्यक्ति को मुक्त करना जिसे अब निर्दोष करार दिया गया है, लोक हित के विरुद्ध कैसे हो सकता है? हम सभी जानते हैं कि श्री बेअंत सिंह तथा श्री सतवन्त सिंह हत्यारे थे। हमें यह नहीं पता कि इन दो हत्यारों के पीछे कौन षडयन्त्रकारी अथवा गलत व्यक्ति था। यह तथ्य कि इन दो व्यक्तियों ने उनकी हत्या करने का प्रयास किया विवादास्पद नहीं है। जो बात मैं कहने का प्रयास कर हूं वह यह कि श्री बेअंत सिंह तथा श्री सतवन्त ने अपनी पूरी गोलियां समाप्त कर दी तथा फिर भी उन्हें समाप्त कर दिया। मैं जानना चाहूंगा कि किन परिस्थितियों में उन्हें समाप्त किया गया।

मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका जीवन किस प्रयोजन से समाप्त किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि ठक्कर आयोग ने इस पहलू पर विचार क्यों नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि जो दस्तावेज हमें नहीं दिखाए गए क्या वे इस पहलू पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं। इन प्रमुख साक्षियों का जीवन क्यों समाप्त किया गया —एक को तो मौके पर मार दिया गया तथा दूसरे को फांसी दे दी गई।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा के समक्ष चल रहे मामले पर ध्यान दें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्रीमान, जहां तक रिपोर्ट का संबंध है श्री शिव शंकर ने एक वाक्य को देखने से इन्कार कर दिया इसलिए नहीं कि वे नहीं जानते बल्कि इसलिए कि वे बहुत अधिक जानते हैं। मैं आपका ध्यान रिपोर्ट के पृष्ठ 4 की ओर दिला रहा हूं। बेशक श्री चिदम्बरम से यह आशा की जा सकती है कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसकी वे पूर्णत: उल्टी व्याख्या प्रस्तुत करें। मैं अंतिम रिपोर्ट के पृष्ठ 4 से पढ़ रहा हूं। भाग। (क) उपर्युक्त पैरा 1.6.2 में उल्लिखित परिशिष्टों से इतर ऐसी सामग्री का संकलन है जिसे अंतरिम रिपोर्ट से संबंधित खण्डों में पहले ही समाविष्ट किया जा चुका है यह भी सैफुद्दीन चौधरी तथा उनको कमी की बात नहीं है बल्कि यह स्वयं श्री सैफुद्दीन चौधरी से संबंधित है। मैं श्री पी. शिव शंकर द्वारा दी गई रोमानी उपमा से लाभ उठाने का प्रयास कर रहा हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वाक्य को पूरा करें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : .... जिस पर आयोग अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के प्रयोजनों से निर्भर रहा है ....(व्यवधान) यह स्वभाविक है ....(व्यवधान .. श्रीमान, मैं नहीं चाहता कि आप मुंह बना में। मैं पहले ही निरुत्साहित हो गया हूं और मैं और निरुत्साहित हो जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैंने कहा है कि मैंने सुन लिया है ....

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल भगत) : आप कहते हैं कि आप पहले ही निरुत्साहित हो गये हैं। आप निरुत्साहित नहीं हैं। निरुत्साहित मत होइये। मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूं किंतु निरुत्साहित मत होइये।

अध्यक्ष महोदय : आपको एक मित्र मिल गए हैं। अब आप अपना भाषण पूरा करने का प्रयास करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा कहना है कि श्री शिव शंकर तथा उनके मित्रों ने प्रतिकूल बातें करने का प्रयास किया है। प्रथमत: उन्होंने तथा श्री चिदम्बरम ने रिपोर्ट को रोकने के लिए कानूनी तथा शब्दों के अर्थों को लेकर भ्रम में डालने का प्रयास किया है और दूसरे वे कहते हैं कि मुख्य विषय यह है कि शेष रिपोर्ट के प्रकट न से भावी पूछताछ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वे अपनी ही बातों को काट रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारी रिपोर्ट को सामने लाया जाए। अन्यथा वे सभा को जानबूझकर गुमराह करने के दोषी होंगे। इस रिपोर्ट से कई प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। रिपोर्ट को आंशिक रूप से प्रकट करने के कारण श्रीमती गांधी की हत्या के पीछे छिपे रहस्य के बादल और गहरा गए हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : श्रीमान मैं कहना चाहता हूं कि आज सुबह के श्री चिदम्बरम के भाषण से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं और मुझे खुशी है कि अंतत: सरकार ने यह महसूस किया है कि इस बात का कितना महत्व है जो शुरू से ही ठीक ढग से न लिये जाने से बदले में पड़ गयी है। और आज उन्होंने अपने दो बहुत ही विद्वान वकीलों को प्रतिवाद न किये जा सकने वाले मामले की पैरवी करने के लिए तैयार किया। श्री चिदम्बरम की वाक्पटुता को देखकर मुझे एक प्रसिद्ध कहावत याद आती है कि जब रोम की सरकार की कार्य-स्थिति अत्यंत खराब थी तब तक वहां वाक्पटुता शिखर पर थी। मेरे विचार में यह याद करना उचित होगा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, न कि गिद्ध छिपना और आश्रम लेना ....

अध्यक्ष महोदय : सीजर की हत्या के बाद वाक्पटुता से ही रोम तथा एंटनी का बचाव हुआ था।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : बहुत अच्छा श्रीमान्। यह हो सकता है। लेकिन इसका श्रेय प्रो. मधु दण्डवते को जाता है और यह बात उन्हीं पर लागू होती है।

प्रो० मधु दण्डवते : वे स्पष्टता मेरे बारे में कह रहे थे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा अभिप्राय यह था कि कानूनी बातों का आश्रय लेने से स्थिति ठीक नही होती। इससे कानून नहीं बदलेगा, तथ्य नहीं बदलेंगे; इससे वे की रिपोर्ट का प्रकट करने और न्यायमूर्ति ठक्कर के निष्कर्षों से सदन को अवगत कराने की सरकार तथा उनके द्वारा प्रयुक्त सामग्री स को जिम्मेवारी से उसे नहीं बचा पाएंगे। पहले भी कई वक्ता इस प्रश्न पर बोल चुके हैं इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा और रिपोर्ट के अप्रकाशित खंड के बारे में और नहीं कहूंगा। किन्तु क्या मैं एक सीधा प्रश्न पूछ सकता हूं? सभा-पटल पर जो खंड रखे गए हैं, अर्थात् अन्तरिम

रिपोर्ट और अन्तिम रिपोर्ट। मैं फिर कहता हूं कि अप्रकाशित खण्डों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल उन दोनों खंडों के बारे में कह रहा हूं जो सभा-पटल पर रखे गए है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या ये दोनों खंड उसी मूल रूप में प्रस्तुत किये गए हैं। जिनमें न्यायमूर्ति ठक्कर ने ये सरकार को प्रस्तुत किये थे? मैं सभा-पटल पर रखे गए दो खंडों की बात कर रहा हूं। यदि इन दो खंडों में फेरबदल न किया गया होता तो निश्चित रूप से इनमें ऐसे बयान होते जो उन अधिकारियों द्वारा दिये गए थे जिन्हें आयोग ने अभ्यारोपित किया है मुझे एक बात समझ नहीं आती। यह तो समझ में आता है यदि सरकार यह कहे कि सभी प्रश्नावलियां विभिन्न व्यक्तियों को जारी की गई कारण बताओ सूचनाएं सामग्री तथा अन्य साक्ष्य ऐसे वर्ग या श्रेणी में आते हैं कि सरकार के द्वारा उन्हें सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि सरकार छांटकांट करने का प्रयास करें तो मैं कैसे समझ सकता हूं? किसी व्यक्ति विशेष को तो जारी की गई प्रश्नावलियां रिपोर्ट का अंग होती हैं और अभ्यारोपित व्यक्तियों को तथा अन्य अधिकारियों को जारी की गई प्रश्नावलियां रिपोर्ट का अंग नहीं होती हैं। किसी विशेष व्यक्ति द्वारा दिये गए उत्तर रिपोर्ट में आते हैं परन्तु अभ्यारोपित अन्य अधिकारियों द्वारा दिये गए उत्तर रिपोर्ट में नहीं आते हैं आखिरकार दस्तावेजों की कोई तो श्रेणी होनी चाहिए। यदि हम सरकार के तर्क को मान भी लें तो उस वर्ग में उस श्रेणी में या तो उन दस्तावेजों का अंश होने चाहिए जिन्हें सभा-पटल पर रखा गया है या यदि उन्हें सभा पटल पर नहीं रखा जाना है तो उनमें वे प्रश्नावलियां तथा उत्तर होने चाहिए जो जारी किये गए है या जो उन सभी को दिये गए हैं जिनको ये कारण बताओ सूचनाएं जारी की गई हैं।

मैं विभिन्न मंत्रियों द्वारा दिये गए सभी परस्पर विरोधी वक्तव्यों की भी चर्चा करने जा रहा हूं। मैं इस सरकार के मन्त्रियों के प्रकाशित साक्षात्कारों की भी चर्चा नहीं करना चाहता हूं एक मंत्री ने एक साक्षात्कार में कहा है जो एक में नहीं बल्कि दो पत्रिकाओं में छपा है, जिसमें उन्होंने दूसरे मंत्री पर आरोप लगाया है.. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपा/संगत बात कहें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह महत्वपूर्ण है, श्रीमान......(व्यवधान)

मैं दूसरों की भूलों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। वे क्या कहना तथा सिद्ध करना चाहते हैं? मैं मंत्री का इसमें कोई संदेह नहीं है......(व्यवधान)

श्रीमान् पता नहीं सरकार हमारी राजनीति हमारे न्यायशास्त्र में कौनसी धारणा को आरम्भ करने का प्रयास कर रही है? हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां न्यायाधीशों ने किसी पुलिस अधिकारी, चाहे वह कितना ही वरिष्ठ या बड़े ओहदे क्यों न हो, के निष्कर्षों को नकारा है किन्तु पहली बार ऐसी स्थिति है जब कि किसी न्यायाधीश के निष्कर्षों को ऐसी रिपोर्ट की मदद से नकारा जा रहा है जिसे वे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई बताते हैं। ये पुलिस अधिकारी कौन हैं? वे जिन्हें ठक्कर आयोग की सहायता करनी थी, जिनकी सहायता के आधार पर ठक्कर आयोग ने ये निष्कर्ष निकाले हैं। ठक्कर आयोग ने और आगे जांच किये जाने का उल्लेख किया है और जांच करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए कि साक्ष्य प्राप्त किया जाये ताकि अभियोजना के मामले शुरू किये जा सकें आगे जांच करने का अर्थ सारे मामले की दोबारा जांच करना या आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है जांच दल द्वारा उसे नकारना नहीं है।

पहले ही दिन माननीय उपाध्यक्ष ने आपके चैम्बर में हुआ एक निर्णय पढ़कर सुनाया था। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह प्रश्न उठाया था। श्री बूटासिंह ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी किन्तु मुझे प्रसन्नता है कि आज उन्होंने इस पर टिप्पणी की है और श्री शिवशंकर ने एक बड़े षड्यंत्र के बारे में नए मामलों को शुरू करने पर प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचना के प्रकटन के बारे में विस्तार में विचार व्यक्त किये हैं। श्रीमान् आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यदि उनके पास ऐसा कोई मामला है तो इस तरफ बैठे लोग निश्चित रूप से सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाएंगे। यदि साजिश करने वालों को पकड़ना है और इस प्रयोजनार्थ कुछ जानकारी रोकनी है तो हमारी तरफ से इसका कोई विरोधी नहीं होगा। किन्तु श्रीमान् मूल प्रश्न यह है कि यदि वे कुछ जानकारी नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें विधिक प्राधिकार की आवश्यकता है। केवल गृह मंत्री या किसी मन्त्र की राय से ही जानकारी नहीं रोक सकते हैं। विधि के अधीन वे वह पूरी जानकारी सभा-पटल पर रखने के लिए बाध्य हैं जो आयोग ने सरकार को दी है। श्रीमान इसलिए मैंने यह प्रश्न उठाया था और माननीय गृह मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या वे संसद में एक और संकल्प लाने के लिए कुछ कर रहे हैं ताकि वे उन दस्तावेजों, जिनको प्रकट करने से उनके विचार में नए मामले को शुरू करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, को रोकने के लिए सदन से प्राधिकार प्राप्त कर सकें

अन्तिम बात जिसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा वह विदेशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में है। श्रीमान मुझे समझ नहीं पाता कि जब आयोग को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी की हत्या की साजिश में किसी विदेशी या विदेशी एजेंसी के लिप्त होने के बारे में और वह कुछ निर्णायक साक्ष्य मिले हैं कतिपय निष्कर्ष पर पहुंचा है तो वे ऐसी एजेंसियों या देशों के साथ किस तरह के दोस्ताना संबंध कायम रखना चाहते हैं ?

महोदय, ऐसी कई घटनायें सामने आई हैं जिसमें किसी दूसरे देश में अपने गैर-सरकारी नागरिक तक को यदि इस तरह की धमकी भी दी गई है तो भी उस देश ने सम्बंधित देश से राजनैतिक संबंध तोड़ लिये हैं। परन्तु यहां ऐसे मामले में जिसमें हमारे प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई है फिर भी हम अभी तक मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात कर रहे हैं और इसी तर्क की आड़ में हम जानकारी छिपाना चाहते हैं।

महोदय, इस मामले को निपटाने में सरकार ने अक्षमता एवं उपेक्षा के खतरनाक ताल-मेल का प्रदर्शन किया है और षड्यंत्रकारियों को बचाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की हार्दिक स्पष्टत: दिखाई है।

इन शब्दों के साथ मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : अध्यक्ष महोदय, जब आपने प्रो. मधु दंडवते को विशेषाधिकार का मामला उठाने की अनुमति दी तो मैंने सोचा था कि वह आपको धन्यवाद देंगे और इसी प्रकार विपक्ष के अन्य सदस्य भी जिन्होंने इस प्रस्ताव पर विचार व्यक्त किये हैं, आपको धन्यवाद देंगे। परन्तु वे आपको धन्यवाद देने में शर्म महसूस करते हैं। यह ठीक है कि प्रो. दंडवते इस मामले पर जितना बढ़िया बोल सकते थे; बोले हैं; परन्तु अभी तक भी इनमें कुछ शर्म और झिझक दिखाई देती है। ये दलील दी गई थी कि चूंकि माननीय

अध्यक्ष को उससे संबंधित मामलों पर अपना निर्णय देना है इसलिए इस के बारे में चर्चा करने में कुछ हिचकिचाहट हो रही है । मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस प्रकार की हिचकिचाहट क्यों है । आपको अभी अपना निर्णय देना है और आप विशेषाधिकार के प्रश्न पर लोगों को अपने-अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसके बावजूद सदस्यों को कुछ शर्म और झिझक महसूस हो रही है ।

4.44 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

मैं अभी तक भी श्री आरिफ मोहम्मद खां का सम्मान करता हूं । मैं निरर्थक तर्कों को निरर्थक नहीं बताना चाहता क्योंकि इन्हें निरर्थक बताने की आवश्यकता ही नहीं है । मैं तो केवल इस मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं जब उन्होंने यह कहा था कि श्री चिदम्बरम और श्री शिवशंकर ने इस मामले को तकनीकी पहलू पर ही विश्वास करने का प्रयास किया है और इस प्रकार से उन्होंने यह स्पष्टतः स्वीकार कर लिया है कि हमारा मामला तकनीकी रूप से ठोस है मेरा ख्याल है कि श्री चिदम्बरम ने इस मामले को बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया है । वास्तव मे जो कुछ श्री चिदम्बरम ने कहा है उस बात का विपक्ष के पास कोई उत्तर नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : मानहानि विधेयक की तरह ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने श्री शिवशंकर तथा अन्य सदस्यों की बात नहीं सुनी है । फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं इस मामले में और अधिक तकनीकी पक्षों पर निर्भर नहीं रहूंगा मैं जानता हूं कि आपमें से कुछ लोग क्या कर रहे हैं । यहां मैं आप सभी लोगों को एक साथ नहीं जोड़ रहा हूं. न ही मैं आप लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रहा हूं । मुझे यह यकीन है कि यदि मैं आप लोगों को विभाजित करने की कोशिश करूं भी तो भी आप लोग विभाजित नहीं होंगे, चाहे आप आपस में कितना ही विभाजित क्यों न हो उन बेंचों पर बैठे हुए आप में से कुछ लोगों का सोचने का एक खास तरीका है, परन्तु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा ही इधर-उधर की हांकने में ज्यादा विश्वास रखते हैं ।

यहां प्रश्न विशेषाधिकार का है । क्या श्री बूटा सिंह ने जानबूझकर संसद को गुमराह किया है ? यदि हां तो क्यों या सदन को किसने गुमराह किया है और सदन को कौन गुमराह कर रहा है और क्यों ? यह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर अभी विचार किया जाना है । अभी-अभी श्री आरिफ मोहम्मद खां ने श्री पी० शिवशंकर के इस तर्क पर आपत्ति की थी कि इस मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । क्या वह इस सिद्धान्त को चुनौती दे रहे हैं कि दस्तावेजों को प्रकट करने से किसी भी मामले पर कुप्रभाव कभी नहीं पड़ सकता है । ठीक है ये एक स्वीकृत बात है कि जब किसी मामले के दस्तावेज प्रकट किये जाते हैं तो उस मामले पर कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है । मैं सोचता था कि उन्हें कानून का ज्ञान है । यहां तक कि धारा (6) के अधीन दर्ज किये गये वक्तव्य तब तक वक्तव्य नहीं बनते जब तक कि उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता । यहां तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अधिकृत दस्तावेज नहीं है । जब गृह मंत्री यह कहते हैं कि वह इस बारे में षड्यंत्र का मामला दायर करने जा रहे हैं तो क्या आप लोग मना कर सकते हैं ? आप लोग इस बात पर कैसे जोर दे सकते हैं कि आपको सभी परिस्थितियों में हर चीज

उपलब्ध होनी चाहिए इससे मामले पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ सकता। यह वास्तव में एक मजाक है। श्री आरिफ मोहम्मद खां ने भी एक ओर बड़े मजे की बात कही है। मुझे सचमुच उन पर दया आती है वह बड़े उत्साही हैं और बहुत ही सक्रिय हैं वह अति बुद्धिमानों की श्रेणी में आते थे। परन्तु अब वह विपक्ष में बैठने के बाद अति-अति बुद्धिमान हो गये हैं। मुझे सचमुच हैरानी होती है जब वे इस तरह की बात करते हैं। वह थोड़ा सा भी अन्तर नहीं कर पाते। मुझे दुःख है कि मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकता। मैं उनसे वरिष्ठ हूं, आयु में बड़ा हूं परन्तु फिर भी मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकता। परन्तु छोटेपन की भी कोई सीमा होती है। मैं इस शब्द का जानबूझकर उपयोग कर रहा हूं और कृपया आप इसका बुरा मत मानिये। उन्होंने कहा है कि, "हमने पुलिस द्वारा दायर किये गये मामलों में न्यायाधीशों को निर्णय लेते देखा है परन्तु हमने पुलिस अधिकारियों को न्यायाधीशों के निर्णय पर निर्णय देते कभी नहीं देखा। "इस मामले में क्या न्यायाधीश ठक्कर द्वारा दिया गया कोई निर्णय है? क्या उन्होंने मुकद्दमा सुनने वाले न्यायधीश के रूप में ये रिपोर्ट दी है। क्या उन्होंने इस मामले में अपील सम्बधी न्यायाधीश के रूप में काम किया है या क्या वे संशोधन के मामलों में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। वह एक आयोग के रूप में कार्य कर हैं। सभी आयोग कुछ विचार और निष्कर्ष व्यक्त करते हैं। यहां आयोग ने कुछ संदेह व्यक्त किये। इस मामले में चाहे न्यायाधीश के निष्कर्ष कुछ भी हों। अंततः पुलिस द्वारा ही जांच करानी पड़ती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन संसद द्वारा पारित किये गये कानूनों के अनुसार किसी मामले को रजिस्टर करने की शक्ति और इस पर कार्यवाही करने की शक्ति पुलिस के पास होती है। यह शक्ति केवल पुलिस के पास ही है। यहां तक कि इस संसद को भी इस विषय में कोई संकल्प पारित करने का कोई अधिकार नहीं है कि अमुक मामले को दर्ज किया जाये। संसद कानून को बदल सकती है, वह दण्ड प्रक्रिया संहिता को बदल सकती है, परन्तु जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता का सवाल है इसके आधीन जांच करने का काम पुलिस को ही सौंपा गया है। इस प्रक्रिया में क्या गलत है? इसी मामले में क्या हुआ? इस मामले में न्यायाधीश को कुछ संदेह हुए हैं और आयोग ने पुलिस से जांच करने के लिए कहा है। उन्होंने कुछ जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि ये संदेह निराधार हैं, क्योंकि कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। और इसलिए अमुक व्यक्ति का हाथ इसमें नहीं है। इसमें क्या गलत है? यह तो घटनाओं का बिल्कुल स्वभाविक क्रम है। हर जगह विभिन्न आयोगों द्वारा इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यह एकदम साधारण बात है। मुझे यह विश्वास नहीं है कि आरिफ साहब इस बात को नहीं जानते हैं। उन्हें देखिये वह मुस्कार रहे हैं मेरे मित्र मैं यह जानता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं (व्यवधान) मैं भी जानता हूं कि आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री बूटा सिंह सदन को गुमराह करने के दोषी नहीं हैं बल्कि गुमराह आप कर रहे हैं। विपक्ष के कुछ सदस्य सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां। क्या आप ठक्कर आयोग की सिफारिशों को रद्द कर रहे हैं?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं आपको केवल यह बता रहा हूं कि श्री बूटा सिंह सदन को गुमराह करने के दोषी नहीं है। यदि आप में सचमुच आत्मा है तो आप अपने दिल पर हाथ रख करके अपने आप से पूछिए कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। यह सबसे गन्दा कार्य है कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्र को गुमराह किया है या राष्ट्र को गुमराह करने का प्रयास किया है। मेरे

प्रिय मित्रो मैं इस बात को अकलमन्दी की संज्ञा नहीं दे सकता क्योंकि यदि मैं आपको कोई बुद्धिमानी की बात बताऊं भी तो आप उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अब हम आपकी समझदारी की बात सुनने के लिए तैयार हैं... (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : आप बुद्धिमानी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। मेरा अपना विचार है कि आपने हर वास्तविकता से आंख मूंदली हैं। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में यह कह रहा हूं कि आप श्रीमती गांधी की हत्या और ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : यदि श्रीमती गांधी के संबंध में विपक्ष की सद्भावनाओं के बारे में सारे देश को बताया जाए तो इससे आप लोगों को कोई राजनीतिक लाभ नहीं प्राप्त होगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप अपनी किताब में से किसी को कोई पन्ना नहीं देना चाहते।

श्री एच० के० एल० भगत : विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है आप सोचते हैं कि आपको इससे राजनीतिक फायदा होगा। परन्तु मुझे विश्वास है कि इससे आप लोग राजनीति के मैदान से ही साफ हो जायेंगे। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

दूसरे मुझे यह देख के बहुत खुशी है कि श्रीमती गांधी की हत्या के संबंध में विपक्ष द्वारा बहुत चिन्ता व्यक्त की गई है। मैं सभी को एक साथ नहीं जोड़ रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरू से लेकर अभी तक एक ही बात बोलते रहे हैं परन्तु जो कुछ मैं कहा रहा हूं वह यह है कि यहां बैठे हुए हैं उनमें से कितने लोग विश्वसनीय हैं। सदन में जो विपक्ष में बैठें हुए है उनमें से अनेक ने भूतपूर्व चुनी हुई प्रधान मंत्री को इस सदन से निष्कासित कर दिया था। क्या आप यह सोचते हैं कि लोग यह विश्वास कर लेंगे कि आप श्रीमती गांधी की हत्या पर सचमुच में आंसु बहा रहे हैं ? बिल्कुल नहीं आपकी विश्वसनीयता पूरी तरह संदिग्ध है। श्रीमती गांधी पर मुकद्दमा किसने चलाया था ? आपरेशन ब्लैक थंडर का विरोध किसने किया था ? राष्ट्रीय मोर्चे के एक महत्वपूर्ण नेता ने, जो मुख्यमंत्री भी हैं, आपरेशनब्लैक थंडर के विरूद्ध विचार व्यक्त किये थे।

मैं जरा इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं।

मैं उनके नाम भी बता सकता हूं। मैं अभी उनके नाम नहीं बताना चाहता। यदि आप मुझे बाध्य करेंगे तो मैं उनके नाम बता भी दूंगा। (व्यवधान)

बड़ी-बड़ी अजीब बातें यहां कही जा रही हैं। आप कटु सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मैं उन लोगों से यह जानना चाहता हूं कि जो इधर-उधर की उड़ा रहे हैं कि वे लोग कौन हैं जिन्होंने इन आतंकवादियों का प्रोत्साहन दिया है ?

वे कौन लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ कहा और कभी कुछ ? वे कौन लोग हैं जो श्रीमती गांधी की हत्या के बाद उन लोगों से मेलजोल बढ़ा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मनेश्वर तांती : यह क्या हो रहा है ?....

श्री एच० के० एल० भगत : यह मैं जानता हूं कि सच हमेशा कड़वा होता है।

एक सदस्य ने कहा कि इसमें विदेशी ताकत का हाथ है। श्री आरिफ इसके बारे म जानते हैं। उन्होंने जानबूझकर इन शब्दों का इस्तेमाल किया "न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं .." स्वयं न्यायाधीश ने कहा है कि किसी के बारे में कुछ संदेह है या पूरा सदेह है। उन्होंने यह भी कहा कि वे 'निश्चित रूप से' शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जिस सामग्री के आधार पर संदेह पुष्ट होता है उसे प्रकट किया जाये ताकि उस संदेह पर चर्चा जा की सके। क्या आपकी राय में यह केस के लिए हानिकारक नहीं होगा ? उन्होंने यह बात स्वयं कहीं। मुझे यह बताकर प्रसन्नता हो रही है। श्री जयपाल रेड्डी ने श्री आर. के धवन के बारे में बात की है। यह किसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। कि जनता शासन के दौरान श्री धवन को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास किए गए थे। इस समय भी श्री धवन को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं किसी समाचार पत्र या पत्रिका में एक साक्षात्कार भी प्रकाशित हुआ या उसका किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। आप में से किसी ने भी प्रतिवाद नहीं किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप किसके पक्ष में हैं। आप सिर्फ अपने पक्ष में हैं। आप सोचते हैं कि इस हथियार से कांग्रेस को हरा देंगे और सत्ताधारी दल को पराजित कर देंगे। यह आपकी भूल है श्री आरिफ, यह आपकी नादानी है। और यदि आप स्वयं अज्ञानी बने रहना चाहें तो आपको कौन मदद करेगा ? आप सोचते हैं कि राष्ट्र प्रतीक्षा में है···(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं स्वीकार करता हूं कि आपका बहुमत है (व्यवधान)

श्री एच. के. एल भगत : जी हां, मैं स्पष्ट बहुमत से ही बोल रहा हूं।

आप मेरे बहुमत को अस्वीकार कर सकते हैं। आप इसे भले ही न मानें। अभी से छह या आठ महीने बाद यथा समय चुनाव तो होने ही हैं जैसाकि प्रधानमंत्री जी ने बताया है। तब आप बहुमत के बारे में जानेंगे और वास्तविकता को जानेंगे। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप यह सोचते हैं कि हमें नुकसान होगा तो आपको चिंता क्यों हो रही है ? यदि इससे हमारी विश्वसनीयता समाप्त हो रही है तो आपको क्यों चिंता हो रही है। आप हमारी स्थिरता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप जानते हैं और मैं आपको बताता हू कि मैं भी आम आदमी हूं और आप भी आम आदमी हैं। (व्यवधान) चुनावों के बाद यही प्रधानमंत्री और अधिक बहुमत के साथ यहां उपस्थित होंगे और यदि इस प्रकार के काम करके आप जनता के सामने जाएंगे तो·······

श्री आरिफ मोहम्मद खां : भगत जी, मैं आपके बारे में सोच रहा हूं। शायद आप तो यहां नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री एच. के एल. भगत : यदि आपमें साहस है तो आगे आइये और मेरे खिलाफ लड़िए मैं चुनाव के बारे मे बोल रहा हूं। आप या आपका कोई भी, नेता यदि हिम्मत है तो, आगे आये और चुनाव लड़कर कर देखें। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अन्य अनेक षड्यंत्र भी हैं। (व्यवधान) मुझे मालूम है कि आप फिर जीत कर वापस आयेंगे मैं अन्य षड्यंत्रों के बारे में बात कर रहा हूं जिसके बारे में आप नहीं जानते।

श्री एच. के. एल. भगत : कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से संसद में फिर वापस आयेगी और श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री बनेंगे। मुझे मालूम है कि आपको चिन्ता हो रही है। मैं जानता हूं कि

आप चिन्तित हैं। मैं उन सभी लोगों की दशा जानता हूं जो कांग्रेस छोड़कर चले गये हैं और आप लोगों की भी यही दशा होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरदार बूटा सिंह जी नहीं आ रहे...
(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य। आप घबरायें नहीं। (व्यवधान)

श्री एच. के. एल. भगत : जयपाल रेड्डी जी मैंने अभी आपकी प्रशंसा की है। आप बैठ जाइये। मैं अब भी आपकी प्रशंसा कर सकता हूं। आप अपनी बात बड़े जोरदार ढंग से पेश कर सकते हैं और बात जितनी ज्यादा गलत होती हैं उसे आप उतने ही जोरदार तरीके से पेश करते हैं। आप को मालूम है कि आज आपका कोई मामला नहीं है। सरदार बूटा सिंह जी ने किसी भी तरह से सभा को गुमराह नहीं किया है। यह तो विरोधी पक्ष ही है जो राष्ट्र को गुमराह करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें वे असफल होंगे। उन्हें असफल होना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : हमें इस मामले पर आम जनता के सामने जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या आपने आज की कार्य सूची बदल दी है? वह किस विषय पर बोल रहे हैं?

सभापति महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सभापति महोदय, अब तो इस सच्चाई से बिल्कुल भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि कुछ सामग्री इस सभा में अर्थात् संसद में प्रस्तुत नहीं की गई है। वह कौन सी सामग्री है? मेरे विचार में इस प्रतिवेदन के कुछ अंश प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। हम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हैं? हम इस निष्कर्ष पर इस प्रतिवेदन के लेखक ने जो कुछ कहा है उस के आधार पर पहुंचे है यह तो उन्होंने ही कहा है कि "मेरा प्रतिवेदन अनेक भागों में है। अन्तिम प्रतिवेदन दो भागों अर्थात् I और I—क" में है। अब हमें कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं कुछ चीजें हमें नहीं दी गई हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रतिवेदन की परिभाषा बताए। ठक्कर आयोग प्रतिवेदन के लेखक के अनुसार श्री ठक्कर के प्रतिवेदन से अभिप्रेत है अनेक खण्ड जिनमें सिफारिशों प्रस्तावनाएं और कारण दिये गये हैं और जिनके बारे में सरकार का दावा है कि वे हमें दे दिये गये हैं। इनके अलावा अन्य अनेक चीजें भी हैं जैसे प्रदर्शन कार्यवाही सारांश, कार्यवाही वृत्तांत तथा निमन्त्रण-पत्र भी न्यायमूर्ति ठक्कर उन्हें भी प्रतिवेदन का भाग मानते हैं और वह यही परिभाषा देते हैं।

5.00 म० प०

इसी आधार पर मैं सम्पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की मांग कर रहा हूं। यदि न्यायमूर्ति ठक्कर कहते हैं "मेरे प्रतिवेदन से केवल सिफारिशें अभिप्रेत हैं, तो हम प्रदेशों, कार्यवाही वृत्तांतों और कार्यवाही सारांश को प्रस्तुत किए जाने की मांग करते हैं। हमें इसके लिए अलग से मांग न करने की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि स्वयं श्री ठक्कर ने कहा है, "ये सभी प्रतिवेदन का भाग हैं"। इस स्थिति में मैं क्या करूं? इस स्थिति में हम इससे सहमत हो सकते हैं कि यदि सरकार कहे कि कतिपय दस्तावेज वर्गीकृत दस्तावेज हैं और उनका प्रकटन भावी अभियोगों के हित में नहीं होगा तो वह इन्हें रोक सकती है। किन्तु यह सरकार ऐसा नहीं कहता है। पहले दिन ही श्री इन्द्रजीत गुप्त इस विषय पर बहस के दौरान यह तर्क दिया था। उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया। किन्तु अब यह

बात सन्देहास्पद हो गई है। मेरा विश्वास है कि श्री न्यायमूर्ति ठक्कर ने स्वयं यह अनुमान लगा लिया था कि इस तरह का भ्रम उत्पन्न हो सकता है। वे समझ गये थे कि यह सरकार सभा में सम्पूर्ण प्रतिवेदन को प्रस्तुत नहीं करेगी और कुछ बातों को दबा लेगी। यही कारण है कि उन्होंने इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि "प्रतिवेदन" से क्या अभिप्रेत है। उन्होंने प्रतिवेदन में शब्दों, कार्यवाही-सारांशों, कार्यवाही वृत्तांतों, सिफारिशों, निमंत्रण-पत्रों और ऐसे अनेक दस्तावेजों को शामिल किया है। श्री विश्वम्भरम ने कहा कि कुछ खंडों में कुछ ऐसी सामग्री है यह बात उनकी ठीक है। इसकी हम मांग कर रहे हैं। अब अन्तिम प्रतिवेदन में आप भाग I और भाग 1-क दोनों देखेंगे। भाग 1-क के पृष्ठ 138 पर कहा गया है कि जांच अभिकरण ने बड़ी सावधानी और मनोयोग से सारी सामग्री की है जिसके परिणामस्वरूप यह स्पष्ट होता है कि देश में अस्थिरता पैदा करने में किसी विदेशी ताकत का निश्चित रूप से हाथ है। इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 138 पर तुरन्त भाग 1—क पढ़ने की हिदायत की गई है न्यायमूर्ति ठक्कर ने उस भाग की सामग्री को इसमें शामिल तो नहीं किया है किन्तु उन्होंने सभी को यह संकेत अवश्य दिया है कि वे प्रतिवेदन के भाग 1—क को अवश्य पढ़ें। संभव है कि वह बहुत भारी भरकम हो, यही कारण है कि उन्होंने उसे प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु यह इस प्रतिवेदन का अभिन्न अंग है। किसी भी आधार पर, किसी भी कानून के अधीन सरकार यह नहीं कह सकती कि केवल सिफारिशें ही प्रतिवेदन हैं। वह मंत्री जी बताएं क्या ऐसा कोई कानून है जिसमें 'प्रतिवेदन' का अर्थ दिया गया हो और बताया गया हो कि प्रतिवेदन की परिभाषा केवल सिफारिशें ही हैं? जी नहीं। यह बात पूरी तरह से प्रतिवेदन के लेखक पर निर्भर करती है। यदि लेखक कहता है कि कार्यवाही सारांश और कार्यवाही वृत्तांत प्रतिवेदन के भाग हैं तो निश्चित रूप से वे उसके भाग हैं।

यदि आपके विचार से कुछ अंशों को रोका जाना है तो आपको सभा के समक्ष कारण बताने होंगे। अब आप कानून के प्रश्न को छोड़ दें तब भी यह नैतिकता का प्रश्न है यह राजनीति का प्रश्न है यह देश की एकता और अखण्डता का प्रश्न है। पहले दिन ही मैंने भाग 1- क को दबाये जाने की बात कही थी उसे क्यों दबाया जाना चाहिए? अनेक वर्षों से हम कह रहे हैं कि देश में विदेशी ताकतें बाही मचा रही हैं और अब तो इस हत्या के मामले में देश में अस्थिरता पैदा करने में किसी विदेशी ताकत के हाथ का होना बिल्कुल स्पष्ट है। ठक्कर आयोग कहता है इस प्रतिवेदन में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं की गई कि हत्या के इस मामले विशेष में निश्चित रूप से किसी विदेशी ताकत का हाथ है।" किन्तु श्री न्यायमूर्ति ठक्कर कहते हैं "हत्या के इस विशिष्ट मामले में विदेशी ताकत के हाथ के होने की बात हम खण्डन नहीं करते हैं"।

अंतिम प्रतिवेदन के पृष्ठ 138 पर जो कुछ कहा गया है उसको ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्र सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि उस विदेशी अभिकरण को बेनकाब करे, जिसने हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया है? इससे किसको फायदा होगा? मुझे नहीं मालूम वे किसका बचाव कर रहे हैं? वे किसको छिपाना चाह रहे हैं? केवल देशद्रोही ही इस प्रतिवेदन को आम जनता से छिपाने की कोशिश करेंगे। आपको भी यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के दिमाग में किस प्रकार का संदेह व्याप्त है। श्री विश्वम्भरम् ने कहा कि रिपोर्ट के अन्य खंड, श्री ठक्कर के अनुसार —प्रश्न, कार्यवाही सारांश, कार्यवाही के सिवा कुछ नहीं

है। यदि ऐसा है तो आप उन्हें सभा पटल पर क्यों नहीं रखते ? क्या आपको यह डर है कि यदि आपने उन्हें सभा पटल पर रख दिया तो सभा का पटल टूट जायेगा ? आप क्या छिपा रहे हैं ? यदि सामान्य रूप में आठ हजार पृष्ठों की यह संपूर्ण सामग्री पुस्तकालय में रख दी जावे तो मेरा यह दावा है कि इस सामग्री को कोई भी नहीं पढ़ेगा, परन्तु जिस तरह से सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है लोगों का संदेह बढ़ता चला जा रहा है। ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में संदेह के बीज का उल्लेख है। अब, जिस तरह से सरकार बर्ताव कर रही है यह संदेह का बीज, संदेह के भय में बदल रहा है। इस बात को उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यदि उन्हें देश की एकता और अखंडता तथा स्वयं अपनी भी कोई चिन्ता है तो उन्हें उस रिपोर्ट के खंड एक (क) को सभा पटल पर रख देना चाहिए जो इस रिपोर्ट का एक भाग है, चाहे वह कुछ भी हो। चाहे वह सामग्री हो, चाहे वह समाचार पत्रों की कतरनें हों, चाहे वह फोटोग्राफ हो, चाहे वह कुछ भी हो, वह इस रिपोर्ट का एक भाग है और आपको उसे सभा पटल पर रखना ही होगा। आपको आम जनता से और इस सदन से उसे छिपाने का कोई अधिकार नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं बोलने का अवसर प्रदान किये जाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

5.06 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वती पुरम) : आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट का क्या आशय है या इसमें क्या-क्या चीजें हैं ? आपको याद होगा कि 17 तारीख को जब प्रधानमंत्री सदन के समक्ष आये थे तो उन्होंने यह साफ-साफ कहा था कि क्योंकि सभी जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने से मुकदमें की अगली कार्यवाही या जांच प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए सरकार ने संपूर्ण रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखने का निर्णय किया। 27 तारीख को ही उक्त रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गई थी। तब से लेकर अब तक, मुझे यकीन है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, हम सभी आशा कर रहे हैं कि यह पूरी रिपोर्ट इस माननीय सदन के समक्ष रख दी जायेगी। इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे जाने के बाद और हमारे द्वारा सभी खंडों को पढ़े जाने के बाद ही, हमें यह पता लगा कि वास्तव में इस सदन के समक्ष इस रिपोर्ट के कुछ चुने हुए अंश ही रखे गए हैं।

सबसे पहले मैं एक रिपोर्ट और एक निर्णय के बीच के अन्तर पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा क्योंकि माननीय मंत्री श्री शिवशंकर और श्री चिदम्बरम ने कानूनी तर्क की आड़ ली है और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों और टिप्पणियों का इस मामले में सहारा लिया है। यह तथ्यों का पता लगाने वाला आयोग है जिसमें एक रिपोर्ट दी है और इस प्रकार किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से यह पूर्णतया अलग है। यह रिपोर्ट समझदारी से परिपूर्ण हो सकती है, इस रिपोर्ट का आशय केवल तभी समझा जा सकता है यदि इसे सभी साक्ष्यों, अनुबन्धों तथा इससे सम्बन्धित सारे कागजातों के साथ पढ़ा जाये। यह कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। आप इस बात से सहमत होंगे कि यह बहुत असाधारण, बहुत संवेदनशील और विस्फोटक मामला है। इसका संबंध श्रीमती गांधी जो इस देश की प्रधान मंत्री भी थी, की हत्या से है। श्री भगत ने, भाषण देते समय विपक्ष पर यह आरोप लगाया था कि कई नीति संबंधी मामलों पर विपक्ष श्रीमती गांधी से सहमत

नहीं था। जी हां, राजनीतिक रूप से हम श्रीमती गांधी से सहमत नहीं रहे परन्तु इसका यह मतलब तो नहीं है कि हमने भी उनकी हत्या करने वाले षड़यन्त्रकारियों को संरक्षण देने का षड़यंत्र किया है। वह क्या चाहते हैं ? इस मामले का सम्बन्ध देश की प्रधान मंत्री से है यह मामला हमारे भावी प्रधान मंत्रियों, यहां बैठे हुए सभी मंत्रियों चाहे उनका कार्यकाल कितना ही क्यों न हो, की सुरक्षा से सम्बन्धित है। इसलिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री भगत इस तरह की भाषा बोले। इस बात से उनकी हताशा हो झलकती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जांचकर्ता एजेंसी की रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी और उसे एक न्यायाधीश को सौंप दिया गया था, जो इसी सरकार ने नियुक्त किया था, किसी और ने नहीं। विपक्ष ने न्यायाधीश ठक्कर को नियुक्त नहीं किया था। यह सरकार ही थी जिसने न्यायाधीश ठक्कर को नियुक्त किया था। यह सरकार ही है जो इस दस्तावेज को गोपनीय रखना चाहती है। क्यों ? क्योंकि यह माना जाता है कि यह बहुत ही संवेदनशील दस्तावेज है। यदि यह छप गया होता तो इससे इस देश की सुरक्षा आदि को खतरा पैदा हो जाता और इसी तरह की और बातें भी कही गई हैं। परन्तु इसके बावजूद आखिरकार दोनों ही रिपोर्टें सभा पटल पर आ गईं। कम से कम ये दो खंड तो आ ही गए और मैं यह नहीं समझता कि इन खंडों का कौन-सा पृष्ठ इस देश की सुरक्षा या किसी और चीज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज इस रिपोर्ट को एक विशेष जांच दल या एक समिति द्वारा चाहे यह कुछ भी हो, अस्वीकार किया गया समझा जाता है। यह कोई अकेला ही व्यक्ति नहीं है। इसमें अनेक व्यक्ति शामिल हैं, जिनका उल्लेख किया गया है, जिनसे पूछताछ की गई है। इस रिपोर्ट में जो हमारे समक्ष है, इन सभी बातों का उल्लेख है। ऐसा क्यों हुआ कि विशेष जांच दल ने केवल एक ही खास व्यक्ति को संदेह से परे कर दिया। शेष लोगों का क्या हुआ। ये ऐसे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर देना ही पड़ेगा। अन्तरिम रिपोर्ट में आपने 21 अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया है। अब उनके पास क्या सबूत है। अपने अनेक निष्कर्षों में न्यायाधीश ठक्कर ने कहा है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का घोर उल्लंघन किया है। इस अन्तरिम रिपोर्ट में इस मुद्दे पर पृष्ठ पर पृष्ठ भरे पड़े हैं। क्या हमें यह जानने का कोई अधिकार नहीं है, क्या संसद को यह जानने का अधिकार नहीं है, क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इसके विपरीत हमारा ख्याल है कि उनमें से कुछ अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया है। उनमें से एक अधिकारी को जिसके बारे में बहुत ही गम्भीर आरोप लगाये गए हैं, एक राज्य में लोक सेवा आयोग का सदस्य बना दिया गया है। उनमें से कुछ को पुलिस महा-निरीक्षक और कुछ को अपर-सचिव बना दिया गया है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक भी उपेक्षित पड़े हुए हैं। क्यों ? क्या हमें यह जानने का अधिकार नहीं है ? क्या सदन को यह जानने का अधिकार नहीं है ? वास्तव में जांच आयोग अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो इस सदन की ही देन है। इस सदन की अनुमति प्राप्त करने के बाद या इस सदन में संकल्प पारित करने के बाद ही किसी जांच आयोग का गठन किया जा सकता है। आखिरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए आपको इस सदन की अनुमति लेनी पड़ी और अन्ततः इस सदन को यह पता लगने कि क्या होने जा रहा है, से पहले ही यह रिपोर्ट बड़ी आसानी से समाचार पत्रों में छप गई। इतना बड़ा सुरक्षा दस्तावेज, इतना बड़ा संवेदनशील दस्तावेज समाचारपत्रों तक कैसे पहुंच गया ? सरकार के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है। यह निश्चित है कि यह कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसे हम यह समझें कि इसमें बहुत ही गोपनीयता बरती जानी चाहिए थी। जैसा कि सरकार एक समय दावा करती थी और

उन्होंने इस रिपोर्ट को उसी रूप में समझा भी। परन्तु ऐसे और भी वर्गीकृत दस्तावेज हो सकते हैं जो इसी तरह समाचारपत्रों में छप जायें। ऐसी सरकार के हाथों में देश कैसे सुरक्षित रह सकता है जो उन गोपनीय दस्तावेजों को ही नहीं संभाल सकती, जिन्हें वह बहुत गोपनीय समझती है और बहुत संवेदनशील मानती है, और जिनसे इस देश की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

ऐसे कई और प्रश्न हैं जो अनुत्तरित रह जाते हैं। इस आयोग से यह अपेक्षा की गई थी कि यदि कोई गहरी साजिश हो तो वह उसकी जांच करे। महोदय आपको अच्छी तरह याद होगा कि दो हत्यारों में से एक हत्यारे की दूसरे हत्यारे ने हत्या कर दी गई थी। सहज बुद्धि से ही इस बात का पता लग जाता है कि साक्ष्य को नष्ट करने के लिए ही ऐसा किया गया था। आपको याद होगा कि ओस्वाल्ड का क्या हुआ जिसने अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति मिस्टर जॉन केनेडी की हत्या की थी। ऐसा क्यों हुआ कि इस व्यक्ति से पूछताछ नहीं की गई, प्रतिपरीक्षा नहीं की गई और न ही उसके वक्तव्य तक लिखवाया गया। न्यायाधीश ठक्कर ने यह कैसे समझ लिया कि वह उस हत्यारे का वक्तव्य लिए बिना ही, जिसने श्रीमती गांधी के हत्यारे की हत्या कर दी थी, व्यापक षडयन्त्र का पता लगा पायेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आम आदमी के दिमाग में बार-बार कौंध रहे हैं। ये आज रहस्यमय बने हुए हैं: और हमारे समक्ष रखी गई इस रिपोर्ट में रहस्यमयता बनी हुई है। इन सात हजार पृष्ठों में जो हमसे छुपाये गए हैं, ऐसी गोपनीय बात क्या है? क्या ये सभी 7 300 पृष्ठ इतने संवेदनशील हैं कि इनसे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है? इसलिए इस रिपोर्ट को समझने के लिए, उन आधारों को जानने के लिए जिन पर न्यायाधीश ठक्कर ने यह निष्कर्ष निकाले हैं यह आवश्यक हो जाता है कि हम साक्ष्य, रिकार्ड तथा हर उन चीजों सहित जो इसके साथ हैं इन अन्य भागों को भी देखें। यह विशेष रूप से इसलिए जरूरी है क्योंकि उस व्यक्ति को जिस पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बिल्कुल दोषमुक्त कर दिया गया है। हमें यह भी पता लगना चाहिए कि उसे दोषमुक्त क्यों किया गया है। किन कारणों से उसे दोषमुक्त किया गया है। इससे पहले हमें उन कारणों का पता लगना चाहिए जिनकी वजह से न्यायाधीश ठक्कर ने उस पर दोष लगाए थे क्योंकि यदि सरकार कहती है कि उसने उसे दोषमुक्त कर दिया है तब यह भी संभव हो सकता है कि न्यायाधीश ठक्कर ने किसी के कहने पर इस मामले को झूठे रूप में बनाया हो और यदि उसने उसके विरुद्ध ऐसा किया है तो वह अन्य मामलों में भी ऐसा ही कर सकते थे। क्या हमें यह सब बातें जानने का अधिकार नहीं है? महोदय, अन्तिम रिपोर्ट के पृष्ठ 138 पर उन्होंने साफ-साफ बताया है जिसका मैं उल्लेख करता हूं :—

"कि एक पूर्ण और व्यापक रिपोर्ट जो उक्त—एजेंसी द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी, भाग एक-क में शामिल की गई है।"

यह साफ-साफ बताया गया है कि "पूर्ण और व्यापक रिपोर्ट" और संभवत: यह अन्तिम रिपोर्ट का भाग एक हो सकता है। अब भाग एक-क का क्या हुआ भाग एक क में क्या लिखा है? इसमें बहुत सारी सामग्री है। यहां मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह स्वाभाविक है कि आप बिना किसी सामग्री के कोई रिपोर्ट नहीं बना सकते। आप ऐसी रिपोर्ट बना ही नहीं सकते। कोई न कोई सामग्री तो होगी ही और बिना सामग्री के इस रिपोट का कोई अर्थ भी नहीं होता। यह इस रिपोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसमें विदेशी एजेंसी के शामिल होने का उल्लेख किया गया है। मैं अपने साथी श्री आरिफ मोहम्मद खां से सहमत हूं जिन्होंने यह साफ-साफ कहा है कि

यदि कोई बाहरी देश स्वर्गीय प्रधानमन्त्री की हत्या में शामिल हो सकता है तो हम किस मुंह से उस देश के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों का दावा कर सकते हैं ? हमें उस देश का या उसकी एजेंसी का बचाव करने की कोशिश क्यों करनी चाहिए ? क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूं ? ये बहुत उलझे हुए प्रश्न हैं ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री एच. के. एल. भगत तथा कुछ अन्य सदस्यों ने कहा है कि वे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं आपको बता दूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या का राजनीतिक लाभ किसे हुआ क्या वे इस तथ्य से इन्कार करेंगे कि वे श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के फलस्वरूप पैदा हुई सहानुभूति के बल पर सत्ता में आए ? इसी से आप चुने गए थे । इस प्रकार आपको मतपत्रों से वोट मिले जो एक हत्यारे की बन्दूक की नली से निकल कर आए । आप इसे भूलिए मत । श्रीमती गांधी की हत्या के पीछे जो रहस्य छिपा है उससे उनकी सत्ता छिन सकती है, हमारी नहीं यह उन्हीं के हित में है कि वे सभी दस्तावेज, संबंधित पत्रों को उजागर करें और राष्ट्र को बताएं कि वे श्रीमती गांधी की हत्या की साजिश में लिप्त लोगों को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं । श्री शिव शंकर यह दलील दे रहे थे कि माननीय गृह मंत्री श्री बूटा सिंह ने जानबूझकर सभा को गुमराह नहीं किया किन्तु हो सकता है कि अनजाने में ऐसा हो गया हो । वे इतने भोले नहीं हैं । यदि उन्होंने अनजाने में ऐसा किया है तो स्पष्ट है कि उन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं है और यदि नहीं पढ़ी तो क्या अपने पद बने रहने के लायक हैं । किसी ने भी रिपोर्ट के लीक होने की जिम्मेदारी नहीं ली है । प्रो. कुरियन ने कहा आपने इस मामले को $4\frac{1}{2}$ वर्ष के बाद क्यों उठाया है । क्योंकि यह $4\frac{1}{2}$ वर्ष बाद लीक हो गयी । श्रीमान आप मुझ से सहमत होंगे कि विपक्ष में से किसी की भी गृहमंत्री तक पहुंच नहीं है । (व्यवधान)

श्री श्रीपति मिश्र (मछली शहर) आप में से कुछ की तो पहुंच है ।

(व्यवधान)

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : आप यहां आइए और हम न केवल 7300 पृष्ठों को सभा पटल पर रख देंगे बल्कि 17,000 पृष्ठ भी हों तो उन्हें भी रख देंगे । इसलिए श्रीमान्, उन्होंने जान-बूझ कर सभा को गुमराह किया है और मैं उन पर अपने कर्तव्य की अवहेलना करने तथा संसद का अपमान करने का आरोप लगाता हूं और इसलिए मैं सिफारिश करता हूं कि प्रो. मधु दण्डवते का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए ।

श्री मद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : धन्यवाद श्रीमान् । श्रीमान···· हमारे देश की जनता ने अपनी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी का बहुमूल्य जीवन किन्हीं अज्ञात अपराधियों के हाथों नहीं बल्कि सुरक्षा कर्मियों के हाथों खो दिया । यह न केवल हमारे देश की जनता के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए दुख की बात है । देश के लोग इससे बहुत चिंतित हैं और इसलिए इस मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायधीश श्री ठक्कर से करवाना जरूरी हो गया । यह आयोग किसलिए गठित किये गया था ? हत्यारे का पता लगाने के लिए । जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करने से रोक दिया ।

दस्तावेज के इस भाग को, रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया, न ही उसे इस माननीय सभा, इस संसद के समक्ष रखा गया किन्तु यह प्रेस में पहुंच गई । सरकार इस दस्तावेज की अभिरक्षक है । यह प्रेस में कैसे चली गई ? इसे किसने लीक किया ? विपक्ष ने ऐसा नहीं किया

क्योंकि यह सरकार की अभिरक्षा में थी। इसको अभिरक्षक होने के नाते सरकार ने ही इसे लीक किया है। इसीलिए हमने यह मांग की थी कि सभी दस्तावेज सहित ठक्कर आयोग की पूरी रिपोर्ट को सभा के समक्ष रखा जाए। अन्ततः राजीव गांधी ने घोषणा की कि वह इस रिपोर्ट को 27 मार्च को सभा में रखेंगे। और यहां यह व्याख्या की जा रही है कि इस रिपोर्ट के बाकी पृष्ठ इसका अंश नहीं हैं। क्योंकि आपने अधिसूचना वापस ले ली है इसलिए आपका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि आप सारी रिपोर्ट को इस सभा में रखें। हमारे देश की जनता को इस दस्तावेज को पढ़ने का अधिकार है। इसे रोक रखने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हमने मांग की कि इसे सभा के समक्ष रखा जाए। अब यह आपका कर्तव्य है कि आप इसे सभा के समक्ष रखें। एक कहावत है कि सीजर की पत्नी सर्वेव संदेह से परे रहेगी। आप सीजर की पत्नी की भांति कार्य करें। आप अपना दामन साफ रखें और आयोग की रिपोर्ट को सभा के समक्ष रखें। हरेक को पता चल गया है कि इस रिपोर्ट में क्या है और आपने इसके 7,300 पृष्ठ रोक लिए हैं। आपने रिपोर्ट के कुछ अंश ही सभा में रखे हैं और दस्तावेज का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग आपने रोक लिया है। क्या अधिसूचना को वापस लेने के बाद आपको ऐसा करने का अधिकार है? जब आपने सारी रिपोर्ट रखने की घोषणा की थी तब आप इसे सभा द्वारा विचार किये जाने के लिए रखने के लिए कर्त्तव्यबद्ध हैं। आप इसे रोक नहीं सकते।

श्रीमान, सरकार को जनता में व्याप्त चिंता रोष की परवाह नहीं है। उन्हें तो बस अपने से मतलब है।

एक माननीय सदस्य : अपनी बात कहिए।

श्री मनोरंजन तांती : यही तो प्रश्न है। आप पत्रों को नहीं पढ़ते। प्रतिदिन कोई न कोई घटना होती रहती है। कल बिहार में ईंटों के एक भट्ठे पर 6 लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। सरकार भट्ठों में काम करने वाली निर्दोष हरिजन लड़कियों को कैसे बचा सकती है? आप समाचार-पत्र देखिए प्रतिदिन ऐसी खबरें मिलती रहती हैं। दिल्ली में ही नृशंस हत्या की गई है और वह भी बीच शहर में। यदि आप साफ साफ (क्लीन) रहना चाहते हैं तो कैसे रह सकते हैं? जब आप एक प्रधान मन्त्री की जान की रक्षा नहीं कर सकते तो गरीब लोगों की जान की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हमें प्रधान मन्त्री की बहुत चिंता है। आप आग में घी डाल रहे हैं। बोडो लोगों को कौन भड़का रहा है? आप भड़का रहे हैं, न कि हम। बोडो समस्या आप ही की देन है।

मैं प्रो० मधु दण्डवते के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि सरकार को चाहिए कि वह सारे दस्तावेज तथा निष्कर्षों को सभा पटल पर रखे। वह उन्हें रोक नहीं सकती। रिपोर्ट से अभिप्रेत हैं अनुबन्ध, प्रति-परीक्षा सम्बन्धी साक्ष्य तथा ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में जो भी उल्लिखित है उसके सहित सभी दस्तावेज।

मैं विशेषाधिकार के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा अधिक आसान और सार्थक हो सकती थी यदि इस सभा को अध्यक्ष महोदय के इन विनिर्णय का लाभ मिल गया होता कि 'पूरे प्रतिवेदन' के क्या अभिप्रायः है। दुर्भाग्यवश, हमें विनिर्णय की जानकारी का लाभ नहीं मिला। यह प्रश्न कि पूरे प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है, विशेषाधिकार के उस प्रश्न से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है, जिसे गृह मन्त्री श्री बूटा सिंह के विरुद्ध उठाया गया है।

महोदय, जब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाते कि पूरे प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है यह कहना कठिन होगा कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है अथवा नहीं। यदि राय यह है कि पूरा प्रतिवेदन सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है तब विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न ही नहीं उठता। विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न केवल तब उठेगा जब यह बात स्पष्ट हो जाये कि पूरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा चुका है अथवा नहीं रखा गया है।

पूरा प्रतिवेदन क्या है ? इस पर भिन्न मत हो सकते हैं। सरकार का अपना मत हो सकता है कि पूरे प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है। इसी प्रकार से ठक्कर आयोग का भी अपने प्रतिवेदन के बारे में अपना मत हो सकता है कि इनके प्रतिवेदन में क्या-क्या शामिल है। इस सभा की अपनी राय हो सकती है कि प्रतिवेदन का वास्तव में अभिप्राय क्या है। इसके अतिरिक्त, जांच आयोग अधिनियम की दृष्टि से विधिक मत हो सकता है कि पूरे प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है।

अब हमें यहां केवल इस बात से सम्बन्ध है कि इस सभा की इस बारे में क्या धारणा है कि पूरे प्रतिवेदन का अर्थ क्या है तथा क्या पूरा प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा जा चुका है ? इस विशिष्ट प्रश्न पर कि सभा की इस बारे में क्या धारणा है, अध्यक्ष महोदय द्वारा अभी फैसला किया जाना है। इसीलिए मैं यह बात मान कर चलता हूं कि जिसे पूरा प्रतिवेदन कहते हैं उसे सभा पटल पर रखा ही नहीं गया है। मान लीजिए हम यह कल्पना कर लेते हैं कि पूरा प्रतिवेदन सभा के समक्ष आ चुका है, तो तब विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न उठता ही नहीं। इसीलिए, मान लीजिए कि पूरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा ही नहीं गया है तब हम इस कल्पना पर आगे विचार कर सकते हैं कि माननीय गृह मन्त्री की ओर से विशेषाधिकार का कोई हनन हुआ है अथवा नहीं।

मान लीजिए कि पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत ही नहीं किया गया है, तब विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या सभा को जानबूझकर गुमराह करने के प्रयास के कारण पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। केवल इस बात से कि पूरा प्रतिवेदन सभा में, प्रस्तुत नहीं किया गया, विशेषाधिकार का हनन नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा है कि इस बात के बारे में भिन्न धारणा हो सकती है कि पूरे प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है। इसीलिए इस तथ्य के साथ-साथ कि पूरा प्रतिवेदन सभा के समक्ष आया ही नहीं है, हमें यह भी जानना होगा कि क्या प्रतिवेदन को जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा सभा को जानबूझकर गुमराह किया गया। मूल प्रश्न यही है। मूल प्रश्न यह है कि क्या जानबूझकर ऐसा कोई प्रयास किया गया है जिससे सभा को यह विश्वास करना पड़ा कि जो सभा पटल पर रखा गया था वही पूरा प्रतिवेदन है तथा उस पर और कोई भाग नहीं है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं।

परन्तु माननीय गृह मन्त्री सभा में बोलने के लिये खड़े हुए। उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज सभा पटल पर रखे जो उनके विचार से पूरा प्रतिवेदन है। स्वयं उस दस्तावेज विशेष को सरसरी तौर से पढ़ने से ही यह पता लग जाता है कि जो सभा पटल पर रखा गया है उसके अतिरिक्त भी दस्तावेज हैं। इसीलिए, हम सभा को जानबूझकर गुमराह करने के लिए माननीय गृह मन्त्री को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं ? उन्होंने उन अंशों को मिटाये बिना एक दस्तावेज सभा पटल पर रखा जिसमें यह कहा गया है कि इसके अलावा और भी दस्तावेज हैं। कम से कम उन्होंने सभा को गुमराह नहीं किया है। जिस दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया उससे सभा को यह पता चलता है कि इस विषय पर और भी दस्तावेज हैं। सभा को गुमराह करने का प्रश्न कहां से आ गया ? मुझे यह बात समझ में

नहीं आई। माननीय गृह मन्त्री बोलने के लिए खड़े हुए— यह एक अलग प्रश्न है कि क्या पूरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया अथवा नहीं—तथा उन्होंने एक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा। स्वयं उसी प्रतिवेदन से पता चल जाता है कि उसमें अतिरिक्त और भी दस्तावेज हैं। उन्होंने प्रतिवेदन के उस भाग को उससे निकाला नहीं है। जो प्रतिवेदन श्री बूटा सिंह ने हमें दिया है उसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि उसके अलावा और भी दस्तावेज हैं। हमें गुमराह नहीं किया गया। इसलिए सभा को गुमराह करने का प्रश्न कहां से आ गया? अतः विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता।

यह प्रश्न कि वह पूरा प्रतिवेदन है या नहीं, एक अलग प्रश्न है। हम इस बात पर कभी उचित समय पर विचार करेंगे। परन्तु गुमराह करने वाली कोई बात नहीं हुई है, सभा को जानबूझकर गुमराह करने का कोई प्रयास नहीं किया गया क्योंकि माननीय गृह मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि उसके कुछ अन्य भाग भी हैं जिनकी सभा को जानकारी है।

इसीलिए, हम एक बहुत ही दिलचस्प वादविवाद कर रहे हैं। जैसे-जैसे वाद-विवाद आगे बढ़ा हम एक बहुत ही दिलचस्प तथा विचित्र स्थिति में पहुंच गए। विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न एक मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने वाली बात है। गुमराह करने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। हम एक बहुत ही दिलचस्प वाद-विवाद कर रहे हैं। जैसे ही वाद-विवाद शुरू हुआ सभा के कुछ माननीय सदस्य केवल यह कहने को खड़े हुए कि वे लगाए गए आरोपों को समाप्त करना चाहते हैं।

एक अन्य सदस्य ने उपहास करते हुए कहा कि अनजाने में गुमराह किया गया जिसका अर्थ है कोई विशेषाधिकार का हनन नहीं।

मैं यह भली-भांति समझता हूं कि प्रश्न केवल एक साविधिक युक्ति के रूप में, एक संसदीय युक्ति के रूप में सरकार पर यह दबाव डालने के लिए उठाया गया है कि वह पूरा प्रतिवेदन सभा के सामने लाए। मैं समझता हूं इसका केवल यही अभिप्राय है। यहां मुझे इस विशिष्ट प्रश्न पर सरकार से एक बहुत ही जोरदार अपील करनी है।

अब उस दस्तावेज को जो पहले ही किस्तों में जनसामान्य के समक्ष प्रकट हो रहा है, रोके रखना ठीक नहीं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य प्रो० दण्डवते विशेषाधिकार के हनन के अपने प्रश्न को वापस ले लेंगे। यदि वे वापस नहीं लेते तो मुझे विश्वास है कि सभा इस प्रश्न पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। परन्तु इसके अतिरिक्त मैं सरकार से एक जोरदार अपील कर रहा था। उस दस्तावेज को रोके रखने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं है जो पहले से ही लोगों के समक्ष किस्तों में प्रकट हो रहा है। यही बेहतर तथा उचित रास्ता होगा यदि सरकार इस प्रश्न के अलावा कि यह पूरा प्रतिवेदन है या नहीं, स्वयं अपने आप आगे आए, तथा उससे सम्बन्धित प्रत्येक पत्र सभा पटल पर रखे। मैं उसके लिए सरकार से अनुरोध करूंगा। अनिश्चितता के काले बादलों में रहने की बजाय राष्ट्र के लिए यह बेहतर होगा कि वह निश्चितता के प्रकाश में आगे बढ़े। यही रास्ता अपनाना बेहतर होगा। केवल एक तर्क जो सामने आ रहा है वह यह है कि एक बड़े षड्यन्त्र का पता लगाने के लिए जो कुछ अभियोजन मामले चलाए जा रहे हैं उन पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि बड़े षड्यन्त्र का पता लगाने के लिए ऐसे अभियोजनों का क्या लाभ जो कभी पूरे ही नहीं होते तथा वे समाप्त हो जाते

है यदि उनको पूरी जानकारी दे दी जाए। बेहतर यह है कि स्वयं अभियुक्त व्यक्तियों के पास पूरे तथ्य हों। कुछ सूचना को रोके रखना तथा कुछ लोगों को दोषी ठहराना तथा यह कहना कि न्याय कर दिया गया है, बिल्कुल गलत है। जो हमारी विधिक प्रणाली है उसमें ऐसी ही व्यवस्था है। बेहतर होगा यदि सरकार सभी तथ्यों को स्पष्ट कर दे। केवल तभी न्याय होगा।

विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए, मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि प्रो० मधु दंडवते अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे। इसके साथ-साथ मैं अब सरकार से अनुरोध करता हूं कि क्योंकि इस मामले में काफी कुछ कहा-सुना हो चुका है इसलिए आप सभी पत्रों को लाइये और उन्हें सभा पटल पर रखिये ताकि जनता के मन में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न न हो वरना यह सब राष्ट्र की प्रगति के लिए एक स्वस्थ राजनैतिक वातावरण नहीं होगा।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष जी, आज इस सदन में जो विशेषाधिकार के प्रश्न को लेकर प्रोफेसर दण्डवते जी के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, उसमें विरोधी पक्ष के आदरणीय सदस्यों ने बहुत जोर लगाकर कोशिश की है कि मैंने इस सदन की मानहानि की है, भले ही आखिरी वक्त श्री जमातवाला जी ने इस बात को अपने ढंग से सिद्ध किया है कि मैंने न जानबूझकर, न साधारणतया इस सदन की किसी प्रकार की मानहानि की है। मैंने अपने फर्ज की अदायगी की है और इस सदन को अपने जनतन्त्र का सर्वोच्च संस्थान मानकर इस सदन का पूरा-पूरा आदर मान किया है इसलिए मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर दण्डवते जी के इस दोष का खंडन करता हूं, जो उन्होंने कहा है कि मैंने इस सदन की मानहानि की है।

अब प्रश्न पैदा होता है कि जिस तथ्य को, जिस विषय को लेकर दण्डवते जी ने यह दोष मेरे ऊपर लगाया है, उसके दो मुख्य पहलू हैं। एक पहलू कानून का और प्रक्रिया है, प्रोसीजर का है। दूसरा पहलू जिसका सम्बन्ध राजनीति से है, जिसके बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट कहा है कि···प्रश्न कानून का नहीं है, प्रक्रिया का नहीं है, प्रश्न राजनीतिक है। मैं उनकी इस बात को मानता हूं यह प्रश्न मुख्यतः राजनीतिक है, यदि यह राजनीतिक नहीं होता तो आज सात दिन से लगातार इस सदन को इस्तेमाल किया गया विरोधी दलों की तरफ से सरकार के विरुद्ध प्रचार के लिए और क्या-क्या आरोप नहीं लगाए गए। अभी आरिफ मोहम्मद खां ने कहा—हमने रिपोर्ट को बदल दिया है, रिपोर्ट को दबा दिया है, रिपोर्ट को गुम कर दिया है और बड़ी चर्चा हुई। इस बात के लिए आभार व्यक्त किया कि अमुक पेपर ने, अमुक पत्र ने इस रिपोर्ट को यदि प्रकाशित नहीं किया होता तो यह रिपोर्ट कभी प्रकट ही नहीं होती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सही बात है।

सरदार बूटासिंह : मैं सिद्ध करूंगा, यह गलत है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपको तो बोलना ही है।

सरदार बूटासिंह : मैं साबित कर रहा हूं····(व्यवधान)

मान्यवर, यहां जिस पत्र का उल्लेख हो रहा है, उसने तो 14 मार्च, 1989 को छापी है, मगर यह रिपोर्ट—यदि मान्यवर विपक्ष के संसद सदस्यों की याद इतनी कमजोर नहीं है तो मैं उनके सामने एक ऐसा पत्र पेश करने जा रहा हूं जिसने इस रिपोर्ट के सरकार को प्रस्तुत होने के सात दिन बाद लीक कर दिया था—"इण्डिया टू-डे" में 31 मार्च, 1986 को छपी है। सेम रिपोर्ट है। यह कोई

अरूण शोरी जी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है, जिसने यह दस्तावेज उनको दिए हैं। यह एहसान पहले ही कर चुका है, किसके ऊपर ? इंडिया टू डे के शेखर गुप्ता के ऊपर। एक किस्त नहीं, एक तो छपी है 31 मार्च, 1986 को और दूसरी उसी शेखर गुप्ता का जुलाई 31, 1986 को छपा है। इसलिए यह कोई इतना बड़ा अजूबा नहीं है, जो विरोधी दलों ने और उनके समर्थकों ने इस सदी में किया हो। इस रिपोर्ट को पत्र में छापकर कोई बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली हो इस सरकार के खिलाफ। अब प्रश्न पैदा होता है, जब यह रिपोर्ट उस वक्त अभी प्रस्तुत ही हुई थी, तो यह सारी की सारी कैसे लीक कर गई ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह खोज करनी चाहिए आपको।

सरदार बूटासिंह : मैं बता रहा हूं।

श्री सी० माधव रेड्डी : बाई कैसे ?

सरदार बूटासिंह : आप सुनिएं तो सही··· (व्यवधान) ···मुझे खेद है। मैं आदर करता हूं कुछ पत्रकारों का, जो कि पूरे देश भर में सुप्रसिद्ध हैं। खास कर उनमें अरूण शोरी जी का। वे समझते हैं कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा शेर मार लिया। आपसे पहले तो यह शेखर गुप्ता को दी गई थी। शेखर गुप्ता को देते वक्त कहा गया था, यह रिपोर्ट कहां थी·· (व्यवधान)····आप सुनिए, आपके सामने रहस्य आ रहे हैं, कंन्ट्स आ रहे हैं। कहा गया था—वॉल्ट्स आफ दि नार्थ ब्लाक, यह रिपोर्ट रखी हुई थी (व्यवधान) वाल्ट्स आफ-दि-नार्थ ब्लाक। आप जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं; मैं ज्यादा उसका माहिर नहीं हूं। मेरे से तो अरूण शोरी ने इस बात का मजाक भी किया था, उस दिन मैंने एक शब्द अंग्रेजी का बोला, जिसको लेकर उन्होंने कहा—यह शब्द मैंने कहीं से लिया। मैं तो इंगलिश के शब्द कहीं न लेता हूं। मेरी तो भाषा नहीं है। यह तो केवल पेशेवर पत्रकार ही हैं, जिनकी भाषा अंग्रेजी ही है। मेरी भाषा अंग्रेजी नहीं है। सच बात है, रोज अखबारों से और आपके भाषणों से जो शब्दावलियां मिलती हैं मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं, गांव का पढ़ा हुआ हूं, पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ हूं, उसी को मैं सीख लेता हूं और कभी-कभी अरूण शोरी ही की शब्दावली भी सीख लेता हूं। मगर सच बात तो यह है कि उस वक्त यह रिपोर्ट कहां थी···यह नार्थ ब्लाक में नहीं थी। मैं साबित कर सकता हूं कि यह रिपोर्ट उस वक्त के इन्टर्नल सैक्यूरिटी मिनिस्टर की पसनल कस्टडी में थी।····(व्यवधान)····मैं आज की लीक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस लीक की बात नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने उस समय कारंवाई क्यों नहीं की ?

(व्यवधान)

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : आपने उस पर मुकद्दमा क्यों नहीं चलाया ? यदि आपमें साहस होता तो आप उस पर मुकद्दमा चलाते।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : जरा सुनिये तो सही किशोर बाबू।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यदि आप यह सोचते हैं कि मन्त्री जी ने इसे लीक किया है तो आप उस समय क्या कर रहे थे ? क्या आप सो रहे थे या खर्राटे ले रहे थे ?

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चंद्र एस० देव : यदि प्रधान मन्त्री ने इसे तत्कालीन आंतरिक सुरक्षा मंत्री को दे दिया था तो प्रधान मन्त्री को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

सरदार बूटासिंह : किशोर बाबू बैठो। आपको पसन्द नहीं लगता तो मेरा कसूर नहीं है। आप भी उसके पास बैठे हुए हो और समझ नहीं लगती है, तो मेरा कसूर नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप प्रोसीक्यूट कीजिए उनको।

सरदार बूटासिंह : मान्यवर, मैंने जो कहा है, वे फैक्ट्स कहे हैं।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (बसीरहाट) : ठक्कर साहब ने जब कम्पलीट किया अपनी रिपोर्ट को, तो कापीज बनाई गई होंगी उनके दफ्तर में। अब किस के पास कापी भेजी उसने पहले, कितनी कापीज उस की थी, किन-किन के पास वे कापीज गईं, इस की खोज खबर आपने ली थी ?

सरदार बूटा सिंह : आज तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो फैक्ट्स हैं, वही मैं सामने रख रहा हूं। ···(व्यवधान)···ये फैक्ट्स हैं। इससे संबंधित कागज···

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्रीमान, वह इस प्रकार तथ्यों को चुन-चुन कर प्रकट नहीं कर सकते हैं।

सरदार बूटा सिंह : वे हम पर चुन-चुन कर प्रहार कर रहे हैं और वे अब तथ्यों का सामना करने को तैयार नहीं हैं···(व्यवधान) आप चिन्ता मत कीजिए, मैं इस विषय पर भी आऊंगा।

[हिन्दी]

मेरे साथ थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा। मैं आपको पूरी तसल्ली करवा दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, आप धीरे धीरे चलिए।

सरदार बूटासिंह : मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। यह जो लीक है, यह पोशीदा लीक है। यह बहुत मामूली बात है और इसका कोई मतलब भी नहीं है और यह सारी की सारी छप चुकी है। ····(व्यवधान)···

श्री वसुदेव आचार्य : यह कहां से मिली उनको ? कैसे मिली उन को।

सरदार बूटा सिंह : अब रही बात····

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? कौनसे नियम के अन्तर्गत यह प्रश्न कर रहे है ?

प्रो० मधु दण्डवते : नियम 376 के अन्तर्गत ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सभा में चर्चा के दौरान इस बात का पता चला है कि राजनैतिक मामलों सम्बन्धी मंत्रीमण्डल समिति को भी यह प्रतिवेदन नहीं दिखाया गया था । श्री बूटासिंह अब यह कैसे कहते हैं कि एक राज्य मंत्री को प्रतिवेदन नहीं दिखाया गया था । श्री बूटा सिंह अब यह कैसे कहते है कि एक राज्य मंत्री को प्रतिवेदन दिखाया गया था ?(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं ।

श्री एस जयपाल रेड्डी : तब कौन कसूरवार है ? उन्होंने यह प्रतिवेदन श्री अरुण नेहरू को क्यों दिखाया था जो केवल एक राज्य मंत्री थे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए (व्यवधान)····मन्त्री महोदय बोलने के लिए खड़े हैं । अन्य कोई बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जायेगी । मैं मन्त्री महोदय के अलावा और किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले मंत्री महोदय को सुनिये । तत्पश्चात् आप जो कुछ कहना चाहते हैं कहिए ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय । नहीं, मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप कृपा करके मन्त्री महोदय को सुनिये । वह आपकी किसी बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सैफुद्दीन चौधरी जी आप कृपया बैठ जाइये । कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा । आप बाद में पूछ सकते हैं । मैं आपको अनुमति दे दूंगा ।

[हिन्दी]

सरदार बूटासिंह : उपाध्यक्ष जी, इन्द्रजीत गुप्त जी ने बिल्कुल सही कहा था कि यह राजनैतिक प्रश्न है कानून का प्रश्न नहीं है । ((व्यवधान) आपने 6 घण्टे लगाये हैं, मैं 6 मिनट में पूरा करूंगा । (व्यवधान)

इन्द्रजीत गुप्त जी ने बिल्कुल सही कहा है । उन्होंने कहा है कि यह राजनीतिक प्रश्न है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उस वक्त बहुत से माननीय सदस्य जो आज कहते हैं कि इन्दिरा जी के नाम से जीते हैं और वे अभी भी यहां बैठे हैं । जिन्होंने 1980 में इन्दिरा जी की तस्वीर अपने गले में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

पहन कर वोट लिया था (व्यवधान) वे आज "तत्कालीन प्रधानमन्त्री" कहते हैं, इन्दिरा जी का नाम भी नहीं लेते। वे उन्हें तत्कालीन प्रधानमन्त्री" कहते हैं और कहते हैं," तत्कालीन प्रधान मन्त्री की हत्या।" आज उनके गले से इन्दिरा जी का नाम नहीं निकल रहा है। (व्यवधान) आज उन्हें इन्दिरा का नाम लेने में शर्म आती है। क्योंकि आज वे ऐसी कम्पनी में बैठे हैं, ऐसी संगत में बैठे हैं (व्यवधान) जिन्होंने ऐसी स्पीचिज दी है (व्यवधान) वे सारी प्रिन्टिड हैं, आप पढ़ लेना, उन्हें देख लेना (व्यवधान)। आज उन्हें इस बात का संकोच हो रहा है, उन्हें शर्म आ रही है कि कहीं वे इन्दिरा जी को अपना नेता न कह दें। इसलिए वे उन्हें "तत्कालीन प्रधान मंत्री कह रहे हैं।

वे प्रधान मंत्री थीं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वे प्रधान मन्त्री जिन्होंने अपने देश में सेक्युलेरिज्म को कायम रखने के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल लिया, जिन्होंने देशवासियों के ऊपर अविश्वास नहीं किया। देश की वह महान नेता जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आदर्शों को अपने जीवन से, अपने प्राणों से ओतप्रोत होकर पालन किया। आज कोशिश हो रही है। बड़े-बड़े पत्रकारों के लेख छप चुके हैं। अगर मैं उनका उल्लेख करूंगा तो फिर आप कहेंगे कि मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। उन्होंने भी लिखा है, जैसाकि इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा। आज विरोधी दलों की पूरी कोशिश है कि प्रधान मंत्री को, प्रधान मंत्री जी की पार्टी से, प्रधान मंत्री जी के फोलोअर्स, प्रधान मंत्री जी के परिवार के सदस्यों से, श्रीमती इन्दिरा गांधी को, उनसे कैसे दूर किया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं ? मेरा नाम ले कर के आप यह ** नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस शब्द को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

सरदार बूटासिंह : मैंने यह नहीं कहा कि आपने कहा है मैंने आपका नाम नहीं लिया। मैंने यह कहा है कि आपने कहा है कि यह राजनीतिक प्रश्न है मैंने आपका नाम नहीं लिया। यह सही बात है कि आज कोशिश की जा रही है, उनकी यह पोलिटिक्स है.......

[अनुवाद]

मुझे खेद है कि आपने इसे इतनी गम्भीरता से लिया है। मुझे इस बात का खेद है कि आपने मुझे समझा नहीं है। मैंने आपका नाम नहीं लिया है।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : हम श्री इन्द्रजीत गुप्त जी का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते आदर करते हैं लेकिन उन्हें गृह मन्त्री के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। उन्हें वह शब्द वापस लेना चाहिए।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप ख्वाहमख्वाह गुस्से में आ गए हैं, आपको यह शब्द वापिस लेना चाहिए। (व्यवधान) ठीक है मैंने वह शब्द ग्रहण नहीं किया इसलिए वह शब्द आपके पास वापिस चला गया।

** पीठासीन अधिकारी के आदेश से कार्यवाही वृत्तांत से निकाला गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि सुप्रसिद्ध पत्रकारों ने इसका विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है, उन्होंने कहा है, आपका नाम इसलिए लिया था क्योंकि आपने कहा था कि — यह एक राजनैतिक खेल है, यह एक राजनैतिक मामला है।

[अनुवाद]

तत्पश्चात आपने यह कहा था।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गेम है तो आपका भी गेम है, वैसे गेम मैंने नहीं कहा।

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं उसके लिए आपका नाम नहीं ले रहा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में इस सदन में जो ड्रामे किए गए, आपको याद होगा कि पहले दिन तो बहुत तारीफ की जा रही थी कि यही होम मिनिस्टर है जिसने इस रिपोर्ट को दबा रखा है। (व्यवधान) रिपोर्ट को दबा सकता है।

बड़ी तारीफ की जा रही थी, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आ गई तो कहने लगे कि यह बहुत बदनाम और बुरा होम मिनिस्टर है/ऊंचे शब्दों में कहा। (व्यवधान)

कुछ मिनटों में उनकी भाषा बदल गई और कुछ मिनटों में ही हम बदनाम हो गए, क्योंकि उनका राजनीतिक परपज हल नहीं हुआ, इसलिए मैं बदनाम हो गया। (व्यवधान)

श्रीमन् यह राजनीतिक प्रश्न है. हम जानते हैं, कि किन गुटों और तत्वों की तरफ से इसको उठाया जा रहा है और कौन लोग किस ढंग से इस राजनीतिक प्रश्न को उठा रहे हैं। देश के अन्दर अन्य प्रांतों में गलियों में जुलूस निकाले जा रहे हैं, कौन नहीं जानता कि यह राजनीतिक प्रश्न है, इस राजनीतिक प्रश्न को एक्सप्लाइट करने के लिए देश भर में प्रयास हो रहे हैं, जिनके पास कोई राजनीति नहीं है, जिनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, वे इस तरह के प्रोग्राम और स्लोगन से देश के भोले भाले लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

परंतु इस देश के वासियों को मालूम है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से इस देश में समूचे तौर पर सांप्रदायिक एकता को बनाया है, विकास किया है, शांति व्यवस्था बनाकर रखने को प्राथमिकता दी है और पिछले 4-5 सालों में इस देश ने श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में जो प्राप्तियां की हैं, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो प्राप्तियां की हैं, जो विकास किया है वह बेजोड़ है, चाहे सूखे का मुकाबला करने की बात हो या कोई और बात हो, उसका मुकाबला आज तक नहीं हो पाया।

एक माननीय सदस्य : प्रिविलेज पर बोलिए। (व्यवधान)

सरदार बूटासिंह : प्रिविलेज पर बोलता हूं, लेकिन जो आपने कहा है, उसका भी जवाब देना है।

श्रीमन्, मैंने सबसे पहले प्रश्न किया था कि यह अपोजीशन उस वक्त भी यहां थी जब सन 1986 में यह रिपोर्ट छपी थी उस वक्त इस सदन में क्यों हल्ला-गुल्ला क्यों नहीं हुआ।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : क्या मैं यह मानूं कि उस वक्त वे तत्व इधर बैठे हुए थे और अब वे उधर चले गए हैं, इसलिए यह हल्ला-गुल्ला हुआ है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : उस समय मैंने शुरू से लेकर विचार किये जाने की स्थिति तक इसका विरोध किया था।

[हिंदी]

सरदार बूटा सिंह : यह बिल्कुल गलत बात है, जब यह लीक हुई। (व्यवधान) आचार्य जी मैं हिंदी में ही बोलूंगा, चाहे आप समझें या नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि जब यह लीक हुई थी, उस वक्त क्यों नहीं रेज किया।

एक माननीय सदस्य : उस वक्त टाइम नहीं था। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : उस वक्त सुंदर चेहरे इस तरफ विराजमान थे, इसलिए यह बात नहीं कही, उस वक्त बड़े बड़े दिग्गज लोग इन बेंचों पर बैठे हुए थे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप हुजूर की बात कर रहे हैं शायद ?

सरदार बूटा सिंह : मैं हुजूर की ही बात कर रहा हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जिनका आप हुजूर करते थे ?

18.00 म० प०

सरदार बूटासिंह : वह तो आप ही करना जानते हैं। मैंने कान से पकड़कर निकाले थे हुजूर। हुजूर जो करते थे वे आज भी हुजूर ही करते हैं।... (व्यवधान जैसे पिछले दो साल से कोई बवंडर उठाया, थोड़ी देर चर्चा हुई और जब वह लोगों में गया तो खत्म हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बवंडर जो आपने खड़ा किया है और जिसमें हमारी सर्वप्रिय स्वर्गीय नेता इन्दिरा जी का नाम लेकर निकले हैं देशवासी इसको भी अच्छी तरह से जानते हैं। वे भी आपको इसका भुगतान ऐन मौके पर देंगे। इसकी पूरी-पूरी कीमत चुका देंगे। आपको परेशानी होगी। लेकिन आज वह मेरा विषय नहीं है। अब मैं ब्रिच आफ प्रिविलेज की तरफ आता हूं। मैं एक छोटा सा वाक्य पेश करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।... (व्यवधान) मैंने 27 मार्च को जो रिपोर्ट पेश की, वह फाइनल है। मैं आज भी उसी को कहता हूं वही रिपोर्ट है। उसके अलावा रिपोर्ट नहीं है। आपने बड़े सुप्रीम कोर्ट के हवाले दिए। मेरे सहयोगी श्री चिदम्बरम जी ने बहुत अच्छे।

6.02 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वक्तव्य में जितने आज तक के कमीशन हुए, उन सबका हवाला दिया। आप जानते हैं कि निकाह तब होता है जब मियां-बीबी मान जाएं. वरना निकाह नहीं होता। चलिए हम देख लेते हैं कि ठक्कर जी का क्या कहना है। मैं रिपोर्ट के पन्नों में नहीं जाऊंगा क्योंकि यह तो सबने पढ़ ली है। श्रीमन दण्ड-वते जी मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। ठक्कर जी ने रिपोर्ट पेश करने के बाद गृह मन्त्रालय को सूचित किया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि रिपोर्ट तो मैंने 27 फरवरी को देदी थी, अब उसके

अलावा जो मेरे पास कागजात हैं, वह भेज रहा हूं। वह चिट्ठी कमीशन की तरफ से 21 मार्च की है। फर्स्ट रिपोर्ट 19 नवम्बर को और दूसरी 27 फरवरी 86 को आ गई थी। वह चिट्ठी 21 मार्च 86 की है जो कमीशन ने होम सेक्रेटरी को देते वक्त लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा है।

[अनुवाद]

यह आयोग के सचिव द्वारा तत्कालीन गृह सचिव को लिखा गया पत्र है :

"माननीय आयोग ने पहले ही क्रमशः 19-11-1985 और 27-2-1986 को अन्तरिम रिपोर्ट और अन्तिम रिपोर्ट माननीय गृह मन्त्री को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर दी थी।

2. माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अब मैं रिपोर्टों से सम्बंधित गुप्त अभिलेख प्रस्तुत कर रहा हूं। वे नीचे यथा वर्णित 12 खंडों में हैं : –

4 खण्ड—2—क से 2—घ

4 खण्ड—3—क से 3—घ

2 खण्ड—4—अनुभाग 1 और 2

उपर्युक्त 10 खण्ड 19-11-1985 को प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट सम्बन्धित है।

3. मैं दो खण्ड, भाग I-क (अनुभाग-1) और भाग I-क (अनुभाग-2) भी पेश करता हूं। ये खण्ड 27-2-1986 को प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट से सम्बन्धित हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अब हकीकत सामने आ गई है।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : महोदय, यह है पत्र। मैं समाप्त कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं हैं। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

सरदार बूटासिंह : महोदय, यह पत्र न्यायमूर्ति ठक्कर [illegible] है जिसमें उन्होंने कहा है कि "अब मैं निम्नांकित विस्तृत अभिलेख पेश करता हूं।"

आयोग के ये दुर्लभ अभिलेख गृह सचिव को 22 [illegible] पश्चात् भेजे गये। इसलिये, महोदय 27 फरवरी को गृह मंत्री को यथा प्रेषित रिपोर्ट पूर्ण एवं [illegible] है इसमें और कुछ भी नहीं किया है जिसका यह अर्थ लगाया जा सके कि मैंने इस सभा के [illegible]ार का हनन किया है। इसलिए, मैं अपने विरुद्ध लगाये गये सभी वक्रोक्तियों और आरोपों [illegible] करता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरा एक [illegible] प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, उन्होंने आलेख [illegible] में से उद्धृत किया है। इसलिए यह पत्र सभा पटल पर अवश्य रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह अपने आप रिकार्ड में आ गया।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने इसके पूरे अंश को उद्धृत नहीं किया है। उसको पूरा सभा पटल पर रखने दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : वह भी आ रहा होगा।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, अब मैं अन्त में इस माननीय सभा के समक्ष अत्यन्त विनम्रता और सम्मान से कहना चाहता हूं कि मैं पिछले 25 वर्षों से इस सभा का सदस्य हूं। मैं इस सभा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी तत्परता से करने का प्रयास करता हूं तथा प्रो० मधु दंडवते का यह कहना, कि मैंने जानबूझकर सभा को गुमराह किया है, अत्यन्त खेद जनक है। मैं प्रो० दंडवते सहित विपक्ष द्वारा लगाये गए सभी आरोपों का खंडन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि मेरे विरुद्ध लगाये गये इन आरोपों को यह सभा ठुकरा दे।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दंडवते ने गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी है। यदि वह चाहते हैं तो प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इससे पहले कि मैं सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पेश करूं, इस सभा में की गई विभिन्न टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ शब्दों में कुछ बातें कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या अब आप ऐसा कर सकते हैं? मैं नहीं समझता कि अब आप ऐसा कर सकते हैं। अब तो आपको केवल प्रस्ताव पेश करना है।

प्रो० मधु दंडवते : जी हां, महोदय, मुझे अनुमति दी गई है। (व्यवधान)

मैं प्रस्ताव पेश करूंगा और मैं कुछ बातें कहूंगा जब मैं प्रस्ताव पेश करता हूं, तब मुझे कुछ बातें कहने की अनुमति दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप शोर क्यों करते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : जब कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है, तब कही गयी बातों के परिप्रेक्ष्य में मुझे कुछ बातें कहने की अनुमति दी जाती है। पहले भी जब मैंने प्रस्ताव पेश किया था मुझे कुछ बातें कहने की अनुमति दी गई थी।

(व्यवधान)

आप बतायें कि कौन सा नियम है जो मुझे इससे रोकता है। (व्यवधान)

महोदय, यह मेरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, या तो आप अब प्रस्ताव को तकनीकी रूप से पेश करने के बाद मुझे कुछ बातें कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अपना प्रस्ताव पेश करने और उस पर अपनी टिप्पणियां करने की अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों में बंधा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं नियम उद्धृत करता हूं। (व्यवधान)

सर्वप्रथम, मुझे विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना है, तत्पश्चात् मुझे प्रस्ताव पेश करना है। अब मैं प्रस्ताव पेश करने ही वाला हूं। मैं केवल कुछ ही क्षण लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : किस नियम के तहत आप मुझे मना कर रहे हैं? (व्यवधान)

पिछली बार, जब श्री अरुण शोरी के विरुद्ध प्रस्ताव आया था तब भी मुझे चुप कराने का प्रयास किया था परन्तु आपने मुझे कुछ बातें कहने की अनुमति दे दी थी और कहा था कि जो प्रस्ताव पेश करता है उसे कुछ बातें कहने दी जाती है।

मैं बहुत समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नियम 226 कहता है :

> "यदि नियम 225 के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है, तो सभा इस प्रश्न पर विचार कर सकती है और कोई निर्णय कर सकती है या इसे विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले सदस्य या किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर विशेषाधिकार समिति को सौंप सकती है।"

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे नियम बताइए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बता दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने इसे बहुत बार पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पिछले 9 वर्ष से पढ़ रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं भी इसे पिछले 16 वर्ष से पढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं श्रीमान हो सकता है आप उससे भी अधिक समय से पढ़ रहे हो परन्तु मैं सोचता था कि इसे पढ़ने का काम अकेले मेरा ही है परन्तु आप भी ऐसा करते रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे कुछ बातें कहने की अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदय, आपको प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु आपकी अनुपस्थिति में बहुत सारे तर्क दिए जा चुके हैं। महोदय, मैं केवल तीन मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है, महोदय। मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि आप पीठासीन हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : यह कोई विशेष सदस्य नहीं हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं मैं कोई विशेष सदस्य नहीं हूं। मेरा विचार था कि आप कमजोर वर्ग को कुछ लाभ पहुंचाएंगे। हम इस सभा में अल्पसंख्यक हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रस्ताव पेश कीजिए।

प्रो. मधु दंडवते : प्रस्ताव पेश करते समय मैं केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं और एक स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं। यह महान्यायवादी से परामर्श करने के पश्चात् मूल प्रस्ताव के बारे में आपके द्वारा दिए जाने वाले विनिर्णय पर प्रभाव नहीं डालेगा। मैं अभी यह बात स्पष्ट कर रहा हूं।

श्री एच० के० एल० भगत : ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत वह आगे टिप्पणी कर सकें। वे सभी नियमों को खूब जानते हैं और यदि ऐसा कोई नियम होता तो वे उसे बहुत आसानी से उद्धृत कर सकते थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहिब, मैंने आपको अनुमति दे दी है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि गृह मन्त्री सरदार बूटा सिंह ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के सम्बन्ध में ठक्कर आयोग का पूरा प्रतिवेदन सभा पटल पर न रख कर सभा को जानबूझ कर गुमराह करके सभा के विशेषाधिकार का हनन किया है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की यह राय है कि गृह मन्त्री, सरदार बूटा सिंह ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के सम्बन्ध में ठक्कर आयोग का पूरा प्रतिवेदन सभा पटल पर न रखकर सभा को जान-बूझ कर गुमराह करके सभा के विशेषाधिकार का हनन किया है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दंडवते : आप अपना विनिर्णय कब दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं मैं इस कार्य में लगा हुआ हूं। मुझे विनिर्णय अभी प्राप्त हुआ है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : हम महान्यायवादी को सुनना चाहते हैं। हमें पता चला है कि सरकार ने आपसे भी पहले उनसे परामर्श कर लिया था।

अध्यक्ष महोदय : जयपाल जी, कृपया मेरी बात सुनिए। यदि आप महान्यायवादी को बुलाना चाहते हैं तो इसके लिए सभा में प्रस्ताव लाना होगा। यदि आप चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी । हम महान्यायवादी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बुलाने के लिए प्रस्ताव पारित करना होगा । महान्यायवादी को बुलाने के चार तरीके हैं । पहला, सभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा । दूसरा उन्हें सरकार बुला सकती है और कोई भी बात स्पष्ट करने के लिए कह सकती है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : परन्तु पहले कि आप परामर्श करते, सरकार ने उनसे परामर्श कर लिया था ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है इस पर कोई रोक नहीं है । वह सरकार को उपलब्ध हैं । वह मुझे इसलिए उपलब्ध हैं क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैं कोई कानूनी सलाह ले सकता हूं ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : परन्तु मेरा कहना है कि आपके परामर्श लेने से पहले ही सरकार ने उनसे परामर्श कर लिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर रोक नहीं लगा रहा हूं । न ही मैं यह कह रहा हूं कि ऐसा नहीं किया जा सकता ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : परन्तु आपसे पहले ही परामर्श कर लिया (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए । मैं अपना विनिर्णय दूंगा ।

6.14 म०प०

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को याद होगा कि 28 मार्च, 1989 को कई सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या सरकार ने ठक्कर आयोग का पूरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया है या उसके कुछ अंशों को रोक लिया है । चूंकि इस बात पर मतभेद था कि आयोग के पूरे प्रतिवेदन में क्या-क्या आता है इसलिए इस मामले में महान्यायवादी की सलाह लेने का निर्णय किया गया ।

मुझे इस बीच महान्यायवादी की राय मिल चुकी है । मैंने महान्यायवादी की राय सहित इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है । मैंने, जैसाकि श्री जयपाल रेड्डी ने सुझाव दिया था, माननीय सदस्यों के विचार भी सुने हैं मैं बहुत·······

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : प्रभावित हुआ हूं, महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : प्रभाव का कोई प्रश्न नहीं है । यह इसलिए क्योंकि मैं उनकी बातों में आ गया था । मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूं । रेड्डी जी, आपने मुझे अपना दिमाग स्पष्ट करने में सहायता की है । अन्यथा मैं कुछ बात नहीं कर सकता ।

मैंने आज विशेषाधिकार की सूचना पर चर्चा के दौरान इस मामले के सभी पहलुओं के बारे में माननीय सदस्यों के विचार भी सुने हैं तथा मैं उनकी सुस्पष्ट और विद्वतापूर्ण व्याख्या के लिए उनका आभारी हूं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने प्रतिवेदन, खण्ड, भाग, 'सामग्री' और 'अभिलेख' शब्दों को अपेक्षाकृत मुक्त रूप से प्रयुक्त किया है । जहां पैरा 1.6.1 में आयोग कहता है कि प्रतिवेदन 2 भागों में

है—भाग 1 और भाग 1-क, पैरा 1.6.3 में कहा गया है कि भाग 1-क में वह 'सामग्री' है जिस पर 'प्रतिवेदन' आधारित है, पुन: पैरा 1.6.5 में भाग 1-क को उस 'अभिलेख' का भाग माना गया है जो प्रतिवेदन के साथ सरकार को औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था परन्तु जो आयोग के सचिव द्वारा बाद में मन्त्रालय के सचिव को दिया जाना था। सभा पटल पर जो चीज नहीं रखी गई है वह यह 'अभिलेख' है जिसे कभी तो प्रतिवेदन के "खण्ड" और कभी "भाग" कहा गया है और जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद आयोग के सचिव द्वारा गृह मन्त्रालय के सचिव को भेजा गया था।

मेरा यह मत है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा (3) की उप-धारा (4) के अनुसार आयोग द्वारा 19 नवम्बर, 1985 और 27 फरवरी, 1986 को सरकार को प्रस्तुत किए गए ठक्कर आयोग के अन्तरिम और अन्तिम प्रतिवेदनों तथा उन पर की गई कार्यवाही के विवरण को 27 मार्च, 1989 को सभा पटल पर रख कर सरकार ने सांविधिक अपेक्षा पूरी कर दी है। मैं विनिर्णय देता हूं कि अन्तरिम और अन्तिम प्रतिवेदनों सहित ठक्कर आयोग का पूर्ण प्रतिवेदन, सरकार को प्रस्तुत किए गए रूप में, सभा पटल पर रख दिया गया है। (व्यवधान)

अब सभा 4 अप्रैल, 1989 से 11.00 म. पू. पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.17 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 4 अप्रैल, 1989/14 चैत्र, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक । एस० नारायण एंड संस, दिल्ली-6